बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

88 Years of Excellence

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Mapping a New Route

Better Opportunities | Greater Achievements | Bigger Milestones

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-2024

माननीय केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 25 नवंबर 2023 को मैमन ग्राउंड, अट्टिंगल, त्रिवेंद्रम में इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा आयोजित मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अवसर पर भाग लिया, जिसमें लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी प्रायोजित ऋण योजनाओं का वितरण किया गया। इस अवसर पर डीएफएस के सचिव डॉ. विवेक जोशी और इण्डियन ओवरसीज बैंक के एमडी व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman graced the occasion of a Mega Credit Outreach Program organized by Indian Overseas Bank on 25th November 2023 at Mamom Ground, Attingal, Trivandrum for disbursing various Government Sponsored Credit Schemes to the Beneficiaries, in the presence of Dr. Vivek Joshi, Secretary, DFS and Shri. Ajay Kumar Srivastava, MD & CEO of Indian Overseas Bank.

पुरस्कार और सम्मान AWARDS & ACCOLADES

हमारे बैंक की इन-हाउस पत्रिका “वाणी” के उत्कृष्ट प्रकाशन के और बैंक को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार, गृह मंत्रालय से राजभाषा कीर्ति “प्रथम” पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसे हमारे बैंक के एमडी व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के करकमलों से प्राप्त किया।

Our MD and CEO Shri Ajay Kumar Srivastava is seen receiving Rajbhasha Kirti Award from Hon’ble Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra, given by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for excellent publication of our Bank's in-house magazine "Vani" and also for excellent Official Language implementation during the year 2022-23.

"इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने मुंबई में आइबीए के 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और साइटेशन 2022-23 में 2023 के लिए मध्यम आकार के बैंकों की श्रेणी में 5 प्रतिष्ठित आइबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीते। 2 श्रेणियों में विजेता, 1 श्रेणी में उपविजेता और 2 में विशेष उल्लेख प्राप्त करने पर आरबीआइ के माननीय डिप्टी गवर्नर द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।''

Indian Overseas Bank clinched 5 prestigious IBA Banking Technology Awards in the Medium-sized Banks category for 2023 at the IBA 19th Banking Technology Conference, Expo & Citations 2022-23 in Mumbai. Winning Award under 2 categories, declared runner-up in 1 category and also received a special mention in 2 categories. Awards were distributed by the Hon'ble Deputy Governor of RBI.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के प्रेसिडेंशियल बॉलरूम में आयोजित ईज़ 5.0 प्रशस्ति समारोह में वर्ष 2023 के लिए ईज़ सुधार एजेंडा में शीर्ष सुधारक श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित प्रथम रनर-अप पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार माननीय सचिव डॉ विवेक जोशी, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के कर कमलों से बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन श्रीधर, एमडी व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्राप्त किया, साथ में हैं श्री नटराज कार्यमपुडि, महा प्रबन्धक एवं बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी।

Indian Overseas Bank clinched prestigious 1st Runner-up Award under Top Improver category in EASE Reforms Agenda for the year 2023 at the EASE 5.0 Citation Ceremony held at Presidential Ballroom in Mumbai on 25th April 2024. Dr. Vivek Joshi, Hon'ble Secretary, Department of Financial Services, Government of India is seen distributing the Award to Shri Srinivasan Sridhar, Non-Executive Chairman, Shri Ajay Kumar Srivastava, MD & CEO & Shri Nataraj Karyampudi, General Manager & Chief Compliance Officer of the Bank.

13 जनवरी 2024 को, बैंक को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी 1 में सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए "प्लाक" श्रेणी के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आइसीएआइ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

On January 13 2024, Bank has received the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting under “Plaque” category for commended Annual Report in Category I – Public Sector Banks for the year ended March 31, 2023, from The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

खेल SPORTS

"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एम. उक्रपांडियन, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, इण्डियन ओवरसीज बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सराहना की।"

"Hon'ble Prime Minister Shri. Narendra Modi is seen appreciating Mr. M. Ukkrapandian, International Volleyball Player, Senior Manager of Indian Overseas Bank for his participation in various International Volleyball events."

बास्केट बॉल: कोच्चि, केरल में राजगिरी बिजनेस लीग राज्य स्तरीय टूर्नामेंट: **विजेता**

Basket Ball: Rajagiri Business League State Level Tournament at Kochi, Kerala: **Winner**

कुमटा में आयोजित अखिल भारतीय आमंत्रण वॉलीबॉल प्रतियोगिता: **विजेता**

All India Invitational Volleyball Tournament held at KUMTA: **Winner**

सीएसआर CSR

चेन्नै में बैंक के स्थापना दिवस पर दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर का दान, और दृष्टिबाधित लड़कियों को एक फ्रिज और उपयोगिता मशीन का दान की।

Donation of tricycles and wheelchairs to Divyangjan and a fridge and utility machine to blind girls on Bank's Foundation Day in Chennai.

तूतीकोरिन के बाढ़ प्रभावित उत्तरी कलंगाराई गांव में 400 परिवारों को राशन सामग्री का दान।

Donation of ration supplies to 400 families in the flood-hit North Kalangarai Village, Tuticorin.

अरुल्मिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मदुरै के लिए एक हुंडी की खरीद के लिए दान।

Donation for the purchase of a Hundial for the Arulmigu Meenakshi Sundareswarar Temple, Madurai.

रामकृष्ण मिशन की एक परियोजना, गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी) का समर्थन करने के लिए दान, जो मंगलुरु, कर्नाटक में 50 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए मुफ्त ट्यूशन कक्षाएं और भोजन प्रदान करती है।

Donation to support the Gadadhar Abhyudaya Prakalpa (GAP), a project of Ramakrishna Mission, providing free tuition classes and food for 50 economically disadvantaged students in Mangaluru, Karnataka.

ग्रामीण पुडुचेरी के 12 गांवों में 12,000 लोगों तक पहुंचने वाली श्री अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने के लिए दान।

Donation to run a health awareness campaign through the Sri Aurobindo Society, reaching 12,000 people across 12 villages in rural Puducherry.

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

श्री जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक
Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

श्री धनराज टी
कार्यपालक निदेशक
Shri Dhanaraj T
Executive Director

श्री कार्तिकेय मिश्रा
सरकारी नामिती निदेशक
Shri Kartikeya Misra
Government Nominee Director

श्रीमती सोनाली सेनगुप्ता
आरबीआइ नामिती निदेशक
Smt. Sonali Sen Gupta
RBI Nominee Director

श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक
Shri Sanjaya Rastogi
Shareholder Director

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-Official Director

श्री बी चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri B Chandra Reddy
Part-Time Non-Official Director

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-Official Director

निदेशक मंडल

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

श्री धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

श्री कार्तिकेय मिश्रा
सरकारी नामिती निदेशक

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक

श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री बी चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

BOARD OF DIRECTORS

Shri Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Shri Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Shri Dhanaraj T
Executive Director

Shri Kartikeya Misra
Government Nominee Director

Smt Sonali Sen Gupta
RBI Nominee Director

Shri Sanjaya Rastogi
Shareholder Director

Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-Official Director

Shri B Chandra Reddy
Part-Time Non-Official Director

Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-Official Director

श्री एस पी महेश कुमार
महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

Shri S P Mahesh Kumar
General Manager & Chief Financial Officer

लेखाकार

मेसर्स एस एन कपूर एवं एसोसियेट्स
लखनऊ

मेसर्स आर देवेंद्र कुमार एवं एसोसियेट्स
मुंबई

मेसर्स तेज राज एवं पाल
भुवनेश्वर

मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसियेट्स
मुंबई

AUDITORS

M/s S N KAPUR & ASSOCIATES
LUCKNOW

M/s R DEVENDRA KUMAR & ASSOCIATES
MUMBAI

M/s TEJ RAJ & PAL
BHUBANESWAR

M/s LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
MUMBAI

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, V तल,
नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन: 044-4002 0700
ऑनलाइन निवेशक पोर्टल
https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit - IOB)
Subramanian Building, V Floor,
No.1, Club House Road, Chennai – 600 002
Tel: 044-4002 0700
Online Investor Portal
https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600 002.

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai,
Chennai - 600 002.

ANNUAL REPORT 2023-24

क्रम सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय कार्य–निष्पादन एक नज़र में	12
2	अध्यक्ष महोदय का संदेश	18
3	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	24
4	शेयरधारकों के लिए सूचना	32
5	निदेशकों की रिपोर्ट	50
6	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	56
7	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	102
8	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र	136
9	सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	138
10	निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र	144
11	वार्षिक लेखा - स्टैंडअलोन	146
12	नकदी प्रवाह विवरणी - स्टैंडअलोन	148
13	अनुसूचियाँ - स्टैंडअलोन	150
14	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन	220
15	वार्षिक लेखा - समेकित	232
16	नकदी प्रवाह विवरणी - समेकित	234
17	अनुसूचियाँ - समेकित	236
18	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित	268
19	अतिरिक्त प्रकटीकरण	280
20	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	309
21	लाभांश वितरण नीति	309

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रूपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी वर्ज़न मान्य होगा।)

S. No.	Contents	Page No.
1	Financial Performance at a Glance	12
2	Chairman’s Message	18
3	Managing Director & Chief Executive Officer’s Message	24
4	Notice to the Shareholders	314
5	Directors’ Report	336
6	Management Discussion and Analysis	342
7	Corporate Governance Report	388
8	Auditor’s Certificate on Corporate Governance	422
9	Secretarial Audit Report	424
10	Non-Disqualification of Directors	430
11	Annual Accounts – Standalone	432
12	Standalone Cash Flow Statement	434
13	Schedules -Standalone	436
14	Independent Auditor’s Report – Standalone	506
15	Annual Accounts – Consolidated	518
16	Consolidated Cash Flow Statement	520
17	Schedules - Consolidated	522
18	Independent Auditor’s Report – Consolidated	552
19	Additional Disclosures	564
20	Business Responsiblity and Sustainability Report	592
21	Dividend Distribution Policy	592

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi version, English version will prevail.)

वित्तीय कार्य–निष्पादन एक नज़र में
Financial Performance at a Glance

एक नज़र में / AT A GLANCE

(₹ करोड में / in Crore)

	मार्च-24 Mar-24	मार्च-23 Mar-23	मार्च-22 Mar-22	मार्च-21 Mar-21	मार्च-20 Mar-20
कुल कारोबार Total Business	504,923	449,892	417,960	379,885	357,723
वैश्विक जमाएं Global Deposits	285,905	260,883	262,159	240,288	222,952
घरेलू जमाएं Domestic Deposits	278,968	254,324	256,890	235,545	218,028
घरेलू सकल जमाएं Domestic Gross Advances	200,697	173,669	143,202	130,267	127,336
वैश्विक निवल अग्रिम Global Net advances	213,319	178,053	144,244	127,721	121,333
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	89,008	91,803	**79,570	**74,579	**75,887
कृषि ऋण Agricultural Credit	39,858	44,487	40,358	33,124	*30,091
निवल निवेश (वैश्विक) Net Investments (Global)	99,632	94,170	98,179	95,494	79,415
ब्याज आय Interest Income	24,050	19,401	16,730	16,966	17,406
गैर ब्याज आय Non-Interest income	5,656	4,108	4,903	5,559	3,360
परिचालनात्मक व्यय Operating Expenses	8,722	6,422	5,451	5,562	5,129
सकल लाभ Gross Profit	6,764	5,942	5,763	5,896	3,534
निवल लाभ/निवल हानि Net Profit/Net Loss	2,656	2,099	1,709	831	(8,527)
इक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	18,902	18,902	18,902	16,437	16,437
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	3.10	7.44	9.82	11.69	14.78
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	0.57	1.83	2.65	3.58	5.44
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	17.28	16.10	13.83	15.32	10.72

*31 मार्च तक बकाया

*Outstanding as on 31st March.

**प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र एवं उपलक्ष्य के लिए चार तिमाहियों का औसत प्रदर्शन दिया जा रहा है।

**Average of 4 Quarters performance as per revised Priority Sector Guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority sector target & Sub target for the financial year.

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित किया गया है।

Previous year’s figures are regrouped wherever necessary.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Total Business

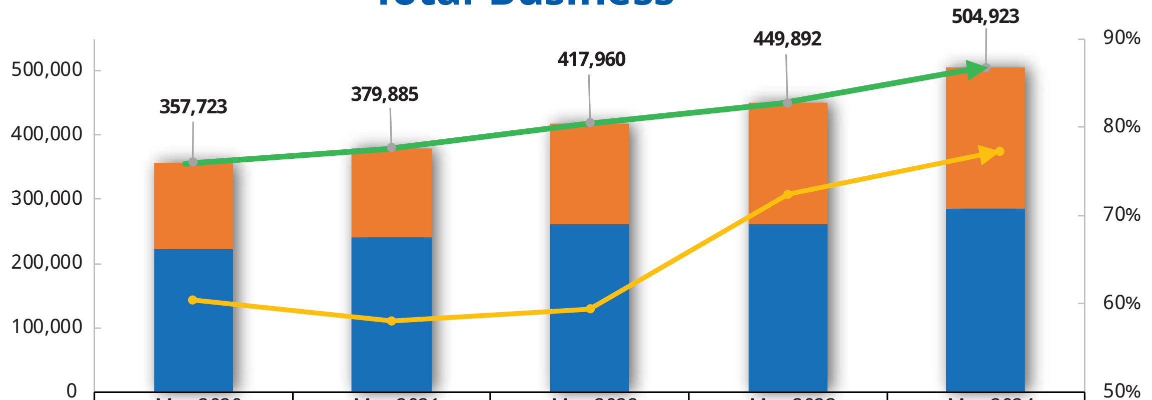

	Mar 2020	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024
Gross Advances	134771	139597	155801	189009	219018
Total Deposits	222952	240288	262159	260883	285905
Total Business	357723	379885	417960	449892	504923
C/D Ratio	60.45%	58.10%	59.43%	72.45%	76.61%

(Rs. in Crores)

Total Deposits **Gross Advances** **Total Business** **C/D Ratio**

CASA Deposit

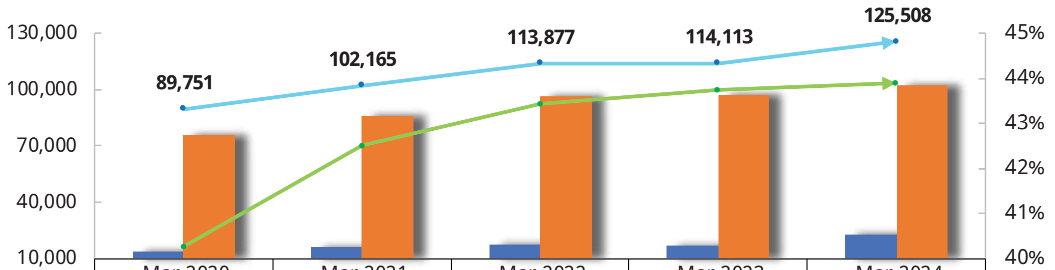

	Mar 2020	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024
Current Deposits	14179	16207	17376	16670	22919
Savings Deposits	75572	85958	96501	97443	102589
CASA	89751	102165	113877	114113	125508
CASA %	40.26%	42.52%	43.44%	43.74%	43.90%

(Rs. in Crores)

Current Deposits **Savings Deposits** **CASA** **CASA %**

ADVANCES PORTFOLIO

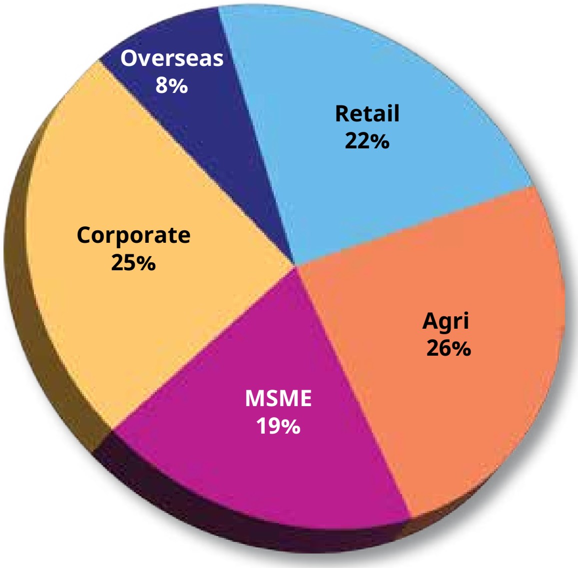

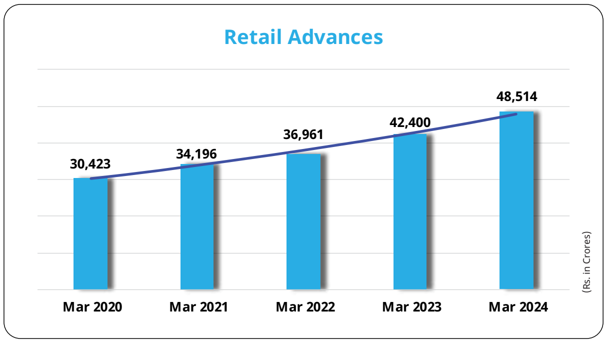

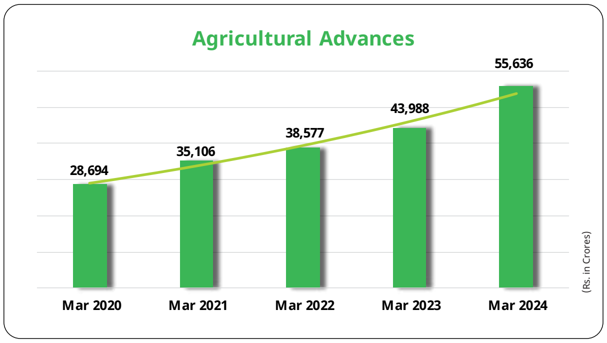

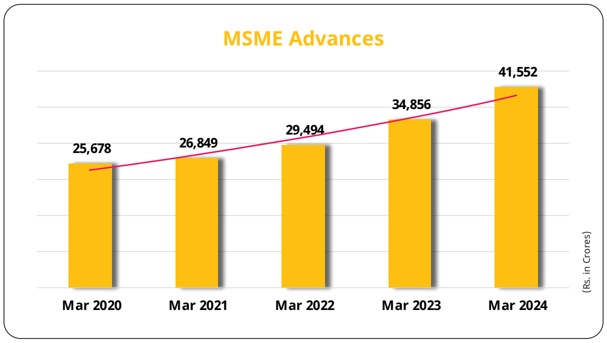

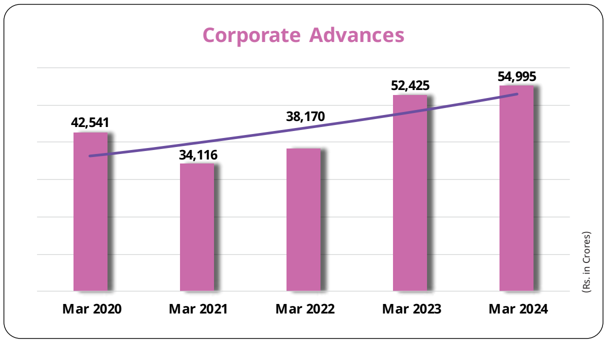

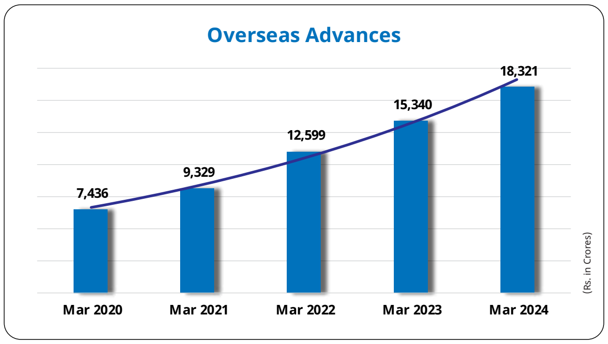

RETAIL LOANS PORTFOLIO

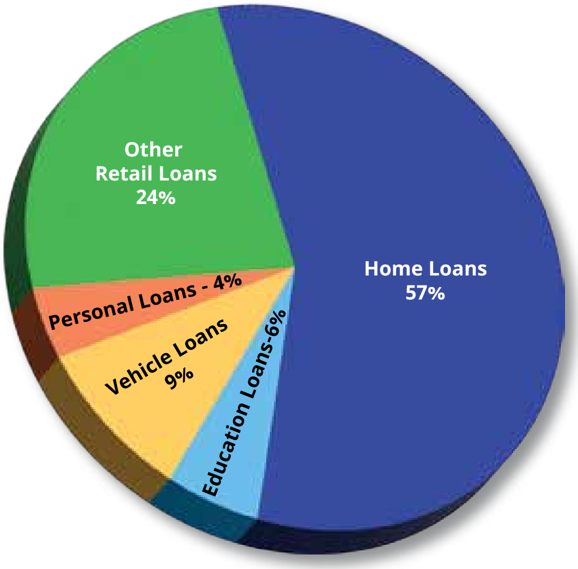

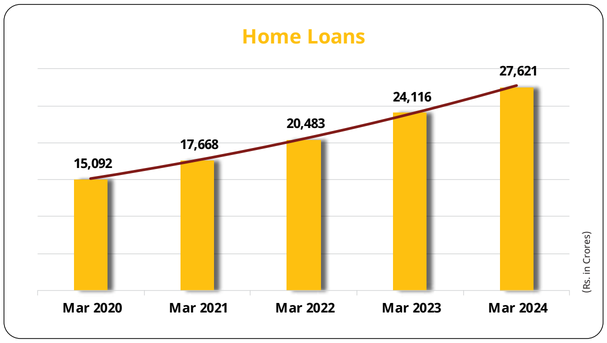

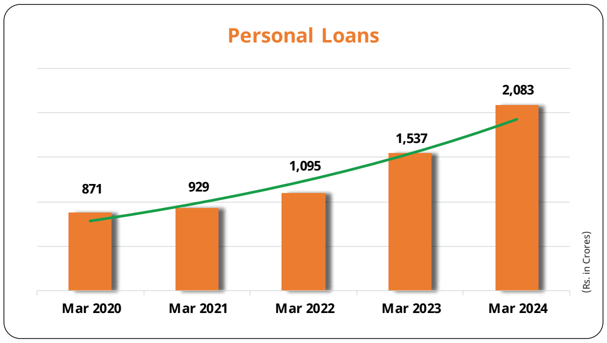

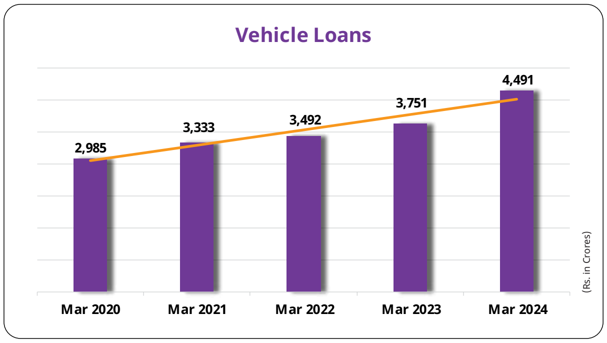

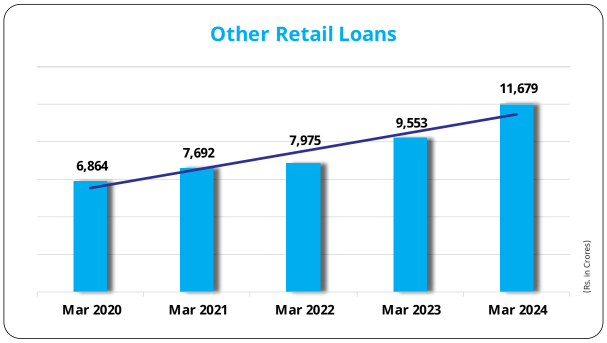

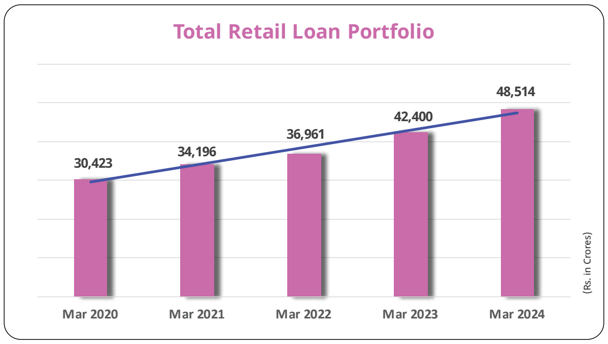

ASSET QUALITY & PROFITABILITY

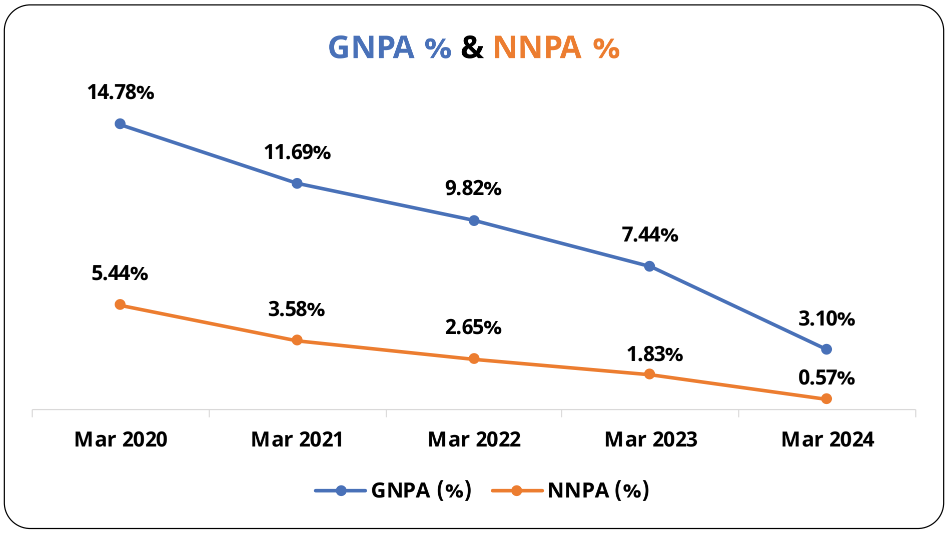

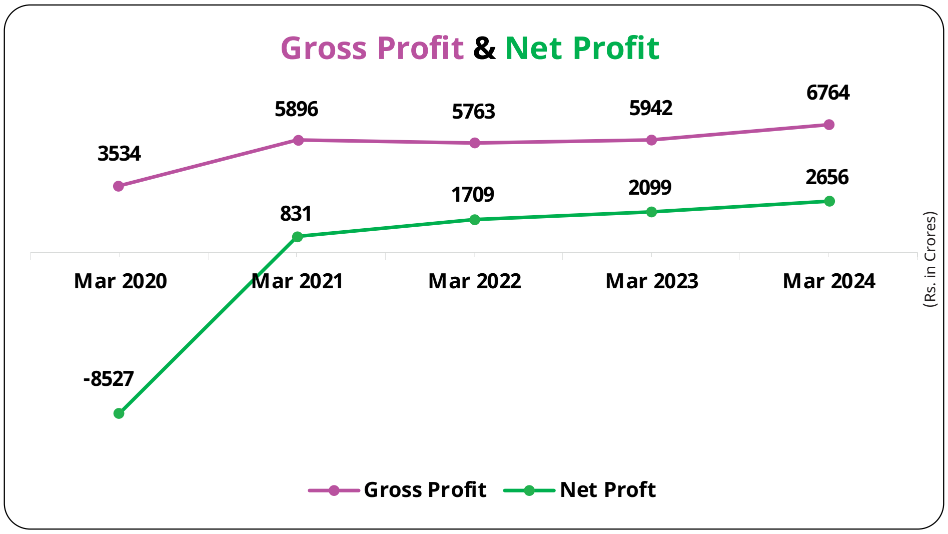

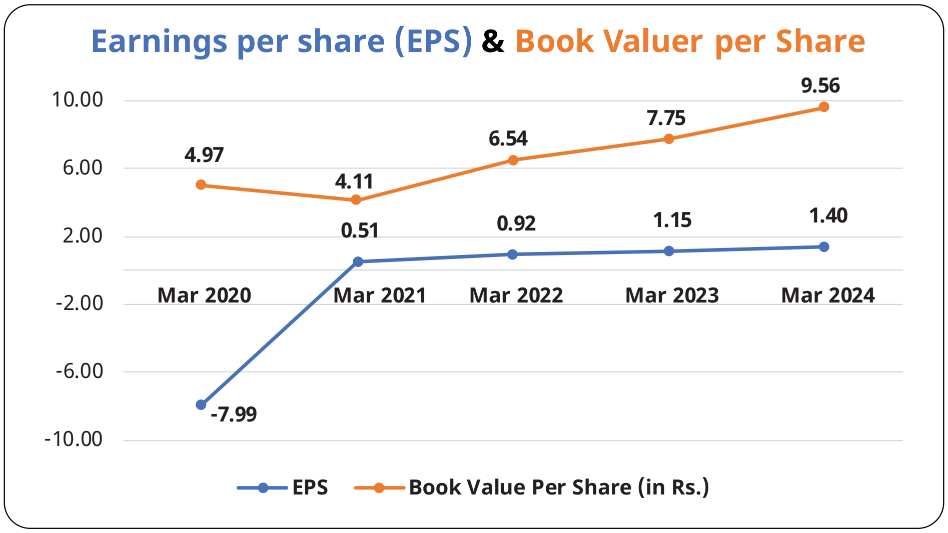

अध्यक्ष महोदय का संदेश
Chairman’s Message

अध्यक्ष महोदय का संदेश
Chairman’s Message

प्रिय हितधारकों,

आपके साथ अर्थव्यवस्था में हुए समावेशी विकास, बैंकिंग क्षेत्र में हुए विकास और साथ ही वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्य निष्पादन को साझा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वित्तवर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीतिजनित मंदी सम परिदृश्य और निरंतर भू-राजनीतिक संघर्षों के चलते आयी आर्थिक गिरावट में तेजी से उबरते हुए देखा गया है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मूल्य स्थिरता बहाल करने हेतु ब्याज दरों में वृद्धि की। केंद्रीय बैंकों के हस्तक्षेप से, दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर में उम्मीद से अधिक तेजी से गिरावट आयी है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी तेजी देखी गई है। हालाँकि, जारी भू-राजनीतिक संघर्ष और परिणामी आपूर्ति पक्ष या वस्तु व्यापार में आया व्यवधान अभी भी अल्पावधि में पूर्ण आर्थिक सुधार के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुमान है कि 2024 और 2025 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2 प्रतिशत की दर के साथ 2023 के समान गति से ही आगे बढ़ेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए जहां विकास की उम्मीद है, अर्थव्यवस्था थोड़ी तेजी से 2023 के 1.6

Dear Stakeholders,

It is my privilege to share with you some overall developments in the economy, the Indian Banking sector and also the performance of Indian Overseas Bank (IOB) during the financial year 2023-24.

Global Economy

FY24 saw the global economy recovering steadily from a near stagflation scenario and the economic fallout from continuing geopolitical conflicts. In order to ensure that inflation is reigned in, major central banks increased interest rates to restore price stability. With the intervention of the central banks, the inflation rate in many economies around the globe declined more swiftly than expected resulting in a small rebound of economic activity. However, continuing geopolitical conflicts and resulting supply side or commodity trade disruptions may still pose risks for a full economic recovery in the short term.

Taking into consideration these prevailing global economic conditions, the International Monetary Fund (IMF) predicts the global economy to grow at 3.2 percent during 2024 and 2025, which is around the same pace as in 2023. A slight acceleration for advanced economies - where growth is expected to

प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1.7 प्रतिशत और 2025 में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी, वहीं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में 4.3 प्रतिशत से 2024 और 2025 दोनों में 4.2 प्रतिशत की मामूली मंदी से इसकी भरपाई हो जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों के प्रदर्शन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आघात-सहनीयता के साथ-साथ स्थिरता को दर्शाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 की तीसरी तिमाही (क्यू3) में 8.4% बढ़त दर्ज़ की और दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत अनुमानित की गई है। इस वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता भवन निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र का रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज़ की है और इस प्रकार भारत अधिकांश प्रमुख एफआइआइ के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। वित्तवर्ष 24 के दौरान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

जुलाई और अगस्त 2023 को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति आरबीआइ की सहिष्णुता सीमा 4 से 6% के भीतर रही। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में मामूली रूप से कम होकर 4.83% हुई जिसका भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष में 4.5% पर रहने का अनुमान है।

भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन, संचार और मुख्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, 'मेक इन इंडिया' और पीएलआइ पहल के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ समावेशी और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना समर्थन जारी रखा है चूँकि देश 2047 तक "विकसित भारत" दृष्टिकोण और 2070 तक 'नेट ज़ीरो' के लक्ष्य की ओर पूरी प्रतिबद्धता से बढ़ रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0 प्रतिशत और 2024-25 की पहली तिमाही 7.1 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.0 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है; जो जोखिम के समान रूप से संतुलन और और आर्थिक समृद्धि के उन्नत मार्ग को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने पूर्व जनवरी 2024 में जारी अनुमानित आंकड़े 6.5% की तुलना में घरेलू मांग में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्वानुमान को 30 बेस प्वाइंट्स बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।

rise from 1.6 percent in 2023 to 1.7 percent in 2024 and 1.8 percent in 2025, will be offset by a modest slowdown in emerging markets and developing economies from 4.3 percent in 2023 to 4.2 percent in both 2024 and 2025.

Indian Economy

The performance of major macroeconomic indicators of the Indian economy has reflected its resiliency and stability during the financial year 2023-24. The Indian economy has grown by 8.4% in the third quarter (Q3) of 2023-24 and the Second Advance Estimates (SAE) has pegged the real GDP growth of India to be at 7.6 % for the year 2023-24. Major contributors in this growth have been the construction sector and manufacturing sector. The Indian economy has also shown significant traction in attracting increased foreign investments and thereby India became a most favoured investment destination for most of the leading FIIs. FY24 fortified India's position globally as one of the fastest-growing economies in the world.

The CPI inflation stayed within the RBI's tolerance range of 4 to 6 % except in July and August 2023. The Retail inflation eased marginally to 4.83% in April 2024, and it is projected by Reserve Bank of India to be at 4.5% for the current financial year.

The Government of India has continued its support for Infrastructure development, modernising transport, communication, and core services, boosting manufacturing through 'Make in India' and PLI initiatives as also focusing on Inclusive and sustainable Development as the country moves towards the Vision of "Viksit Bharat" by 2047 and the commitment to meet 'Net Zero' by 2070.

The Reserve Bank of India has projected the real GDP growth of India for the year 2024-25 at 7.0 per cent with Q1:2024-25 at 7.1 per cent; Q2 at 6.9 per cent; Q3 at 7.0 per cent; and Q4 at 7.0 per cent which shows that the risks are evenly balanced and that there is a good runway for economic prosperity.

The International Monetary Fund (IMF) has revised its forecast for India's economy, by 30 basis points to 6.8 % growth in FY25 citing buoyant domestic demand as compared with the earlier estimated figure of 6.5%, announced in January 2024.

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में बैंकिंग सेक्टर ने काफी सशक्त प्रदर्शन किया। 22 मार्च, 2024 को समाप्त पखवाड़े में बैंकिंग उद्योग (एससीबी) का क्रेडिट टेकऑफ साल-दर-साल 16.3% (एचडीएफसी विलय को छोड़कर) बढ़ा है। बैंकिंग प्रणाली में उसी अवधि के दौरान जमाओं में 12.87% की वृद्धि आयी है (एचडीएफसी विलय को छोड़कर)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेतकों में चौतरफा सशक्त सुधार देखा गया है। क्रेडिट और जमा में क्रमशः 13.5% और 10.1% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 12 पीएसबी ने अपने कारोबार की मात्रा में 23.5 लाख करोड़ (11.6%) की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का का संचयी निवल लाभ 34.9% बढ़कर 1,41,203 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,04,649 करोड़ रुपये था।

परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में भी बहुत विश्वसनीय सुधार देखा गया। पीएसबी का जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात 31.03.2023 को क्रमशः 4.97% और 1.24% की तुलना में 31.03.2024 को सुधरकर 3.47% और 0.76% हो गया। वर्ष के दौरान आरबीआइ द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत और एनबीएफसी वित्त में जोखिम भार में वृद्धि के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात औसतन 15.53% के आरामदायक स्तर पर बना रहा।

वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का कार्य-निष्पादन

भारत में बैंकिंग उद्योग के सशक्त कार्य-निष्पादन की पृष्ठभूमि में, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक भी व्यवसाय, लाभप्रदता, संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधान कवरेज अनुपात से जैसे विभिन्न प्रमुख वित्तीय मानकों में उद्योग के औसत से ऊपर रहते हुए सकारात्मक वृद्धि के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार, बैंक लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह में अपनी पहचान बना रहा है और ज्यादातर मापदंडों में शीर्ष के चार या शीर्ष आधे निष्पादकों की सूची में है। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 5 लाख करोड़ रुपये के बिजनेस मिक्स को पार कर लिया, जो बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 31.03.2024 तक बैंक के परिचालन लाभ और निवल लाभ में क्रमशः 13.83% और 26.54% की वृद्धि हुई है, जबकि मार्च 2024 तक बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (निम) 35 बेस प्वाइंट्स बढ़कर 3.28% हो गया, जबकि मार्च 2023 तक यह 2.93% था।

Indian Banking Scenario

The Banking sector in India showed a very strong performance during the financial year 2023-24. The Credit offtake of the banking industry (SCBs) rose by 16.3% year on year (excluding the HDFC merger) for the fortnight ended March 22, 2024. The Deposits in the Banking system too grew by 12.87 % (excluding the HDFC merger) during the same period.

The key financial indicators of Public Sector Banks have seen a robust all-round improvement. The Credit and Deposits have grown by 13.5% and 10.1 % respectively. All 12 PSBs increased their business volume by a staggering 23.5 lakh crore (11.6%) during the financial year 2023-24. The cumulative net profit of all the 12 PSBs have increased by 34.9% to Rs.1,41,203 Crore during FY 2023-24 as against Rs.1,04,649 Crore earned during FY 2022-23.

The Asset Quality management also saw a very creditable improvement. The GNPA and NNPA ratios of PSBs further improved to 3.47% and 0.76% on 31.03.2024 as against 4.97% and 1.24% respectively on 31.03.2023. The Capital adequacy ratio for PSBs, on an average, was being maintained at a comfortable level of 15.53%, in spite of the increase in risk weights in personal and NBFC finance, that was stipulated by RBI during the course of the year.

Performance of Indian Overseas Bank during the financial year 2023-24

Against the backdrop of the strong performance shown by the Banking industry in India, Indian Overseas Bank also continued to march strongly ahead with a robust growth in various key financial parameters relating to Business, profitability, asset quality, capital adequacy and provision coverage ratio, most of which have been above industry average. Thereby, the Bank has been consistently making its mark in the comity of the Public Sector Banks and is mostly in the top quartile or the top half in most parameters. Your Bank crossed the Rs.5 Lakh Crore Business Mix during the year, which is a key milestone in the Bank's history. The Bank's operating Profit and Net profit have increased by 13.83% and 26.54% respectively as on 31.03.2024 while the Bank's Net Interest Margin (NIM) improved by 35 bps to 3.28 % as of March 2024 as against 2.93% as of March 2023.

आगे की राह

न्यूनतम तरलता स्थिति और कासा व खुदरा सावधि जमा में सुस्त वृद्धि के बीच, बैंकों में जमा के लिए प्रतिस्पर्धा दृष्टिगोचर हो रही है जिसके परिणामस्वरूप जमा ब्याज दरों में वृद्धि हुई है और परिणामतः मार्जिन में कमी आयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 7 निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के औसत शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआइ एम) में पिछले वित्त वर्ष में क्रमशः 2 बीपीएस और 25 बीपीएस की कमी देखी गई है।

इसलिए अर्थव्यवस्था में कम तरलता स्थितियों के मद्देनजर न्यूनतम लागत वाली जमाएँ जुटाना बैंकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। हालाँकि, आइओबी ने एक विविध जमा रणनीति बनाई है जिससे बैंक को इस चुनौती को समग्र रूप से निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही विकास का पहिया भी गतिमान रहेगा। वित्त वर्ष 24 में जब अधिकांश बैंकों ने अपने कासा अनुपात में गिरावट और अपने थोक जमा में महत्वपूर्ण उछाल देखा था आइओबी अपने कासा अनुपात में सुधार करने और उच्च लागत वाली जमाओं पर निर्भरता न रखने की अपनी क्षमता के माध्यम से बैंक द्वारा इसे बहुत ही कुशलता से प्रदर्शित किया गया था।

समग्र रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है और इसे उल्लेखनीय रूप से भारत की विकास यात्रा, मजबूत घरेलू मांग और एक अच्छी नियामक प्रणाली की बुनियाद पर अपने विकास पथ पर बढ़ते रहने में सक्षम होना चाहिए। आइओबी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी है और इसे आज देश में हो रहे वृहत्त विकास के अवसरों का निर्बाध रूप से लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए, बैंक ने दूरदर्शी रणनीतियाँ बनाई हैं और सकारात्मक तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए अपनी कई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी पहलुओं को सुव्यवस्थित भी कर रहा है।

आपके बैंक के पास समर्पित और अत्यधिक कुशल जनशक्ति रूपी वह संपत्ति है जो अवसरों को निरंतर व्यवसाय और बेहतर प्रदर्शन में बदलने में सक्षम है।

मैं इस अवसर पर अपने सम्मानित ग्राहकों सहित हमारे सभी हितधारकों को आपके बैंक में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं बैंक को ऐसे अद्भुत परिणाम देने और 5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार को पार करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में मदद करने के लिए सभी कर्मचारियों की उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करता हूँ। मुझे अपने कर्मचारियों पर पूरा विश्वास है कि वे आगे भी प्रयास करते रहेंगे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। मैं, भारत सरकार, भारतीय

Going forward

Amidst tight liquidity conditions and sluggish growth in CASA and Retail term deposits, Banks have been witnessing a war for deposits resulting in increased deposit interest rates and thereby a decrease in margins. The average Net Interest Margin (NIM) of both public sector banks and leading 7 private sector banks have seen a reduction by 2 bps and 25 bps respectively in the last fiscal.

Low-cost deposit mobilisation will therefore be a challenge for banks in these tight liquidity conditions. However, IOB has put in place a diversified deposits strategy which should help it meet this challenge in a holistic manner while also keeping the growth levers going. The same was very ably demonstrated by the Bank through its ability to improve its CASA ratio and not placing reliance on high-cost deposits in FY24, when most banks saw a decline in their CASA ratio and a significant spurt in their bulk deposits.

Overall, the outlook of the Indian Banking system remains positive, and it should be able to maintain its growth trajectory on the back of the remarkable India growth story, the strong domestic demand, and a good regulatory system. IOB is an important player in the Indian Banking system, and it should be able to continue to seamlessly tap into the huge growth opportunity that is happening in the country today. For this, it has put in place forward looking strategies and is also streamlining many of its processes and technology aspects to be able to grow faster in a healthy fashion.

Dedicated and highly skilled manpower of your Bank are the assets who will be able to convert the opportunities into sustained business and improved performance.

I take this opportunity to thank all our stakeholders, including our esteemed customers, for their continued support and trust in your Bank. I wish to place on record my appreciation to all employees, for their dedication and hard work in helping the bank post such wonderful results and also achieve the landmark milestone of crossing Rs.5 lakh crore business. I have full faith in our employees that they will continue to strive for and achieve greater milestones. I express my

रिज़र्व बैंक, विदेशी नियामकों, जहां बैंक का संचालन हो रहा है, सेबी और अन्य नियामकों को बैंक को उनकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं सभी बोर्ड सदस्यों को उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य इनपुट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपका बैंक भौतिक और डिजिटल रूप से सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान प्रदान करके पीढ़ियों को जोड़ने वाला पसंदीदा बैंक बनकर उभरेगा। बैंक हमारे महान राष्ट्र की प्रगति के लिए सरकार की सभी पहलों का समर्थन करते हुए, समाज के विभिन्न वर्गों और हमारे सभी ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव तरीके से सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Overseas Regulators where the bank is having operations, SEBI and other regulators for their support and guidance to the bank. I wish to place on record my thanks to all Board members for their guidance and valuable inputs.

I am confident that in the days ahead, your bank will emerge as the preferred bank, connecting generations by providing the best banking solutions physically and digitally. The Bank remains committed to serve various sections of society and all our customers in the best possible manner, while supporting all the Govt’s initiatives for the progress of our great Nation.

Srinivasan Sridhar
Non-Executive Chairman

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & Chief Executive Officer's Message

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & Chief Executive Officer's Message

प्रिय हितधारकों,

मुझे आपके बैंक की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ आपकी बहुमूल्य साझेदारी के लिए आप सभी का आभारी हूँ, जिसने आपके प्रतिष्ठित संस्थान को 88 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ मजबूत वित्तीय और बुनियादी बिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ा होने में मदद की है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी आघात-सहनीयता दिखायी और सभी चार तिमाहियों में लगातार लाभ अर्जित करना जारी रखा, जिससे 2,656 करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च निवल लाभ दर्ज करने में मदद मिली। बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पहली बार कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये के मील का पत्थर स्थापित किया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर दृष्टिकोण के साथ आघात-सह बनी हुई है, जैसा कि मूल्य स्थिरता को बहाल करने के लिए केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि और भू-राजनीतिक संघर्षों को जारी रखने के बावजूद विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों से परिलक्षित होता है। मजबूत आर्थिक बुनियादी पक्ष, बढ़ती घरेलू मांग, कॉरपोरेट क्षेत्र के मजबूत तुलन-पत्र और मजबूत बैंक ऋण मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि से भी मदद मिली।

अब, मैं आपके साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें साझा करना चाहूंगा।

Dear Stakeholders,

I have the utmost pleasure in presenting your Bank's Annual Report and Financial Statements for the year 2023-24. At the outset, I am grateful to each one of you for your valuable partnership with Indian Overseas Bank which has helped your esteemed institution with a rich legacy of 88 years to stand strong with healthy financials and fundamentals. During the year, the Bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the four quarters which helped to register an all-time high net profit of Rs 2,656 Crore. The Bank crossed the Rs 5 lakh crore milestone in total business for the first time during the year ended March 31, 2024.

During the financial year 2023-24, the global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high frequency indicators despite significant central bank interest rate hikes to restore price stability and continuing geopolitical conflicts. The Indian economy was buoyant on account of strong economic fundamentals, surging domestic demand, robust balance sheets of the corporate sector and strong bank credit demand which was also facilitated by a large increase in capex by the centre.

Now, I would like to share with you the performance highlights of your Bank during the financial year 2023-24.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

मजबूत व्यापार वृद्धि

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने 2023-24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय के साथ-साथ लाभप्रदता में भी अपनी बढ़त जारी रखी है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने पहली बार कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।

31.03.2024 तक सकल अग्रिम 15.9% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर यथा 2,19,018 करोड़ रुपये हो गया और कुल जमा 9.6% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर यथा 2,85,905 करोड़ रुपये हो गया है। 2023-24 को समाप्त वर्ष में आरएएम (रिटेल-एग्री-एमएसएमई) अग्रिम 24,458 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,45,702 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वर्ष दर वर्ष 20.17% की वृद्धि दर्शाता है। आरएएम के सभी तीन खंडों (रिटेल, एग्री और एमएसएमई) में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई है।

उद्योग में कम लागत वाली कासा जमाराशियों को जुटाने में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, 31.03.2024 को बैंक 24.5 लाख से अधिक कासा ग्राहकों को जोड़कर कासा जमाराशि को 10% बढ़ाकर यानी 1,25,508 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहा, जबकि 2022-23 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह 1,14,113 करोड़ रुपये थी। बैंक का कासा अनुपात भी 31.03.2023 के 43.74% से 16 बीपीएस बढ़कर 31.03.2024 को 43.90% हो गया, जिससे आपका बैंक इंडस्ट्री में एक अलग स्थान पर आ गया है, क्योंकि अधिकांश अन्य बैंकों ने अपने कासा अनुपातों में गिरावट दिखाई है।

2023-24 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में कुल जमाओं में 25,022 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 2,85,905 करोड़ रुपये हो गई, जो कि वार्षिक आधार पर 9.59% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक के प्रदर्शन का एक और मुख्य आकर्षण यह था कि इसने अपने विकास के वित्तपोषण के लिए उच्च लागत वाली थोक जमाओं पर निर्भरता नहीं रखी, बल्कि कम लागत वाली खुदरा जमाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इससे बैंक को न केवल अपने मार्जिन की रक्षा करने में मदद मिली है, बल्कि ऐसे माहौल में उसमें सुधार करने में भी मदद मिली है, जहां उद्योग में मार्जिन दबाव में रहा है और अधिकांश अन्य बैंकों के मामले में वास्तव में गिरावट आइ है।

लाभप्रदता को मजबूत करना

31.03.2024 तक बैंक की निवल ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज 8,255 करोड़ रुपये से मजबूत ऋण वृद्धि के कारण 19.07% बढ़कर यानी 9,829 करोड़ रुपये हो गई है।

Performance Highlights of Your Bank in FY 2023-24

Robust Business Growth

I am happy to share with you that your Bank has continued with its upward trajectory in Business as well as in profitability during the financial year ended 2023-24. The Bank crossed the Rs.5 lakh crore mark in total business for the first time during the year ended on March 31, 2024.

The Gross Advances increased by 15.9% (YoY) to Rs 2,19,018 crore and the total Deposits increased by 9.6% (YoY) to Rs. 2,85,905 crore as on 31.03.2024. The R-A-M (Retail-Agri-MSME) advances increased by Rs.24,458 Crore to Rs.1,45,702 Crore in the year ended 2023-24, registering a YoY growth of 20.17%. All the three segments of RAM (Retail, Agri and MSME) have witnessed double digit growth.

Despite various challenges in mobilisation of low-cost CASA deposits in the industry, the Bank was able to increase CASA Deposit by 10% to Rs.1,25,508 Crore as on 31.03.2024 as against Rs 1,14,113 Crore in the previous financial year ended 2022-23 by onboarding more than 24.5 lakh CASA customers. The CASA Ratio of the Bank also improved by 16 bps to 43.90% as on 31.03.2024 from 43.74% as on 31.03.2023, making your bank an outlier in the industry for showing a positive increase when most other Banks have shown a decline in their CASA ratios.

The total Deposit has increased by Rs.25,022 Crore to Rs.2,85,905 Crore in the last financial year ended 2023-24, registering a YoY growth of 9.59%. Another key highlight of the Bank's performance was that it did not place reliance on high-cost bulk deposit for funding its growth but rather focused on low-cost retail deposits. This has helped the Bank to not only protect its margins but also improve upon the same in an environment where margins have been under pressure in the industry and in the case of most other banks, has actually declined.

Strengthening Profitability

The Net Interest income of the bank has increased by 19.07% to Rs.9,829 Crore as on 31.03.2024 on the back of strong credit growth from Rs.8,255 Crore reported in the previous financial year.

निवल ब्याज आय में मजबूत वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण बैंक का निवल लाभ 31.03.2023 तक 2,099 करोड़ रुपये से 26.54% बढ़कर 2023-24 में 2,656 करोड़ रुपये हो गया है।

पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) मार्च 2023 के 2.93% की तुलना में मार्च 2024 तक 35 बीपीएस से बढ़कर 3.28% हो गया है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का रिटर्न ऑफ एसेट (आरओए) मार्च 2023 के 0.68% की तुलना में मार्च 2024 तक 13 बीपीएस से बढ़कर 0.81% हो गया है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में, बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों में उल्लेखनीय कमी देखी है। 31.03.2024 को बैंक का सकल एनपीए 51.72% घटकर 6,794 करोड़ रुपये (3.10%) रह गया, जो 31.03.2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में 14,072 करोड़ रुपये (7.44%) था। इसी तरह, बैंक का निवल एनपीए भी 62.74% घटकर यथा 1,217 करोड़ रुपये (0.57%) रह गया, जो उक्त अवधि में 3,266 करोड़ रुपये (1.83%) था।

वार्षिक आधार पर, बैंक ने अपने स्लिपेज पर कड़ा नियंत्रण रखा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,029 करोड़ रुपये से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,516 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी देखी गई है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का स्लिपेज अनुपात मार्च 2023 में 2.87% की तुलना में मार्च 2024 में 200 बीपीएस कम होकर 0.87% हो गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,549 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की है, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 4,285 करोड़ रुपये की वसूली के मुकाबले 6.2% अधिक है।

एनपीए के लिए प्रावधान आवश्यकता भी परिणामस्वरूप 31.03.2024 को 5.32% घटकर यथा 2,706 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 2,858 करोड़ रुपये थी, जो कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण हुआ है। इस प्रकार, वार्षिक आधार पर बैंक की ऋण लागत पिछले वर्ष की 1.70% की तुलना में 31.03.2024 को 1.34% कम हो गई है। टेक राइट ऑफ सहित बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2023 के 92.63% से 422 बीपीएस बढ़कर 31.3.2024 को 96.85% हो गया है।

मजबूत पूंजी पर्याप्तता

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2023 के 16.10% की तुलना में 31.03.2024 को 17.28% तक सुधर गया है, जो नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है।

The Net profit of the Bank has increased by 26.54% to Rs.2,656 Crore in the financial year ended 2023-24 from Rs.2,099 Crore as on 31.03.2023 on the back of strong growth in Net Interest Income and Improvement in asset quality.

The Net Interest Margin (NIM) of the Bank for the full financial year has been improved by 35 bps to 3.28% as of March 2024 as against 2.93% as of March 2023. The Return of Asset (ROA) of the Bank for the full financial year has improved by 13 bps to 0.81% as of March 2024 as against 0.68% as of March 2023.

Improvement in Asset Quality

On the asset quality side, the Bank has seen a marked reduction in both gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank reduced by 51.72% to Rs.6,794 Crore (3.10%) as on 31.03.2024 from Rs.14,072 Crore (7.44%) reported in the previous financial year ended 31.03.2023. Similarly, the Net NPA of the bank reduced by 62.74% to Rs 1,217 Crore (0.57%) from Rs.3,266 Crore (1.83%) for the above said period.

On a full year basis, the Bank has tightly controlled its slippages, which have seen a remarkable reduction to Rs.1,516 Crore in the financial year 2023-24 from Rs. 4,029 Crore in the previous financial year 2022-23. The slippage ratio of the Bank for the full financial year has been reduced by 200 bps to 0.87% in March 2024 as against 2.87% in March 2023. The Bank has reported a recovery of Rs.4,549 Crore in the financial year 2023-24 which is a 6.2 % growth against the recovery of Rs.4,285 Crore in the previous financial year 2022-23.

The provision requirement for NPA has also consequentially decreased by 5.32% to Rs.2,706 Crore as on 31.03.2024 as against Rs.2,858 Crore reported in the previous year due to improvement in the asset quality. Thereby, the credit cost of the bank on a full year basis stands reduced to 1.34 % as on 31.03.2024 as against 1.70 % reported in the last year. The Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank including tech write off has improved by 422 bps to 96.85% as on 31.3.2024 from 92.63% as on 31.03.2023.

Healthy Capital Adequacy

The Capital Adequacy ratio of the Bank improved further to 17.28% as on 31.03.2024 as against 16.10% as on 31.03.2023 which is well above the regulatory requirement.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहल

आइओबी ग्राहकों के अनुभव और सुविधा को बढ़ाने के लिए अग्रणी और अद्वितीय डिजिटल समाधानों को लागू करने में सबसे आगे रहा है। बैंक के पास उद्योग के शीर्ष रेटेड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सूट, ऑन-डिमांड संसाधन प्रावधान के लिए अत्याधुनिक निजी क्लाउड, आधुनिक अनुप्रयोगों के निर्माण और स्केलिंग के लिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म, सहज सहयोग और प्रतिरोधहीन डिलीवरी के लिए एपीआइ हब, विविध भुगतान प्रकारों को संभालने और बड़ी मात्रा में लेन-देन को आसानी से संभालने के लिए एक एकीकृत भुगतान केंद्र के साथ एक मजबूत और आघात-सह प्रौद्योगिकी स्टैक है।

बैंक ने अपने कर्मचारियों द्वारा किसी भी समय, कहीं भी खाता खोलने, पुनः केवाईसी, जनसुरक्षा पॉलिसी नामांकन जैसी सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम करने के लिए एक नए टचपॉइंट के रूप में "टैब बैंकिंग" की शुरुआत की है। टैब बैंकिंग सॉल्यूशन को फिंगरप्रिंट और एआइ आधारित फेस मैच सहित आधार बायोमेट्रिक्स के माध्यम से ग्राहकों को सुरक्षित रूप से प्रमाणित करने की अंतर्निहित क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। यूआइडीएआइ के माध्यम से चेहरे के प्रमाणीकरण की उपलब्धता ग्राहकों की सेवा में अधिक समावेशिता को सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जिन नागरिकों को अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी हो रही है, वे वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, बैंक ने "मेरा नाम ही मेरी खाता संख्या" शुरू किया, जिससे ग्राहक अपने खाते का नाम अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं और खाता संख्या के बजाय उसका उपयोग व्यवसाय के लेन-देन के लिए कर सकते हैं। साथ ही, बैंक ने वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से "तत्काल सुरक्षित जमा लॉकर आवंटन", "तत्काल खाता संख्या पोर्टेबिलिटी", "तत्काल जनसुरक्षा बीमा नामांकन" जैसे समाधान पेश किए हैं, जो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से सुलभ हैं, जिससे बेहतर ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिल रहा है।

बैंक ने विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं को नया रूप देकर व्यवसाय में सुधार के लिए कई पहलें की हैं, जैसे ऋण प्रसंस्करण प्रणालियों का डिजिटलीकरण, कासा और खुदरा सावधि जमा में सुधार के लिए आकर्षक जमा योजनाएं शुरू करना, सरलीकृत ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए उपकरण आदि।

पुरस्कार और सम्मान

बैंक द्वारा की गई विभिन्न ऐतिहासिक पहलों और विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की उपलब्धियों के सम्मान में, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही

Key Initiatives taken by the Bank during the year

IOB has been at the forefront of implementing pioneering and unique Digital solutions to enhance customer experience and convenience. The bank has a robust and resilient technology stack with the industry's top rated core banking solution suite, state-of-the-art private cloud for on-demand resource provisioning, container orchestration platform for building and scaling modern applications, API hub for seamless collaboration and frictionless delivery, an integrated payment hub for handling diverse payment types and effortlessly handling large transaction volumes.

The bank has introduced "Tab Banking" as a new touch point to enable delivery of services such as Account opening, Re-KYC, Jansuraksha policy enrolment any-time, any-where by its staff. The Tab Banking solution has been designed with in-built capability to authenticate customers securely through Aadhaar biometrics including fingerprint and AI based face match with liveliness check. The availability of facial authentication through UIDAI enables greater degree of inclusiveness in serving customers ensuring that citizens having trouble with their fingerprint biometric authentication can have seamless access to banking services, through an alternate mechanism.

Further, the bank has launched "My Account My Name" enabling customers to name their account as they wish and use it to transact business instead of account number. Also, the bank has introduced solutions such as "Instant Safe Deposit Locker Allotment" through a web-based portal, "Instant Account Number Portability", "Instant Jansuraksha Policy Enrolment" accessible via the bank's website promoting better customer satisfaction.

The Bank has introduced many initiatives for improvement of business by revamping various products and processes like digitizing of loan processing systems, rolling out attractive deposit schemes for improving CASA and retail term deposits, tools for simplified customer acquisition and Customer Relationship Management, etc.

Awards and Accolades

In recognition of the various landmark initiatives taken by the Bank and also the Bank's achievements in different areas, I am pleased to inform you that

है कि आइओबी को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपके बैंक ने मुंबई में भारतीय बैंक संघ के 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, 2022-23 एक्सपो एंड साइटेशन में वर्ष 2023 के लिए मध्यम आकार के बैंकों की श्रेणी में 5 प्रतिष्ठित बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीते हैं। आइओबी को 2 श्रेणियों में विजेता, 1 श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया और 2 श्रेणियों में विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

आप के बैंक को 25 अप्रैल 2024 को मुंबई में आयोजित ईज़ 5.0 प्रशस्ति समारोह में वर्ष 2023 के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारत सरकार के ईज़ सुधार एजेंडा के अंतर्गत शीर्ष सुधारक श्रेणी के अंतर्गत प्रथम रनर-अप पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बैंक को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ और हमारे बैंक की गृह पत्रिका “वाणी” के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए एक और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

बैंक को “प्लाक” श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आइ सीएआइ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइ सीएआइ) से सराहना मिली।

निष्कर्षत:

आइओबी मजबूत बुनियादी पक्षों, अच्छे एसेट क्वालिटी बेस, स्वस्थ पूंजी स्थिति, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि गति और सशक्त तुलन-पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में बहुत मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रहा है। बैंक हमारे लाखों देशवासियों और ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के अलावा देश की विकास संबंधी आकांक्षाओं का समर्थन करने में एक बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हमारे विश्वनीय ग्राहकों के विशाल आधार और हमारे युवा, मजबूत और ऊर्जावान कार्यबल के समर्थन के साथ, आइओबी ब्रांड निश्चित रूप से सेवा मानक सहित भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि इंडस्ट्री में सर्वोत्तम होंगे।

आभार:

मैं इस अवसर पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, उन देशों के नियामक प्राधिकरणों, जहां बैंक का विदेशी परिचालन

IOB was bestowed with multiple Awards & accolades, some of which are mentioned below.

I take pride in informing that your Bank clinched 5 prestigious Banking Technology Awards in the Medium-sized Banks category for 2023 at the Indian Banks' Association's 19th Banking Technology Conference, Expo & Citations 2022-23 in Mumbai. IOB was declared the Winner in 2 categories, Runners-up in 1 category, and also received a Special Mention award in 2 categories.

Your Bank was awarded the 1st Runners-up Award under the Top Improver category under the EASE Reforms Agenda of the Govt of India for all Public Sector Banks for the year 2023 at the EASE 5.0 Citation Ceremony held in Mumbai on 25th April 2024.

Bank received the Rajbhasha Kirti Award in the Category of Nationalized Banks/Financial Institutions from the Government of India for excellent Official Language implementation during the year 2022-23 and also received another Rajbhasha Kirti Award for excellent publication of our Bank's in-house magazine “Vani”.

Bank received the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting under “Plaque” category and commended for its Annual Report in Public Sector Banks category for the year ended March 31, 2023, from The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

In Conclusion

IOB is entering FY 2024-25 on a very strong footing with strong fundamentals, a good Asset Quality base, a healthy Capital position, good growth momentum in all Business areas and a strong Balance Sheet. It is well positioned to play a very constructive role in supporting the growth aspirations of the country besides fulfilling the Banking needs of millions of our countrymen and our customers. With the support of the huge base of our loyal customers and our young, strong, and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Indian Banking Industry with service standards that match the best in the industry.

Acknowledgement

I take this opportunity to thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance, The Reserve

है, तथा भारत और विदेश में अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को समय-समय पर बैंक को दिए गए निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं बैंक का मार्गदर्शन करने तथा बैंक को आगे ले जाने में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के लिए हमारे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी आइओबियन्स को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने बैंक को मजबूती से आगे बढ़ाया है और एक सर्वांगीण प्रदर्शन दर्ज करने में मदद की है।

अंतत: मैं भारत और विदेश के अपने सभी ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके संरक्षण और ब्रांड आइओबी में निरंतर विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं! हम निरंतर आधार पर बैंक की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं और अपने हितधारकों के लिए मूल्य बनाने हेतु दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Bank of India, the Regulatory Authorities of countries where the Bank has overseas operations, other Government and Regulatory Agencies in India and abroad, for their continuous support and guidance provided to the Bank from time to time.

I would also like to thank the Chairman and other members of our Board for guiding the Bank and bringing in the value of their expertise and experience in taking the Bank forward. I also thank all IOBians for their hard work, dedication and commitment which has propelled the Bank strongly forward and helped in registering an all-round performance.

Lastly, my sincere thanks to all our customers in India and abroad and our shareholders for their patronage and continued faith in Brand IOB as we strive to improve the Bank’s position and performance on an ongoing basis and remain strongly committed to creating value for our stakeholders.

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

शेयर धारकों को सूचना

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **मंगलवार दिनांक 02 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 (आइएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपने शेयरधारकों की चौबीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा।**

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए:**

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंध (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2) (बी) के साथ पठित भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को जारी अधिसूचना एफ.सं6/26(ii)/2023-बीओ.आइ के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 30.01.2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(ii)/2024-बीओ.आइ के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति उनके शेष कार्यकाल के लिए अर्थात 20.10.2024 तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक कार्यभार संभालने, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 4

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 09.10.2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(xi)/2023-बीओ.आइ के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति को 10.03.2024 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 25 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/2/2022-बीओ.आइ के तहत बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति को, तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (1) सहित भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ. सं6/3/2011-बीओ.आइ के तहत बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति को, तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / राइट इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में 5000 करोड़ रुपये तक की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में रु. 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन / अधिकार मामले / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने /एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तो के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर डेट लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/ या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार / आरबीआइ / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि किसी मर्चेन्ट बैंकर, विधिक सलाहकार, बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने का उद्देश्य है कि बोर्ड मर्चेन्ट बैंकर, विधिक सलाहकार, बुक रनर्स लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, एडवाइजर्स और /या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा इश्यू के प्रकार और उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिसमें निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जाने वाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जाने वाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि है कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ जिनकी सदस्यता नहीं ली गई है को जैसा बोर्ड उचित समझे और कानून द्वारा अनुमत हो, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, कठिनाई या संदेह जो शेयरों / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने के लिए और निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है जिसके लिए शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अंत और मंशा के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि शेयरधारकों द्वारा पूर्ण विवेक के साथा संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया माना जाएगा।"

"**साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है** कि बोर्ड यहां प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक/(ओं) या गठित/इसके बाद गठित निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत है। बैंक को उपरोक्त संकल्प(संकल्पों) को प्रभावी करने के लिए।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों):

बैठक के कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कोविड -19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023** एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 8, 2022 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022 एवं **सेबी/एचओ/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्तूबर 2023** के माध्यम से कंपनियों को **30 सितंबर 2024** की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं।

बैंक ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट **www.iob.in** पर अपलोड किया गया है। **वार्षिक रिपोर्ट 2023-24** सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com** से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

ग) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु **https://wisdom.cameoindia.com** लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा।

घ) मताधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का **कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों** के प्रयोग के लिए **प्राधिकृत नहीं होंगे।**

निर्धारित की गई अंतिम तिथि **मंगलवार, दिनांक 25 जून 2024, जो अंतिम तिथि होगी** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे। भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा। अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ड़) दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022, **परिपत्र सं 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023** तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआइआर/

पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 08, 2022 एवं **सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआइआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022** तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/ सीआइआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्तूबर 2023 का संदर्भ लेते हैं । बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड** (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक** है। शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 28 जून 2024 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, दिनांक 29 जून 2024 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और सोमवार दिनांक 01 जुलाई 2024 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि 28 जून 2024 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

   वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

   सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है।** डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) **सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआइआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020,** सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी /इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे **www.cdslindia.com** पर जाएं और लॉग-इन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता **www.cdslindia.com** होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या **https://evoting.cdslindia.com/Evoting/** पर क्लिक कर सकते हैं। ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज़ है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा।
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल **https://eservices.nsdl.com** टाइप करें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प **https://eservices.nsdl.com** पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें। 3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके **https://www.evoting.nsdl.com/** एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** (डीपी) के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आइडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल है।

लॉग-इन टाइप	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित टोल फ्री सं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं।

(v) **भौतिक शेयरधारकों और डीमेट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति:

1) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन करना चाहिए।

2) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें।

   क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आइडी

   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आइडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आइडी जुड़ी हो

   ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए ।

4) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास शेयर डीमेट रुप में है और आप **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग करना है।

6) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें:

	डीमेट में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) • शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें।

लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी)	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज़ है । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज़ नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(vi) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(vii) भौतिक रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे । हालंकि, डीमैट रुप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रुप से प्रविष्ट करना होगा । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है । यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(viii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ix) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन 240603001पर क्लिक करें।

(x) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छानुसार हाँ / नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की

(xi) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट' पर क्लिक करना है। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें।

(xiii) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा।

(xvi) यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो उसे अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(1) ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए -** कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को ई-मेल: **https://wisdom.cameoindia.com** के माध्यम से प्रदान करें।

2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए -** कृपया अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन करें।

3. **वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए -** कृपया अपना ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन करें। जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

2) वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:

1. एजीएम / ईजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्धृत है।

2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा।

3. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें।

4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें।

6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखे हैं), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है।

7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल का उल्लेख करते हुए शुक्रवार, 28 जून 2024 को या उससे पहले अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। **investor@iobnet.co.in** पर नंबर जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे शुक्रवार, 28 जून, 2024 तक अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न अग्रिम रूप से भेज सकते हैं। **investor@iobnet.co.in** पर मोबाइल नंबर इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईमेल द्वारा उचित रूप से दिया जाएगा।

8. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

9. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के भी अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

11. एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं।

12. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट- केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षक **www.evotingindia.com** पर लॉग इन करें और स्वयं को “कार्पोरेट” मॉड्यूल में पंजीकृत करें।

- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल करें ।

- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।

- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने के पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे।

- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें।

- वैकल्पिक रुप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को अनिवार्य रूप से भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि **investors@iobnet.co.in** पर भेजें साथ ही कॉपी **rsaevoting@gmail.com** मार्क को करें।

यदि आपको ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **helpdesk.evoting@cdlindia.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, वरिष्ठ प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

च) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं हैं।

छ) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआइ आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं।

संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से **rsaevoting@gmail.com** को एवं बैंक के ई-मेल आइडी **investor@iobnet.co.in** पर कॉपी मार्क करते हुए वार्षिक आम बैठक की तारीख शुक्रवार, 28 जून, 2024 से **कम से कम चार दिन पहले** अपराह्न 4.00 बजे (आइएसटी) तक या इससे पहले पहले भेज दें।

ज) पते में परिवर्तन:

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-4002 0700 | ऑनलाइन इन्वेस्टर पोर्टल : https://wisdom.cameoindia.com
वैबसाइट : www.cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागि(यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं।

i) पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 03 नवंबर 2021 (बाद में परिपत्र दिनांकित 14 दिसंबर 2021, 16 मार्च 2023 और 17 नवंबर 2023 संशोधित) के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले) को कोई भी लाभांश/ब्याज प्रदान किया है, जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं है, वे उनके द्वारा उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे।

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्रम सं	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आइएसआर – 1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/ अपडेट करने के लिए
2	फॉर्म आइएसआर – 2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	फॉर्म आइएसआर – 3	नामांकन विकल्प से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र 4 प्रपत्र
4	फॉर्म आइएसआर – 13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म आइएसआर – 14	नामांकन रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-4002 0700 ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

झ) भौतिक होल्डिंग का डीमैटरियलाइजेशन:

सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण करने के अनुरोध स्वीकार करने से सूचीबद्ध कंपनियों को अस्वीकार करने के लिए सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके अलावा इसे संशोधन 2022 द्वारा अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या अभौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी या हस्तांतरण केवल अभौतिक रूप में ही प्रभावी होगा। जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/इसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। आरटीए द्वारा केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे।

पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक शेयरधारक, जिनके पास इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर हैं, को एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी में से किसी एक में अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए डीमैट खाता खोल सकते हैं।

ञ) शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लाभ:

शेयर प्रमाण पत्र के नुकसान और टूट-फूट का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेनदेन लागत आदि है।

ट) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्स्चेंज को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीनिवासन श्रीधर की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंध (एच) के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को जारी अधिसूचना एफ.सं6/26(ii)/2023-बीओ.आइ के तहत श्री श्रीनिवासन श्रीधर को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले तक के लिए बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने 21.02.2024 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। श्री श्रीनिवासन श्रीधर ने 2018 से अपनी वर्तमान भूमिका ग्रहण करने तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्य किया था। श्री श्रीनिवासन श्रीधर दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और एक योग्य सनदी लेखाकार भी हैं।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर एक वित्तीय सेवाओं के विशेषज्ञ हैं जिनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर और भारत में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 28 वर्षों तक सिटीग्रुप के साथ, एशिया, अफ्रीका व यूरोप सहित 6 देशों में काम किया। उन्होने सिटीग्रुप में कुछ नेतृत्व पदों पर यानी तीन देशों के लिए सीईओ, भारत में कॉरपोरेट बैंक प्रमुख, अफ्रीका के लेन-देन सेवा प्रमुख पद पर कार्यभार ग्रहण किया और मध्य, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व व अफ्रीका के बैंक सेवा समूह प्रमुख हैं। उनके पास कॉरपोरेट व निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और नियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों का विस्तृत बैंकिंग अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड भी है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसिस सॉफ्टवेर लिमिटेड, निरलॉन ग्रेफ़ाइट इंडिया लिमिटेड, फिनका - अजेरबेइजान।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 2 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित इच्छुक है।

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जयदीप दत्ता रॉय की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 30.01.2024 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(ii)/2024-बीओ.आइ के तहत श्री जयदीप दत्ता रॉय को उनके शेष कार्यकाल के लिए अर्थात 20.10.2024 तक, या कार्यभार संभालने से भारत सरकार के अगले आदेश तक जो भी पहले हो, को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने 31.01.2024 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। लगभग 28 वर्षों से बैंकर हैं , वे वर्ष 1996 में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में बहुत ही सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद, बैंक के देहरादून और बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ तत्कालीन देना बैंक और तत्कालीन विजया बैंक के समामेलन के समय एकीकरण प्रमुख रहे, उन्हें मुख्य महा प्रबंधक पद पर पदोन्नत किया गया और बैंक के एमडी व सीईओ के कार्यालय में रहे। मुख्य महा प्रबंधक के रूप में, वे बैंक में रणनीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के प्रभारी थे तथा बैंक की सहायक कंपनियों व संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन के अलावा बैंक स्तर और ऊर्ध्वाधर स्तर की समीक्षा करने के प्रभारी थे, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार के द्वारा 21.10.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे खुदरा बैंकिंग व्यवसाय (संपत्ति और देनदारियां), धन प्रबंधन और एनआरआइ व्यवसाय, जोखिम, वित्त और योजना कार्य, एचआरएम, आइटी और डिजिटल, निरीक्षण व ऑडिट, अनुपालन, उधार प्रबोधन, संग्रह, सहायक और संयुक्त उद्यम, संचालन व सेवाएं, एंटरप्राइज डेटा प्रबंधन आदि का कार्यभार संभाला।

बड़ौदा-बीएनपी पारिबा एसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष होने के साथ उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), पीएसबी एलायंस लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा

ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कार्ड्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा बोत्सवाना और बैंक ऑफ बड़ौदा तंजानिया लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है, इसके अलावा वे विधि स्नातक हैं और मुंबई में नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्री जयदीप दत्ता रॉय या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 4

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री धनराज टी की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा 09.10.2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं4/1(xi)/2023-बीओ.आइ के तहत श्री धनराज टी को 10.03.2024 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री टी. धनराज ने 10.03.2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वे इंडियन बैंक में मुख्य महा प्रबंधक (सीडीओ/ सीएलओ) थे। श्री टी. धनराज ने वर्ष 1994 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में कार्य शुरू किया।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्रामीण और कॉर्पोरेट शाखाओं, कृषि ऋण, एमएसएमई और मानव संसाधन के शाखा प्रमुख के रूप में बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने मानव संसाधन संबंधी सभी मामलों में तत्कालीन इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत इकाई में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में, दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को लागू करके मानव संसाधन प्रथाओं में बारीकी से परिवर्तन किया गया।

ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि, स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए कृषि, इन्क्यूबेशन के लिए आइआइटी, मद्रास के साथ सहयोग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृषि सह-उधार मॉडल की शुरुआत की। आरआरबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पल्लवन ग्राम बैंक और पाण्डियन ग्राम बैंक का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसे अंततः तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में जाना जाने लगा। वे नाबार्ड की सहायक कंपनी एनएबीकेआइएसएएन के बोर्ड और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी सप्तगिरी ग्रामीण बैंक के बोर्ड में भी निदेशक रहे।

श्री टी धनराज ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक योग्यताएं जैसे सीएआइआइबी, ईआइएम बैंगलोर द्वारा पीएसयू बैंकों के प्रतिनिधियों के लिए 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' प्रबंधन पाठ्यक्रम किए। उन्होंने आइआइएम, लखनऊ से 'एचआर एनालिटिक्स में कार्यपालक कार्यक्रम' (ईपीएचआरए) में भी भाग लिया और उसे पूर्ण किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्री टी. धनराज या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में श्री कार्तिकेय मिश्रा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 25 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/2/2022-बीओ.आइ के तहत श्री कार्तिकेय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, को बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस 2009 बैच) के अधिकारी हैं। श्री कार्तिकेय मिश्रा ने 25.10.2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा बिट्स पिलानी से स्नातक और आइआइएम-अहमदाबाद से स्नातकोत्तर हैं। अपनी वर्तमान तैनाती से पहले, वह श्रम और रोजगार मंत्रालय, आंध्र प्रदेश में आयुक्त के रूप में तैनात थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में भी काम किया।

उन्होंने पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने 'कौशल विकास' के लिए कौशल गोदावरी परियोजना भी शुरू की। उनके नेतृत्व में 16000 युवाओं को नौकरियां प्राप्त हुई थी।

उन्होंने तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी काम किया।

श्री कार्तिकेय मिश्रा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के निदेशक के रूप में काम किया था, जहां उन्हें आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन (एएमटीजेड) के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अतिरिक्त, श्री कार्तिकेय मिश्रा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आइएफसीआइ) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आइआइएफसी (यूके)) के बोर्ड में भी शामिल हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आइएफसीआइ) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

श्री कार्तिकेय मिश्रा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन लेना।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत, के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (1) सहित भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं6/3/2011-बीओ.आइ के तहत श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के अगले आदेश तक, को बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (आरबीआइ नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त किया।

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्र में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), बेंगलुरु की क्षेत्रीय निदेशक हैं। आरबीआइ में अपने लगभग तीन दशकों के कार्यकाल में, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया है और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), मुंबई के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और मानव संसाधन विकास है। उन्होंने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ चंडीगढ़, कोलकाता और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

उन्होंने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में आरबीआइ नामिती निदेशक के रूप में 14.07.2023 से कार्यभार संभाला।

उन्होंने 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और 2019 में स्थापित 'एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति' को सचिवीय सहायता प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वह विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के तहत गठित रिटर्न/ स्टेटमेंट के युक्तिकरण पर विशेष समिति का भी भाग थीं।

भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान, वे जी20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत एक कार्य समूह, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन (जीपीएफआइ) के लिए आरबीआइ लीड रही हैं।

फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन (जीपीएफआइ) के लिए आरबीआइ लीड रही हैं।

उनके पास वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है और बैंकिंग और वित्त में मास्टर डिग्री है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआइआइबी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में उनकी शेयरधारिता शून्य है।

परस्पर निदेशकत्व : शून्य

अन्य निदेशकत्व : शून्य

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, तो वह एजीएम के साथ संलग्न सूचना की मद संख्या 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प में संबन्धित है।

कार्यसूची मद संख्या 7

अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार निर्गम / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी, अन्य बीमा कंपनियों शेयर जारी करने, म्यूचुअल फंड और क्यूआइबी को अधिमानी आधार पर या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में 5000 करोड़ रुपये तक की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु।

1. आरबीआइ के बेसल III दिशानिर्देशों का पालन करने और एक मजबूत पूंजी आधार रखने के लिए ताकि व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान की जा सके, बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है।

2. भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) दिनांकित 30 जुलाई 2021, आगे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत संशोधित प्रावधान और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार जनहित में किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।

3. इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र संदर्भ सं. एफ.सं. 1/14/2018-पीएम दिनांकित 06.07.2022 के जरिए सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19क में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2024 तक छूट मिलेगी।

4. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 22 अप्रैल 2024 को अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सांविधिक / नियामक अनुमोदनों के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 5000 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है।

5. तदनुसार, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव रखता है। मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा।

6. अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव / अधिकार इश्यू / योग्य संस्थागत प्लेसमेंट / सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने / एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों / म्यूचुअल फंड / क्यूआइबी को या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना।

7. पूर्वोक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंकों) प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम और सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अनुपालन और निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी।

8. बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ख) (ग) के अनुसार, प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। हालांकि, केंद्र सरकार, हमेशा, बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के बावन प्रतिशत से कम नहीं रखेगी।

9. एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसी की पेशकश करनी है, जब तक कि असाधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा।

10. यह संकल्प बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के माध्यम से और/या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / आरबीआइ द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मोड पर इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों को बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाता है। इश्यू से प्राप्त राशि बैंक को समय-समय पर आरबीआइ द्वारा निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी।

11. यह संकल्प आइसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारों के साथ क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन मांगे बिना, निदेशक मंडल अपने विवेक से बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित तंत्र को अपना सकता है।

12. सेबी आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में एक क्यूआइपी निर्गम के मामले में, क्यूआइपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं और "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर को समापन मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जा सकता है। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआइपी निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है।

13. बाजार की मौजूदा स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और अंडरराइटर्स तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

14. जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, जैसा कि मूल्य निर्धारण के ऑफर को बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह समय-समय पर संशोधित सेबी आइसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू या आवश्यक हो के अनुसार होगा।

15. पूर्वोक्त कारणों से, इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त अधिकार और विवेक देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

16. आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

17. इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

18. बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर, इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

19. कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार विशेष संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं, जैसा कि नोटिस के एजेंडा आइटम नंबर 7 में निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 06.06.2024

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट 2023-24

निदेशक मंडल सहर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

वैश्विक एवं घरेलू अर्थव्यवस्था परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है, मूल्य स्थिरता बहाल करने और जारी भूराजनीतिक संघर्षों के चलते केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बावजूद एक स्थिर दृष्टिकोण के साथ लचीली बनी हुई है। मुद्रास्फीति का दबाव कम होने के साथ, आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ीं हैं, मुद्रास्फीतिजनित मंदी और वैश्विक मंदी की चेतावनियों को धता बताते हुए, वैश्विक दृष्टिकोण के जोखिम अब पिछले वर्ष की तुलना में मोटे तौर पर संतुलित हैं।

इन विद्यमान वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि 2024 और 2025 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की दर के साथ 2023 के समान गति से ही आगे बढ़ेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए जहां विकास की उम्मीद है, अर्थव्यवस्था थोड़ी तेजी से 2023 के 1.6% से बढ़कर 2024 में 1.7% और 2025 में 1.8% की वृद्धि होगी वहीं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में 4.3% से 2024 और 2025 दोनों में 4.2% की मामूली मंदी से इसकी भरपाई हो जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, घरेलू मांग में उछाल, कॉरपोरेट क्षेत्र की मजबूत तुलन-पत्र और मजबूत बैंक ऋण मांग के कारण लचीली बनी रही, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि से भी मदद मिली।

भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2023-24 की चौथी तिमाही (Q4) में 7.8% बढ़ गया है। इस वृद्धि के पीछे विनिर्माण क्षेत्र मुख्य कारक है। तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 8.9% की वृद्धि हुई और पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। 2023-24 को समाप्त पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2% की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग में उछाल के कारण 7.0% या अधिक वृद्धि का लगातार तीसरा वर्ष है। 2021-22 और 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 9.8% और 7.0% की वृद्धि हुई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के लिए समान रूप से जोखिम संतुलन के साथ भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0% रहने की अनुमान लगाया है जिसके 2024-25 की पहली तिमाही में 7.1%; दूसरी तिमाही में 6.9% पर; तीसरी तिमाही में 7.0%; और चौथी तिमाही में 7.0% पर रहने का अनुमान लगाया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जनवरी 2024 में अनुमानित 6.5% की तुलना में घरेलू मांग में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्वानुमान को 30 बेसिस प्वाइंट संशोधित कर वित्त वर्ष 2025 में 6.8% कर दिया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

बैंक ने 2023-24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय के साथ-साथ लाभप्रदता के मोर्चे पर भी अपना उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन जारी रखा है। बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में पहली बार कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। सकल अग्रिम 15.9% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 2,19,018 करोड़ रुपये हो गया और कुल जमा में 9.6% (31.03.2024 को सालाना आधार पर 2,85,905 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई।

कम लागत वाले कासा जमा को जुटाने में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने 31.03.2024 तक 24.5 लाख से अधिक कासा ग्राहकों को जोड़ते हुए कासा जमा को 10% बढ़ाकर 1,25,508 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहा, जबकि 2022-23 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह 1,14,113 करोड़ रुपये था। बैंक का कासा अनुपात भी 16 बीपीएस बढ़कर 31.03.2024 को 43.90% हो गया, जो 31.03.2023 को 43.74% था।

पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट की गई 8,255 करोड़ रुपये की मजबूत ऋण वृद्धि के कारण बैंक की निवल ब्याज आय 31.03.2024 तक 19.07% बढ़कर 9,829 करोड़ रुपये हो गई है।

निवल ब्याज आय में मजबूत वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण बैंक का निवल लाभ 2023-24 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 26.54% बढ़कर 2,656 करोड़ रुपये हो गया है, जो 31.03.2023 को 2,099 करोड़ रुपये था। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च 2023 के 2.93% के मुकाबले मार्च 2024 तक 35 बीपीएस बढ़कर 3.28% हो गया है।

संपत्ति गुणवत्ता के मामले में, बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों में कमी दर्ज़ की है। 31.03.2024 को बैंक का सकल एनपीए घटकर 6,794 करोड़ रुपये (3.10%) हो गया, जो 31.03.2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में 14,072 करोड़ रुपये (7.44%) था। इसी प्रकार, उपरोक्त अवधि के लिए बैंक का शुद्ध एनपीए 3,266 करोड़ रुपये (1.83%) से घटकर 1,217 करोड़ रुपये (0.57%) हो गया है।

पूरे वर्ष के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्लिपेज घटकर 1,516 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,029 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का स्लिपेज अनुपात मार्च 2024 में 200 बीपीएस कम होकर 0.87% हो गया है, जो मार्च 2023 तक 2.87% था। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,549 करोड़ रुपये की वसूली की दर्ज़ की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,285 करोड़ रुपये की वसूली के मुकाबले 6.2% अधिक है।

31.03.2024 तक संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण एनपीए के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5.32% कम होकर 2,706 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 2,858 करोड़ रुपये थी। पूरे वर्ष के आधार पर बैंक की क्रेडिट लागत 31.03.2024 को घटकर 1.34% हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.70% थी। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2023 के 92.63% से 31.3.2024 को 422 बीपीएस बढ़कर 96.85% हो गया है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2023 के 16.10% की तुलना में 31.03.2024 को 17.28% तक सुधर गया है और नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है।

आय एवं व्यय विश्लेषण

अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त 13,151 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2024 तक 33.65% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17,576 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में निवेश पर ब्याज बढ़कर 5,946 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 5,849 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ब्याज आय 23.96% बढ़कर 24,050 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 19,401 करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में जमा पर ब्याज 12,609 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष भुगतान 10,536 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में उधार पर ब्याज बढ़कर 1,611 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 609 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ब्याज व्यय बढ़कर 14,220 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 11,145 करोड़ रुपये था।

निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 2022-23 में 8,256 करोड़ रुपये से 19.05% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9,829 करोड़ रुपये हो गई है।

परिचालन आय 25.24% बढ़कर 15,485 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि 2022-23 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह 12,364 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन व्यय बढ़कर 8,722 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 6,422 करोड़ रुपये था। 12वें द्विपक्षीय समझौते / 9वें संयुक्त नोट के कारण कर्मचारी वेतन संशोधन भुगतान वित्त वर्ष 2022-23 में परिचालन व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण था।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक के दैनिक कार्यों के संचालन में अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। बैंक, बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है और संरचनाओं, प्रक्रियाओं और बैंक और उसके हितधारकों के हितों की पूर्ति के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए प्रणालियाँ स्थापित करना सुनिश्चित करने पर जोर देता है, जो कि प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करती हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम) 2015 (एलओडीआर)

सेबी (एलओडीआर) के अनुसार

बैंक अपने शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठकों/असाधारण सामान्य बैठकों में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है ।

- आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (यानी, बैंक के महा प्रबंधकों) पर लागू होती है।
- बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बोर्ड की ऑडिट समिति और बीएसई और एनएसई को, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, एक त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।
- बैंक बीएसई और एनएसई को त्रैमासिक निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2013-14 तक की अवैतनिक लाभांश राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया है।

- बैंक नियामक प्राधिकारियों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन कर रहा है। बैंक बिना किसी देरी के शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करता है।

पूंजी पार्याप्तता अनुपात

बेसल iii मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2024 को 31.03.2023 की तुलना में 16.10% से सुधर कर 17.28% हो गया, जो कि नियामक आवश्यकताओं से अधिक हो गया है।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2023 को 3,220 शाखाओं की तुलना में 31 मार्च 2024 को बैंक की 3,236 अंतर्देशीय शाखाएँ हैं जिनमें 910 ग्रामीण शाखाएँ (28.12%), 967 अर्ध शहरी शाखाएँ (29.89%), 659 शहरी शाखाएँ (20.36%) और 700 शाखाएँ (21.63%) महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। बैंक के 49 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 एक्सटेंशन काउंटर, 1 सैटेलाइट कार्यालय, 2 सिटी बैक ऑफिस, 6 नोडल लेखा-परीक्षा कार्यालय और 1 खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र भी है। वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 4 ग्रामीण शाखाएँ, 7 अर्ध-शहरी शाखाएँ, 3 शहरी शाखाएँ, 2 महानगरीय शाखाएँ और 1 खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र खोला है।

निदेशक मण्डल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल में निहित है। एमडी व सीईओ और ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। 31.03.2024 को बैंक के निदेशकों की संख्या दस है, जिसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, दो गैर-कार्यकारी निदेशक, चार अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक और शेयरधारकों में से उनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया एक निदेशक शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों के कार्यकाल की स्थिति:

नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि	पद
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	21.02.2024	20.02.2027	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	31.12.2025	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	20.10.2024	कार्यपालक निदेशक
श्री धनराज टी	10.03.2024	09.03.2027	कार्यपालक निदेशक
श्री कार्तिकेय मिश्र	25.10.2023	यूएफ़ओ*	सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	यूएफ़ओ*	आरबीआइ द्वारा नामित निदेशक
श्री सुरेश कुमार रुंगटा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी चंद्र रेड्डी	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री दीपक शर्मा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री संजया रस्तोगी	03.12.2022	02.12.2025	शेयरधारक निदेशक

*आगामी आदेश तक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित निदेशक का कार्यकाल निम्नानुसार समाप्त हुआ:

नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि	पद
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	कार्यपालक निदेशक
सुश्री एस श्रीमति	10.03.2021	09.03.2024	कार्यपालक निदेशक
सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	24.10.2023	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022	13.07.2023	आरबीआइ द्वारा नामित निदेशक

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी है। निदेशक मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के साथ निरंतर संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं।

बोर्ड सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज़ करना चाहता है और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ उनकी निरंतर भागीदारी के लिए तत्पर है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 01.06.2024

PM Vishwakarma
Crafting the Soul of India
पी एम विश्वकर्मा
सम्मान . सामर्थ्य . समृद्धि
Quantum of Loan
Upto ₹ 3* Lakhs
T&C Apply
First Loan Tranche upto ₹ 1 Lakh
Second Loan Tranche upto ₹ 2 Lakh
Rate of Interest- 5%
No Collateral Security
No Guarantee
APPLY NOW
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, घरेलू मांग में उछाल, कॉरपोरेट क्षेत्र की मजबूत तुलन पत्र और मजबूत बैंक ऋण मांग के कारण लचीली बनी रही, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में हुई वृद्धि से भी सहायता प्राप्त हुई।

मजबूत निवेश गतिविधि और निवल बाह्य मांग में कमी के साथ, 2023-24 की तीसरी तिमाही (Q3) में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4% बढ़ गया। यह 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 8.2% और 8.1% की वृद्धि से अधिक है।

आपूर्ति पक्ष पर, विनिर्माण और निर्माण गतिविधि द्वारा संचालित, 2023-24 में सकल मूल्य वर्धित में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चूंकि घरेलू अर्थव्यवस्था एक मजबूत गति का अनुभव कर रही है, दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) ने 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रखी है, घरेलू मांग में उछाल के कारण लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समान संतुलित जोखिम के साथ 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है और 2024-25 की पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 7.0 प्रतिशत संवृद्धि का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जनवरी 2024 में अनुमानित 6.5% की तुलना में घरेलू मांग में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्वानुमान को 30 आधार अंक तक संशोधित कर वित्त वर्ष 2025 में 6.8% कर दिया है।

2024-25 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत अनुमानित है। खाद्य कीमतों की अनिश्चितताएं आगे चलकर मुद्रास्फीति की गति पर असर डाल रही हैं। खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 8.7 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2024 में 7.6 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना रहा और पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रावधान कवरेज और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न प्रमुख वित्तीय मापदंडों में सुधार देखा गया है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऋण की मांग देखी गई। 22 मार्च, 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए बैंकिंग उद्योग (एससीबी) का क्रेडिट ऑफटेक साल दर साल (वाई-ओ-वाई) 16.3% (जिसमें एचडीएफसी का विलय शामिल नहीं है) बढ़ गया। उक्त अवधि हेतु जमा में भी 12.87% (जिसमें एचडीएफसी का विलय शामिल नहीं है) की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 13.5% और 10.1% की ऋण और जमा वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि के लिए सीडी अनुपात भी 73.53% से बढ़कर 75.78 हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में दूसरी बार 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया था। 12 पीएसबी ने 2022-23 में अर्जित 1,04,649 करोड़ रुपये की तुलना में निवल लाभ में 34.93% से बढ़कर 1,41,203 हो गया, की वृद्धि देखी, जो उच्च ब्याज आय और गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रबंधन में सुधार के कारण था।

आगे, बैंकिंग क्षेत्र में केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि, पीएलआई योजना द्वारा समर्थित एमएसएमई ऋण में वृद्धि और त्वरित ऋण मंजूरी और संवितरण के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी के कारण खुदरा ऋण मांग में वृद्धि से दोहरे अंक की ऋण वृद्धि देखी जा सकती है। हालाँकि, उधार लागत की तुलना में फंडिंग लागत में तेजी से वृद्धि के कारण बैंकों को निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है और उम्मीद है कि रेपो दर में कटौती का चक्र वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही से शुरू हो सकता है। बैंकों को जमा राशि, खासकर कम लागत वाली कासा जमाओं से, जुटाने के मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जमा राशि जुटाने के लिए बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से बैंक का ब्याज खर्च उच्च स्तर पर रहेगा।

घरेलू परिचालन एवं पृष्ठभूमि

बैंक की पृष्ठभूमि

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फरवरी 1937 को कई क्षेत्रों में अग्रणी श्री एम सीटी एम. चिदंबरम चेट्टियार द्वारा की गई थी। आइओबी उन 14 प्रमुख बैंकों में से एक था, जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आइओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं, जिनकी कुल जमा राशि 67.70 करोड़ रुपये थी और अग्रिम राशि 44.90 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में बैंक की विदेशों में 4 देशों सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में उपस्थिति है।

बैंक ने ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक को भी प्रायोजित किया है।

प्रमुख उपलब्धियां

- बैंक के पास बैंकिंग में 87 वर्षों की सेवा उत्कृष्टता है।
- 3236 शाखाओं और 3506 एटीएम और 6379 कारोबार प्रतिनिधियों की मजबूत घरेलू उपस्थिति ग्राहकों को विस्तारित पहुंच प्रदान करती है।
- 58% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे गहन वित्तीय समावेशन में वृद्धि होती है।
- दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड नेम।
- **41 मिलियन** सक्रिय ग्राहकों का भरोसा।
- 4 शाखाओं के साथ विदेश में उपस्थिति
- कम लागत वाली कासा जमाराशियों में निरंतर वृद्धि, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में प्रदर्शन जिनका घरेलू अग्रिमों में 72.59% का योगदान है।

बैंक के परिचालन

घरेलू जमा

31 मार्च 2024 को बैंक की कुल घरेलू जमा राशि 278968 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च 2023 को 254324 करोड़ रुपये थी। घरेलू कासा 31 मार्च 2023 को 112093 करोड़ रुपए से 31 मार्च 2024 तक 123435 करोड़ रुपए बढ़ गया है। यह भी उल्लेख करना है कि घरेलू बचत बैंक जमा 31 मार्च 2023 को 97211 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 102328 करोड़ रुपये हो गया है। घरेलू कासा % भी बढ़कर मार्च 2024 तक 44.25% हो गया है।

घरेलू अग्रिम

जोखिम में विविधता लाने और मार्जिन में सुधार करने की दृष्टि से, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2023 को 173668 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2024 को 200697 करोड़ रुपये रहा। उल्लेखनीय है कि घरेलू सकल अग्रिम 15.56% बढ़ा है।

विदेशी परिचालन

31 मार्च 2024 तक बैंक की विदेशों में 5 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएं और 1 संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शामिल है। सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में बैंक की एक-एक शाखा है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद- बैंक ऑफ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम, मलेशिया में काम कर रहा है। विदेशी व्यापार (जेवी-आईआईबीएमबी को छोड़कर) 31 मार्च 2023 तक 21,899 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 तक 25,259 करोड़ रहा। जेवी-आईआईबीएमबी का कारोबार 31 मार्च 2024 तक रु 414.65 करोड़ रहा।

ट्रेजरी परिचालन व निवेश

ट्रेजरी परिचालन

निवेश की बिक्री पर लाभ 2023-24 के दौरान 272.44 करोड़ रुपये (2021-22 के दौरान 249.86 करोड़ रुपये) लेखा श्रेणी अंतरण से पहले 256.38 करोड़ रुपये का नुकसान था, जबकि पिछले वर्ष यह 137.57 करोड़ रुपये था। विदेशी मुद्रा व्यापार से विनिमय पर लाभ पिछले वर्ष के 536.65 करोड़ रुपये की तुलना में 161.57 करोड़ रुपये रहा।

निवेश

बैंक का निवल निवेश 31 मार्च 2024 को रु. 95,476.65* करोड़ रुपए जबकि 31 मार्च 2023 को यह 94,170.41 करोड़ रुपए था। प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ सहित कुल लाभ रु. वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 786.51 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 434.01 करोड़ रहा । वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 7.31% से घटकर 7.05% हो गया है।

* सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित अनुसूची 8 के अनुसार निवेश केवल ट्रेजरी (देशीय) से संबंधित है।

ट्रेजरी परिचालन (विदेशी)

2023-24 के दौरान निवेश (विदेशी केंद्र) की बिक्री पर लाभ 0.80 करोड़ रुपये था। विदेशी मुद्रा व्यवसाय से विनिमय पर लाभ 31.03.2024 को 27.64 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 27.20 करोड़ रुपये था।

निवेश (विदेशी)

31 मार्च 2024 को बैंक (विदेशी केद्र) का निवल निवेश रु. 4155.42 करोड़ रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ सहित कुल लाभ रु. 29.51 करोड़ रहा।

एमएसएमई निष्पादन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रसार और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम 2006) को अधिनियमित किया। यह अधिनियम 02.10.2006 से लागू हो गया और दिनांकित 26 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-26062020-220191 द्वारा नए मानदंड को और अधिसूचित किया गया।

आरबीआइ ने अपने सूचना पत्र संख्या आरबीआइ/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21, दिनांक 02.07.2020 ने एमएसएमई के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया है जो जुलाई 01, 2020 से प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के संबंध में आरबीआइ परिपत्र संख्या आरबीआइ/2021-2022/67एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22 दिनांकित 07.07.2021 - खुदरा और थोक व्यापार को जोड़ा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

वर्ग	संयत्र व मशीनरी में निवेश /उपकरण लागत (डबल्यूडीवी)	टर्नओवर
सूक्ष्म	₹1.00 करोड़ तक	₹5.00 करोड़ तक
लघु	₹1.00 करोड़ से ऊपर व ₹10.00 करोड़ तक	₹5.00 करोड़ से ऊपर व ₹50.00 करोड़ तक
मध्यम	₹10.00 करोड़ से ऊपर व ₹50.00 करोड़ तक	₹50.00 करोड़ से ऊपर व ₹250.00 करोड़ तक
विनिर्माण एवं सेवा उपक्रमों के लिए निवेश एवं टर्नओवर की शर्तें एक समान कर दी गई हैं		

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआइ/2021-2022/100 एफआइडीडी. एमएसएमई व एनएफएस.बीसी.सं. 13 /06.02.31 /2023-24 दिनांकित 28.12.2023 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पीएसएल वर्गीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है। 75% से अधिक एमएसएमई पोर्टफोलियो पीएसएल श्रेणी के तहत वर्गीकरण के लिए योग्य हैं और हम सभी अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम सहायता संख्या (यूएएन) प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण का हिस्सा 41552 करोड़ रुपये था, जिसमें साल-दर-साल 19% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने 5079.45 करोड़ रुपये की राशि के 508883 नए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऋण स्वीकृत किए हैं और 4500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च 2024 तक 5041.26 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। मुद्रा सुविधा डेस्क बनाया गया है और सभी शाखाओं में मुद्रा नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 31.86 करोड़ रुपये की राशि के 240 ऋण स्वीकृत किए हैं।

बैंक ने 182031 पीएम स्वनिधि आवेदनों को 243.06 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और योजना शुरू होने की तारीख यानी 02.07.2020 से 31.03.2024 तक 194.40 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

बैंक ने सीजीएफएमयू योजना से गारंटी कवर के तहत मुद्रा योजना (रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए एनसीजीटीसी के सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में नामांकित कराया है। 31 मार्च, 2024 तक, हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत 1707.76 करोड़ रुपये के जोखिम वाले 71108 खातों को कवर किया है।

बैंक ने आरबीआइ के नए ढांचे के तहत "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" भी लागू की है और तनाव के तहत एमएसएमई इकाइयों को राहत देने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया है।

विशेषीकृत एमएसएमई एवं केंद्रित शाखाएं

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पूरे भारत में 22 विशिष्ट एसएमई शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा, हमने एमएसएमई विकास क्षमता वाली 144 एमएसएमई शाखाओं की पहचान की है और उन्हें एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के रूप में नामित किया है।

1. ये शाखाएँ आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से सुसज्जित हैं।
2. हमने एमएसएमई ऋण पर शाखा प्रमुखों/क्रेडिट अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
3. हमने सभी शाखाओं में एक एमएसएमई संबंध अधिकारी नामित किया है।
4. विशेष लक्ष्य निर्धारित करना तथा प्रगति की नियमित निगरानी करना।

लीड जेनरेशन

शाखाओं को स्टैंडअपमित्र/उद्यमीमित्र पोर्टल पर बैंक को चिह्नित किए गए आवेदनों को देखने और प्राप्त करने के लिए लॉगिन सुविधा प्रदान की गई है। आइओबी में ऑनलाइन शाखाओं को जीएसटी लीड का प्रसंस्करण और अंकन प्रदान किया गया है और इस प्रकार आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित किया गया है। हम उनके आपूर्तिकर्ताओं/रिश्तेदारों/दोस्तों आदि से संपर्क करके और अपनी सेवाओं की पेशकश करके मौजूदा ग्राहक आधार के माध्यम से व्यवसाय की मांग कर रहे हैं।

फील्ड स्तर पर पदनामित एमएसएमई अधिकारी

बैंक ने कई कदम उठाए हैं और सभी स्तरों पर एमएसएमई क्रेडिट प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम किया है। बैंक ने एमएसएमई ऋणों की त्वरित स्वीकृति और एनपीए खातों के अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारी नामित किए हैं।

सभी शाखाओं (एकल व्यक्ति वाली शाखाओं को छोड़कर) में एमएसएमई विपणन अधिकारियों की पहचान/पदनामित कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन अधिकारी/एमएसएमई नोडल अधिकारी सभी शाखाओं/ग्राहकों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

प्रशिक्षण एवं विकास

बैंक तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले 12 आरसेटी में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण/हैंड होल्ड सहायता प्रदान कर रहा है और मुद्रा/स्टैंड अप इण्डिया योजनाओं के तहत क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए भी सहायता कर रहा है और उन्हें लाभकारी रोजगार लेने में सुविधा प्रदान कर रहा है।

बैंक ने प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एनआईबीएम / बीक्यू ग्लोबल के साथ टाई-अप व्यवस्था की है और नियमित रूप से स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक पूरे भारत में कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है और एमएसएमई नियामक दिशानिर्देशों, योजनाओं और सरकार के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। प्रायोजित योजनाएं जैसे मुद्रा, स्टैंड अप इण्डिया, पीएमईजीपी आदि, नियमित आधार पर आरबीआइ द्वारा आयोजित एनएएमसीएबीएस कार्यशालाओं में कर्मचारियों को नामांकित कर रहा है।

psbloansin59minutes.com

बैंक ने www.psbloansin59minutes.com पोर्टल में फाइनेंसर के रूप में प्रवेश किया है। यह प्लेटफॉर्म 500.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को संभालता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म 10 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन को हैंडल करता है। हम अपने सभी मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपनी क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जन समर्थ पोर्टल

बैंक ने जन समर्थ पोर्टल - सभी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं (आत्मनिर्भर परियोजना) के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया है। मंच 13 केंद्र सरकार की योजनाओं की सुविधा देता है।

टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के जरिए बिल डिस्काउंटिंग

बैंक ने आरएक्सआईएल, ए ट्रेड और एम1एक्सचेंज के साथ करार किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्य राशि के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में भाग लेते हुए सदस्य के रूप में नामांकित किया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, टीआरईडीएस लेनदेन से निपटने के लिए नामित शाखाओं की संख्या भी पांच से नौ शाखाओं तक बढ़ गई। 31.03.2024 तक सभी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के तहत बकाया 6377.00 करोड़ रुपये था।

सह-उधार

बैंक ने सह-उधार पर नीति तैयार की है और सह-उधार व्यवस्था के लिए तकनीकी सहायता और परेशानी मुक्त संवितरण प्रदान करने के लिए नाइट फिनटेक को डिजिटल भागीदार के रूप में शामिल किया है।

बैंक ने एमएसएमई ऋण के लिए निम्नलिखित एनबीएफसी के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है।

- मेसर्स वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड
- मेसर्स यूग्रो कैपिटल लिमिटेड
- इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड
- इनक्रेड फाइनेंशियल लिमिटेड
- इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट्स लिमिटेड, एमएसएमई
- आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड
- सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड
- एस के फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैप्री गोल्ड और आईआईएफएल के साथ साझेदारी में ऋण स्वीकृत और वितरित किया है।

क्लस्टर फाइनेंस

बैंक ने पूरे भारत में बारह संभावित समूहों की पहचान की है, एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं और ऐसे और समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

सेरामिक उद्योग	मोरवी, गुजरात
कपड़ा उद्योग	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु
इंजीनियरिंग गुड्स	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु
ऑटो कंपोनेंट्स	चेन्नै / काँचीपुरम, तमिलनाडु
ऑटो कंपोनेंट्स	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाईवुड उद्योग	पेरुंबवूर, केरल
होज़री / कपड़ा	लुधियाना, पंजाब
ऑटो / बाइ-साइकिल कंपोनेंट्स	लुधियाना, पंजाब
टेक्सटाइल क्लस्टर	सूरत, गुजरात
टेक्सटाइल क्लस्टर	तिरुचिगोड, तमिल नाडु
ऑटो कंपोनेंट्स	होसुर व कृष्णागिरी, तमिल नाडु

आइओबी ऑनलाइन में एमएसएमई पोर्टल

नवीनतम जानकारी के साथ शाखाओं / क्षेत्रों की सुविधा के लिए एमसएसएमई से संबंधित बैंक / विनियामक दिशानिर्देशों पर सभी नवीनतम अद्यतन के साथ आइओबी ऑनलाइन में विशेष एमएसएमई पोर्टल बनाया गया है।

डिजिटल एवं तकनीकी पहलें

विभाग द्वारा निम्नलिखित तकनीकी एवं डिजिटल पहलें की गई हैं

ऋण आवेदन पंजीकरण के साथ ई-ट्रैकिंग

बैंक ने ई-ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। सिस्टम के माध्यम से सभी ऋण आवेदनों को दर्ज करना अनिवार्य है। सिस्टम एक विशिष्ट आईडी संख्या उत्पन्न करता है, जिसे प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सभी प्रस्तावों में शामिल किया जाना है। सिस्टम निकट अनुवर्ती/निगरानी के लिए प्राधिकरण के सभी स्तरों पर एसएमएस अलर्ट, ई-मेल अनुस्मारक उत्पन्न करता है और अस्वीकृति को रोकने के अलावा टीएटी में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है।

➢ **रु 10.00 लाख तक के ऋणों का आटोमेशन**

बैंक ने रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित किया है और इसे सीबीएस प्रणाली (फिनेकल) के साथ शुरू से अंत समाधान के साथ एकीकृत किया है। प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता को डेटा शीट में आवश्यक बुनियादी जानकारी दर्ज करके रेटिंग, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रक्रिया नोट, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, ऋण मास्टर निर्माण आदि उत्पन्न करने के लिए समर्थन करता है। यह उधार देने के संरचित तरीके को सुगम बनाता है और नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, कम टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के साथ प्रस्तावों का त्वरित निपटान करता है। 10.00 लाख रुपये तक के सभी ऋण पूरी तरह से स्वचालित हैं।

➢ **आइओबी एसएमई ईज़ी और आइओबी ईटीएफ योजनाओं के अंतर्गत ऋणों की ऑनलाइन प्रक्रिया**

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने आइओबी एसएमई ईज़ी योजना और आइओबी ईटीएफ योजना के तहत 10.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। प्लेटफॉर्म को स्वचालित आंकलन असेसमेंट, रेटिंग, ऑफिस नोट सृजित करने और स्वीकृति के साथ डिजाइन किया गया है।

- **ऋण आवेदन पंजीकरण के लिए डिजिटल चैनल की शुरुआत**

  इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, मिस्ड कॉल, आईवीआर और बैंक वेबसाइट एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन सक्षम कर रहे हैं। ये चैनल हर महीने करीब 1100 लीड बना रहे हैं।

- **एमएसएमई ऋण लीड्स के लिए समर्पित कॉल सेंटर**

  हमने कॉल सेंटर के कार्यकारी नियुक्त किए हैं और उनकी सेवाओं का उपयोग सौंपे गए टीएटी के आधार पर लीड्स को संभालने के लिए किया जाता है। मौके पर पात्रता जांच और ग्राहक की पसंद के आधार पर शाखाओं में आवेदन भेजने के साथ दैनिक आधार पर करीब 50 लीड्स को हैंडल किया जा रहा है।

- **ऋण आवेदनों के लिए नए चैनल**

  बैंक ऋण आवेदन के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग व चैट बॉट सहायता शुरू करने की प्रक्रिया में है। ये चैनल ऋण अनुरोधों के सुचारू हस्तांतरण के लिए विश्लेषण आधारित प्रणाली का उपयोग करेंगे।

- **एलओएस व एलएमएस**

  बैंक परिष्कृत एलओएस और एलएमएस लाने की प्रक्रिया में है और पहले चरण में कुछ एमएसएमई ऋण कवर किए जाएंगे। यह पहल ग्राहकों के वास्तविक समय अधिग्रहण के साथ हमारे एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा देगी।

रिटेल बैंकिंग

रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के तहत कुल बकाया मार्च 2023 के 42400 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 तक 48514 करोड़ रुपये हो गया । बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 14.42% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू अग्रिमों में कुल खुदरा हिस्सेदारी 24.17% है।

आवास ऋण पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 14.53% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 25288 खातों को 7216.17 करोड़ रुपये की राशि के नए आवास ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 24872 खातों की राशि 6398.80 करोड़ रुपये थी। 31.03.2023 को कुल संवितरण 6236.32 करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6998 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त 7.42% वृद्धि की तुलना में वाहन ऋण पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 19.73% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है।

बंधक ऋण पोर्टफोलियो में 42.24% की वृद्धि देखी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो में 35.50% और आभूषण ऋण पोर्टफोलियो में 40.15% की वृद्धि देखी गई है।

मौजूदा योजना में संशोधन

शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकशों के अनुरूप, हमने इनपुट इकट्ठा किया है और अपने मौजूदा उत्पादों को संशोधित किया है और उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में बाजार में ले जाने के लिए तैयार किया है।

1. **व्यक्तिगत ऋण**

   बैंक ने श्रेणी ए और बी के तहत कर्मचारियों के लिए वित्त की मात्रा बढ़ाकर 30 लाख रुपये और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत ऋण सीसी पर ऋण की मात्रा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करके हमारे व्यक्तिगत ऋण उत्पाद को नया रूप दिया है।

2. **संपत्ति के प्रति ऋण**

   बाजार अध्ययन करने और इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तलाशने के बाद, बैंक ने गैर-व्यक्तियों को ऋण देने की शुरुआत की है और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 40 करोड़ रुपये कर दी है।

3. आवास ऋण

आवास ऋण बैंक के सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। बाजार की आवश्यकताओं से निपटने और बाजार में बहुत आक्रामक होने के लिए, वेतनभोगी और स्व-रोज़गार उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग ब्याज दर पेश करके सर्वोत्तम ब्याज दर की पेशकश के साथ-साथ होम एडवांटेज योजना सहित योजनाओं का पुनरुद्धार किया गया है।

4. विद्या ज्योति योजना

योजना को आईबीए मॉडल के अनुसार संशोधित किया गया है और ऋण राशि की मात्रा अंतर्देशीय अध्ययन के लिए 150 लाख रुपये और विदेशी अध्ययन के लिए 300 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।

5. लिक्विरेंट योजना

योजना को बाजार में और अधिक आकर्षक बनाने तथा मांग एवं क्षमता को देखते हुए ब्याज दर को तर्कसंगत बनाया गया है।

6. वाहन ऋण

व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए ऋण राशि की परवाह किए बिना, सभी नए वाहन ऋणों के लिए रेटिंग-आधारित मूल्य निर्धारण शुरू किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को भी योजना के तहत वित्तपोषण की अनुमति दी गई है।

खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत नए उत्पादों/पहलों की शुरुआत

शाखाओं से प्राप्त इनपुट और बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए, हमने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित नए खुदरा उत्पाद/पहल की शुरुआत की हैं।

1. व्यक्तिगत ऋण श्रेणी में उपलब्ध विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए और बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने अपने 'ए श्रेणी' के व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं के लिए 7.50 लाख रुपये की अधिकतम ऋण राशि के साथ **व्यक्तिगत ऋण टॉप अप योजना** की शुरूआत की है।
2. व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों के लिए क्रमशः 25 लाख रुपये और 500 लाख रुपये के अधिकतम ऋण के साथ कैपिटल लाइट एसेट उत्पाद **"सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ऋण"** की शुरूआत।
3. ग्राहक आधार का विस्तार करने और एचएफसी/एनबीएफसी से अधिग्रहण करके अच्छे आवास ऋण प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए, अतिरिक्त संख्या में प्रतिष्ठित एनबीएफसी और एचएफसी को शामिल किया गया है।
4. बैंक ने ओडिशा राज्य विशिष्ट आवास ऋण योजना – मो घरा शुरू की है।
5. बैंक ने ईडब्ल्यूएस के लिए पीएमएवाई के तहत तमिलनाडु राज्य विशिष्ट आवास ऋण योजना एएचपी और बीएलसी शुरू की है।
6. बैंक ने सितंबर 2023 के महीने में अपने विभिन्न वाहनों को वित्तपोषित करने के लिए मारुति सुजुकी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
7. बैंक ने ईडब्ल्यूएस के लिए पीएमएवाई के तहत कर्नाटक राज्य विशिष्ट आवास ऋण योजना एएचपी शुरू की है।
8. ऋण की गुणवत्ता में सुधार और त्वरित टीएटी सुनिश्चित करने के लिए, पहला खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। खुदरा ऋण प्रसंस्करण केंद्र अन्य मुख्य केंद्रों पर यथा मुंबई, कोयम्बत्तूर, लखनू, चेन्नै, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता-1 बहुत जल्द खुलने वाला है।

डिजिटल पहल

1. ऋण देने की प्रक्रिया को बेहतर प्रणाली-आधारित मूल्यांकन में बदलने और अधिक ग्राहक संतुष्टि के लिए, बैंक ने ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस) में शाखा यात्रा के तहत डिजिटलीकृत वाहन ऋण की शुरुआत की है।

2. ऋण उत्पत्ति प्रणाली के अंतर्गत शाखा यात्रा में जमा पर ऋण का डिजिटलीकरण।
3. ऋण उत्पत्ति प्रणाली में शाखा यात्रा में बीमा पॉलिसी पर ऋण का डिजिटलीकरण।
4. ऋण उत्पत्ति प्रणाली में शाखा यात्रा के अंतर्गत पेंशन ऋण का डिजिटलीकरण।

कॉरपोरेट क्रेडिट

कॉरपोरेट क्रेडिट बैंकिंग का तात्पर्य बैंकों द्वारा कॉरपोरेट ग्राहकों को [एमएसएमई/कृषि क्षेत्र के अलावा] वित्तीय सेवाओं के प्रावधान से है। इन सेवाओं में आम तौर पर निगमों और बड़े व्यवसायों की आवश्यकताओं के अनुरूप उधार, अंडरराइटिंग, सलाहकार और अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल होते हैं। कॉरपोरेट क्रेडिट बैंकिंग आधुनिक कारोबारी माहौल की जटिलताओं से निपटने के लिए कॉरपोरेट व्यवसायों को समय पर धन, वित्तीय विशेषज्ञता और जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदान करके उनकी वृद्धि और विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान बाजार परिदृश्य और बैंक की आंतरिक जोखिम उठाने की क्षमता के साथ, हम पूंजीगत हल्की परिसंपत्तियों में अपना एक्सपोजर बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें बैंक मुख्य रूप से एएए/एए रेटेड खातों और विभिन्न प्रमुख उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में फैले पीएसयू/सरकारी गारंटी वाले एक्सपोजर पर ध्यान केंद्रित करता है। . इसके अलावा, वित्तीय सेवा खंड पर चल रही मांग का लाभ उठाने के लिए, बैंक आवास/एमएसएमई/उपभोक्ता वित्त/वाहन वित्त के आगे के ऋण खंड में अपने संरचनात्मक जोखिम का भी विस्तार कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में "आजादी का अमृत महोत्सव" पहल के हिस्से के रूप में, बैंक बुनियादी ढांचे के ऋण और प्रतिष्ठित संबंधित पक्षों [ईपीसी ग्राहकों] पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। इस वर्टिकल के तहत, बैंक के पास 31.03.2024 तक 55398 करोड़ रुपये का स्टैंडर्ड फंड आधारित एक्सपोजर है। हमने पहले से ही अनुकूलित ऋण उत्पाद पेश किए हैं जहां ब्याज दर बाजार दरों से जुड़ा हुआ है। इससे बेहतर रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स को बाजार निर्धारित दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 2528.25 करोड़ रुपये थी और औसत बकाया 58139.97 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 97232.88 करोड़ रुपये था और **बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के तहत 66.90% हासिल करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

कृषि

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 2099.19 करोड़ रुपये थी और 26162.99 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले औसत बकाया 48297.00 करोड़ रुपये था और **बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि प्रगति के तहत 33.23% हासिल करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

लघु और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 1886.78 करोड़ रुपये थी और 14534.99 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले औसत बकाया 34552.33 करोड़ रुपये था और **बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लघु / सीमांत किसानों को ऋण के तहत 23.77% हासिल करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंडों को हासिल कर लिया है।**

गैर-कॉरपोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 1819.50 करोड़ रुपये थी और 20029.22 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले औसत बकाया 47237.17 करोड़ रुपये था और **बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान छोटे/सीमांत किसानों को प्रदत्त ऋण के तहत 32.50% हासिल करके एएनबीसी के 13.78% के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।**

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण

वित्त वर्ष **2023-24** के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि **166.01** करोड़ रुपये थी और **10901.24** करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले औसत बकाया **22880.69** करोड़ रुपये था और बैंक ने वित्त वर्ष **2023-24** के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त ऋण **15.74%** हासिल करके एएनबीसी के **7.5%** के अनिवार्य मानदंडों को पार कर लिया है।

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष **2023-24** के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि **1658.65** करोड़ रुपये थी और वित्त वर्ष **2023-24** के लिए चार तिमाहियों का औसत बकाया **17441.99** करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले **39727.01** करोड़ रुपये था और **बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 27.33% हासिल करके एएनबीसी के 12.00% के मानदंड अनिवार्यता को पार कर लिया है।**

माइक्रोफाइनांस

वर्ष के दौरान, बैंक ने **2946.84** करोड़ रुपये के क्रेडिट परिव्यय के साथ **69618** स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्रेडिट-लिंक किया। बैंक से जुड़े एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या **1011294** है और मार्च **2024** तक कुल **100076.21** करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

विशिष्ट एसएचजी क्रेडिट केंद्र

हमारे बैंक के 19 क्षेत्रों में एक क्लस्टर में 5 शाखाओं के साथ 30 शाखाओं को निकटवर्ती शाखाओं से एसएचजी ऋणों के प्रसंस्करण के लिए विशेष एसएचजी क्रेडिट केंद्र के रूप में गठित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, स्पेशलाइज्ड एसएचजी क्रेडिट सेंटर द्वारा 13378 एसएचजी समूहों को 740.58 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

महिला उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह

महिला उधारकर्ताओं को बैंक का ऋण रु. 31 मार्च 2024 को 40591.59 करोड़ रुपये, जो बैंक के समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 23.28% है।

अग्रणी बैंक पहल

बैंक के पास तमिलनाडु के 15 जिलों और केरल के 1 जिले में लीड बैंक की जिम्मेदारियां हैं। बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान, एसएलबीसी, तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने तीन मुख्य बैठकें और 4 विशेष एसएलबीसी बैठकें आयोजित की हैं।

इसके अलावा, एसएलबीसी, तमिलनाडु के संयोजक के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान 3 उपसमिति और 3 संचालन समिति की बैठकें भी आयोजित की हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी पहल

- तमिलनाडु राज्य में 31 मार्च 2024 तक 146.54 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। महिला खातों की संख्या 86.89 लाख और पुरुष खातों की संख्या 59.57 लाख है।
- तमिलनाडु राज्य में, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन मार्च 2024 तक 292.35 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई के तहत 79.54 लाख नामांकन और पीएमएसबीवाई के तहत 212.81 लाख नामांकन शामिल हैं।
- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार संतृप्ति 102% है।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहल

मार्च 2024 तक तमिलनाडु के बैंकों ने निम्नलिखित हासिल किए हैं:

- राज्य में बैंकों का सीडी अनुपात 100% से ऊपर बना हुआ है और मार्च 2024 तक, सीडी अनुपात 120.62% है।
- राष्ट्रीय मानदंड 40% के मुकाबले प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 47.65%।
- 18% के राष्ट्रीय मानदंडों के मुकाबले 25.15% कृषि अग्रिम।
- राष्ट्रीय मानक 10% के मुकाबले कमजोर वर्गों को 20.80% अग्रिम।

वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक ने मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हमारे प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) और पूरे भारत में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंटों के प्रबंधन के लिए छह सीबीसी अर्थात् इंटेग्रा माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एफआईए

टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्टारफिन, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेडके रूप में नियुक्त किया है। बीसीए खाते खोलने, छोटे मूल्य की जमा राशि एकत्र करने, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी जनसुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों सहित ऋण खातों में वसूली, जमा राशि जुटाने और आरडी किश्तें एकत्र करने के लिए लगे हुए हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

बैंक ने वित्त मंत्रालय, सरकार के निर्देशों के अनुसार पीएमजेडीवाई लागू किया है। भारत की। यह योजना 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। हमारे बैंक ने 31.03.2024 तक 78,93,343 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 72,68,513 (92%) सक्रिय खाते हैं। हमने 31 मार्च 2024 तक 52,63,189 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खातों में 44,54,421 कार्ड (84.63%) सक्रिय किए हैं।

आधार विनियम, 2016 के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र

हमारे बैंक ने यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरे भारत में 379 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र (एईसी) स्थापित किए हैं और 9 जुलाई 2021 से हमारे बैंक के सभी आधार नामांकन केंद्रों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए **मेसर्स वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** को एक विक्रेता के रूप में नियुक्त किया है।

जन सुरक्षा योजनाएँ

जन सुरक्षा योजनाएं 1 जून 2015 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थीं। बैंक जन सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत ग्राहकों का नामांकन कर रहा है। 31 मार्च 2024 तक, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन संख्या इस प्रकार है:

योजना	**31 मार्च 2024 तक नामांकन की स्थिति (संचयी)**	**वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन की स्थिति**
पीएमजेजेबीवाई	3035811	802117
पीएमएसबीवाई	7057101	2249741
कुल	**10092912**	**3051858**

"उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता" (ईएएसई) ढांचे के रूप में - सूक्ष्म बीमा कवरेज में बड़े पैमाने पर विस्तार को अनिवार्य करता है। हमारे बैंक ने एमएसएमई/कृषि/खुदरा के तहत ऋण स्वीकृत करते समय उपरोक्त योजनाओं में स्वचालित नामांकन किया है। बैंक ने नेट बैंकिंग और एसएमएस/मिस्ड कॉल के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई में नामांकन के प्रावधान को भी सक्षम किया है।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बचत खाताधारक के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है, जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को संबोधित करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

वित्तवर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
2023-24	**2,61,318**
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**13,95,273**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने किसानों, एसएचजी के सदस्यों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य के सभी अग्रणी जिलों में कुल 14 आरएसईटीआई की स्थापना की थी। आरएसईटीआई का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआई ने 4212 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे 112059 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है, जिसमें 79780 महिलाएं, 32071 पुरुष और 208 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बैंक ने 73.46% का संचयी निपटान और 55.75% का संचयी ऋण निपटान हासिल किया है, जो राष्ट्रीय औसत क्रमशः70% और 50% से काफी ऊपर है। सभी आरसेटी को एमओआरडी द्वारा एए रेटिंग दी गई है।

वित्तीय साक्षरता

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शिक्षित करते हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक, स्थापना के बाद से एफएलसी द्वारा 80,724 क्रेडिट काउंसलिंग आयोजित की गई हैं। बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 13,812 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए और शुरुआत से लेकर अब तक 1,46,359 एसबी खाते खोले और खोले गए हैं। वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए 4,641 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3,78,461 लाभार्थियों को शामिल किया गया। एफएलसी ने 115 आईटीआई, 7 व्यावसायिक प्रशिक्षण भागीदारों (वीटीपी) और 3 परिचालन केंद्रों (ओसी) में एफएल सत्र आयोजित किए और 20,839 छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई: 2019-2024) के मील के पत्थर में से एक देश के हर ब्लॉक तक सीएफएल की पहुंच का विस्तार करना है। आरबीआइ ने मेसर्स धन फाउंडेशन (एनजीओ) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए हमारे बैंक को तमिलनाडु राज्य में 65 और केरल में 9 सहित सीएफएल के लिए कुल 74 केंद्र आवंटित किए हैं। सीएफएल को वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, अच्छी वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सूचित वित्तीय विकल्प और किसी के वित्त पर नियंत्रण की बेहतर समझ पैदा होती है। ये केंद्र औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के मुख्य संदेशों और लाभों को घर तक पहुंचाने के लिए शैक्षिक वीडियो, अनुभवात्मक शिक्षा और वित्तीय नियोजन उपकरणों के संयोजन का उपयोग करते हैं। हमारे बैंक के सीएफएल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करने और हर घर की वित्तीय भेद्यता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे बैंक का सीएफएल समुदाय में बेहतर वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, एक सक्षम वातावरण बनाना और प्रशिक्षित वित्तीय समावेशन विशेषज्ञों का एक नेटवर्क विकसित करना सुनिश्चित करता है जो वित्तीय समावेशन को अंतिम मील तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पैरा-बैंकिंग उत्पादों पर कार्य निष्पादन

पैरा बैंकिंग व्यवसाय के तहत, बैंक ने बैंकएश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के वितरण के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 29.94 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। वर्ष के दौरान सोशल कॉरपोरेट उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों सहित पैरा बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लॉन्च किए गए उत्पाद

हमने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित नए उत्पाद पेश किए हैं।

1. **नीवा बूपा स्वस्थ्य बीमा**

एनटीबी_1999 – एनटीबी_1999 एक समूह उत्पाद है जो नए बैंक (एनटीबी) ग्राहकों को मूल्य वर्धित सुविधा के रूप में पेश किया जाता है। विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मूल बीमित राशि - 2.00 लाख।
- प्रीमियम राशि – 1999/- रूपये
- 2.00 लाख रुपये का अस्पताल में भर्ती कवरेज (आधार बीमा राशि)।
- 20.00 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज।
- अस्पताल का दैनिक नकद कवरेज अधिकतम रु.40000/-

रीएश्योरेंस 2.0 – रीएश्योर 2.0 एक खुदरा बीमा उत्पाद है जिसे निम्नलिखित सुविधाओं के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है।

- मूल बीमा राशि 5 लाख से 1 करोड़ तक।
- री-एश्योर 2.0 उत्पाद की मुख्य विशेषता "किसी भी बीमारी, या किसी भी बीमित व्यक्ति के लिए लागू बीमा राशि की असीमित बहाली" है (इस लाभ के तहत एकल दावा मूल बीमा राशि तक देय होगा)।
- किसी भी अप्रयुक्त आधार बीमा राशि का अगले पॉलिसी वर्ष में समायोजन।
- पहले दावे का भुगतान होने के बाद रीएश्योर चालू हो जाता है और हमेशा के लिए चालू रहता है!!
- लॉक एंड क्लॉक सुविधा का विकल्प - पुनर्आश्वासन + लाभ का हिस्सा। पॉलिसीधारक की दर्ज की गई आयु का प्रीमियम दावा भुगतान होने तक लागू रहेगा।

2. **यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस**

समूहिक ऋण संरक्षण नीति - ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे बैंक द्वारा विशेष रूप से यूएसजीआईसी के साथ समझौते में हमारे ऋण उधारकर्ताओं के लिए पेश किया गया एक समूह बीमा उत्पाद है। यह पॉलिसी 41 गंभीर बीमारियों के लिए ग्रुप क्रिटिकल कवरेज प्रदान करती है

- आधार बीमा राशि अधिकतम 5 करोड़।
- योजना में 41 गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।
- प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि: 60 दिन।
- जीवित रहने की अवधि: का अधित्याग कर दिया गया है ।
- नौकरियों की अनैच्छिक छूट जाना: 6 ईएमआई।
- अंत्येष्टि क्रिया संबंधी कर्म की प्रतिपूर्ति: 5000 रुपये।
- पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी: अधिकतम 10,000 रु.
- शिक्षा लाभ: रु. 3 लाख।

सामाजिक मुद्दों पर आयोजित अभियान

हमारे बैंक ने 13.11.2023 से 15.01.2024 की अवधि के दौरान निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी में प्रतिष्ठा अभियान 3.0 नाम से एक स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में जरूरतमंद भारतीयों को 50000 अन्नदान करना है।

अभियान का मानदंड के तहत शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रत्येक 2000/- प्रीमियम के लिए एक फ़ीड पॉइंट प्रदान किया गया और प्रत्येक फ़ीड पॉइंट के लिए निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस अभियान के तहत इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की ओर से एनजीओ को एक भोजन पर हुए व्यय का दान करेगा।

हमारी शाखाओं ने चुनौती स्वीकार की और 6.62 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रीमियम के साथ 11254 पॉलिसियां कीं, जिससे 33114 प्रतिज्ञा बिंदुओं का योगदान हुआ और इस तरह अभियान के तहत 50,000 भोजन के लक्ष्य के मुकाबले जरूरतमंद लोगों के लिए 33114 भोजन दान किया गया।

एएसबीए (गतिविधि की शुरुआत करने के लिए बैंकर)

भारत में हमारी सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को आईपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू के लिए एएसबीए आवेदन स्वीकार करने के लिए एएसबीए सक्षम शाखाएं बना दिया गया है। हमारे ग्राहकों द्वारा ई-एएसबीए का प्रभावी ढंग से उपयोग जारी रखा गया है। यूपीआई प्रक्रिया के माध्यम से एएसबीए को भी सक्षम किया गया है।

डिपॉजिटरी परिचालन: बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में कार्य कर रहा है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ई-ट्रेडिंग सुविधा हमारे डीमैट खाताधारकों को ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में ई-ट्रेडिंग सुविधा लागू की गई है।

ग्राहक सेवा

बैंक अपने अच्छे और मूल्यवान ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ग्राहकों की शिकायतों का तार्किक और स्वीकार्य समाधान प्रदान करने के अलावा उन्हें सही उत्पादों, सेवाओं पर निर्णय लेने और वित्तीय निर्णय लेने के लिए परामर्श देने के का लगातार प्रयास कर रहा है। हम टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) के भीतर शिकायतों को हल करने और त्वरित समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

ग्राहक सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए, हमारे बैंक के पास आईवीआरएस सुविधा के साथ अपना स्वयं का संपर्क केंद्र है जो ग्राहकों के प्रश्नों/शिकायतों को संभालने और समाधान प्रदान करने के लिए 24*7*365 दिन सेवाएं प्रदान करता है।

शिकायत समाधान तंत्र

हमारे बैंक के शिकायत निवारण पोर्टल को मानकीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र **(एसपीजीआरएस)** का नाम दिया गया है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है । इसमें स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा है ताकि ग्राहक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें है।

एसपीजीआरएस पोर्टल ग्राहक को उसमें दी गई श्रेणियों के अनुसार आसानी से प्रश्न/शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें एक एमआईएस, एस्केलेशन मैट्रिक्स और शिकायतों का विस्तृत विवरण प्राप्त करने का प्रावधान भी है, जो बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। शिकायत निवारण पर भविष्य की कार्रवाइयों और नीतियों को एमआईएस के विश्लेषण के आधार पर बनाया जाता है । शिकायत का विवरण वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध है और कार्यालयों की विभिन्न स्तरों तक पहुंच प्रभावी निवारण तंत्र को सक्षम बनाती है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रावधान भी पोर्टल में अंतर्निहित है।

एसपीजीआरएस और संपर्क केंद्र के अलावा, हम बैंकिंग लोकपाल (आरबीआइ), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली), उपभोक्ता विभाग द्वारा संचालित इंग्राम्स (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) से प्राप्त शिकायतों को संभालते हैं।

बैंक ने ग्राहकों को आसानी प्रदान करने के लिए विभिन्न ग्राहक अनुकूल पहल शुरू की हैं, उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1.(ए) हमने अपने बैंक के आंतरिक शिकायत पोर्टल यानी **एसपीजीआरएस को द्विभाषी प्रारूप यानी हिंदी और अंग्रेजी में** उपलब्ध करवाया है, जिससे ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने में आसानी होगी।

(बी) शिकायतों पर नज़र रखने की सुविधा: एक बार एसपीजीआरएस पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के बाद, शिकायत आईडी के साथ एक स्वचालित पावती सृजित होती है और इसे शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। इसके बाद, शिकायत के निवारण तक शिकायत की स्थिति को एसएमएस और ई-मेल में दिए गए लिंक के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।

(सी) यदि बैंक द्वारा निवारण की गई शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को **फिर से खोलने का विकल्प है।** इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता बैंक के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह बैंक द्वारा शिकायत के समाधान के बाद दिए गए लिंक के माध्यम से बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

(डी) यदि ग्राहक बैंक द्वारा समाधान से संतुष्ट नहीं है तो एसपीजीआरएस पोर्टल में **ग्राहक की प्रतिक्रिया दर्ज करने** का विकल्प है।

2. बैंक ने **ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अन्य कई विकल्प** दिए हैं:
   - वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से
   - टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से
   - बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज के माध्यम से
   - पत्र/ईमेल के माध्यम से।

3. **शिकायत निवारण दिवस:** शिकायत निवारण बैठक **हर महीने की 15 तारीख को** पूरे भारत में शाखा स्तर पर आयोजित की जाती है। विभाग ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रख रहा है।

4. **शिकायत निपटान दिवस:** शिकायतों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए शिकायत निपटान दिवस की शुरुआत की गई और इसे हर महीने के **आखिरी शुक्रवार को** आयोजित किया जा रहा है।

5. **ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम):** बैंक ने डिजिटल पहल के एक भाग के रूप में 14.03.2024 को सीआरएम लॉन्च किया है और ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायता के लिए एक एकीकृत शिकायत तंत्र शुरू किया जा रहा है।

ग्राहक संपर्क केंद्र और लीड प्रबंधन प्रक्रिया

- शिकायतें प्राप्त करने और आईवीआरएस सुविधा के साथ उनका समाधान करने के लिए हमारे पास समर्पित 24x7, 360-डिग्री ओमनी चैनल संपर्क सह कॉल सेंटर है। सेवा प्रदाता सेवा अनुरोधों से संबंधित डेटा को रिकॉर्ड करता है और बैंक को भेजता है, जिससे उसके कुशल निवारण में सुविधा होती है।
- संपर्क सह कॉल सेंटर ग्राहकों से प्रश्न, अनुरोध और शिकायतें (क्यूआरसी) प्राप्त करता है, इन्हें संपर्क केंद्र के सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) कार्यक्रम के तहत दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई और शिकायतों के समाधान आदि के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।
- संपर्क केंद्र की जानकारी हमारी आइओबी वेबसाइट पर पोर्ट कर दी गई है।
- नियमित कॉल ऑडिट किया जा रहा है और ऑडिट टिप्पणियों को उनके अनुपालन के लिए संपर्क केंद्र के साथ साझा किया जाता है।

पीएसबी एलियंस डोर स्टेप बैंकिंग

- आईबीए और आरबीआइ के निर्देश के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसबी गठबंधन डोरस्टेप बैंकिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- 01.02.2024 - 15.03.2024 तक आयोजित डीएसबी (डोरस्टेप बैंकिंग) दस्तक अभियान में बैंक पीएसयू बैंकों में छठे स्थान पर रहा।

- पीएसबी अलायंस प्रा. लिमिटेड ने डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए 1469 सक्रिय शाखाओं वाले 1100 केंद्रों की पहचान की है।

विभाग की उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक द्वारा शिकायत निपटान अब तक का उच्चतम स्तर था। हम सीपीग्राम्स और इनग्राम्स शिकायतों को शून्य तक सीमित कर सकते हैं।
- सभी शिकायतों का समाधान टीएटी के भीतर किया गया और कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक समय से लंबित नहीं है।
- बैंक को आरबीआइ-लोकपाल कार्यालय से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुरस्कार नहीं मिला है।
- बैंकिंग लोकपाल शिकायत को संभालने वाले 22 नोडल कार्यालयों में से हमारे बैंक के 16 नोडल कार्यालयों ने 31.03.2024 तक सीएमएस पोर्टल में लंबित शिकायतों की संख्या शून्य कर दी है।
- विभाग द्वारा त्रैमासिक शिक्षाप्रद श्रृंखला जारी की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम आये हैं। विभाग पहले ही प्राप्त शिकायतों और मूल कारण विश्लेषण के आधार पर 16 शिक्षाप्रद श्रृंखला परिपत्र जारी कर चुका है।

वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त और निवारण की गई ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तवर्ष 2023-24	वित्तवर्ष 2022-23
वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	1950	2850
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	257420	198307
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	257353	199207
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2017	1950
प्रभावी संकल्प दर	99.22%	99.03%

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:

शिकायतों की प्रकृति	सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतों का प्रतिशत
गैर-डिजिटल		
अग्रिम	2412	0.94
ग्राहक सेवा	1118	0.43
डीमेट	89	0.03
जमा	1693	0.66
सामान्य बैंकिंग	7054	2.74
सरकारी व्यवसाय	197	0.08
बीमा	861	0.33
एनआरआई सेवाएँ	130	0.05
पेंशन	896	0.35
अन्य	290	0.11
उप योग	**14740**	**5.73**
डिजिटल		

गैर-एटीएम	169972	66.03
एटीएम	72708	28.24
उप योग	**242680**	**94.27**
कुल योग	**257420**	**100**

ग्राहक सेवा समति

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। समिति की 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 4 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम	निदेशक का नाम	सदस्य की कार्यावधि		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग ली गई/ आयोजित बैठकें
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	01.01.2023	आज तक	4/4
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	आज तक	1/1
3	सुश्री एस श्रीमति	10.03.2021	09.03.2024	3/4
4	श्री संजय विनायक मुदालियार	01.01.2023	30.01.2024	3/3
5	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	05.01.2022	आज तक	4/4
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	आज तक	4/4

09.10.2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में 31.12.2022 तक सदस्यता, एमडी व सीईओ . 01.01.2023

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन विभाग

1. बैंक अपने एनपीए पोर्टफोलियो को कम करने और लाभ स्तर में सुधार के लिए लगातार विभिन्न तरीकों और रिकवरी टूल्स को अपना रहा है। यद्यपि एनपीए वसूली का मुख्य उद्देश्य लाभ के मोर्चे पर किसी भी प्रभाव के बिना संपूर्ण संविदात्मक बकाया की वसूली करना है, किन्तु व्यवहार में, विभिन्न कारकों के कारण, बैंक को एनपीए वसूली के लिए अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा, जिसमें समझौता समझौतों के अलावा अन्य कानूनी उपाय भी शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता हो सकती है। आवश्यक कानूनी उपाय। बैंक ने रिकवरी कार्य को मजबूत करने और वसूली क्षेत्र में समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न पहलें कीं।

2. बैंक ने एकबारगी निपटान (ओटीएस) के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित और लोकप्रिय बनाया, चेक बॉक्स प्रणाली के तहत ऑनलाइन तंत्र जिसमें एनपीए उधारकर्ता एक कट ऑफ सीमा तक के खातों के लिए आइओबी में अपना ओटीएस आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जो उचित ट्रैकिंग प्रणाली को सक्षम करेगा। समाधान होने तक उधारकर्ता को अपने प्रस्तावों की स्थिति जानने का अधिकार है।

3. बैंक ने 16.08.2023 को सरफेसी में डिजिटलीकरण भी लागू किया । इसके तहत, शाखा द्वारा डिमांड नोटिस ऑनलाइन तैयार किया जा सकता है और एक अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उधारकर्ताओं/गारंटरों को भेजा जा सकता है, जिससे बैंक के संसाधनों के साथ-साथ समय की भी बचत होती है और एनपीए खातों में वसूली कार्यों में तेजी आती है। तब से, सभी डिमांड नोटिस केवल डिजिटल मोड के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। कब्ज़ा नोटिस और बिक्री नोटिस की डिजिटलीकरण प्रक्रिया भी 08.02.2024 को विकसित और कार्यान्वित की गई है।

4. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एक वसूली माध्यम जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वह है विशेष ओटीएस योजनाएं। विशेष ओटीएस योजनाओं को इस तरह से संशोधित किया गया था कि गैर एनसीएलटी खातों के लिए, प्राधिकरणों की विभिन्न स्तरों को शक्तियां दी गई हैं ताकि बकाया एनपीए खातों को मंजूरी के लिए कोई लंबी प्रक्रिया किए निर्बाध तरीके से निपटाया जा सके। विशेष ओटीएस की इस योजना को प्रकृति में गैर-विवेकाधीन और भेदभाव रहित बनाया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत ओटीएस की कुल संख्या 40584 खाते थे, जिनमें 929.52 करोड़ रुपये की राशि थी और इसमें से बैंक ने अब तक 566.19 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली है।

5. बैंक ने ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्च 2024 तक हर महीने सरफेसी अधिनियम के तहत मौजूद संपत्तियों के लिए ई-नीलामी आयोजित की । बैंक 3918 संपत्तियों की ई-नीलामी करने में सक्षम था और इसमें से 310 संपत्तियां वित्त वर्ष 2023-24 में ई-नीलामी के तहत 446.33 करोड़ रुपये में बेची गईं। सरफेसी के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत ने कई एनपीए खातों में ओटीएस, अपग्रेडेशन और पूर्ण समापन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अधिक खरीददारों को लाने के लिए, बैंक ने बोलीदाताओं को जुटाने के लिए ऋण वसूली एजेंटों को भी नियुक्त किया है। बैंक ने सभी योग्य संपत्तियों का विवरण आइओबी ऑनलाइन में उपलब्ध कराया है, जहां संभावित खरीदार संपत्ति के विवरण खोज सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं। बैंक ने हमारी वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदारों से लीड उत्पन्न करने के लिए एक ट्रिगर टूल विकसित किया है।

6. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक द्वारा की गई कुल एनपीए वसूली लगभग 4549.15 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कुल वसूली (4502.31 करोड़ रुपये) से अधिक थी और इस प्रकार रिकवरी पर बैंक का फोकस अपरिवर्तित रहा। बैंक चालू वित्त वर्ष में भी रिकवरी की गति को मजबूत बनाए रखेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं का निस्तारण

आरटीआई आवेदनों और अपीलों को बैंक में आरटीआई सेल नामक एक अलग और विशेष सेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरटीआई सेल सहायक महा प्रबंधक, कानून विभाग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम कर रहा है, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने निर्धारित समय सीमा (यानी, आरटीआई आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन) के भीतर आरटीआई आवेदनों को निपटाने में सीपीआईओ की सहायता के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में भी नामित किया है। हमारे बैंक में 49 सीएपीआईओ हैं।

बैंक ने सीपीआईओ और सीएपीआईओ के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों के निपटान के लिए कानून विभाग के महा प्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है।

बैंक को वर्ष 2023-24 में सूचना मांगने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर 1660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार 1670 आरटीआई आवेदनों का विधिवत निपटान किया गया है।

बैंक को सीपीआईओ और सीएपीआईओ के जवाब के खिलाफ अधिक जानकारी मांगने वाली 331 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं और 343 का एफएए द्वारा योग्यता के आधार पर और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करके विधिवत निपटान किया गया है।

सीपीआईओ/सीएपीआईओ और एफएए के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील दायर की। सीआईसी के समक्ष दायर दूसरी अपीलों में बैंक को 54 नोटिस प्राप्त हुए। सभी दूसरी अपीलों का प्रतिनिधित्व सीपीआईओ/सीएपीआईओ द्वारा किया गया और सूचना आयुक्त द्वारा बैंक के खिलाफ बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित करके उनका विधिवत निपटान किया गया।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है । बैंक अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाते हैं। बैंक द्वारा किया गया प्रत्येक लेन-देन बैंक की जोखिम प्रोफ़ाइल को बदल देता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, एक बैंक को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने वाली गतिविधि को प्रतिबंधित करना या रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ सचेत रूप से लिया जाए ताकि इसे मापा और कम किया जा सके। ऐसे जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की दृष्टि से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और प्रथाओं को लागू किया है जिनमें नीतियां, उपकरण, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं।

बैंक, निरंतर आधार पर, जोखिम और रिटर्न के बीच उचित तालमेल हासिल करके शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाने और अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में मोटे तौर पर उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और जोखिम को कम करना शामिल है, ताकि बैंक के

समग्र जोखिम सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम लेने की क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), बोर्ड द्वारा स्थापित एक उप-समिति का गठन किया गया है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का भी गठन किया है यानी ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए निधि समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) और सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति।

बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यापार विभागों से स्वतंत्र, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक पूर्ण विकसित जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। विभाग के प्रभारी के रूप में मुख्य जोखिम अधिकारी के पद पर बैंक के महा प्रबंधक कार्यरत हैं तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन में मिड-ऑफिस, ट्रेजरी, विशेष रूप से, और सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक विभाग/शाखाएं भी जोखिम प्रबंधन कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदनों के पालन/अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के ऋण जोखिम की देख-रेख के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नामित किया गया है। विभिन्न एमआइएस जमा करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा, वे क्षेत्रीय स्तर की क्रेडिट स्वीकृति समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मूल दृष्टिकोण इसकी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने के साथ निहित है। बेसल III दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू हैं और बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी बनाए रख रहा है। 9% की न्यूनतम पूंजी और 11.50% के समग्र सीआरएआर के साथ 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर आरबीआइ द्वारा बेसल III में निर्धारित किया गया है। बेसल-III ढांचा तीन परस्पर सुदृढ़ पिलर पर आधारित है। जबकि संशोधित ढांचे का पहला पिलर ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को पूरा करता है, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा पिलर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के जोखिम प्रोफ़ाइल और नियंत्रण के अनुरूप अपने व्यवसाय में सभी जोखिमों को दूर करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है । आरबीआइ परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे पिलर के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आंकलन करना है, जिनसे बैंक पहले पिलर जोखिमों के तहत विनियामक आवश्यकताओं से ऊपर होता है, और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करता है।

2 दिसंबर 2013 को आरबीआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने असाधारण लेकिन विश्वसनीय घटनाओं के लिए संगठन की संभावित सुभेद्यता का आंकलन करने के लिए "तनाव परीक्षण ढांचा" तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक सामग्री के संबंध में जोखिम, आर्थिक मंदी के समय एक पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार इसे संबोधित करने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। नीतिगत निर्देशों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक की बैलेंस शीट और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और एएलसीओ/आरएमसीबी/बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना जारी है। ज़ीरो डेटा लॉस की सुविधा के लिए 3-वे डेटा सेंटर लागू किए गए हैं, सभी 3वे डेटा सेंटरों पर मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन और विभिन्न वैकल्पिक सेवा/वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित किया गया है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ लगायी गई हैं। सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जबकि आइएस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को ठीक किया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के उन्नयन की प्रक्रिया में भी है और बेसल III ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की ओर जाने की प्रक्रिया में है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश देशी परिचालनों और विदेशी परिचालनों सहित समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अलग-अलग समय पर शामिल करता है। बैंक ने इस संबंध में आरबीआइ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है, जिससे संभावित तरलता व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित हो सके। आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2019 से बैंक के लिए निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। बैंक एलसीआर को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए हुए है। अचानक नकदी के बहिर्गमन को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिससे की बैंकों को निरंतर आधार पर धन के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों की लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा दिया जाए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार निर्धारित न्यूनतम निवल स्थिर निधीयन अनुपात की आवश्यकता 100% है जो कि 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है।

बैंक निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए हुए है। बैंक का अधिकांश धन खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से है, जो धन की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। बैंक के पास दीर्घावधि समय क्षितिज पर चल रहे आधार पर अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए धन के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

बैंकिंग बही (आइआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के प्रशासन, मापन और प्रबंधन पर आरबीआइ द्वारा 17.02.2023 को जारी परिपत्र के माध्यम से आइआरआरबीबी पर अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर पूंजी आबंटन हेतु अपनी पद्धति विकसित करनी चाहिए। पूंजी के उचित स्तर का निर्धारण करने में, बैंकों को आवश्यक पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर विचार करना चाहिए।

बैंक ने बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की गणना शुरू कर दी है और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में संभावित बदलाव व निवल ब्याज आय में बदलाव को मापा जा रहा है तथा आरबीआइ को भी रिपोर्ट किया जा रहा है। बैंकिंग बही में बैंक की ब्याज दर जोखिम सहनशीलता सीमा के भीतर है और समय-समय पर इसकी निगरानी व प्रबंधन किया जा रहा है।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात शुरू किया है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए नपे तुले उपाय किया है। बैंक लीवरेज अनुपात पर विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करता रहा है और जून, 2015 को समाप्त तिमाही से, तिमाही आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट करता रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी अनुपात को प्रकट करते हुए बैंकों के साथ 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू होने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किया है तथा हमारा बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

बेसल-III ढांचे का तीसरा पिलर बाजार अनुशासन को संदर्भित करता है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य पिलर 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और पिलर 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में और आरबीआइ द्वारा निर्देशित प्रकटीकरण का एक सेट (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) डीएफ 1 में प्रकाशित किया गया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में 11 (अनुबंधित), जो बाजार सहभागियों को (ए) आवेदन के दायरे (डीएफ-1), (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) क्रेडिट जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4) के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, (ई) क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ- 5), (एफ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (i) ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बुक (आइआरआरबीबी) (डीएफ-9) में, (जे) काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11), लेखा संपत्ति बनाम सारांश तुलना उत्तोलन अनुपात जोखिम माप (डीएफ 17) और उत्तोलन अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (DF-18)। यह विभिन्न मापदंडों में बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा तथा विभिन्न मापदंडों पर बैंक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को जानकारी प्रदान करता है।

उधार प्रबोधन

बैंक ने एसएमए खातों के फॉलो-अप और रिकवरी के लिए और क्रेडिट की बारीकी से निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभावित स्तरों पर रखा जाए।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लागू किए गए उपाय:

बढ़े हुए स्लिपेज के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं,

- **प्रत्येक माह के लिए काफी पहले ही एसएमए और संभावित स्लिपेज रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती है** और अद्यतन रिपोर्ट प्रतिदिन शाखाओं/ क्षे.का./ के.का. विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को बकाया राशि की चुकौती के लिए अनुस्मारक के रूप में नियमित अंतराल पर **एसएमएस अलर्ट** भेजे जाते हैं।
- एसएमए उधारकर्ता यदि 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक फॉलो-अप का जवाब नहीं देते हैं तो **निजी तौर पर जाकर** अनुवर्तन किया जाता है।
- 50 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया वाले **एसएमए खातों की** केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति द्वारा **हर महीने समीक्षा** की जाती है।
- महा प्रबंधक समिति द्वारा विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की भी मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- क्षे.का. और शाखाओं के लिए एसएमए उधारकर्ताओं को **सिस्टम द्वारा निर्मित किए गए पत्र** निकालने की सुविधा (अतिदेय का उल्लेख करना और शीघ्र नियमितीकरण का अनुरोध करना) सक्षम किया गया है।
- रिटेल क्रेडिट और एमएसएमई के एसएमए/ संभावित स्लिपेज खातों में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए एक **आउटबाउंड कॉल सेंटर** की सेवाएं भी ली जाती हैं। कॉल के अलावा अतिदेय उधारकर्ताओं को यथाशीघ्र अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्री-रिकॉर्डेड संदेश भेजने के लिए भी **वॉयस ब्लास्ट** सुविधा का उपयोग किया जाता है।
- **पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस):** बैंक के पास एक मजबूत ईडब्ल्यूएस समाधान मौजूद है। यह समाधान 3.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक के गैर-खुदरा खातों (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) और 50.00 लाख रुपये और उससे अधिक के जोखिम वाले खुदरा खातों को कवर करता है, भले ही उधार व्यवस्था कुछ भी हो।

बैंक उपरोक्त उपायों को अपनाकर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्लिपेज को नियंत्रित करने में सक्षम रहा और विशेष **उल्लखित** खातों की वसूली और नियमितीकरण को अधिकतम किया गया है।

ऋण समीक्षा तंत्र

- **स्टॉक ऑडिट प्रक्रियाओं** को सभी खातों के लिए जिनमें कार्यशील पूंजी बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) रुपये 5 करोड़ और उससे अधिक है। स्टॉक ऑडिट समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधकों की समिति को रखे जा रहे हैं और समिति की टिप्पणियों को क्षे. का./शाखाओं को सूचित की गई।
- **एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग (एएसएम)** बैंक उन खातों के लिए एएसएम आबंटित करता है जहां सीसीडी/एमएसएमई ने स्वीकृति में एएसएम नियुक्ति निर्धारित की है। एएसएम रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति को प्रस्तुत की जाती है और तदनुसार समिति की टिप्पणियों को क्षे.का./ शाखाओं को सूचित किया जाता है।
- **क्रेडिट अनुपालन लेखापरीक्षा** उन सभी घरेलू खातों के लिए किया जाता है जहां एक्सपोज़र रु 50.00 लाख और विदेशी खाते जिनमें एक्सपोज़र रु 1.00 करोड़ से अधिक है। हर साल लेखापरीक्षा होती है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप अनुपालन स्तर के आधार पर खाते को निम्न/ मध्यम/ उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है। कमियों को दूर करने और अनुपालन स्तर को बढ़ाने के लिए खाता-वार कदम उठाए गए।

अनुपालन

अनुपालन प्रबंधन को किसी भी कॉरपोरेट इकाई के कॉरपोरेट प्रशासन संरचना और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन अभ्यास के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के पास अच्छी तरह से परिभाषित अनुपालन नीति है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं भी मौजूद हैं। नियामकीय दिशा-निर्देशों पर आवश्यक परिपत्र/निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं।

मुख्य अनुपालन अधिकारी बैंक के एमडी व सीईओ/बोर्ड/एसीबी को रिपोर्ट करता है, और विभिन्न नीतियों की मंजूरी और प्रशासनिक बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुपालन विभाग ने विभिन्न क्षेत्र स्तरों पर अनुपालन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। अनुपालन विभाग ने भी नई पहल की है और मौजूदा अनुपालन साधनों का विकास किया है।

समग्र अनुपालन स्तर, बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। अनुपालन कार्य की वार्षिक समीक्षा और शाखाओं के अनुपालन स्तर में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने वेब पोर्टल अर्थात बैंकों के इंट्रानेट में ज्ञान प्रबंधन/नॉलेज मैनेजमेंट टूल प्रदान किया है जिसमें आरबीआइ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि जैसे विभिन्न नियामकों के सभी विनियमों, दिशा-निर्देशों को एक ही बिंदु पर एक्सेस किया जा सकता है।

संचार और पारस्परिक व्यवहार के विभिन्न रूपों के माध्यम से स्टॉफ सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति विकसित की जा रही है।

बैंक द्वारा विमोचित नए उत्पाद को प्रथम छह महीनों की अवधि के लिए गहन निगरानी की जाती है ताकि अनुपालन जोखिम की सांकेतिक मापदंडों के पर्याप्त निगरानी की जा सके।

निरीक्षण व लेखापरीक्षा

निरंतर सुधार प्रक्रिया के क्रम में, बैंक का निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग नियामक आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के साथ बैंक के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग के प्राथमिक उद्देश्य थे

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) और अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी नियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का आंकलन करना।
3. सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और बैंक के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों की संस्तुति करना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की विशेषताएँ :

क्रम सं	लेखापरीक्षा	विशेषताएँ
1	**आरबीआइए**	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, सभी नियोजित और अनुमोदित शाखाओं का व्यापक लेखापरीक्षा 31 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा तक सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
2	**ऑफसाइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू)**	ऑफसाइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू) में इसकी कार्यक्षमता को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए। ये संवर्द्धन संगठन के भीतर संभावित जोखिमों और मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में इकाई की प्रभावशीलता में सुधार लाने पर केंद्रित थे। एक प्रमुख सुधार, नियंत्रण-उन्मुख अपवाद रिपोर्ट का कार्यान्वयन था।
3	**ओएमयू – प्रोब**	बैंक ने आरबीआइ द्वारा अनिवार्य जोखिम शमन योजना के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को नया रूप दिया और भविष्योन्मुखी जोखिम रेटिंग के लिए ओएमयू-प्रोब और डायनेमिक जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल शुरू किया।

4	**ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलेंस (ओसीएएस)**	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर अनुपालन स्तर में सुधार करने के लिए, नियंत्रण क्षेत्रों में सुधार के लिए लेखापरीक्षा पैकेज को संशोधित किया गया।
5	**प्रबंधन लेखापरीक्षण**	49 क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय कार्यालय के 43 विभागों, 7 नोडल लेखा परीक्षा कार्यालयों और 01 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ओडिशा ग्राम्य बैंक) का प्रबंधन लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
6	**समवर्ती लेखापरीक्षा**	50% जमा और 60% कुल अग्रिम के कवरेज सहित 676 शाखाएँ समवर्ती लेखापरीक्षा किया गया।
7	**आइएस लेखापरीक्षा**	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा योजना के अनुसार विभिन्न लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए। आइटी परीक्षा 2022-23 के आइएस लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का अनुपालन किया गया। आउटसोर्सिंग व्यवस्था और आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका की निगरानी के लिए रूपरेखा लागू की गई।
8	**आइएफसीओएफआर**	एससीए द्वारा वार्षिक प्रमाणीकरण सक्षम करने के लिए शाखाओं, क्षे.का., के.का. और सिस्टम पर आंतरिक आइएफसीओएफआर नियंत्रण परीक्षण किया गया। 2023-24 तक अनवरत।

सतर्कता

वर्ष 2023-24 के दौरान "कारोबार पहले, निवारक सतर्कता हमेशा" की थीम के साथ , बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निवारक सतर्कता और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाना जारी रखा है ।

1. निवारक सतर्कता गतिविधियाँ :

वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित निवारक सतर्कता की पहल गईं:

क) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआइ, सीबीआइ और अन्य विभिन्न स्रोतों से कुल 199 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी सतर्कता में ओवरटोन देखी गई, ऐसी शिकायतों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर तार्किक ढंग से समाप्त किया गया । सिर्फ एक शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित थी जो अब बंद हो गई है।

ख) विभाग ने 25 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सहायक आरआरबी-ओजीबी द्वारा रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों/सेवा आदेशों की जांच की है।

ग) विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षणों की एक श्रृंखला, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास शाखाएं, अनुपालन स्तर आदि की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान औचक निरीक्षण आदि आयोजित किए गए।

घ) जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवीओ ने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 09 क्षेत्रों का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने निवारक सतर्कता के महत्व के बारे में वेबेक्स पर क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों, चुनिंदा शाखा प्रमुखों और कुछ शाखाओं को इसकी संवेदनशीलता से अवगत करवाया।

ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वीएडब्ल्यू 2023 के हिस्से के रूप में शाखाओं/ क्षे.का. के अधिकारियों के लिए पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिस्टम/ प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों का नामांकन सीवीसी/ विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ कुछ आरवीओ के लिए भी किया गया, जिन्होंने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है।

2. पूर्वानुमानित सतर्कता: वर्ष 2023-24 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की के. का. निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की गई और सतर्कता दृष्टिकोण से घटनाओं का संज्ञान बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया एवं जांच की गई रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है:

- वर्ष 2023-24 के दौरान 3652 समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
- वर्ष 2023-24 के दौरान 1967 केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच की गयी।

- वर्ष 2023-24 के दौरान 1367 सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
- वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 26,071 कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्रा, प्रथम पंक्ति की तैनाती आदि के लिए मंजूरी/ स्थिति उपलब्ध कारवाई गई।
- 94 एसएसी फाइलों की जांच की गयी।
- 48 धोखाधड़ी फाइलों की जांच की गयी।

3. **दंडात्मक सतर्कता:** बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता मामलों और गैर-सतर्कता मामलों के निपटान में कमी आइ है। 31.03.2024 तक विभिन्न स्तरों पर केवल 163 सतर्कता मामले प्रक्रियाधीन हैं और उसमें से 138 मामले चार्जशीट जारी किए गए थे और शेष 25 मामले चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया सी-डैक द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कोर्ट केस के कारण 36 महीने से अधिक केवल 1 मामला लंबित है। दिनांक 31.03.2024 को कुल निलंबन प्रकरणों की संख्या 34 है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 10 मामले एबीबीएफएफ को भेजे गए थे, जिनमें से 5 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और उसका निष्कर्ष निकाला गया।

4. **सहभागी सतर्कता:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोग का संदेश **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें "** सभी शाखाओं, देश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपनाया गया। ईमानदार और पारदर्शी बने रहने के लिए तथा हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग ने विभिन्न आंतरिक और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभियान अवधि के दौरान पीआइडीपीआइ (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) पर विशेष ध्यान दिया गया और व्यापक प्रचार किया गया। हमने आम तौर पर सभी जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन और अखंडता को गले लगाने के लिए प्रेरित किया।

   इसके अतिरिक्त, सीवीओ ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ (i) 15.09.2023 को सतर्कता प्रशासन और सीपीसीएल द्वारा पीएसबी और पीएसयू के सतर्कता अधिकारियों के लिए खरीद पर आयोजित सेमिनार/ प्रशिक्षण कार्यक्रम और (ii) 17.11.2023 को क्षमता निर्माण - इंडियन बैंक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही और सतर्कता प्रशासन में भाग लिया।

संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियों/ कार्यक्रमों का सार

आंतरिक सतर्कता जागरूकता गतिविधियां:

सामूहिक प्रतिज्ञा : 30 अक्टूबर -2023 को सामूहिक प्रतिज्ञा केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में पूर्वाह्न 11:00 बजे लिया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने कार्यपालक निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अंग्रेजी में शपथ दिलाई। हिन्दी में शपथ कार्यपालक निदेशक श्री संजय विनायक मुदालियार द्वारा दिलाया गया । इसी तरह, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली।

ई सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा: 4,05,000 से अधिक ग्राहकों ने हमारे साथ खाता खोलते समय 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक पूरे भारत में हमारी शाखाओं के माध्यम से सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

निम्नलिखित श्रेणियों में बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 17 अक्टूबर, 2023 को एक अखिल भारतीय ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी :

कार्यपालक संवर्ग प्रश्नोत्तरी श्रेणी: शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय से जुड़े समप्र और उससे ऊपर के संवर्ग के बैंक के सभी अधिकारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

पर्यवेक्षी संवर्ग प्रश्नोत्तरी श्रेणी: परिवीक्षाधीन कर्मचारियों सहित सभी पर्यवेक्षी कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अधीनस्थ कर्मचारी प्रश्नोत्तरी श्रेणी: बैंक के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म/ रील/ वीडियो: बैंक के कर्मचारियों को पीआइडीपीआइ और वीएडब्ल्यू थीम **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"** पर एक लघु वीडियो/ रील/ फिल्म तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सूचित किया गया कि ऑडियो विज़ुअल की सामग्री कॉपीराइट सामग्री के साथ ना बनाई गई हो और हिंदी/ अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पाँच टीमों को पुरस्कृत किया गया और उनकी सामग्री का उपयोग बैंक द्वारा थीम के प्रचार के लिए जहाँ भी उचित समझा गया, वहाँ किया गया।

कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता : 9 अक्टूबर, 2023 से 19 अक्टूबर, 2023 तक बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित बने रहें"** विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत निबंधों का मूल्यांकन किया गया और सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र जारी किए गए।

इसी तरह, ओडिशा ग्राम्य बैंक ने भी प्रशासनिक कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। अध्यक्ष की प्रमुखता वाली समिति द्वारा प्रतिभागियों के प्रयास का मूल्यांकन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना:

30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक, सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय ने पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर वीएडब्ल्यू के बैनर प्रदर्शित किए। केंद्रीय कार्यालय में मुख्य द्वार, मुख्य भवन का प्रवेश द्वार, एनेक्स भवन जैसे तीन स्थानों पर वीएडब्ल्यू बैनर प्रदर्शित किए गए। वीएडब्ल्यू के दौरान प्रत्येक भवन में एक स्टैंडी भी प्रदर्शित किया गया।

धोखाधड़ी की रोकथाम पर सेमिनार: 4 नवंबर को, पूरे भारत में श्री अभय कुमार सिंह, आइपीएस, पुलिस महानिदेशक, निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, तमिलनाडु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। भारत के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के क्षेत्रीय प्रमुखों, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्मेलन व कार्यशालाओं का भी आयोजिन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीबीआइ, पुलिस आदि की प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया।

ओजीबी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सम्मेलन व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता गतिविधियों पर रंगोली प्रतियोगिता : 31 अक्टूबर, 2023 को, हमारे बैंक के 64 कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में आयोजित "भ्रष्टाचार का विरोध करें-राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया।

सतर्कता नियमावली (प्रथम संस्करण) का विमोचन : 30 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में कार्यपालक निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महा प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा बैंक के सतर्कता मैनुअल का पहला संस्करण जारी किया गया।

आइओबी विजिल (त्रैमासिक पत्रिका) का पुनः शुभारंभ : जून, 2023 में, सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए त्रैमासिक पत्रिका आइओबी विजिल को फिर से शुरू किया, जो कार्य प्रोफ़ाइल के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए सहायक होगी।

जनसंपर्क गतिविधियाँ :

स्काई विज्ञापन : 30 अक्टूबर, 2023 को एमडी, ईडी व सीवीओ द्वारा केंद्रीय कार्यालय भवन के शीर्ष पर तमिल और अंग्रेजी में वीएडब्ल्यू थीम तथा आइओबी के लोगो के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम पर एक स्काई विज्ञापन बलून लगाया गया।

हवाई विज्ञापन : वीएडब्ल्यू 2023 थीम और जिंगल्स को 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 तक जनता के बीच जागरूकता आने के लिए फीवर एफएम, रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची में अंग्रेजी व तमिल में प्रसारित की गई।

सीवीओ का रेडियो साक्षात्कार: 4 नवंबर, 2023 को साइबर अपराध, पीआइडीपीआइ आदि से बचने के उपायों पर सीवीओ का साक्षात्कार एफएम रेडियो पर प्रसारित किया गया।

स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम : देश भर में विभिन्न वीएडब्ल्यू गतिविधियों में 315 स्कूलों में 31643 छात्र और 83 कॉलेजों में 8882 छात्रों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और सामूहिक शपथ ली। इन स्कूलों में भाषण, वाद-विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गए।

जागरूकता ग्राम-सभाएँ: सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान देश भर में 12,449 लोगों को शामिल करते हुए 486 ग्रामसभाएं आयोजित की गईं और सामूहिक शपथ ली गई।

संगोष्ठी / कार्यशालाएँ : देश भर में वीएडब्ल्यू गतिविधियों पर कुल 73 संगोष्ठी / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 2602 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक प्रतिज्ञा ली।

वॉकथॉन : चेन्नै के मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालयों ने केंद्रीय कार्यालय के सहयोग से **05.11.2023 को बेसेंट नगर बीच-चेन्नै में एक मेगा वॉकथॉन** का आयोजन किया। मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों, सतर्कता विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय कार्यालय और चेन्नै के मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में एमडी व सीईओ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

डिजिटल प्लैटफ़ार्म के माध्यम से की गई अन्य प्रमुख गतिविधियाँ :
वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान, 68,84,370 आइओबी ग्राहकों को "आइओबी 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। भ्ष्टाचार को ना कहें; अपनी नजदीकी आइओबी शाखा या www.iob.in या https:pledge.cvc.nic.in पर जाकर सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लें व राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" लिखा एसएमएस भेजा गया। 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक - 11,07,825 आइओबी ग्राहकों को सीवीओ संदेश और ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए हाइपरलिंक के साथ ईमेल भेजे गए। वीएडब्ल्यू सप्ताह के दौरान, आइओबी की सभी 3518 एटीएम और सीडीएम मशीनें में वीएडब्ल्यू संदेश **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें**। आइए www.iob.in पर प्रतिज्ञा लें।'' प्रदर्शित और मुद्रित किया गया। वीएडब्ल्यू सप्ताह के दौरान, फिनेकल सीबीएस में वीएडब्ल्यू संदेश "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। आइए www.iob.in पर प्रतिज्ञा लें।'' प्रदर्शित किया गया। अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 के महीने के लिए कर्मचारियों की वेतन पर्चियाँ वीएडब्ल्यू संदेश "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। आइए www.iob.in पर प्रतिज्ञा लें।'' प्रदर्शित किया गया। वीएडब्ल्यू संदेश को एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के बैंक आधिकारिक पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। हमारे वेबपेज (इंटरनेट साइट और इंट्रानेट साइट) में वीएडब्ल्यू के आयोजन का प्रदर्शन जिसमें सभी के लिए अखंडता प्रतिज्ञा लेने के लिए एक हाइपरलिंक प्रदान किया गया।

ओडिशा ग्राम्य बैंक (ओजीबी) में आयोजित गतिविधियां
➢ 1847 कर्मचारियों ने सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा लिया ➢ 18915 ग्राहकों ने ई- सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा लिए ➢ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और 34 कर्मचारियों ने भाग लिया। ➢ 136 स्कूलों और 21 कॉलेज में आयोजित गतिविधियों में कुल 10910 छात्रों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा लिया। ➢ 218 गाँवों में जागरूकता ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं और 8236 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तत्संबंधी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने हेतु उपयोगकर्ता विभागों को डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है।

बैंक द्वारा ओरेकल एनालिटिक सर्वर (ओएएएस), स्थापित किया गया है जो एक विश्लेषणात्मक उपकरण है और यह हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन, को नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं की लगभग 300 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स प्रदान करता है। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर रिपोर्ट, ग्राफ़, व्हाट-इफ विश्लेषण, डेटा माइनिंग, तदर्थ रिपोर्ट के सृजन और परिनियोजन के लिए एमआइएस की इन-हाउस टीम द्वारा टूल का उपयोग किया जाता है। उपकरण का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कार्य-निष्पादन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, पुराने डेटा के विश्लेषण, अभियानों के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है।

एमआइएस की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

प्रोग्राम का विकास और संशोधन

- सीआरआइएलसी विवरणी उन्नयन
- एमआइएस डी – एसओपी फ्रेमवर्क
- एसएलबीसी रिपोर्ट स्वचालन – संशोधन
- एनईएसएल – उन्नयन
- आइओबी डाटा डिजाइन पोर्टल – संशोधन
- ईडब्ल्यूएस न्यू वर्कफ़्लो डिज़ाइन
- एएमएल रिपोर्ट – फिननेट 1 का फिननेट 2 में स्थानांतरण
- ईज़ –उन्नयन
- आरबीआइ सीआइएमएस – ऑटोमेशन
- एनालिटिक्स के लिए डेटा प्रस्तुति
- खंडवार रिपोर्ट
- लक्ष्य पोर्टल डाटा प्रस्तुति

बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट

- दैनिक वर्टिकलवार अग्रिम रिपोर्ट
- एटीएम कैश आउट रिपोर्ट
- सीकेवाईसी, री-केवाईसी रिपोर्ट
- कोष समिति की रिपोर्ट
- दैनिक भिन्नता रिपोर्ट
- अभियान प्रबंधन रिपोर्ट
- डिजिटल कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट
- जीबीएम रिपोर्ट
- एसएचजी रिपोर्ट
- सीआइएमएस कार्यान्वयन

डिजिटल बैंकिंग

डिजिटल भुगतान और निर्बाध, कुशल गतिशील ऑनलाइन समाधान वर्तमान बैंकिंग सेवाओं में ग्राहक अनुभव और ग्राहक संतुष्टि के मानदंड हैं। बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास उच्च अपटाइम और निरंतर उपलब्धता के साथ एटीएम और कैश रिसाइकलर्स का एक मजबूत नेटवर्क है।

शाखाओं और ऑफसाइट्स पर एटीएम व कैश रिसाइक्लर्स की एक लंबी श्रृंखला, जो ई-पासबुक कियोस्क द्वारा पर्याप्त रूप से पूरक है, बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म का मूल है। अन्य महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मांग वाले वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और आइएमपीएस सेवाएं, बैंक का अपना भीम आइओबी यूपीआइ ऐप, पीओएस मशीनें, प्री-प्रिंटेड क्यूआर कोड, वॉयस आधारित क्यूआर कोड हैंडसेट, आइओबी पे और फास्टैग शामिल हैं।

बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का सारांश इस प्रकार है:

बैंक की एटीएम, कैश रिसाइक्लर और पासबुक कियॉस्क सेवाएं

- 31.03.2024 तक 3506 कैश मैनेजमेंट मशीनें, जिनमें 1147 एटीएम और 2359 कैश रिसाइक्लर शामिल हैं।
- इन 3506 एटीएम/ सीआर में से 2777 ऑनसाइट और शेष 729 ऑफसाइट स्थित हैं।
- कुल 3506 मशीनों में से 2697 शाखा प्रबंधित (सीएपीईएक्स मॉडल) हैं और 812 विक्रेता प्रबंधित (ओपीईएक्स मॉडल) हैं।
- बैंक ग्राहकों को 24*7 एटीएम सेवाओं की निरंतर उपलब्धता और अपने एटीएम और कैश रिसाइक्लर्स में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करता है।
- 2023-24 के लिए बैंक के एटीएम और सीआर पोर्टफोलियो का औसत अपटाइम 96.31% था जोकि 31.03.2024 को बढ़ कर मार्च के लिए अपटाइम 97.23% पर पहुंच गया।
- बैंक ने अपने सभी एटीएम में 24*7 पर्याप्त नकदी की निरंतर उपलब्धता प्रदान की है और उद्योग में कैश-आउट एटीएम को सबसे कम संख्या में रखना सुनिश्चित किया है ।
- बैंक में शाखाओं द्वारा 2280 स्वयं-सेवा ई-पासबुक कियोस्क प्रयोग किए गए। आगामी वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान बैंक 700 और शाखाओं में ई-पासबुक कियोस्क शुरू करने की योजना बनाई गई है।

बैंक ऑन व्हील्स

- ईज़ (उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में, हमारे बैंक ने आंध्र परदेश (विजयवाड़ा) के एक जिले के अलावा तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में जहां आइओबी अग्रणी बैंक है, वहाँ "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) तैनात किए गए।
- बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए प्रत्येक बैंक ऑन व्हील एक कैश डिस्पेंसर, एक पासबुक कियोस्क और 55 ”एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित है। इन स्क्रीनों का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन संदेश या कोई अन्य शिक्षाप्रद श्रृंखला दिखाने के लिए भी किया जाता है।
- जरूरतमंद ग्राहकों को मौके पर ही सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए वाहन में एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी उपलब्ध रहेगा।
- आगामी वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान बैंक ने देश के प्रमुख केंद्रों में 50 नए बैंक ऑन व्हील मॉडल एटीएम पेश करने की योजना बनाई गई है।

डेबिट कार्ड्स

- एटीएम, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने के लिए डेबिट कार्ड एक प्रमुख माध्यम है।
- ग्राहकों की अनिश्चितताओं को पूरा करने के लिए, बैंक रुपे, वीज़ा और मास्टरकार्ड ब्रांडों के तहत दस से अधिक विभिन्न प्रकार उपलब्ध है।
- कार्ड का प्रत्येक प्रकार को विशिष्ट ग्राहक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्ड के प्रकारों में क्लासिक, गोल्ड, प्लैटिनम, सिग्नेचर, सेलेक्ट आदि शामिल हैं। सभी प्रकार के कार्ड एनसीएमसी सक्षम एनएफसी कार्ड हैं।
- सरकारी योजना से संबंधित विशिष्ट कार्ड जैसे पीएमजेडीवाई कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि भी जनता के लिए उपलब्ध हैं।
- इंस्टा कार्ड (ग्राहक के नाम के बिना) और वैयक्तिकृत कार्ड (ग्राहक के नाम के साथ) दोनों ग्राहकों की पसंद के अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं।

- उपयोग में आसानी के लिए ग्राहकों द्वारा डेबिट कार्ड का स्व-सक्रियण, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्रीन पिन जेनरेशन (पीएमजेडीवाई, केसीसी, एनआरओ सहित सभी प्रकार के कार्डों के लिए) के माध्यम से पिन बदला जा सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आइओबी वेबसाइट, संपर्क केंद्र और बैंक की शाखाओं के माध्यम से कार्ड धारकों के लिए विभिन्न स्वयं-सेवा सुविधाएं जैसे ई-कॉम को सक्षम/ अक्षम करना, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सक्षम/ अक्षम करना, विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए अलग-अलग कार्ड सीमा निर्धारित करना, डेबिट कार्ड को ब्लॉक के सुविधा उपलब्ध है।
- फ़ाइल पर कार्ड (टोकनीकरण) सक्षम है।
- संपर्क रहित लेनदेन के लिए रुपे की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सुविधा के साथ कार्ड जारी किए जाते हैं।
- कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग और आइओबी एटीएम के माध्यम से कार्ड सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ग्रीन पिन पीएमजेडीवाई/ केसीसी/ एनआरओ/ एनआरई और इंस्टा कार्ड ग्राहकों सहित सभी प्रकार के खातों के लिए सक्षम है।

मोबाइल बैंकिंग

- आइओबी मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक एमबी ऐप्स में से एक है।
- यह एंड्रायड और आइएओएस दोनों उपकरणों में उपलब्ध है ।
- उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं जैसे:-
  - शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण
  - बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/फेस रिकग्निशन (आइओएस) का उपयोग करके लॉग इन करें
  - नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच आदाता सिंक
  - डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, बदलना, और अपग्रेड करना
  - डेबिट कार्ड के लिए नया पिन सेट करना /पिन रीसेट करना और पुराना पिन बदलना
  - एएसबीए - आइपीओ आवेदन - लागू आइपीओ देखें और आवेदित आइपीओ को वापस लेना
  - ऋण का भुगतान
  - जोड़े गए नए आदाता के लिए अतिरिक्त कूलिंग अवधि शुरू की गई
  - फॉर्म 15जी /एच जमा करना
  - पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन
  - एमपासबुक सुविधा विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है
  - वॉयस सहायता सुविधा
  - जमा खाता खोलना, नवीनीकरण, प्री- क्लोजर और क्लोजर
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण
  - पे लेटर करना /स्थायी निर्देश सुविधा
  - 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन
  - मोबाइल बैंकिंग के साथ एकीकृत स्कैन और भुगतान
  - अपने पसंदीदा स्टोर पर खरीदारी करें और अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ कपड़े, सहायक उपकरण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ खरीदें।

इंटरनेट बैंकिंग

- वर्तमान में बैंक अपने इन-हाउस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करता है।
- जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आइएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स और उपयोगिता भुगतान, बिल भुगतान, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान करना।

- इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
- जमा राशि पर डिमांड ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग में सिंगापुर के लिए विदेशी जावक प्रेषण सक्षम।
- शाखा में जाए बिना पीपीएफ खाता खोलें।
- डेबिट कार्ड (खुदरा) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और स्व-सक्रियण।
- जमाओं को खोलना/ बंद करना/ उनका नवीनीकरण करना।
- अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक/ अपग्रेड/ग्रीन पिन सेट करें/ अधिकतम सीमा बदलें
- एनपीएस, एसजीबी, पीपीएफ आदि सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करें/ स्थिति देखें।
- खुदरा और कॉरपोरेट दोनों के लिए आइपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के लिए आवेदन करें।
- ई-स्टेटमेंट, जमा/ ऋण ब्याज प्रमाणपत्र आदि डाउनलोड करें।
- एईपीएस सक्षम/ अक्षम करें।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से वीएएन आइडी (मेरा नाम ही मेरी खाता आइडी) में निधि अंतरण ट्रांसफर
- आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक डिजिटल एंगेजमेंट हब के माध्यम से मेसर्स एजवेर्व द्वारा सक्षम एक नए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा जो ग्राहकों के ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव को बढ़ाएगा।

भीम आइओबी यूपीआइ

- बैंक ने वर्ष 2016 में अपना भीम आइओबी यूपीआइ ऐप शुरू किया।
- बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ (2017 में यूपीआइ 1.0 और 2021 में यूपीआइ 2.0 के साथ) लॉन्च किया।
- वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने भीम आइओबी यूपीआइ ऐप के अभिन्न अंग के रूप में यूपीआइ लाइट ऐप पेश किया; यूपीआइ लाइट ऐप का उपयोग करके ग्राहक तुरंत 500 रुपये तक का भुगतान बिना यूपीआइ पिन के कर सकते हैं।
- संशोधित भीम आइओबी यूपीआइ एप्लिकेशन को सरलीकृत यूजर इंटरफेस और बेहतर डिजिटल अनुभव के साथ अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया।
- यूपीआइ आइडी, खाता संख्या और आइएफएससी का उपयोग करके और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करें।
- यूपीआइ नंबर कार्यक्षमता वाले किसी भी मोबाइल नंबर से भुगतान करें।
- राशि प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट मनी सुविधा का उपयोग करें।
- आवर्ती भुगतान के लिए यूपीआइ स्थायी निर्देश देने की सुविधा ।
- डेबिट कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके यूपीआइ पिन सेट/ रीसेट करें।
- एकाधिक खातों के मामले में स्व-अंतरण सुविधा।
- तेजी से भुगतान के लिए आदाता जोड़ें।
- व्यापारी की दैनिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए 2023 में बहुभाषी साउंडबॉक्स सुविधा और आइओबी यूपीआइ व्यापार एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।
- हमने कम मूल्य के लेनदेन और सेंट्रल मैपर के लिए यूपीआइ लाइट की शुरुआत की है।

आरटीजीएस/ एनईएफटी

- ग्राहक और इंटर बैंक लेन-देन के लिए उपलब्ध है।
- ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी चैनल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं।
- एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 उपलब्ध है।

- बचत खाता ग्राहक के लिए ऑनलाइन मोड (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से शुरू किए गए एनईएफटी लेन-देन के लिए एनईएफटी को शुल्क रहित कर दिया गया है।

आइओबी पे

- यह एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करती है। यह हमारे बैंक के व्यापारी ग्राहकों के लिए भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है।
- सेवाएँ एकीकृत एग्रीगेटर्स के साथ घरेलू विकसित उत्पादों के माध्यम से/ सीधे पीजी एग्रीगेटर्स के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- बैंक ने हाल ही में हमारे बैंक के व्यापारी ग्राहकों को भुगतान गेटवे प्रदान करने के लिए ईओआइ प्रक्रिया के माध्यम से 10 (दस) पीजी एग्रीगेटर्स को सूचीबद्ध किया है। इससे बैंक को कॉरपोरेट व्यापारियों को वेबसाइट/ बिना वेबसाइट के अनुकूलित मोबाइल एप्लिकेशन/ ईआरपी आदि प्रदान करके उद्योग मानक भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- आइओबी पे में 935+ व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।
- बैंक कई अन्य डिजिटल बैंकिंग भुगतान समाधान भी प्रदान करता है, जैसे प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (पीओएस), नए ग्राहकों को रेडी टू यूज़ क्यूआर कोड के माध्यम से क्यूआर कोड सक्षम भुगतान, वॉयस मैसेज आधारित क्यूआर कोड हैंडसेट, राजमार्ग टोल के लिए प्रीपेड स्टिकर के लिए आइओबी फास्टैग के माध्यम से शुल्क भुगतान आदि।

वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान शुरू की गई तकनीकी एवं डिजिटल पहलें

विभिन्न पीढ़ियों के ग्राहकों की सेवा में और नवीन समाधान प्रदान करके ग्राहकों को प्रसन्न करने के अपने प्रयास में, बैंक "ई-संकल्प" के रूप में शुरू की गई अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के हिस्से के रूप में डिजिटल पहल पर उल्लेखनीय निवेश कर रहा है, जो पूरे उद्योग में प्रौद्योगिकी रुझानों के साथ संरेखित है।

एक मजबूत और लचीली प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में, बैंक ने एक अत्याधुनिक ऑन-प्रिमाइसेस कंटेनर प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है और यह ऑन-प्रिमाइसेस निजी क्लाउड सेटअप का लाभ उठा रहा है, जो कंटेनरीकृत अनुप्रयोगों के निर्माण और स्केलिंग के लिए हाइब्रिड क्लाउड फाउंडेशन की सुविधा प्रदान करता है। बैंक ने विविध भुगतान समाधानों, भुगतान के तरीकों को निपटाने और बढ़ती लेनदेन मात्रा को बढ़ाने और बैंक के व्यवसाय विकास को समान रूप से समर्थन देने के लिए एक एकीकृत भुगतान हब की स्थापना की है।

बैंक उन अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक रहा है जिन्हें ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए "आधार फेस प्रमाणीकरण" का लाभ उठाने के लिए यूआइडीएआइ द्वारा अधिकृत किया गया है, जो हमारे बैंक ग्राहकों को खाता खोलने, पुनः-केवाईसी, सरकार के लिए पंजीकरण योजनाएं आदि जैसी पहलों में संपर्क-रहित तरीके से प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक " मेरा नाम ही मेरा खाता ", "ऑनलाइन सुरक्षित जमा लॉकर", "ऑनलाइन खाता संख्या पोर्टेबिलिटी" जैसे विभिन्न अद्वितीय ग्राहक-केंद्रित समाधान पेश करना जारी रखता है जो ग्राहकों के अनुभव को बदल देता है।

उदाहरण के लिए, पहल " मेरा नाम ही मेरा खाता " ग्राहकों को बैंक द्वारा दिए गए लंबे खाता नंबर को याद रखने की आवश्यकता के बिना अपने आइओबी खाते को अपनी पसंद का एक अनुकूलित 7 अक्षरों वाला नाम देने और इसे सभी भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वित्तीय समाधानों के साथ एकीकृत करने की सुविधा देता है। इसी तरह, बैंक की एक और अनूठी पहल, "ऑनलाइन सुरक्षित जमा लॉकर आवंटन" ग्राहकों को और स्वचालित लॉकर आवंटन के लिए आवेदन करने और उनकी पसंद के स्थान और शाखा में सुरक्षित जमा लॉकर की उपलब्धता खोजने में मदद करती है। इसके अलावा, जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, "ऑनलाइन खाता संख्या पोर्टेबिलिटी" सुविधा किसी भी शाखा में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता के बिना ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों को नजदीकी और सुविधाजनक निकटतम शाखा में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।

सेवा वितरण चैनलों को बढ़ाने के हिस्से के रूप में, बैंक ने खाता खोलने और कई संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी समय, कहीं भी सेवा प्रदान करने के लिए आधार केंद्रित "टैब बैंकिंग" टूल पेश किया है। टैब बैंकिंग चैनल का लाभ उठाकर, स्टाफ सदस्य सभी प्रकार के व्यक्तिगत ग्राहकों के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक वित्तीय समावेशन के तहत सेवा वितरण में बाजार में अग्रणी बना रहे।

बैंक ने एक "ग्राहक संबंध प्रबंधन" टूल शुरू किया है जो डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से परिचालन दक्षता को बढ़ाता है। यह कर्मचारियों को ग्राहकों और मूल्यवान रिश्तों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वे सर्वोत्तम उत्पाद की सिफारिश कर सकते हैं, उसे

बेच सकते हैं और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जबकि शाखा यात्रा, ग्राहक स्वयं-सेवा यात्राओं के लिए हमारी ऋण सृजन प्रणाली के माध्यम से कई नए डिजिटलीकृत ऋण उत्पाद पेश किए गए हैं, बैंक ने ऋण बकाया की त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई और और ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड स्टाफ सदस्यों को मोबाइल ऐप प्रदान किए हैं, जो संग्रह को बढ़ाता है । बैंक ने कागजी कार्रवाई को कम करने/समाप्त करने के लिए आंतरिक समिति और प्रबंधन अनुमोदन के लिए कार्यालय नोट स्वचालन भी शुरू किया है।

इन सभी उत्पादों और सुविधाओं की समय पर डिलीवरी को सक्षम करने और निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने सुरक्षित सॉफ्टवेयर और समाधानों के साथ-साथ अत्याधुनिक प्रणालियों और नेटवर्क के साथ अपने प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया है। बैंक डेटा एनालिटिक्स, एआइ/एमएल और अन्य आगामी तकनीकी रुझानों और नवाचारों का लाभ उठाते हुए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करके आगामी वित्तीय वर्ष में भी इन तकनीकी सह डिजिटल पहलों को और अधिक तीव्रता के साथ जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सूचना सुरक्षा

- बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण नीति, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना प्रभावी है।
- बैंक का सूचना सुरक्षा विभाग आइएसओ 27001:2022 से प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक मान्य मानक है।
- बैंक ने पीसीआइ-डीएसएस प्रमाणन हासिल कर लिया है । पीसीआइ डीएसएस का एसआरटीएच पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है । यह कार्डधारकों के भुगतान कार्ड डेटा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षा मानकों का एक सेट है और भुगतान कार्ड डेटा को संसाधित करने, संग्रहीत करने या प्रसारित करने वाले संगठनों द्वारा कार्डधारक जानकारी की सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
- बैंक के डेटा केंद्र स्थापित हैं जो शून्य डेटा हानि की सुविधा प्रदान करते हैं, एकाधिक एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन और शाखाओं के लिए विभिन्न वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं/मीडिया से दोहरी कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।
- फ़ायरवॉल और घुसपैठ रोकथाम प्रणालियाँ मौजूद हैं।
- बैंक ने संवेदनशील जानकारी को वर्गीकृत करने और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा वर्गीकरण उपकरण लागू किया है।
- धोखे की पहचाने करने वाले उपकरण लागू किए गए हैं जो झूठी सकारात्मकता की कम दर के साथ खतरों का शीघ्र पता लगाते हैं।
- अनुप्रयोगों में संभावित कमजोरियों और भेद्यता की पहचान करने के लिए बैंक के पास एक स्टेटिक एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण (एसएएसटी) और डायनेमिक एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण (डीएएसटी) उपकरण है।
- सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए 24*7*365 दिन संचालित होता है।
- उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।
- बैंक ने बैंक की वेबसाइट पर शैक्षिक श्रृंखला, आंतरिक परिपत्र, पोस्टर, एसएमएस, एटीएम कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर आदि) के माध्यम से संदेशों के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता फैलाई है।
- बैंक ने जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर साइबर सुरक्षा जागरूकता वीडियो भी अपलोड किए हैं।
- बैंक ने सभी स्टाफ सदस्यों और तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया है।

सरकारी लेखा

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

बैंक आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है। इंटरनेट बैंकिंग और सभी शाखाओं में काउंटर (ओटीसी) में प्रत्यक्ष कर संग्रह सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 12774.81 करोड़ रुपये के लेनदेन को संभाला और 1.22 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

बैंक उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और शुल्क वापसी का ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी लागू होने के बाद हमारी सभी शाखाएं जीएसटी संग्रहण के लिए सक्षम हो गई हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 18150.56 करोड़ रुपये के लेनदेन को संभाला और 1.63 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

पेंशन का भुगतान

बैंक केंद्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार, राज्य सिविल, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नै डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु के स्थानीय फंड ऑडिट और मलेशियाई सरकारी पेंशन के पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान कर रहा है।

हमारा केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और डाक के लिए पेंशन का वितरण करता है, जिसमें 31.03.2024 तक पेंशन खातों की कुल संख्या 33026 है। बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग 1465.46 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की है और संवितरण की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। इस लिहाज से बैंक को साल भर में 4.16 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है।

संभाली गए अन्य ट्रेजरी/ सेवाएँ:

बैंक तमिलनाडु सरकार के ट्रेजरी व्यवसाय और विभिन्न राज्य राजस्व का संग्रह भी संभालता है। बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान 8716.35 करोड़ रुपये का राज्य राजस्व एकत्र किया है। बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग की कुल 1024.70 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों को संभालता है। डाकघर संग्रह (आहरण और जमा) खाता तमिलनाडु की 63 शाखाओं में 601.61 करोड़ रुपये की प्राप्तियों और भुगतानों को संभालता है।

लघु बचत योजनाएँ

बैंक भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 जैसी बचत योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और वर्ष के दौरान लगभग 2842.17 करोड़ रुपये की सदस्यता का योगदान दिया है।

नई सरकारी बचत योजना - महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023:

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को नई बचत योजना - महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 शुरू करने की सूचना दी है। यह योजना हमारे बैंक में लागू की गई है और सभी शाखाएं इस योजना को संभालने के लिए अधिकृत हैं। हमारी शाखाओं ने वर्ष के दौरान 10073 खाते खोले हैं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (एसजीबी):

वर्ष के दौरान, बैंक ने एसजीबी के तहत 255.14 करोड़ रुपये की सदस्यता राशि एकत्र की और 2.56 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

हमारे बैंक की सभी शाखाओं को एनपीएस अंशदान स्वीकार करने के लिए सक्षम किया गया है । वर्ष के दौरान हमारी शाखाओं ने 1859 एनपीएस खाते खोले।

मानव संसाधन विकास

1. भर्ती एवं कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च 2024 तक बैंक के कर्मचारियों की संख्या 21475 थी, जिनमें 12353 अधिकारी, 7423 लिपिक और 1699 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे।

- वर्ष 2023 - 2024 के दौरान, जेएमजी स्केल I में 48 प्रोबेशनरी अधिकारी और 173 क्लर्क आइबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (सीआरपी) के माध्यम से हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं। इसके अलावा, एमएमजी स्केल II में 15 विशेषज्ञ अधिकारी (आइटी), जेएमजी स्केल I में 1 विशेषज्ञ अधिकारी (अग्नि) हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं, जिनको हमारे बैंक द्वारा भर्ती किया गया है।

कर्मचारियों की कुल संख्या में से 4229 सदस्य एससी वर्ग के, 1580 एसटी वर्ग के और 7099 सदस्य ओबीसी वर्ग के हैं। स्टाफ संख्या में 7786 महिला कर्मचारी, 848 पूर्व सैनिक और 490 दिव्यांग सदस्य शामिल हैं।

2. अभिप्रेरण

कर्मचारी दिवस

कर्मचारी हमारे बैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति हैं और बैंक हमेशा कर्मचारियों का विश्वास हासिल करने के लिए निरंतर प्रेरणा में विश्वास रखता है।

हमारे कर्मचारियों ने हमेशा, हर समय, अपने प्रतिष्ठित संगठन के प्रति त्रुटिहीन प्रतिबद्धता और समर्पण प्रदर्शित किया है, और "कर्मचारी दिवस" का आयोजन हमारे सभी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने, साथ ही व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और अपनेपन की भावना को फिर से पैदा करना और यह सुनिश्चित करना कि वे प्रदर्शन के उच्च स्तर की ओर बढ़ें उनके मुद्दों और शिकायतों को जानने और हल करने का एक तरीका है, जिससे उन्हें अपने पेशेवर कार्यों के लिए सराहना महसूस होती है। पूरे देश में महीने के हर तीसरे शनिवार को कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमसे पूछें

हमारा बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्रिय रहा है और "एएसके यूएस - ऑनलाइन हेल्प डेस्क" हमारे बैंक द्वारा शुरू की गई एक ऐसी पहल है।

यह एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो हमारे स्टाफ सदस्यों को उनकी बैंकिंग संबंधी शंकाओं को दूर करने, अपने दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन में अधिक आश्वस्त होने और इस तरह कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है।

अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए हमारे बैंक का प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करना, ज्ञान के अंतर को संबोधित करके बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंक में क्षमता का निर्माण करना, स्टाफ सदस्यों को पर्याप्त सीखने के अवसर प्रदान करना रहा है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय और सीओ विभाग अपने संबंधित कार्यस्थल से संसाधन व्यक्तियों की पहचान करेंगे। ये संसाधन व्यक्ति वास्तविक समय के आधार पर स्टाफ सदस्यों को उनकी शंकाओं को दूर करने में मदद करेंगे।

सभी विचार मायने रखते हैं (एआइएम)

कर्मचारी हमारे बैंक की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए उनके सुझाव बैंक को बेहतर नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करने में मदद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक ने "सभी विचार मायने रखते हैं" नाम से एक कर्मचारी सुझाव योजना शुरू की है - अपने विचारों को साझा करें, जिसमें कैडर की परवाह किए बिना सभी कर्मचारी सदस्यों को अपने मूल्यवान सुझाव और विचार पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

त्रैमासिक आधार पर स्टाफ सदस्यों से प्राप्त सुझावों को जांच के लिए जीएम की एक चयन समिति के समक्ष रखा जाता है और सर्वसम्मति से सर्वोत्तम सुझावों का चयन किया जाता है। जिन स्टाफ सदस्यों के सुझावों को सर्वश्रेष्ठ सुझाव के रूप में सम्मानित किया जाएगा, उन्हें एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा और सुझाव को व्यवहार्यता अध्ययन के लिए संबंधित विभाग के साथ साझा किया जाएगा।

पुरस्कार और पहचान नीति

पुरस्कार और पहचान नीति का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना है। सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, प्रदर्शन, दृष्टिकोण और उपलब्धियों के संदर्भ में कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानना महत्वपूर्ण हो जाता है।

पुरस्कार और पहचान नीति का उद्देश्य कार्यस्थल में प्रेरणा को बढ़ावा देना और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से या टीमों के माध्यम से किए गए उनके अच्छे काम के लिए मूल्यवान और सराहना महसूस कराए।

इस संबंध में अनुकरणीय प्रदर्शन वाले हमारे स्टाफ सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रशंसा पत्रों से पुरस्कृत किया जा रहा है।

3. क्षमता निर्माण

उत्तराधिकार की योजना बनाने और पहचाने गए महत्वपूर्ण पदों के लिए पहचाने गए अधिकारियों को सुसज्जित करने के लिए, बैंक ने स्टाफ सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुरूप "क्षमता निर्माण" पर एक नीति तैयार की है।

स्टाफ सदस्यों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। जो सदस्य वर्तमान में किसी भी चिन्हित क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल के भीतर अपेक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।

प्रेरक उपाय के एक भाग के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत सभी पहचाने गए प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में इसके लिए उचित महत्व भी दे रहा है।

4. आचरण नीति

सार्वजनिक आचरण, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने के लिए, बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए नैतिकता नीति लागू की गई है। यह नीति आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है ताकि बैंक में विभिन्न कार्यों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिए जा सकें।

उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है जिसमें सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर नैतिकता नीति में विस्तृत आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाली ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है।

5. लक्ष्य - मानव संसाधन ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना

हमारा बैंक एक बाहरी सलाहकार को नियुक्त करके मानव संसाधन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है । परियोजना का नाम “लक्ष्य” है - उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आईटी/डिजिटल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली समाधान है, जो ईज़ और अन्य नियामक आवश्यकताओं के मद्देनजर व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रतिभा प्रबंधन और बेंचमार्क आवश्यकताओं के अनुपालन के मामले में भविष्य के लिए बैंक को सक्षम और अनुकूलित करके प्रमुख मानव संसाधन परिवर्तन लाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बैंक में अपेक्षित प्रदर्शन संस्कृति लाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों के सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से स्थायी विकास हो सकेगा। प्रमुख उन्नयन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) पर होगा, जहां 80% से अधिक भूमिकाओं में मापने योग्य केआरए होंगे और 70% अंक सिस्टम संचालित होंगे। साथ ही इससे मदद भी मिलेगी बाज़ार की वृद्धि के अनुरूप यथार्थवादी लक्ष्य आवंटित करना। इससे अधिक पारदर्शिता, बेहतर दक्षता, संसाधनों का अनुकूलन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। उपरोक्त परियोजना जनवरी 2024 के महीने में शुरू हुई और इस कैलेंडर वर्ष के अंत से पहले पूर्णत: परिवर्तन पूरा हो जाएगा।

6. जॉब फैमिली

अधिकारियों के लिए एक जॉब फैमिली ढांचा मौजूद है जिसमें 10 फैमिली शामिल हैं। समान प्रकृति के कार्यों/ व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों और संबंधित विभागों/ प्रकोष्ठों/ क्षेत्रों आदि को एक ही फैमिली के अंतर्गत समूहित करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया।

संबंधित विभागों/ व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में अनुभव/ कार्य करने वाले और उपरोक्त जॉब फैमिली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले सभी अधिकारियों दी गई जॉब फैमिली के तहत समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

7. प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहक केंद्रित बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाहरी मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसामयिक मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, क्रेडिट मूल्यांकन/क्रेडिट मॉनिटरिंग, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण, सतर्कता के क्षेत्र में अधिकारियों और लिपिकों को बैंकिंग विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिया गया है। सभी स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न माध्यमों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) के माध्यम से पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच सदस्यों के लिए पूर्व -पदोन्नति प्रशिक्षण, ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था, जो अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, क्लर्क से जेएमजीएस I, जेएमजीएस I से एमएमजीएस II और एमएमजीएस II से एमएमजीएस III में पदोन्नति के लिए पात्र हैं, ।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और लिपिकों के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

आंतरिक प्रशिक्षण

हमारे बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज और बारह स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए आंतरिक प्रशिक्षण के आँकड़े यहाँ प्रस्तुत हैं:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल	एससी (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
व्यक्तिगत स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया (किसी भी प्रशिक्षण में भाग लिया गया है)	6871	4429	1010	**12310**	2630	957
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया (सदस्यों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	8854	5188	1083	**15125**	3286	1257

बाहरी प्रशिक्षण

हमने 1321 कार्यपालकों / अधिकारियों/लिपिकों को आईडीआरबीटी - हैदराबाद, एनआईबीएम - पुणे, एएससीआई-हैदराबाद, ओरेकल यूनिवर्सिटी, सीएबी - पुणे, आरबीआइ, राइट्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एलएलपी, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप (एसबीआईएल), एनएएमसीएबीएस, आईआईबीएम -गुवाहाटी, औद्योगिक प्रबंधन अकादमी, सीएएफआरएएल-मुंबई, फेडाई-मुंबई, आईबीए, आई आईबीएफ , एनआईबीएससीओएम , बर्ड-लखनऊ, वीएम वेयर, मद्रास चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया था।

सामान्य और विषय परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने हेतु कासा अभियान के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

साथ ही, 94 कार्यपालकों को सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट (सीओडी) द्वारा संचार कौशल पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, 177 कार्यपालकों/ अधिकारियों को एएससीआई, एनआईबीएम आदि जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न **नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों** पर प्रशिक्षित किया गया है।

ई-पाठशाला - ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमारे बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर 71 मॉड्यूल शामिल थे। स्टाफ सदस्यों का ज्ञान को बढ़ाने और अद्यतित करने के लिए इन

मॉड्यूलों को लक्षित किया गया था, जिससे हमारी ऑनलाइन शिक्षण पहल (ई-पाठशाला) को आनुपातिक दर से बढाया जा सके। उक्त पोर्टल को हमारे स्टाफ कॉलेज के संकाय द्वारा नियमित आधार पर अद्यतन और अनुररक्षित किया गया था। कुल 7425 अधिकारियों ने ई-पाठशाला के तहत सभी छह अनिवार्य मॉड्यूल (71 उपलब्ध मॉड्यूल में से) पूरे किए।

मानक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस)

हमारे स्टाफ सदस्यों के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए, हमारे स्टाफ सदस्यों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक मानक कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली (एसईजीआरएस) ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। शिकायतों/व्यथा के मुख्य क्षेत्रों को सुविधाएं, व्यवहार, भत्ते आदि से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है।

इन शिकायतों का निवारण दो स्तरों पर किया जाएगा - क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय। शिकायतों को समयबद्ध आधार पर अगले स्तर तक पहुंचाया जाएगा और तदनुसार निवारण किया जाएगा।

औद्योगिक संबंध

पूरे वर्ष संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक में औद्योगिक संबंधों का परिवेश सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा।

बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंध परिवेश की निगरानी और उसे बनाए के लिए, समय-समय पर अनुशासन के प्रवर्तन, अपनाई जाने वाली नीतियों आदि के संबंध में परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

बैंक में अनुशासन और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध लागू करने के लिए उन स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ आईआर प्रकृति की शिकायतें/मामले दर्ज हुए। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले स्टाफ सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

साथ ही, स्टाफ मामलों से सम्बंधित वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी किए गए सभी दिशा- निर्देशों को हमारे स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके शीघ्रता से लागू किया गया।

एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने स्टाफ लाभ/आईआर मुद्दों आदि के संबंध में स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारी एसोसिएशन/ कर्मचारी युनियन के साथ विचार विमर्श किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान, 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर करने पर, अवार्ड स्टाफ और अधिकारियों को बकाया / वेतन में संशोधन का भुगतान किया गया।

स्टाफ सदस्यों द्वारा दोपहिया/चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए स्टाफ वाहन ऋण की मात्रा में वृद्धि की गई और स्टाफ वाहन ऋण पर ब्याज दरें भी कम की गईं।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी आवास ऋण की मात्रा में काफी वृद्धि की गई और ब्याज दर कम की गई।

चक्रवाती तूफान «मिचौंग» और तमिलनाडु राज्य में इसके कारण आई बाढ़ से प्रभावित स्टाफ सदस्यों को राहत ऋण स्वीकृत किया गया था।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति और कार्यालय ड्यूटी के लिए अपने स्वयं के वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति आईबीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाई गई।

हम हर साल मार्च के अंत में सभी स्टाफ सदस्यों से उनकी ‹चल, अचल और मूल्यवान संपत्तियों› के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिकांश स्टाफ सदस्यों ने अपने रिटर्न जमा कर दिए हैं जिनकी समीक्षा भी की गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों), में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया था।

वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष (01.04.2023) के प्रारम्भ में लंबित शिकायतें	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान शिकायतों का निस्तारण किया गया	वर्ष(31.03.2024) के अंत तक लंबित शिकायतें
0	6	1	5

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष स्टाफ सदस्यों द्वारा दर्ज किए गए औद्योगिक विवाद/अदालती मामलों की समीक्षा बैंक द्वारा शीर्ष स्तर पर की जाती है और अदालती मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं।

आचरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई कक्ष

अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुशासनिक मामलों के निराकरण हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों के कारण, हमने 357 प्रकरणों का निपटान किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 353 नए आरोप पत्र जारी किए।

31.03.2024 तक 270 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 163 सतर्कता मामले हैं और 107 गैर-सतर्कता मामले हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 417 नए मामलों के प्रवाह के बीच अनुशासनात्मक मामलों की संख्या को घटाकर 270 मामलों पर ला दी गई है। जहां सदस्यों को निलंबित किया गया है, वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए जांच कार्यवाही डिजिटल मोड जैसे वेबेक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

अनुशासनात्मक अधिकारियों, आईए और पीओ को निर्धारित समय के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने के लिए जागरुक किया गया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

पदों की श्रेणी	31.03.2024 तक कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी की संख्या	एससी का %	एसटी की संख्या	एसटी का %	ओबीसी की संख्या	ओबीसी का प्रतिशत %	सामान्य वर्ग की संख्या	सामान्य वर्ग का %
अधिकारी	12353	2114	17.11	1155	9.35	3936	31.86	5148	41.67
लिपिक	7423	1459	19.66	369	4.97	2612	35.19	2983	40.19
अधीनस्थ स्टाफ	1318	486	36.87	46	3.49	419	31.79	367	27.85
सफाई कर्मचारी	381	170	44.62	10	2.62	132	34.65	69	18.11
कुल	**21475**	**4229**	**19.69**	**1580**	**7.36**	**7099**	**33.06**	**8567**	**39.89**

रोस्टर:

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में पदोन्नति और भर्ती रोस्टर बनाए जाते हैं। रोस्टरों का निरीक्षण नियमित रुप में किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए रोस्टर रजिस्टर को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली द्वारा सत्यापित किया गया है।

प्रशिक्षण

पदोन्नति परीक्षा शुरू होने से पहले एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

आरक्षण मानदंडों, रोस्टर और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एससी/एसटी और ओबीसी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मुख्य सम्पर्क अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के तहत बैंकों के एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण नीति, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, आरक्षण सेल मुख्य संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य कर रहा है जो आरक्षण के नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह सेल एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व सैनिकों/दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का ध्यान रखता है।

हमारे एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के क्रम में, बहुसंख्यक कल्याण एसोसिएशन के साथ त्रैमासिक बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

ओबीसी कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के तहत बैंकों में ओबीसी के लिए लागू आरक्षण नीति, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू होती है।

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक आरक्षण कक्ष है, जो मुख्य संपर्क अधिकारी की सीधी निगरानी में है, जो महा प्रबंधक के पद पर है। आरक्षण कक्ष के माध्यम से मुख्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि बैंक में सरकारी दिशानिर्देशों को लागू किया जाए।

हमारे ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बहुमत कल्याण संघ के साथ अर्धवार्षिक बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधाएं

हमारे बैंक के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उत्थान के लिए सीईजीएसएससी और स्टैंड-अप इण्डिया जैसी योजनाएं हैं और हमारे बैंक की अन्य सभी ऋण सुविधाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

सीईजीएसएससी (अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना): अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करता है।

स्टैंड अप इंडिया: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को रुपये 10 लाख से रु. 1 करोड तक ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करता है।

सुरक्षा विभाग

स्थानीय कानून व्यवस्था, अपराध दर और बैंकों के विरुद्ध अपराधों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों में सलामती, सुरक्षा और एहतियाती उपाय, जहां भी आवश्यक हो, अनिवार्य और सुझाए गए उपायों की समीक्षा, अध्ययन और कार्यान्वयन किया गया । बैंक ने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच आग की रोकथाम और सुरक्षा जागरुकता पर जोर देना जारी रखा। सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ए, बी और सी श्रेणी की आग से लड़ने के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। सभी शाखाओं में स्व-संचालित यूपीएस कक्ष में मॉड्यूलर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के संबंध में स्टाफ सदस्यों को जागरूक किया है और सभी शाखाओं में पैसिव इंफ्रा-रेड (पीआईआर) सेंसर और वाइब्रेशन सेंसर को शामिल करते हुए 24x7x365 दिन काम करने वाले सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म सिस्टम की प्रतिष्ठापित की गई है। मामले दर मामले आधार पर, संवेदनशील शाखाओं में एकीकृत अलार्म सिस्टम प्रतिष्ठापित किया गया है और संवेदनशील एटीएम और शाखाओं में आउटसोर्स किए गए चौकीदारों/सशस्त्र गार्डों को तैनात किए गए हैं । विभिन्न क्षेत्रों में तैनात आरएसओ (क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों) ने शाखाओं का दौरा किया है, स्थापित सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच की है, कर्मचारियों को इन उपकरणों

के संचालन और महत्व के बारे में शिक्षित किया है और इसकी नियमित जांच की आवश्यकता है, शाखाओं और एटीएम की जोखिम धारणाओं का आकलन किया है और शाखाओं में सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए हैं। अधिकांश करेंसी चेस्टों को जरूरतमंद शाखाओं में नकदी के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए दो सशस्त्र गार्डों के साथ आउटसोर्स फोर्टिफाइड कैश वैन को स्वीकृत किया गया है और जहां भी नकदी अधिक मात्रा में है, वहां से इसे स्थानंतरित किया जाता है और सुरक्षा विभाग केंद्रीय कार्यालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

राजभाषा विभाग

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 853 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं के सभी कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रतिष्ठापित कर दिया है। हमारी गृह हिंदी पत्रिका **वाणी** के चार अंक प्रकाशित हुए और जिसे डिजिटल रूप में बैंक की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया। बैंक ने 14 और 15 जुलाई 2023 को स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै में राजभाषा अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एमडी व सीईओ ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सचिव सुश्री अंशुली आर्या भी शामिल हुईं। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। साथ ही जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-पत्रिका का प्रकाशन उत्कृष्ट हुआ था, उन्हें भी उक्त सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।

हमारे बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन और पत्रिका हेतु किए गए प्रयासों के प्रमाणन के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिष्ठित **राजभाषा कीर्ति** प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने ग्रहण किया। हमारे एमडी व सीईओ को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 15 सितंबर 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान **नराकास - राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावशाली मंच** विषय पर 10,000 प्रतिभागियों को संबोधित करने का अवसर मिला। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय गोवा ने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार से दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे 33 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को संबंधित नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारे 25 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक निरीक्षण राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने क्रमशः 18 अप्रैल 2023, 24 मई 2023, 14 जून 2023, 13 सितंबर 2023, 04 अक्टूबर 2023, 08 जनवरी 2024, 10 जनवरी 2024, 12 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, राजकोट शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय गोवा का निरीक्षण किया। उक्त समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उन केंद्रों पर हो रहे कार्यों के प्रति संतोष प्रकट किया।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्टाफ सदस्यों के लिए 18 सितंबर 2023 को एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बैंक ने दिसंबर 2023 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्टाफ सदस्यों के लिए एक अंतर-बैंक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। उक्त प्रतियोगिता के पुरस्कृत आलेखों को संकलित कर **निबंध संचय भाग-2** पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। हमने **फिनेकल मेनू सहायिका** भी प्रकाशित की है, जिसमें फिनेकल मेनू के कमांड और उनके उपयोग का वर्णन है। 10 जनवरी 2024 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 10 फरवरी 2024 को बैंक के 88वें स्थापना दिवस समारोह पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। केंद्रीय कार्यालय ने 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कार्यपालकों के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में भारतीय भाषाएं** विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

हमारे बैंक ने जनवरी 2021 में राजभाषा का उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, प्रत्येक छमाही के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने वाले स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन स्वरुप रु. 1,000 राशि एवं प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक छमाही के दौरान केंद्रीय कार्यालय से 12 स्टाफ सदस्यों और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से 3 स्टाफ सदस्यों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं से 6 स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इस योजना के तहत कुल 620 स्टाफ सदस्यों को नकद प्रोत्साहन और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

हमारे बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) लागू करने की प्रक्रिया में है। भारिबैं ने 22 मार्च 2019 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बी.सी.सं 29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालाँकि, आरबीआइ को सभी बैंकों से हर आधे साल में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण जमा करने की आवश्यकता होती है। आरबीआइ के निर्देशानुसार, बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन, बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया है। बैंक परियोजना संचालन समिति की मंजूरी के बाद नियमित रूप से अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआइ को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण जमा कर रहा है।

पीएसबी के लिए -सुधार एजेंडा-ईज़ -एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस

ईज़ सुधार एजेंडा 2018 में डीएफएस के मार्गदर्शन में आईबीए द्वारा लॉन्च किया गया था। ईज़ सुधार एजेंडा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच परिचालन और क्षमता अंतर को पाटने पर केंद्रित है। ईज़ कार्यक्रम हर साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा निर्धारित करता है। ईज़ का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में लाभप्रदता, संपत्ति की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार के लिए नए युग के सुधारों को बढ़ावा देना है। **एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस** (ईज़) कार्यक्रम ने डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिज़ल्ट सेंट्रिक एचआर और पूर्णत: गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। ईज़ रिफॉर्म्स एजेंडा का सभी पीएसबी' यों में प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है।

ईज़ 6.0 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पेश किया गया जो 4 विषयों पर केंद्रित है:

1. डिजिटल सक्षमता के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान करना।
2. डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित व्यवसाय सुधार।
3. तकनीक और डेटा सक्षम क्षमता निर्माण।
4. लोगों का विकास करना और एचआर संचालन को बढ़ाना।

बैंक ने ईज़ 6.0 कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है और ईज़ रिफार्म इंडेक्स के तहत बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक पहल की है।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- बैंक को वित्त वर्ष 2023 के लिए ईज़ 5.0 के तहत दूसरे सर्वश्रेष्ठ टॉप इम्प्रूवर और अर्लीएस्ट क्लैरिफिकेशन क्लोजर में दूसरे सर्वश्रेष्ठ के रूप में मान्यता दी गई है।
- ईज़ सुधार एजेंडा के तहत बैंक की रैंकिंग सुधरकर 9वें स्थान पर पहुंच गई।

प्रायोजना एवं आर्थिक डेस्क:

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि आंदोलन की निगरानी, कॉरपोरेट स्तर के बजट, अनंतिम दैनिक एमआईएस को शीर्ष प्रबंधन और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण रिपोर्ट करने के लिए उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है। आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/ आरबीआइ नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है।

नए विकास:

शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकश के अनुरूप एवं हमारे उत्पाद को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, हमने इनपुट एकत्र किए हैं और उपयुक्त संशोधन किए हैं और देयता योजनाओं को नया रूप दिया है और उन्हें एक प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में बाजार में पेश किया है।

1. पुनर्गठित एसबी योजनाएं

ए) मौजूदा और नए ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने और बदलते उद्योग रुझानों के अनुरूप होने के लिए, हमने अपनी मौजूदा बचत खाता योजनाओं को नया रूप दिया है।

बी) बचत खाता योजना को नया स्वरूप देने का उद्देश्य समान विशेषताओं वाली बड़ी संख्या में योजनाओं को कम करना/विलय करना और मौजूदा उद्योग प्रवृत्ति के अनुरूप उन योजनाओं में अधिक आकर्षक गतिशील विशेषताएं जोड़ना था।

2. आइओबी रेरा चालू खाता

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक प्रमोटर को रेरा के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होती है, जिसे रेरा नामित/प्रोजेक्ट खाता कहा जाता है। आरईआरए खाता, रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए रीयलटर्स के लिए एक विशेष चालू खाता योजना है।

प्रमोटरों/रियलटर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमने आइओबी रेरा चालू खाता योजना शुरू की है।

3. आइओबी स्वतंत्र बचत और चालू खाता

क) गतिशील बैंकिंग उद्योग की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और नवीन उत्पादों की पेशकश के संदर्भ में, बचत खाते और चालू खाते का एक सदस्यता-आधारित मॉडल पेश किया गया है।

बी) यह उत्पाद ग्राहकों को बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के देश भर में एटीएम तक असीमित पहुंच, अतिरिक्त शुल्क के बारे में चिंताओं से मुक्त और आकर्षक सुविधाओं के बंडल प्रदान करता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज रुपये 10.00 लाख का बचत और चालू खाते दोनों में उपलब्ध है।

ग) बचत खाता योजना के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये 1600/- रुपये (केवल एक हजार छह सौ रुपये) (जीएसटी सहित) और चालू खाता योजना के लिए 3000/- (केवल तीन हजार रुपये) (जीएसटी सहित) है।

4. आइओबी हरित जमा योजना

जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक माना गया है। वित्तीय क्षेत्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा बैंक कम उत्सर्जन और पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करके एक स्थाई दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियामक ढांचे के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने आइओबी ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है और योजना के तहत स्वीकार की गई सभी जमा राशि का उपयोग हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण और देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किया जाएगा।

5. टेब आधारित बैंकिंग का परिचय

ए) डिजिटल परिवर्तन के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने बचत खाते खोलने के लिए एक ग्राहक ऑनबोर्डिंग समाधान शुरू किया है। खाता खोलने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, एकीकृत वेब कैमरा और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ टैब गैजेट के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक आधारित तत्काल खाता खोलने की शुरुआत की गई है।

बी) एप्लिकेशन को यूआईडीएआई और एनएसडीएल के साथ एकीकृत किया गया है जिससे ग्राहक को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पैन सत्यापन के माध्यम से पहचानने की सुविधा मिलती है। स्वचालित खाता खोलने के लिए प्रक्रिया को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (फिनेकल) के साथ एकीकृत किया गया है।

जनसंपर्क

प्रेस विज्ञप्ति और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्शन

विभाग मैसर्स कॉन्सेप्ट पब्लिक रिलेशंस इंडिया लिमिटेड के साथ फरवरी 2024 तक और 01 मार्च 2024 से मेसर्स वेरिटास रेपुटेशन पी लिमिटेड के साथ समन्वय कर, 48 स्टैंडअलोन प्रेस विज्ञप्तियां प्रसारित कीं और 7 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरैक्शन आयोजित किए।

विज्ञापन, प्रचार और अन्य गतिविधियाँ

बैंक ने विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रिंट, ऑनलाइन विज्ञापन, एफएम रेडियो, चेन्नै मेट्रो ट्रेन, होर्डिंग और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने विज्ञापन (नियामक और गैर नियामक) पर 83.19 लाख रुपये और प्रचार पर 1.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

डीएफएस के निर्देशानुसार, निम्नलिखित कार्यक्रम बैंक द्वारा केंद्रीयकृत रूप से आयोजित की गईं:

- अप्रैल से अगस्त 2023 - आज़ादी का अमृत महोत्सव - भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पर उत्सव विभाग ने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तमिल भाषी क्षेत्रों में ग्राहक बैठक और बिजनेस मीट आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय किया। एंकर और गैर-एंकर महीनों के लिए एकएएम घटनाओं पर रिपोर्ट डीएफएस को प्रस्तुत की गई थी।
- 14 जून 2023 - विश्व रक्तदाता दिवस-2023 मनाया गया, और हमारे एमडी और सीईओ ने विश्व रक्तदाता दिवस की शपथ दिलाई।
- 13 से 15 अगस्त 2023 - पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया।
- 15 अगस्त 2023 - पूरे भारत में 25 चयनित शाखाओं में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस आयोजित किया गया।
- 02 अक्टूबर 2023 - माउंट रोड में मरीना बीच और पार्क की सफाई द्वारा स्वच्छता है सेवा अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
- 26 नवंबर 2023 - संवैधानिक दिवस पर एमडी और सीईओ द्वारा शपथ दिलाई गई
- 26 जनवरी 2024 - बैंक ने हमारे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकगण और स्टाफ सदस्य केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए।
- 08 मार्च 2024 - भारत में सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- बैंक ने एसएलबीसी के साथ समन्वय में विकसित भारत संकल्प का नेतृत्व किया। 2047 तक विकसित भारत की दिशा में पीएमस्वनिधि, मुद्रा, पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की पहल की।

<u>अन्य गतिविधियां</u>

- 21 से 28 जुलाई 2023 - पूरे भारत में अनुपालन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- 15 अगस्त 2023 - द हिंदू - अंग्रेजी समाचार पत्र में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रकाशित।
- 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 - बैंक द्वारा सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत दिशानिर्देशों के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बेसेंट नगर बीच पर वॉकथॉन भी शामिल है।
- 10 फरवरी 2024 - एफएम रेडियो स्टेशनों के माध्यम से 88वें स्थापना दिवस समारोह पर प्रसारित विज्ञापन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर विशेष लाइव एक्शन वीडियो पोस्ट किया गया।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्यसभा) समिति की बैठकों की मेजबानी की/ भाग लिया

- विकास संबंधी उद्योग विषयक संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 9 अप्रैल 2023 को मुंबई में।
- सरकारी आश्वासन समिति, राज्यसभा का अध्ययन दौरा 17 मई 2023 को चेन्नै में
- लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति का अध्ययन दौरा 19 मई 2023 को ऊटी में
- सरकारी आश्वासन समिति (2022-23), राज्यसभा का अध्ययन दौरा 03 जुलाई 2023 को चेन्नै में
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति (2022-23) का अध्ययन दौरा कार्यक्रम 06 जुलाई 2023 को कोयंबटूर में
- लोकसभा की प्राक्कलन समिति का मौके पर अध्ययन दौरा 19 अगस्त 2023 को रामेश्वरम में
- वित्त पर स्थायी समिति (2022-23) का अध्ययन दौरा 21 अगस्त 2023 को चेन्नै में
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 26 अगस्त 2023 को चेन्नै में
- लोक लेखा समिति (2023-24) का अध्ययन दौरा 04 अक्टूबर 2023 को गोवा में।
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (2023-24) का अध्ययन दौरा 10 अक्टूबर 2023 को मुंबई में।
- विभाग से संबंधित संसदीय का अध्ययन दौरा 03 नवंबर 2023- श्रीनगर में।

- उद्योग संबंधी स्थायी समिति श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 04 नवंबर 2023 को स्वराज द्वीप (हैवलॉक द्वीप) में।
- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति (2023-24) का अध्ययन दौरा 08 जनवरी 2024 को चेन्नै में।
- उद्योग संबंधी विभाग विषयक संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 25 जनवरी 2024 को महाबलीपुरम में।

ए) सोशल मीडिया

- बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। हमारी ब्रांड छवि को और बेहतर बनाने के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया टीम का गठन किया गया है।
- 31 मार्च, 2024 तक, यूट्यूब पर हमारी ग्राहक संख्या - 3,60,203, फेसबुक - 1,14,718, इंस्टाग्राम - 86,631, एक्स - 40,936 और लिंक्डइन - 29,068 कुल 6,31,556 ग्राहक हैं।
- इसके अतिरिक्त, हम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में पोस्ट के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों को नियमित रूप से अपडेट करने, अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को शिक्षित करने और अपने बैंक की मार्केटिंग विज़िब्लिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सोशल मीडिया पर 853 पोस्टर/फ्लायर्स/वीडियो पोस्ट किए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त 533 ग्राहक शिकायतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया और 48 घंटों के भीतर उनका समाधान किया गया।

कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल 5.58 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे लगभग 176,695 लाभार्थियों को लाभ हुआ।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आउटलुक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में दूसरी बार 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ पिछले वित्तीय वर्ष मार्च 2023 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। उच्च ब्याज आय और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के कारण 2022-23 में अर्जित 1,04,649 करोड़ रुपये की तुलना में 12 पीएसबी का निवल लाभ 34.93% बढ़कर 1,41,203 करोड़ रुपये हो गया।

आगे बढ़ते हुए, बैंकिंग क्षेत्र में केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि, पीएलआई योजना द्वारा समर्थित एमएसएमई ऋण में वृद्धि और त्वरित ऋण मंजूरी और संवितरण के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी के कारण खुदरा ऋण मांग में वृद्धि से दोहरे अंक की ऋण वृद्धि देखी जा सकती है। हालाँकि, ऋण लागत की तुलना में फंडिंग लागत में तेजी से वृद्धि के कारण बैंकों को निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है और उम्मीद है कि रेपो दर में कटौती का चक्र वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही से शुरू हो सकता है। बैंकों को विशेषकर कम लागत वाली कासा जमाओं में जमा राशि जुटाने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जमा राशि जुटाने के लिए बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से बैंक का ब्याज खर्च ऊंचा रहेगा।

From
VISION
to
REALITY
IOB
STARTUP
CURRENT ACCOUNT
• DPIIT RECOGNITION OPTIONAL FOR ACCOUNT OPENING
• QAB WAIVER UPTO 18 MONTHS
• Free NEFT/RTGS/IMPS
For more information, please scan the code
T&C Apply
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2023-24

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2023-24

अनिवार्य अपेक्षाएं

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को पहचानता है और न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है, बल्कि स्वेच्छा से मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के एक सेट का निर्माण और पालन करता है। बैंक ने हमेशा अपने सभी हितधारकों जैसे शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और समाज के हितों को सर्वोत्कृष्ट सेवा देने लिए अथक प्रयास करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही प्रदान करना और व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, सुदृढ़ कारोबारी प्रथाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना और प्राप्त करना है। इसने बदले में बैंक को शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

2. निदेशक मंडल:

बैंक का गठन समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के तहत किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथासंशोधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कामकाज की निगरानी करना है, जिसमें शामिल है - व्यापार के परिचालन के लिए नीतियों की मंजूरी, व्यापार समीक्षा, लेखापरीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आंकलन करना, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान अखंडता, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियां बोर्ड की समितियों को सौंपी हैं। बोर्ड और उसकी समितियाँ समय-समय पर बैठक करती हैं।

क) संघटन:

बैंक का व्यवसाय, निदेशक मंडल में निहित है। एमडी व सीईओ और ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। 31.03.2024 तक दस निदेशकों की संख्या में तीन पूर्णकालिक निदेशक, 2 गैर- कार्यपालक निदेशक, 4 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और शेयरधारकों में से चुने गए 1 निदेशक शामिल हैं जो विधिवत रूप से उनके हित का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाले श्रमिक कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पदों की आवश्यकता है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से नामांकित किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक का पद 25.07.2019 से रिक्त है।

बैंक ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कदम उठाया है और केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है । भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियां भरी जाएंगी ।

ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकत्व की प्रकृति	नियुक्तियों की तिथि	वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/ पद त्याग
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	गैर- कार्यकारी अध्यक्ष व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.02.2024	--
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.01.2023	--
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	31.01.2024	--
4	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2024	--
5	सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2021	09.03.2024
6	श्री संजय विनायक मुदालियर	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.01.2023	30.01.2024
7	श्री कार्तिकेय मिश्रा	सरकार के नामित निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	25.10.2023	--
8	सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू	सरकार के नामित निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	22.07.2016	24.10.2023
9	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	आरबीआइ के नामित निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	14.07.2023	--
10	श्री विवेक अग्रवाल	आरबीआइ के नामित निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	25.02.2022	13.07.2023
11	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	--
12	श्री बी चंद्रा रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर-कार्यकारी	21.12.2021	--
13	श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	--
14	श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक	03.12.2021	--

31.03.2024 को बैंक के निदेशकों की प्रोफ़ाइल एक अनुबंध के रूप में संलग्न है।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

बोर्ड ने निदेशकों के लिए आचार संहिता अपनाई है और एमडी व सीईओ से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक घोषणा प्राप्त की गई है और घोषणा निम्नानुसार है।

"यह पुष्टि की जाती है कि बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात महाप्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और उक्त संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।"

श्री प्रणय कुमार, सहायक महा प्रबंधक, बोर्ड के वर्तमान सचिव हैं।

ग) निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का विवरण

प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की पहचान की गई है	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/दक्षताएं
बैंकिंग	हाँ

वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबन्धन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेज़री प्रबन्धन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबन्धन	हाँ

घ) बोर्ड की बैठकें:

बैठक की तारीख और स्थान के साथ-साथ कार्यसूची के कागजात सभी निदेशकों को काफी पहले ही सूचित कर दिए जाते हैं। निदेशकों के पास एजेंडे पर सभी अतिरिक्त जानकारी तक पहुंच है। आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बैंक के अधिकारियों को भी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकें तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छह बार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता के मुकाबले 12 बार आयोजित की गईं।

बैंक ने 2012-13 से एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, बोर्ड पोर्टल के उपयोग के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों को समय पर और निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित करके बोर्ड और समिति की बैठकों के ई-संचालन के लिए एक ई-गवर्नेंस पहल की है। इसके बाद, वेब आधारित पोर्टल को ई-मीटिंग पोर्टल में स्थानांतरित कर दिया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 में मोबीट्रेल का एक उत्पाद है। यह पोर्टल एजेंडा पेपर्स के लिए वास्तविक समय के आधार पर आइ पैड्स पर निदेशकों की गोपनीय ई-एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल ने बैठकें आयोजित करने के तरीके को बदल दिया है, जबकि लागत, समय और संसाधनों में पर्याप्त बचत हुई है। बैंक बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों के पूर्ण स्वचालन को अपनाने की कगार पर है, जिसे पहले ही एक बोर्ड स्तरीय समिति के लिए पायलट आधार पर शुरू किया जा चुका है, जिसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 से अन्य सभी बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें इसी प्रकार से होंगी।

- **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित तिथियों और स्थानों पर 11 बार आयोजित की गईं:**

क्रमांक	बैठक की तिथि	आयोजन का स्थान
1	11.05.2023	चेन्नै
2	12.05.2023	चेन्नै
3	23.06.2023	महाबलीपुरम
4	24.06.2023	महाबलीपुरम
5	02.08.2023	चेन्नै
6	03.08.2023	चेन्नै
7	05.09.2023	चेन्नै
8	11.10.2023	चेन्नै
9	27.10.2023	चेन्नै
10	20.12.2023	चेन्नै

क्रमांक	बैठक की तिथि	आयोजन का स्थान
11	24.01.2024	चेन्नै
12	12.03.2024	चेन्नै

सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। जहां भी निदेशकों द्वारा अनुपस्थिति की छुट्टी का अनुरोध किया जा रहा है, अनुपस्थिति की छुट्टी चिह्नित की गई है। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी बैठकें आंशिक/पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुई हैं।

- **निदेशक मंडल की बैठकों और आयोजित अंतिम एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है:**

क्रमांक	निदेशक का नाम	उपस्थिति/आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम 07.07.2023 में उपस्थिति
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	01/01	--
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	11/12	उपस्थित
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	01/01	--
4	श्री धनराज टी	01/01	--
5	सुश्री एस श्रीमती	08/11	उपस्थित
6	श्री संजय विनायक मुदालियर	10/11	उपस्थित
7	श्री कार्तिकेय मिश्रा	03/04	--
8	सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू	05/08	--
9	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	04/04	--
10	श्री विवेक अग्रवाल	07/08	
11	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	12/12	उपस्थित
12	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	12/12	उपस्थित
13	श्री दीपक शर्मा	12/12	उपस्थित
14	श्री संजया रस्तोगी	12/12	उपस्थित

सेबी (एलडओडीआर) विनिमय, 2015 के विनियम 34 के सम्बन्ध में दिनांक 03.2024.13 को गैर- कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

क्रमांक	निदेशक का नाम	शेयरों का विवरण
1	श्री संजया रस्तोगी	100

किसी अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक द्वारा आइओबी के शेयर धारण नहीं किए जाते हैं।

घ. बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं:

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिसमें वह बोर्ड के सदस्य/अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक/नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या (आइओबी के अलावा) जिसमें सदस्य हैं
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	1. ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2. निर्लॉन लिमिटेड 3. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड 4. फिनका, अजरबैजान	**ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लिमिटेड** 1. लेखापरीक्षा समिति - सदस्य के रूप में 2. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिल्टी समिति - सदस्य के रूप में 3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य के रूप में 4. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष एवं 5. ईएसओपी आवंटन समिति - अध्यक्ष के रूप में **ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड** 1. लेखापरीक्षा समिति - सदस्य के रूप में 2. जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष के रूप में **निरलोनलि.** 1. लेखापरीक्षा समिति - सदस्य के रूप में 2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – सदस्य के रूप में 3. शेयरधारक संबंध समिति - सदस्य के रूप में 4. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - अध्यक्ष के रूप में 5. स्वतंत्र निदेशक समिति - सदस्य के रूप में
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	--

ड़. समितियों में सदस्यता:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, उच्च मूल्य वाले धोखाधड़ी निगरानी हेतु समिति, इरादतन चूककर्ता और गैर सहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा समिति, निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है । आरबीआइ /सेबी/डीएफएस दिशानिर्देशों के मद्देनजर समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

3. बोर्ड की समितियां:

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और उन्हें विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बाद में पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाता है। रिकॉर्डिंग के लिए कार्यवृत्त को बोर्ड बैठक के समक्ष भी रखा जाता है।

1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति(आरएमसीबी)
4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
5. अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा के लिए समिति (सीआरडीसी)
6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइटीएससी)

7. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति (बीएलएससीएचआर)
8. एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए)
9. अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति (सीबीसीए)
10. बोर्ड की हितधारक सम्बन्ध समिति (एसआरसी)
11. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
12. बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (सीएमएलवीएफ)
13. जनाबूझकर चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएनसीबी)
14. कार्य-निष्पादन के मुल्यांकन पर बोर्ड समिति(बीसीपीई)
15. ऋण मंजूरी समिति (सीएसी)

3.1 बोर्ड की प्रबन्धन समिति

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

ए. बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार क्रेडिट प्रस्तावों (निधिक और गैर-निधिक) की स्वीकृति

बी. ऋण और ब्याज समझौता/प्रस्तावों को बट्टे खाते में डालना - बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार।

सी. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

डी. परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित प्रस्ताव, परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने के लिए मानदंडों से विचलन सहित।

ई. वाद/अपील दायर करना, उनका बचाव करना आदि ।

एफ. अंडरराइटिंग सहित सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश।

जी. दान

एच. बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला।

(ए) से (जी) के मद उन प्रस्तावों के संबंध में होंगे जो एमडी व सीईओ की विवेकाधीन शक्तियों/क्रेडिट अनुमोदन समिति की शक्तियों से परे हैं, जैसा भी लागू हो।

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। वर्ष के दौरान समिति की 22 बैठकें हुईं। सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

जिन सदस्यों ने 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान कार्यालय संभाला और प्रत्येक समिति सदस्य द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष	01.01.2023	--	22/22
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	सदस्य	31.01.2024	--	03/03
3	श्री धनराज टी	सदस्य	10.03.2024	--	02/02
4	सुश्री एस श्रीमती	सदस्य	10.03.2021	09.03.2024	18/20
5	श्री संजय विनायक मुदालियर	सदस्य	01.01.2023	30.01.2024	18/18

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
6	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	सदस्य	14.07.2023	--	12/15
7	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022	13.07.2023	04/07
8	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	सदस्य	11.10.2023	--	08/08
9	श्री संजया रस्तोगी	सदस्य	03.12.2022	10.10.2023	14/14

09.10.2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में 31.12.2022 तक सदस्यता, एमडी व सीईओ . 01.01.2023, 01.01.2023 से समिति के अध्यक्ष

3.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) में केवल गैर- कार्यपालक निदेशक (एनईडी) होते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होता है। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करता है। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है**,** जिसके पास ऋण जोखिमों को मंजूरी देने का अधिकार होता है। सभी सदस्यों के पास सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़ी टिप्पणियों/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होती है और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होती है [उदा. इसके आसपास के आंतरिक नियंत्रण सहित लेखा मानकों और प्रथाओं के आवेदन में अनुभव]।

कार्यपालक निदेशकगण आमंत्रिति के रूप में बैठक में शामिल होते हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है

एसीबी को सौंपे गए कार्य एवं दायित्व निम्नवत है:

⇒ दिशा प्रदान करने के साथ-साथ बैंक में संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के संचालन की निगरानी करना। कुल लेखापरीक्षा कार्य में बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होगा और बैंक के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षा और आरबीआइ के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

⇒ बैंक प्रणाली में आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा करना, अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता और विशेष और अतिरिक्त-बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।

⇒ विदेशी शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में नियामकों की नियामक आवश्यकता के अनुपालन पर अनुपालन विभाग से त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना।

⇒ एसीबी/बोर्ड/आरबीआइ द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना।

⇒ वैधानिक ऑडिट की रिपोर्ट और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक I त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी ऑडिटरों के साथ बातचीत करना।

⇒ आरबीआइ की निरीक्षण रिपोर्ट यानी आरएआर/आरएमपी आदि में उठाए गए सभी मुद्दों/मामलों की समीक्षा और उनका पालन करना

⇒ संवेदनशील क्षेत्रों, यानी पूंजी बाजार और रियल एस्टेट में एक्सपोजर की समीक्षा।

⇒ केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों की समीक्षा - (i) कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) शाखाओं में केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुपालन की समीक्षा।

⇒ विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन पर सूचना की समीक्षा।

⇒ इसे बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के लिए बैंक के निरीक्षण और लेखापरीक्षा/लेखा/शासन आदि के संबंध में विभिन्न नीतियों की सिफारिश करनी चाहिए।

⇒ एसीबी द्वारा अनुमोदित कैलेंडर नोट्स की समीक्षा करना।

यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान देती है:

⇒ अंतर-शाखा समायोजन खाते

⇒ सस्पेंस, हर तरह की चीज़ें, ट्रांज़िट में फ़ंड, अंतर-बैंक खातों, नोस्ट्रो खातों आदि की समाशोधन में लंबे समय से असमाधानित प्रविष्टियाँ

⇒ धोखाधड़ी और हाउसकीपिंग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

⇒ फिशिंग हमलों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट, विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों में कमियों और ऐसे मामलों को रोकने के लिए आइ टी विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की ओर इंगित करते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दायरे को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया था:

ए) संभावित एनपीए / तनाव के मामले जब भी आवश्यक हो।

बी) उच्च मूल्य के ऋण जो एक ऐसी सुरक्षा पर दिए गए हैं जो भार से मुक्त नहीं है।

सी) उच्च मूल्य ऋण वाले एकमुश्त निपटान के मामले

डी) उच्च मूल्य खाते - सुरक्षा / संपार्श्विक (दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन करने के लिए

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआइ द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर सेबी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य/शक्तियां एसीबी को सौंपी गई हैं

- संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
- किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना।
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने के लिए।
- प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, यदि यह आवश्यक समझे।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिका कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों के अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना, लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।
- लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा और उसकी उपलब्धि की स्थिति
- बैंक की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 भाग सी के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका परिभाषित की गई है जो कॉरपोरेट प्रशासन नीति का हिस्सा है

समिति की वर्ष 2023-24 के दौरान 8 बैठकें आयोजित हुई।

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

जिन सदस्यों ने 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान पदभार संभाला और वर्ष के दौरान उनके द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री बी चंद्रा रेड्डी	समिति के अध्यक्ष	05.01.2022	--	08/08
2	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	सदस्य	14.07.2023	--	04/06
3	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022	13.07.2023	02/02
4	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	सदस्य	05.01.2022	10.10.2023	04/04
5	श्री संजया रस्तोगी	सदस्य	11.10.2023	--	04/04
6	श्री दीपक शर्मा	सदस्य	05.01.2022	--	08/08

3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होता है। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार रूंगटा हैं जो एक स्वतंत्र निदेशक हैं। आरएमसीबी की भूमिका और कार्य बैंक द्वारा ग्रहण किए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए है । समिति क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करेगी। समिति की 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 5 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्रमांक	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	05/05
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	01.01.2023	--	05/05
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	04/05
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	05/05
5	श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.10.2022	--	05/05
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	05/05
7	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	05/05

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में

3.4 वृहत् मूल्य धोखाधड़ियों के प्रबोधन के लिए समिति

समिति के प्रमुख कार्य सभी बड़े मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है ताकि प्रणालीगत कमियों की पहचान की जा सके, यदि कोई हो, पता लगाने में देरी के कारण और रिपोर्टिंग, यदि कोई हो, सीबीआइ /पुलिस जांच की प्रगति की निगरानी, वसूली की स्थिति, यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए और उपयुक्त निवारक उपायों को लागू करते हुए कर्मचारियों की जवाबदेही की कवायद जल्दी पूरी की जाती है। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और समिति के

वर्तमान अध्यक्ष एमडी व सीईओ हैं। 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्रमांक	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	01.01.2023	--	04/04
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	01/01
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	03/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	03/03
5	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	10.10.2023	02/02
6	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	04/04
7	श्री दीपक शर्मा	11.10.2023	--	02/02

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में, 12.03.2024 तक समिति के अध्यक्ष के रूप में ।

3.5 ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, निम्नलिखित को संबोधित कर सकती है, उदाहरण के तौर पर :-

- एक व्यापक जमा नीति तैयार करना
- खाते के संचालन के लिए जमाकर्ता की मृत्यु पूर्व किए गए उपचार संबंधित मुद्दे
- उपयुक्तता की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया
- जमाकर्ता संतुष्टि के लिए वार्षिक सर्वेक्षण
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखापरीक्षा। इसके अलावा, समिति प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य मुद्दे की भी जांच कर सकती है।
- बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन और समीक्षा करना। यह ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए नए उपायों पर भी विचार करेगी।

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		भाग लेने/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	01.01.2023	--	04/04
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	01/01
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	03/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	03/03
5	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	04/04
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	04/04

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में

3.6 अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा के लिए समिति

यह तिमाही आधार पर सतर्कता/गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक और विभागीय जांच की समीक्षा करता है और 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों में तिमाही आधार पर कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच करता है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नवत है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		भाग लेने/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	01.01.2023	--	04/04
2	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	01/01
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	03/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	03/03
5	श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	--	01/02
6	श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	24.10.2023	02/02
7	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022	13.07.2023	01/01
8	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023	--	02/03

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में

3.7 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) समुचित सावधानी बरत रही है और निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड पर पहुँची है जैसा कि आरबीआइ मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर.एपीटी.सं. में निर्दिष्ट है। 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, भाग डी के अनुसार। यह मौजूदा पारिश्रमिक समिति का कार्य भी कर रही है।

एनआरसी का गठन केवल गैर- कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के साथ किया गया है। एनआरसी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है । बोर्ड के अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। एनआरसी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती है। समिति में 5 गैर- कार्यपालक निदेशक होते हैं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आइ टीएससी) है व्यवसाय में सुधार के लिए आइ टी में विकास का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की आइ टी नीति पर विचार-विमर्श किया गया। यह आइ टी सक्षम प्रमुख व्यावसायिक पहलों और बैंक की तकनीकी संरचना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसी में विस्तृत भूमिका और कार्य को परिभाषित किया गया है।

अध्यक्ष, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते है। वर्तमान में, श्री श्रीनिवासन श्रीधर, गैर- कार्यकारी अध्यक्ष व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। समिति की 01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 5 बार बैठक हुई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक

सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		बैठकों की संख्या में भाग लिया / आयोजित किया
		से	तक	
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	12.03.2024	--	01/01
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	09.10.2017	--	03/04
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	01/01
4	श्री धनराज टी	10.03.2024	--	01/01
5	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	02/03
6	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	03/03
7	श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	--	01/02
8	श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू	25.07.2018	24.10.2023	02/02
9	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	11.03.2024	03/03
10	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	04/04

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में

3.9 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशकों/सदस्य का नाम	सदस्यता की अवधि		बैठकों की संख्या में भाग लिया / आयोजित किया
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	09.10.2017	--	04/04
2	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	04/04
3	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	04/04
4	श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	24.10.2023	03/03
5	श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023	--	00/01
6	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	04/04
7	डॉ टी टी राम मोहन**	--	--	03/04

09.10.2017 से 31.12.2022 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सदस्यता, 01.01.2023 से एमडी व सीईओ के रूप में, 12.03.2024 तक समिति के अध्यक्ष के रूप में।

** वे एक नियुक्त निदेशक नहीं है। उन्हें डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति के लिए मानव संसाधन पेशेवर (पूर्व-आइआइएम प्रोफेसर) के रूप में नामित किया गया है

3.10 इरादतन चूककर्ताओं और गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति

12.03.2024 से गैर – कार्यपालक अध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की कुल 5 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		बैठकों की संख्या में भाग लिया / आयोजित किया
		से	तक	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	05/05
2	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	05/05
3	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	05/05

3.11 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर 2015 के अनुसूची II के भाग डी के निर्दिष्टानुसार होगी जोकि निम्नवत है:

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान जिसमें शेयरों के अंतरण/ संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाण- पत्रों का निर्गम, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए की गयी उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/ वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान समिति की बैठक 04 बार आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		बैठकों की संख्या में भाग लिया / आयोजित किया
		से	तक	
1	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	04/04
2	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	03/04
3	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	30.01.2024	03/03
4	श्री जयदीप दत्ता रॉय	31.01.2024	--	01/01
5	श्री बी चंद्र रेड्डी	05.01.2022	--	04/04
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	04/04

अनुपालन अधिकारी

श्री राम मोहन के बैंक द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सू-चीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं और सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों आदि के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए समीक्षाधीन अवधि हेतु स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त, समाधान और लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2023 को लंबित	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	38
वर्ष के दौरान निपटायी गयी	38
31.03.2024 को लंबित	शून्य

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशकों की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुनी/लंबित नहीं रही।

3.12 एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए) सभी एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा और निगरानी कर रही है। यह एनपीए प्रबंधन की समीक्षा भी करती है और तनावग्रस्त संपत्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों पर प्रगति/कार्रवाई की गई रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। समिति की 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 7 बैठकें हुईं। सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.13 कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

डीएफ़एस दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों और आंतरिक नियंत्रण के प्रभारी महाप्रबंधकों (जैसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन, जोखिम) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की दो बैठक आयोजित की गई।

3.14 अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति

अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति सजा/अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के मामले में अपीलीय प्राधिकारी /समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है जहाँ एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, जहाँ कहीं भी एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, वे अपील और समीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई।

3.15 बोर्ड की ऋण मंजूरी समिति

राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 की अधिसूचना संख्या एस.0.2736(ई) दिनांक 5 दिसंबर, 2011 के संशोधन के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा 25.02.2012 को ऋण स्वीकृति समिति का गठन किया गया है। समिति को ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति और ऋण समझौते/बट्टे खाते में डालने के निपटान के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियों का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर बोर्ड द्वारा पिछली बार दिनांक 25.06.2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया था

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान समिति की 19 बैठकें हुईं। सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

4. वरिष्ठ प्रबंधन:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तन के साथ शामिल हैं:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम
1	श्री राजीव कुमार	मुख्य सतर्कता अधिकारी
2	श्री सुधीर प्रसाद ठाकुर	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
3	श्री नटराज कार्यमपुडी	मुख्य अनुपालन अधिकारी/विभागाध्यक्ष
4	सुश्री राजलक्ष्मी भवानी शंकर	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
5	श्री लक्ष्मी वेंकटेश आर	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
6	श्री ए.एम.बनर्जी	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
7	श्री महेश कुमार एसपी	मुख्य वित्तीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष
8	श्री गोपाल एस	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
9	श्री मोहन एम	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
10	श्री रेयाजुल हक़	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
11	श्री सुरेश पी	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
12	श्री श्याम सुन्दर नारंग	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
13	सुश्री सेल्वारानी वी.	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
14	श्री कौस्तुभ मजुमदार	मुख्य जोखिम अधिकारी/विभागाध्यक्ष
15	श्री शुभेंदु कुमार वर्मा	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष (31.12.2023 को कार्यालय से सेवानिवृत्त)
16	श्री शिव कुमार गुप्ता	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष (31.12.2023 को कार्यालय से सेवानिवृत्त)
17	श्री बृन्दावन नायक	महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष (31.07.2023 को कार्यालय से सेवानिवृत्त)
18	श्री नंदकुमारन एस	उप महा प्रबंधक & कंपनी सचिव (31.05.2023 को सेवानिवृत्त)
19	श्री अमित श्रीवास्तव	उप महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
20	श्री तिरुमुरुगन एस	उप महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष
21	सुश्री दुर्गा देवी एम	उप महा प्रबंधक/विभागाध्यक्ष

5. निदेशकों को पारिश्रमिक:

निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

नाम	पद का नाम	अवधि	पारिश्रमिक का विवरण			राशि (रुपये)
			वेतन	बकाया राशि	पीएफ	
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	एमडी एवं सीईओ	01.04.2023 से 31.03.2024	36,88,224.00	1,36,068.00	2,55,840.00	40,80,132.00
सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	01.04.2023 से 09.03.2024	35,57,777.10	52,200.00	2,47,053.23	38,57,030.33
श्री संजय विनायक मुदलियार	कार्यपालक निदेशक	01.04.2023 से 30.01.2024	2944,493.89	45,696.00	1,91,520.00	31,81,709.89
श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक	31.01.2024 से 31.03.2024	7,09,128.00	0.00	38,125.16	7,47,253.16
श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024 से 31.03.2024	2,40,372.00	0.00	12,923.23	2,53,295.23

बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है, जो प्रति बोर्ड बैठक 40,000/- रुपये और प्रति समिति बैठक 20,000.00 रुपये और बोर्ड की अध्यक्षता के लिए 10,000/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क है। भारत सरकार के परिपत्र संख्या एफ.नं.15/1/2011- बीओ.आइ दिनांक 18.01.2019 के अनुसार बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए और 5,000 रुपये।

6. सामान्य निकाय की बैठक:

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सामान्य निकाय बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एस. एन.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तारीख, दिन और समय	कार्यक्रम का स्थान	निष्पादित कार्य
01	ईजीएम	12.05.2021 बुधवार सुबह 11.30 बजे	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक , केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य श्रृव्य और दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से	10/- रुपये अंकित मूल्य के 246,54,23,932 इक्विटी शेयरों को नकद में 16.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (6.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर कुल 4100 रुपये पर जारी करना और आवंटित करना। भारत सरकार (विशेष संकल्प) के लिए अधिमान्य आधार पर सेबी (आइ सीडीआर) विनियम, 2018 के विनियमन 164 के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित करोड़ रुपये।

0 2	21वीं एजीएम	07.08.2021 सोमवार प्रात: 11.00 बजे	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक , केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य श्रृव्य और दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से	क) मार्च, 2021 तक बैंक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते को अपनाना, साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। (साधारण संकल्प) ख) या निजी प्लेसमेंट/क्यूआइ पी (विशेष समाधान) के माध्यम से अधिकतम 125,00,00,000 शेयरों का निर्गम। ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अंतर्गत कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के अंतर्गत 10 रुपए प्रति अंकित मूल्य के 82,18,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना। (विशेष संकल्प)।
03	22वीं एजीएम	15.07.2022 शुक्रवार 11.00 पूर्वाह्न	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य श्रृव्य और दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से	क) 31 मार्च, 2022 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते को अपनाना, निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ। (साधारण संकल्प) ख) फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/राइट्स इश्यू/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट या किसी अन्य माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाना। (विशेष संकल्प) ग) "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 23-2022 (आइ ओबी-ईएसपीएस 23-2022)» के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना। (विशेष संकल्प)
04	23वीं एजीएम	07.07.2023 शुक्रवार प्रात: 11.00 बजे	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 (बैठक का माना गया स्थान) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य श्रृव्य और दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से	क) 31 मार्च 2023 तक बैंक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते को अपनाना, निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ। (साधारण संकल्प) ख) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प)। ग) श्री संजय विनायक मुदलियार की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प)। घ) उपलब्ध विभिन्न विकल्पों (क्यूआइ पी/एफपीओ/राइट इश्यू/ईएसपीएस आदि) के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की चुकता इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए (विशेष संकल्प)

- एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए ईजीएम 15.12.2022 को आयोजित होने वाली थी और एक मौजूदा रिक्ति के प्रति केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।

- 21वीं, 22वीं और 23वीं एजीएम में , क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआइ पी), राइट्स इश्यू, प्रेफेंशियल अलॉटमेंट या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर या वरीयता शेयर (संचयी/गैर-संचयी) के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव पेश किए गए थे।

- पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्रों के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

दिनांक 07.07.2023 को आयोजित बैंक की पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बैठक के अध्यक्ष)
सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक
श्री संजय विनायक मुदलियार	कार्यपालक निदेशक
श्री चंद्रा रेड्डी बी	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	स्वतंत्र निदेशक
श्री दीपक शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक

ई-वोटिंग:

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में जारीकर्ता एजीएम/ ईजीएम में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

7. संप्रेषण का माध्यम:

- बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, नकदी प्रवाह विवरण आदि शामिल होते हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से तथा स्टॉक एक्सचेंज, प्रेस विज्ञप्तियां, विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण और www.iob.in वेबसाइट के माध्यम से भी प्रदर्शन के बारे में भी सूचित किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित करता है।

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47 के संदर्भ में तिमाही वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय दैनिक, हिंदी दैनिक और क्षेत्रीय दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं । प्रकाशन का विवरण और तिथियाँ इस प्रकार हैं :

तिमाही समाप्त	अंग्रेजी दैनिक	तमिल दैनिक	हिन्दी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
30.06.2023	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणी	बिजनेस स्टैंडर्ड	03.08.2023
30.09.2023	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणी	बिजनेस स्टैंडर्ड	28.10.2023
31.12.2023	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणी	जनसत्ता	25.01.2024
31.03.2024	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणी	बिजनेस स्टैंडर्ड	अंतिम रूप दिया जाना है

8. सामान्य शेयरधारक जानकारी:

i. वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम): दिनांक, समय एवं स्थान:-

तारीख	02.07.2024 (मंगलवार)
समय	सुबह 11.00 बजे
कार्यक्रम का स्थान	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

ii. वित्तीय वर्ष: 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक।

iii. लाभांश भुगतान तिथि: शून्य (संचित घाटे को समाप्त किया जाना है)।

iv. अदत्त लाभांश:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने बैंकों और मंत्रालयों के अदत्त लाभांश पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 में एक नई धारा 10 (ख) को शामिल किया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बैंकों को अदत्त लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आइईपीएफ़) में स्थानांतरित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सूचित किया था।

तदनुसार, पिछले वर्षों के अदत्त लाभांश राशि को आइओबी के अदत्त लाभांश खाते/खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए ऐसे धन, जो सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए हैं, आइईपीएफ़ में स्थानांतरित किए जाएंगे।

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि	सरकार (आइईपीएफ) को स्थानांतरित करने की नियत तिथि
शून्य		

v. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मंजिल 1, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी-1 ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित नियत तारीखों के भीतर किया गया है।

vi. स्टॉक कोड:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
आइएसआइएन	INE565A01014
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532388
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	आइओबी

vii. बाज़ार मूल्य डेटा:

अवधि- महीना	बीएसई		एनएसई	
	अधिकतम मूल्य (रु)	कम मूल्य (रु)	अधिकतम मूल्य (रु)	कम मूल्य (रु)
अप्रैल 2023	26.00	**22.30**	26.00	**22.25**
मई 2023	26.85	23.57	26.50	23.55
जून 2023	26.05	23.61	26.05	23.70
जुलाई 2023	27.44	24.45	27.45	24.45
अगस्त 2023	33.44	25.70	33.45	25.70
सितंबर 2023	48.65	29.97	48.60	30.00
अक्टूबर 2023	51.00	36.65	51.10	36.65
नवंबर 2023	42.44	38.55	42.40	38.80
दिसंबर 2023	47.49	39.25	47.50	39.25
जनवरी 2024	50.98	42.05	51.00	42.05
फ़रवरी 2024	**83.80**	48.00	**83.75**	48.00
मार्च 2024	70.26	55.05	70.30	55.05

बॉल्ड में दिए गए आँकडे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में वर्ष 24-2023 के दौरान बैंक के शेयरों की अधिकतम/कम कीमत का प्रतिनिधित्व करते हैं । हमारे बैंक को कारोबार से निलंबित नहीं किया गया था।

viii. 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी प्रदर्शन

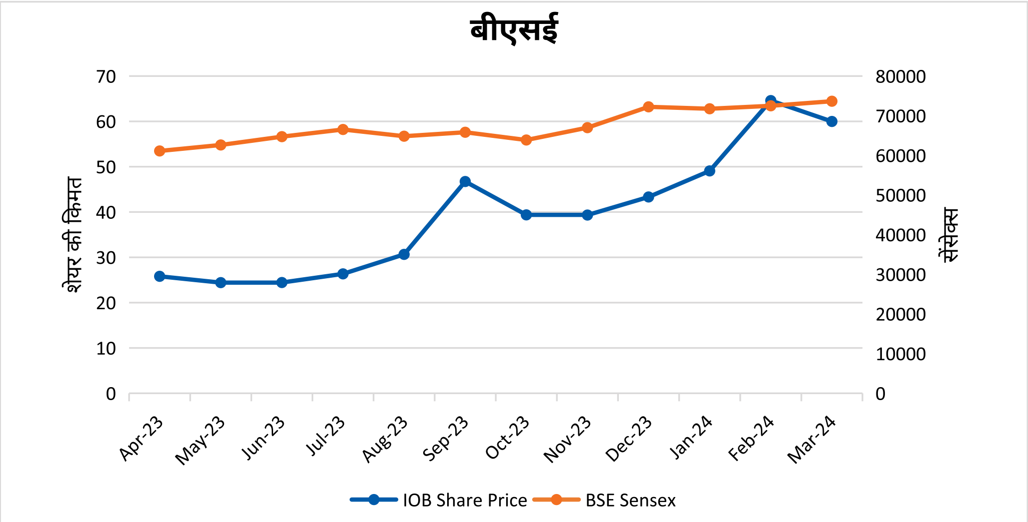

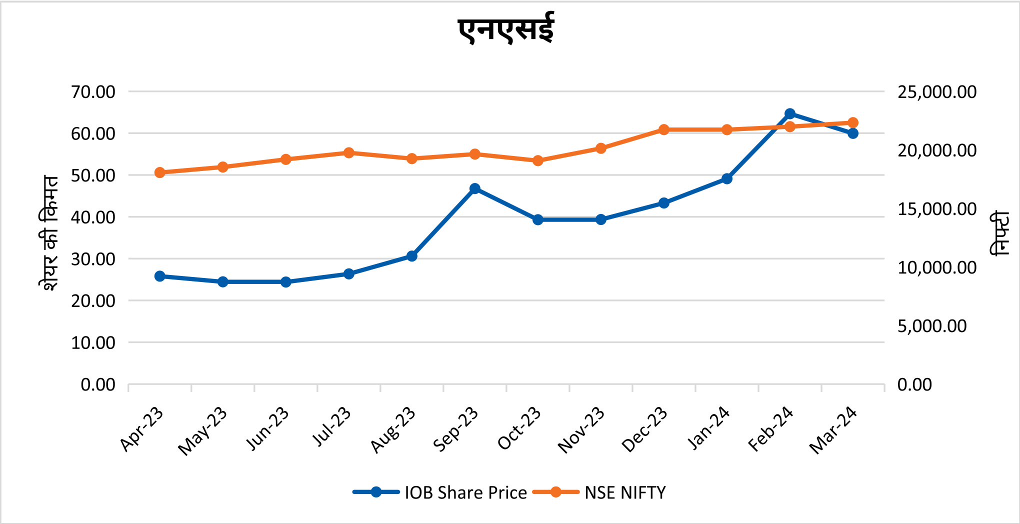

ix. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि. (आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.
टेलीफोन: 044-4002 0700 |ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

x. शेयर अंतरण प्रणाली:

सेबी ने 8 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/24/2018 के माध्यम से सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) 2015 के विनियमन 40 में संशोधन किया, जिससे प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में ही करना 5 दिसंबर, 2018 से अनिवार्य हो गया। हालाँकि, केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर , सेबी ने अपने “प्रेस विज्ञप्ति” पीआर के माध्यम से क्रमांक 2018/49 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 ने केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए समय सीमा 1 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दी। सभी निवेशक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और शेयरों की तरलता की रक्षा के लिए अपने शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के संचरण और स्थानांतरण के लिए अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे। मूल शेयर प्रमाणपत्रों को संचरण/ स्थानांतरण अनुरोध के साथ मेसर्स कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज, चेन्नै, रजिस्ट्रार और शेयरों के संचरण/स्थानांतरण के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंटों को भेजा जाना चाहिए।

xi. 31.03.2024 तक शेयरधारिता का वितरण:

क्र.सं	प्रवर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
प्रमोटर होल्डिंग				
1	भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	01	1821,83,26,570	96.38
	उप-योग (1)	**01**	**1821,83,26,570**	**96.38**
गैर-प्रमोटर्स होल्डिंग				

2	संस्थागत निवेशक (घरेलू)			
	म्यूचुअल फंड्स	11	1,19,47,292	0.06
	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	04	1,09,200	0.00
	बीमा कंपनियाँ	05	23,24,94,571	1.23
	अन्य वित्तीय संस्थान	02	56,347	0.00
	उप-योग (2)	**22**	**24,46,07,410**	**1.29**
3	**संस्थागत निवेशक (विदेशी)**			
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	18	91,61,501	0.05
	उप-योग (3)	**18**	**91,61,501**	**0.05**
4	**गैर- संस्थागत निवेशक**			
	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	01	13,624	0.00
	वैयक्तिक	9,88,313	35,83,11,972	1.90
	एनआरआइ	4,319	87,20,697	0.05
	कॉरपोरेट निकाय	1,148	1,31,94,155	0.07
	विदेशी कॉरपोरेट निकाय	01	48,000	0.00
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	8,268	4,20,84,080	0.22
	एचयूएफ	4,065	74,63,323	0.04
	न्यास	18	4,40,462	0.00
	निदेशक और उनके रिश्तेदार	02	1,725	0.00
	समाशोधन सदस्य	08	38,495	0.00
	अन्य	01	602	0.00
	उप-योग (4)	**10,06,144**	**43,03,16,775**	**2.28**
कुल योग		**10,06,185**	**1890,24,12,256**	**100.00**

xii. शेयरधारिता का वितरण:

i) 31.03.2024 तक वितरण अनुसूची (डीपी आइडी /क्लाइंट आइडी और फोलियो संख्या के आधार पर)

शेयरों की शेयरधारिता	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल शेयरधारकों की संख्या का %**	**शेयरों की संख्या**	**कुल का %**
01-100	6,57,833	64.29	2,19,76,032	0.12
101-500	2,44,241	23.87	6,58,07,969	0.35
501-1000	62,316	6.09	5,13,78,405	0.27
1001-2000	28,327	2.77	4,29,75,827	0.23
2001-3000	9,137	0.89	2,35,00,506	0.12
3001-4000	4,232	0.41	1,52,80,585	0.08
4001-5000	4,091	0.40	1,95,46,810	0.10
5001-10000	8,506	0.84	6,51,33,946	0.35
10001 - और ऊपर	4,520	0.44	1859,68,12,176	98.38
कुल	**10,23,203**	**100.00**	**1890,24,12,256**	**100.00**

ii) "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और शेयरों की कुल संख्या का 1% से अधिक धारित करने वाले व्यक्तियों की शेयर धारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का %
भारतीय जीवन बीमा निगम	22,80,87,393	1.21

iii) "सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और शेयरों की कुल संख्या का 5% से अधिक धारित करने वाले व्यक्तियों की शेयर धारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का %
शून्य		

iv) लॉक-इन शेयरों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर
1	भारत के राष्ट्रपति	246,54,23,932	13.04
2	जनता	शून्य	शून्य

v) 31.03.2024 को विदेशी शेयरधारिता:

क्र.सं	वर्ग	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
		शेयरों की संख्या	कुल पूंजी का %	शेयरों की संख्या	कुल पूंजी का %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	0.00	शून्य	0.00
2	ओसीबी	48,000	0.00	48,000	0.00
3	एनआरआइ	87,20,697	0.05	89,97,058	0.05
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	91,61,501	0.05	1,47,05,100	0.08
कुल		**1,79,30,198**	**0.10**	**2,37,50,158**	**0.13**

जैसा कि उपरोक्त तालिका में बताया गया है, दिनांक 31.03.2024 को कुल विदेशी शेयरधारिता (एफ़आइआइ, ओसीबी, एनआरआइ और विदेशी पोर्टफ़ॉलियो) 0.10% थी, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 0.20% के निर्धारित स्तर के भीतर है।

vi) 31.03.2024 तक बैंक के शीर्ष दस शेयरधारक:

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल होल्डिंग का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1821,83,26,570	96.380
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	22,74,01,943	1.203
3	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक बीईईएस	65,22,372	0.034
4	कॉप्थॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड - ओडीआइ खाता	39,35,456	0.020
5	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ	34,96,780	0.018
6	भारतीय साधारण बीमा निगम	25,65,275	0.013
7	विज़डमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक.	22,83,182	0.012
8	सिटाडेल सिक्योरिटीज इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	12,56,302	0.007
9	वाल्टन माइकल डेसा	12,00,000	0.006
10	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,70,628	0.006
कुल		**1846,80,58,508**	**97.699**

xiii. शेयरों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्म में किया जा रहा है। बैंक ने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए पहले ही दोनों डिपॉजिटरीज यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

डीमैट और भौतिक रूप में शेयरों का विवरण (डीपी आइडी/क्लाइंट आइडीऔर फोलियो संख्या के आधार पर) निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या आयोजित	कुल भुगतान की प्रतिशतता
सीडीएसएल	7,59,716	1843,98,73,933	97.55
एनएसडीएल	1,86,426	43,77,42,704	2.32
भौतिक	77,061	2,47,95,619	0.13
कुल	**10,23,203**	**1890,24,12,256**	**100.00**

हम शेयरधारकों से अपनी भौतिक हिस्सेदारी को डीमैट करने का अनुरोध करते हैं। अभौतिकीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहां उनके डीमैट खाते स्थित हैं।

अभौतिकीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- परेशानी मुक्त अंतरण
- शेयर प्रमाणपत्र खोने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश/कॉरपोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और त्वरित क्रेडिट
- नामांकन सुविधा
- एएसबीए/आइ पीओ आदि के माध्यम से आवेदन।

भौतिक/ डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और जिन शेयरधारकों का ईमेल आइडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे हरित पहल का समर्थन करने के लिए बैंक के आरटीए/अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपनी ई-मेल आइडी को पंजीकृत करवाएं।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआइ आरएसडी/एमआइ आरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआइ आर/655/2021 दिनांकित 03.01.2021 का अधिक्रमण करते हुए सेबी अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआइ आरएसडी/एमआइ आरएसडी-पीओडी1-/पी/सीआइ आर/37/2023 दिनांकित 16.03.2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्रमांक	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आइएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आइएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
3	फॉर्म आइएसआर-3	नामांकन फॉर्म को रद्द करने के लिए घोषणा प्रपत्र
4	फॉर्म आइएसआर-13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म आइएसआर-14	नामांकन रद्द करना या बदलाव करना (यदि कोई हो)

डीमैट खाते में रखे गए अदावाकृत शेयर:

दावा न किए गए उचंत खाते में धारित शेयरों की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

विवरण	की संख्या शेयरधारकों	की संख्या शेयरों
दिनांक 01.04.2022 की शुरुआत में दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या	219	54,700
वर्ष के दौरान दावा न किए गए उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावा न किए गए उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
दिनांक 31.03.2024 के अंत में दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	219	54,700

इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करते।

xiv. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान:

सेबी द्वारा निर्धारित अनुसार, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी का मिलान करने के लिए लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा हर तिमाही में किया जाता है और उस पर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। लेखा परीक्षा पुष्टि करता है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और चुकता पूंजी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म (एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ रखे गए) में कुल शेयरों की संख्या और भौतिक रूप में कुल शेयरों की संख्या के योग के अनुरूप है।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

xvi. बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर/वचनपत्रों से संबंधी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक बकाया ऐसे बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

श्रृंखला	आइएसआइएन	आबंटन की तिथि	साइज़ (रुपए करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	शोधन की तिथि
बेसल III टियर II बांड						
III	आइएनई565ए08035	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	आइएनई565ए08043	31.03.2022	665.00	120	8.60	#31.03.2032
V	आइएनई565ए08050	24.03.2023	1000.00	120	9.00	#31.03.2033

5 साल के अंत में और बाद में कूपन भुगतान तिथि पर (आरबीआइ के पूर्व अनुमोदन के साथ) कॉल विकल्प उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 08.12.2023 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके 300 करोड़ रुपये की राशि के बेसल III अनुपालन टियर II बांड- सीरीज II को भुनाया गया है।

xvii. निर्गम के डिबेंचर ट्रस्टी:

बैंक ने आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को सीरीज II, सीरीज III और सीरीज IV बॉन्ड इश्यू के लिए और एसबीआइ कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सीरीज V बॉण्ड जारी करने हेतु बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है ताकि बॉण्ड के निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की जा सके। ट्रस्टी का पता निम्नवत है -

आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विज़स लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, 17 आर कमनी रोड, बल्लार्ड एस्टेट,
फ़ोर्ट, मुंबई – 400 001
संपर्क विवरण: श्री कृष्णकांत
वरिष्ठ प्रबंधक
022 40807000

एसबीआइसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्त्री भवन, 4 तल, 122 दिनसाव वाच्छा रोड,
चर्चगेट, मुंबई – 400 020
संपर्क विवरण: आदित्य कापील
022 4302 5500/5566 |022 4302 5525
www.sbicaptrustee.com

xviii. क्रेडिट रेटिंग्स:

- **31.03.2024 तक बेसल III टियर II बांड**

रेटिंग एजेंसी का नाम	बेसल III टियर II बांड		
	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
	आइ एनई565ए08035	आइ एनई565ए08043	आइ एनई565ए08050
	500 करोड़ रु.	665 करोड़ रु.	1000 करोड़ रु.
क्रिसिल लिमिटेड	एए-/सकारात्मक		
आइ सीआरए लिमिटेड			एए-/सकारात्मक
इंडिया रेटिंग्स	एए- / सकारात्मक	एए- / सकारात्मक	
केयर रेटिंग्स		एए- / सकारात्मक	एए- / सकारात्मक

सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बेसल III टियर II बॉण्ड की सभी श्रृंखलाओं के लिए पिछली क्रेडिट रेटिंग वित्त वर्ष 2022-23 के लिए AA-/स्थिर है।

- **जमा प्रमाणपत्र:**

रेटिंग एजेंसी का नाम	यंत्र प्रकार	मात्रा	रेटिंग
केयर रेटिंग्स	जमा प्रमाणपत्र	रु.10000 करोड़	केयर A1+ (ए वन प्लस)

xix. पत्राचार के लिए पता:

शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियाँ कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, रजिस्ट्रार के कार्यालय और शेयर ट्रांस्फर एजेंटों द्वारा संसाधित किया जाता है। शेयरधारक उनके पते पर दस्तावेज़, शिकायतें और परिवेदनाएँ दर्ज़ करा सकते हैं:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि. (आइओबी – यूनिट)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.
टेलीफोन: 044-4002 0700 |ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

शेयरधारकों की शिकायतों और सेवा आवश्यकताओं को देखभाल करने के लिए निम्नलिखित पते पर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक निवेशक संबंध कक्ष है:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002
टेली: 044-71729791, 28889360
ई-मेल: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

9. अन्य प्रकटीकरण:

- बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटर/निदेशक, प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है , जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।
- बैंक ने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक होने के नाते, बैंक ने लागू/अनुपालन योग्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
- बैंक अपने द्वारा संचालित सभी गतिविधियों और परिचालनों में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और उसने कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार और अधिकार के दुरुपयोग को जड़ से खत्म करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है। बैंक में अधिकारी. बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाले आम जनता के सदस्यों के बीच कामकाज और व्यवहार की एक खुली और पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आता है। इस प्रकार, बैंक ने सरकार के अनुरूप एक विजिल ब्लोअर नीति तैयार की है। इस संबंध में भारत के दिशानिर्देश। ‹ विजिल ब्लोअर पॉलिसी› नाम की इस नीति का लक्ष्य गड़बड़ियों का तुरंत पता लगाना और कम से कम समय में उससे निपटना है। इसे बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच प्रसारित किया गया है ताकि उनके नामों का खुलासा करने के खिलाफ पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और उनके सार्वजनिक हित संबंधी खुलासों के कारण किसी भी व्यक्तिगत प्रतिशोधात्मक कार्रवाई जैसे अपमान, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार के अनुचित व्यवहार या किसी भी प्रकार की हानि के खिलाफ विजिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

  नीति की विषय-वस्तु बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है https://iob.in/whistleblower – scheme

  बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- बैंक ने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआइ /सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण लेखा नोट्स में दिया गया है।
- कॉरपोरेट प्रशासन (कॉरपोरेट प्रशासन नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए नीति) के प्रावधानों से संबंधित नीतियां बैंक की साइट पर अपलोड कर दी गई हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://iob.in/Policies
- 31.03.2024 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।
- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं।
- बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए मेसर्स एसआर श्रीनिवासन एंड कंपनी एंड एलएलपी , प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।
- मेसर्स एसआर श्रीनिवासन एंड कंपनी एंड एलएलपी , प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज से एक प्रमाण पत्र, जो यह प्रमाणित करता है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी / कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक / नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के अनुबंध-V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: शून्य
- कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ - लागू नहीं

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियम 8)17) के साथ पठित विनियम 2)33) के तहत निर्धारित बैंक के एमडी व सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही बोर्ड के समक्ष रखा गया है और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यवसायिक शुल्क और अन्य खर्च रु.30,26,72,832.96 है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	06
वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	01
वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05

- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के संदर्भ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- जैसा कि इस रिपोर्ट में संबंधित वस्तुओं के समक्ष वर्णित है, गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।
- बैंक की लाभांश वितरण नीति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf
- निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट https://iob.in/FPIID पर दिया गया है।

10. सेबी (एलओडीआर) अधिनियम, 2015 के विनियम 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं की सीमा का कार्यान्वयन निम्नवत है:

क्र .सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
1	बोर्ड: एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है।	हाँ
2	शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
3	लेखापरीक्षा योग्यता	बैंक के पास अप्रतिबंधित वित्तीय विवरण हैं।

4	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या सीईओ का अलग पद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को भारत सरकार द्वारा बैंक को समग्र नीति दिशा देने के लिए एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष और बैंक के दैनिक कामकाज की देखरेख के लिए एक पूर्णकालिक कार्यपालक प्रबंध निदेशक और सीईओ के मध्य विभाजित किया गया है।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर रहा है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्त/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

बैंक के वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

1. श्री श्रीनिवासन श्रीधर, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (जन्मतिथि: 03.05.1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर 21.02.2024 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हुए। श्री श्रीनिवासन श्रीधर 2018 से अपनी वर्तमान भूमिका ग्रहण करने तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में थे। श्री श्रीनिवासन श्रीधर दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर एक वित्तीय सेवा विशेषज्ञ हैं जिनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 28 वर्षों तक सिटीग्रुप के साथ थे और उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 6 देशों में काम किया है। सिटीग्रुप में उनके द्वारा संभाले गए कुछ नेतृत्व पदों में तीन देशों के लिए सीईओ, भारत के लिए कॉरपोरेट बैंक प्रमुख, अफ्रीका के लिए लेनदेन सेवा प्रमुख और मध्य, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए बैंक सेवा समूह प्रमुख आदि पद शामिल थे। उनके पास कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और नियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में गहरा बैंकिंग अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड भी है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक: ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, निरलॉन लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, फिनका, अज़रबैजान।

2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जन्मतिथि: 15.10.1967)

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 09.10.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी पोस्टिंग से 01.01.2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

उन्होंने विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा सीएआइआइबी भाग - 1 परीक्षा उतीर्ण की है।

उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में की, जहां उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पदों पर काम किया। वह विशाल क्षेत्र स्तर के अनुभव के साथ विद्वान, कार्यकुशल एवं हार्डकोर बैंकर हैं और उन्हें इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ स्तर पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 वर्षों के सफल कार्यकाल के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और वे 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हो गए।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण रही। बैंक वर्ष 2014 से घाटे में चल रहा था व वर्ष 2015 से पीसीए में था और कई अन्य चुनौतियों के अलावा वित्तीय पैरामीटर खराब स्थिति में थे। उन्होंने प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई और बोर्ड के सहयोग से उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने पांच साल से अधिक समय तक कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक की सेवा की और इस अवधि के दौरान सभी विभागों और पोर्टफोलियो को संभाला। कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल का मुख्य आकर्षण यह है कि उन्होंने बैंक को मार्च 2020 में घाटे से और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2020-2021 के दौरान, वे लगभग 14 महीने तक बैंक में एकमात्र कार्यपालक निदेशक थे।

वे दो वर्षों तक भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी रहे। उन्होंने अपने पिछले बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी काम किया है ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

3. श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि : 01.07.1972)

श्री जयदीप दत्ता रॉय ने दिनांक 31.01.2024 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। लगभग 28 वर्षों से बैंकर के रूप में कार्यरत श्री जयदीप दत्ता रॉय वर्ष 1996 में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मानव संसाधन प्रमुख, बैंक के देहरादून और बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ तत्कालीन देना और तत्कालीन विजया बैंक के समामेलन के समय एकीकरण प्रमुख के रूप में बहुत सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हें मुख्य महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत किया गया था और वे बैंक के एमडी व सीईओ के कार्यालय में तैनात थे। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, वह बैंक में रणनीति तैयार करने और कार्यान्वयन के प्रभारी थे और बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन के अलावा बैंक स्तर और वर्टिकल स्तर की समीक्षा करने के प्रभारी थे, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे खुदरा बैंकिंग व्यवसाय (संपत्ति और देनदारियां), धन प्रबंधन और एनआरआइ व्यवसाय, जोखिम, वित्त और योजना कार्य, एचआरएम, आइ टी और डिजिटल, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन, क्रेडिट निगरानी, संग्रह, सहायक और संयुक्त उद्यम, संचालन और सेवाएं, उद्यम डेटा प्रबंधन का प्रभार संभाला है।

उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), पीएसबी अलायंस लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कार्ड्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक होने के अलावा, बड़ौदा-बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

श्री जयदीप दत्ता रॉय के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री है, इसके अलावा वे लॉ ग्रेजुएट हैं और मुंबई में नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

4. श्री धनराज टी, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि : 20.05.1970)

श्री धनराज टी ने 10.03.2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वह इंडियन बैंक में मुख्य महा प्रबंधक (सीडीओ/सीएलओ) थे। श्री टी. धनराज 1994 में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में शामिल हुए।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्रामीण और कॉरपोरेट शाखाओं, कृषि ऋण, एमएसएमई और मानव संसाधन के शाखा प्रमुख के रूप में बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने मानव संसाधन संबंधी सभी मामलों में पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत इकाई में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में, दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को लागू करके मानव संसाधन प्रथाओं उनके द्वारा सावधानीपूर्वक परिवर्तन किया गया था।

ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि के लिए आइ आइ टी, मद्रास से कृषि स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए इन्क्यूबेशन हेतु सहयोग प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कृषि सह-उधार मॉडल की शुरुआत की। आरआरबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने पल्लवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसे वर्तमान में तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में जाना जाता है। वह नाबार्ड की सहायक कंपनी एनएबीकिसान के बोर्ड और इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी सप्तगिरी ग्रामीण बैंक के बोर्ड में भी निदेशक थे।

श्री धनराज टी के पास तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा अन्य व्यावसायिक योग्यताएं जैसे सीएआइ आइ बी, पीएसयू बैंकों के नेतृत्व के लिए आइ आइ एम बैंगलोर द्वारा संचालित 'नेतृत्व विकास कार्यक्रम' प्रबंधन पाठ्यक्रम भी है। उन्होंने आइ आइ एम, लखनऊ से 'एचआर एनालिटिक्स में कार्यपालक कार्यक्रम' (ईपीएचआरए) में भी भाग लिया और पूरा किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

5. श्री कार्तिकेय मिश्रा, सरकार नामित निदेशक (जन्मतिथि: 21.09.1981)

श्री कार्तिकेय मिश्रा, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ एएस 2009 बैच) के अधिकारी हैं।

श्री कार्तिकेय मिश्रा 25.10.2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हुए।

श्री कार्तिकेय मिश्रा बिट्स पिलानी से स्नातक और आइ आइ एम-अहमदाबाद से स्नातकोत्तर हैं। अपनी वर्तमान पोस्टिंग से पहले, वे श्रम और रोजगार मंत्रालय, आंध्र प्रदेश में आयुक्त के रूप में तैनात थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भी काम किया था।

उन्होंने पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 'कौशल विकास' के लिए कौशल गोदावरी परियोजना की भी शुरूआत की। उनके नेतृत्व में 16000 युवाओं को नौकरियां मिलीं।

उन्होंने तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी काम किया था।

श्री कार्तिकेय मिश्रा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के निदेशक के रूप में काम किया था, जहां उन्हें आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन (एएमटीजेड) के प्रबंध निदेशक व सीईओ का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अलावा, श्री कार्तिकेय मिश्रा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आइएफसीआइ) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आइआइएफसी (यूके)) के बोर्ड में भी हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आइएफसीआइ) लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड।

6. श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (जन्मतिथि : 04.09.1968)

श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता वर्तमान में कर्नाटक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), बेंगलुरु की क्षेत्रीय निदेशक हैं। आरबीआइ में अपने लगभग तीन दशकों के करियर में, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया है और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), मुंबई के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है। केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंकिंग विनियमन व पर्यवेक्षण तथा मानव संसाधन विकास उनकी विशेषज्ञता है। उन्होंने रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ चंडीगढ़, कोलकाता और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

वे 14.07.2023 से आरबीआइ नामित निदेशक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शामिल हुईं।

उन्होंने 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और 2019 में स्थापित 'एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति' को सचिवीय सहायता प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वह रिटर्न विवरण युक्तिकरण पर विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 के तहत स्थापित विशेष समिति का भी हिस्सा थीं।

भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान, उन्होंने वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआइ), जो कि जी20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत एक कार्य समूह है, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का नेतृत्व किया।

उन्होंने वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री और बैंकिंग एवं वित्त में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआइ आइ बी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

7. श्री सुरेश कुमार रुंगटा, अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक (जन्मतिथि : 07.07.1956)

श्री सुरेश कुमार रुंगटा को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बिहार राज्य में कोषाध्यक्ष के रूप में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने बिहार वैट की सलाहकार समिति (2005 से) के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं।

उन्होंने बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और अन्य जैसे प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से योगदान दिया है।

उन्होंने वाणिज्य (वित्त) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक: स्वदेशी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड।

8. श्री बी. चंद्रा रेड्डी, अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि : 14.04.1958)

श्री बी.चंद्रा रेड्डी को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उनके पास लेखा परीक्षण का व्यापक अनुभव है। वर्ष 2020-21 के दौरान वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है ।

वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं और उन्होंने वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

9. श्री दीपक शर्मा, अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि : 31.07.1976)

श्री दीपक शर्मा को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उन्हें रियल एस्टेट उद्योग एक्सपोजर में व्यापक अनुभव है। इसके अलावा उनके पास वित्त, कानूनी और अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अद्वितीय संयोजन में प्रासंगिक अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया।

श्री दीपक शर्मा ने बी.कॉम, ईपीजीडीआइबी (आइआइएफटी), एलएलबी, एलएलएम (रियल एस्टेट) की डिग्री प्राप्त की है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारण शून्य है।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

10. श्री संजया रस्तोगी, शेयरधारक निदेशक (जन्मतिथि: 18.01.1963)

श्री संजया रस्तोगी 1987 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधी भर्ती के माध्यम से अधिकारी के रूप में शामिल हुए। स्नातक के पश्चात उन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलजी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की।

श्री संजया रस्तोगी को 03.12.2022 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

अपने लंबे शानदार करियर में, उन्होंने एलआइ सी में मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई डीओ I और III के सीनियर डिवीजनल मैनेजर के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने पेंशन एवं समूह योजना विभाग और एलआइ सीएचएफएल में काम किया है। कार्यपालक निदेशक (एमबीएसी) के रूप में अपनी पोस्टिंग से पहले उन्होंने एलआइ सी के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) के रूप में काम किया। वह 31.01.2023 को एलआइ सीआइ के कार्यपालक निदेशक के पद से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: उनके पास हमारे बैंक के 100 शेयर हैं।

अन्य निदेशक पद: शून्य।

लेखापरीक्षकों के प्रमाण –पत्र

कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखापरीक्षकों के प्रमाण-पत्र

सदस्यगण,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600002

हमने मार्च 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक")** द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) के विनियम 2015 अब तक यथा संशोधित में निर्धारित किया गया है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है न हीं बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

साथ ही यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की दक्षता या कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रभावात्मकता का जिसके द्वारा कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलापों को सम्पन्न किया है।

कृते **लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसिएट**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

सीए अभय पालीवाल
साझेदार
सदस्य सं.: 435511
यूडीआइएन: 24435511बीकेएचवीटी2998

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 07.05.2024

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों के नियम संख्या 9 के अनुसार
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014]

सेवा में,
सदस्य
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002.

हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (इसके बाद **"बैंक"** कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉरपोरेट आचरण के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से आयोजित की गई जिसने हमें कॉरपोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने व उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों, बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र है व इसके बाद बैंक द्वारा की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न दाखिल किए गए अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन नियम बनाए गए -

   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (4) (सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं। चूंकि बैंक के पास सीआईएन नहीं है इसलिए हमने इस मद में कोई टिप्पणी नहीं की है।

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन नियम।

iii. निपेक्षागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम।

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम।

v. बैंक पर लागू अन्य सभी प्रासंगिक कानून, जिसकी एक सूची प्रबंधन द्वारा लागू सीमा तक प्रदान की गई है:

नोट: भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और अधिसूचित सचिवीय मानक केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 के तहत कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू होते हैं और चूंकि बैंक के पास कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) नहीं है और अब एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, इस पर सचिवीय मानक लागू नहीं होते हैं। इसलिए, हमने उस पर अपनी टिप्पणियों को शामिल नहीं किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2021

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोई व्यवसाय नहीं किया गया जिसके लिए सेबी के निम्नलिखित विनियमों के अनुपालन की आवश्यकता हो:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 2018 में संशोधित।

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम 2021

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम 2021

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो निम्नलिखित विधानों के तहत शासित व समय-समय पर संशोधित होता है:

i. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

ii. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970

iii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने आम तौर पर निम्नलिखित के अतिरिक्त उक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है, जो लागू सीमा तक है:

1. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1) के प्रावधान में है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। हालाँकि, बोर्ड की संरचना में एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं है।
2. सेबी के विनियमन 25(3) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी होगी। हालाँकि, उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है।
3. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(10) के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को उनके सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशकों और अधिकारियों का बीमा ('डी और ओ बीमा') करने की आवश्यकता है। ऐसी मात्रा और ऐसे जोखिमों के लिए जो इसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। बैंक ने इसका अनुपालन नहीं किया है।
4. बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) का निम्नानुसार अनुपालन नहीं किया है:

   क) धारा 9(3)(ई) का अनुपालन नहीं किया गया : जिसके लिए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कामगार हैं।

   ख) धारा 9(3)(एफ) का अनुपालन नहीं किया गया : जिसके लिए बैंक के उन कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कामगार नहीं हैं।

   ग) धारा 9(3)(जी) का अनुपालन नहीं किया गया है: जिसके लिए एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

जहाँ तक अन्य कानूनों का संबंध है जो बैंक पर लागू होते हैं, उपलब्ध कराई गई जानकारी और बैंक द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और कंपनी सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक/ क्षेत्रीय प्रमुखों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। हमारी राय में बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं, जो निम्नलिखित के अतिरिक्त, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं:

1. **संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970** में ठेकेदार द्वारा विभिन्न अनुपालनों के पालन की आवश्यकता होती है। हालांकि, बैंक द्वारा नियुक्त कुछ एक ठेकेदारों को लाइसेंस नहीं मिला है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए बैंक द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया जाना शेष है।

2. **तमिलनाडु मातृत्व लाभ नियम, 1967** के नियम 6 के साथ पढ़े जाने वाले **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 11 ए** के अनुसार 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। अत: सूचित करते हैं कि बैंक पात्र महिला कर्मचारियों को क्रेच भत्ता प्रदान कर रही है।

साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और सेबी (एलओडीआर) के अनुरूप किए गए थे।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड सचिव सभी बोर्ड बैठकों में भाग लेते हैं।
- बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को नोटिस दिया गया है। बैठक से पहले व बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:

क) आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए और आरबीआई द्वारा 'आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन', 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016' पर जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना और एटीएम में मैन इन द मिडल (एमआईटीएम) हमलों पर बैंक पर 29 मई 2023 (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए) के एक आदेश द्वारा 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

ख) आरबीआई ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीएल द्वारा जारी कुछ निर्देशों के साथ 31 अक्टूबर 2023 (वित्त वर्ष 2021-22 के लिए) का अनुपालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।

ग) बीएसई ने 29 मई 2023 को (वित्त वर्ष 2021-22 के लिए) सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 60(2) का अनुपालन न करने पर 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें सूचीबद्ध इकाई को रिकॉर्ड तिथि के स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम सात कार्य दिवसों के अग्रिम में नोटिस देना आवश्यक है।

कृते **एसआर श्रीनिवासन एंड कं. एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3737 सीपी. संख्या 14055
यूडीआईएन: F003727F000303587
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 1177/2021

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 03.05.2024

नोट : यह रिपोर्ट हमारे पत्र के समसंख्यक तिथि के साथ पढ़ा जाना है, जो कि अनुबंध क एवं प्रारूप के रूप में संलग्न हैं एवं वे रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष, दिनांक 03 मई 2024 के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

सेवा में,
सदस्य
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै, चेन्नै -600 002

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक के खातों की बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है, क्योंकि बैंक द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की बहियों के रखरखाव के अनुपालन के विषय रहे हैं। वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा करने के लिए।
4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट आंशिक रूप से प्रबंधन द्वारा सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर आभासी परीक्षा तक सीमित है।
7. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते **एसआर श्रीनिवासन एंड कं. एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3737 सीपी. संख्या 14055
यूडीआईएन: F003727F000303587
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 1177/2021

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 03.05.2024

पीएम-सूर्य घर के तहत योजनाएं : मुफ्त बिजली योजना
SCHEMES UNDER PM-SURYA GHAR
MUFT BIJLI YOJANA
IOB
SURYA
for Rooftop Solar Plant & Other Solar equipments
FOR
INDIVIDUAL BORROWERS
MAXIMUM LOAN
₹20
LAKHS
FOR
NON INDIVIDUAL BORROWERS
MAXIMUM LOAN
₹10
LAKHS
REPAYMENT PERIOD
MAX. 120 MONTHS
INTEREST RATE
As Applicable
(Floating and revised from time to time)
T&C Apply
APPLY NOW
Non individual Borrowers can avail higher loan under our Bank's IOB Tejas Scheme
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on
@IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद-सी उप-खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
763, अण्णा सालै
चेन्नै – 600 002.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद-सी उप-खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक**, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 स्थित है, (जिसे आगे से **"बैंक"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों, रिकॉर्डों, प्रारूपों, विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्‌वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2024 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से न तो वर्जित किया गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री श्रीनिवासन श्रीधर	21.02.2024
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023
3	श्री जयदीप दत्ता रॉय	30.01.2024
4	श्री धनराज टी	10.03.2024
5	श्री कार्तिकेय मिश्रा	25.10.2023
6	श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता	14.07.2023
7	श्री संजया रस्तोगी	03.12.2022
8	श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.12.2021
9	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	21.12.2021
10	श्री दीपक शर्मा	21.12.2021
11	श्री विवेक अग्रवाल (14.07.2023 तक)	25.02.2022
12	सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (24.10.2023 तक)	22.07.2016
13	श्री संजय विनायक मुदालियर (30.01.2024 तक)	01.01.2023
14	सुश्री एस श्रीमती (09.03.2024 तक)	10.03.2021

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविषयगत परिहार्यता के प्रति और न ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते **एसआर श्रीनिवासन एंड कं. एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंध भागीदार
एफसीएस: 3737 सीपी. संख्या 14055
यूडीआईएन: F003727F000303587
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 1177/2021

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 18.04.2024

वार्षिक खाता
स्टैंडअलोन

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन – पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी व देयताएँ			
पूंजी	01	18902 41 23	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	9039 88 85	6360 53 25
जमाएँ	03	285905 37 82	260883 29 05
उधार	04	30387 16 55	20803 77 19
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	05	7798 77 43	6783 97 88
कुल		**352033 61 88**	**313733 98 60**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	06	16904 56 29	17148 09 47
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	1649 85 57	3458 72 71
निवेश	08	99632 08 17	94170 41 04
अग्रिम	09	213318 80 94	178052 57 37
स्थिर आस्तियाँ	10	3739 75 59	3709 97 69
अन्य आस्तियाँ	11	16788 55 32	17194 20 32
कुल		**352033 61 88**	**313733 98 60**
आकस्मिक देयताएँ	12	195742 15 63	196131 44 96
संग्रहण के लिए बिल		19119 00 64	19547 85 75
मूल लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है।

निदेशक मंडल की ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

कार्तिकेय मिश्रा
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

बी चंद्र रेड्डी
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
आय			
अर्जित ब्याज	13	24049 73 44	19400 32 62
अन्य आय	14	5656 26 24	4108 74 82
योग		**29705 99 68**	**23509 07 44**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	14220 32 04	11145 44 45
परिचालन व्यय	16	8721 90 75	6421 46 32
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)		4108 14 40	3843 38 07
योग		**27050 37 19**	**21410 28 84**
लाभ / हानि (-)			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)		2655 62 49	2098 78 60
अग्रणित लाभ / हानि (-)		(16448 69 86)	(17999 28 75)
योग		**(13793 07 37)**	**(15900 50 15)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		663 90 62	524 69 65
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		0	0
पूज्ी आरक्षितियों में अंतरण		12 31 19	23 50 06
विशेष आरक्षित को अंतरण		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(14469 29 17)	(16448 69 86)
योग		**(13793 07 37)**	**(15900 50 15)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		1.40	1.15
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

एस एन कपूर एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

(अविचल एस एन कपूर)
साझेदार, एम नं.: 400460

आर देवेंद्र कुमार एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार, एम नं.: 074392

तेज राज एवं पाल
एफआरएन 304124ई

(बी गंगाराजू)
साझेदार, एम नं.: 007605

लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार, एम नं.: 435511

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

31.03.2024 समाप्त वर्ष/ तिमाही के लिए स्टैण्डअलोन नकदी प्रवाह विवरणी

(रु. हजार में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि) कर के बाद	26 55 62 49	20 98 78 60
जोड़े: कर के लिए प्रावधान	7 56 91 66	2 49 45 57
कर के पहले निवल लाभ/(हानि)	**34 12 54 15**	**23 48 24 17**
समायोजन हेतु:		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	45 27 60	48 32 25
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	(7 49 91 77)	3 14 03 46
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	3 35 85 28	2 59 88 98
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(2 20 92)	(1 58 38)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	27 15 61 90	29 32 97 61
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1 12 22 29)	(4 62 44 67)
निवेशों पर मूल्यह्रास (एन.पी.आइ. के लिए प्रावधान का निवल)	6 37 00 59	3 43 49 00
अन्य मदों के लिए प्रावधान	1 27 32 54	8 67 99 15
टियर II बॉडस पर ब्याज	2 27 69 10	1 83 40 80
	32 24 42 04	**44 86 08 20**
निम्नवत के लिए समायोजन:		
जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	250 22 08 76	(12 75 63 43)
उधारियों में वृद्धि/ (कमी)	98 83 39 36	175 33 13 53
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	19 45 84 84	(53 55 83 98)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(53 94 03 55)	33 03 05 53
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(379 81 85 46)	(367 42 02 52)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(6 94 82 30)	4 43 70 91
	(72 19 38 35)	**(220 93 59 96)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	**(5 83 00 00)**	**(3 36 00 00)**
परिचालन गतिविधियों से सृजित/ (उपयोगित) निवल नकदी प्रवाह (क)	**(11 65 42 16)**	**(155 95 27 59)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ निपटान	5 96 76	22 72 03
स्थिर आस्तियों का क्रय	(3 65 25 82)	(5 82 20 43)
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकद (ख)	**(3 59 29 06)**	**(5 59 48 40)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
टियर I एवं टियर II/ अन्य उधारियों का मोचन	(3 00 00 00)	(8 00 00 00)
बेसल III टियर II बॉण्ड का निर्गम	0	10 00 00 00
टियर II बाण्डों पर प्रदत्त ब्याज	(2 27 69 10)	(2 11 61 10)
वित्तपोषित संबंधी गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकद (ग)	**(5 27 69 10)**	**(11 61 10)**

31.03.2024 समाप्त वर्ष/ तिमाही के लिए स्टैण्डअलोन नकदी प्रवाह विवरणी

(रु. हजार में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**(20 52 40 32)**	**(161 66 37 10)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
भा. रि. बैं. के पास नकदी व शेष	171 48 09 47	227 48 99 35
बैंकों के पास शेष एवं मांग द्रव्य	34 58 72 71	140 24 19 93
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
नकदी एवं भा. रि. बैं. के पास शेष	169 04 56 29	171 48 09 47
बैंकों के पास शेष एवं मांग द्रव्य	16 49 85 57	34 58 72 71
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / कमी	**(20 52 40 32)**	**(161 66 37 10)**

यह विवरणी अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार की गयी है।

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

कार्तिकेय मिश्रा
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

बी चंद्र रेड्डी
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

एस एन कपूर एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

(अविचल एस एन कपूर)
साझेदार, एम नं.: 400460

आर देवेंद्र कुमार एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार, एम नं.: 074392

तेज राज एवं पाल
एफआरएन 304124ई

(बी गंगाराजू)
साझेदार, एम नं.: 007605

लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार, एम नं.: 435511

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

अनुसूची - 1
पूंजी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
"प्रत्येक रु.10/- के 1890,24,12,256 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)"	**18902 41 23**	**18902 41 23**

अनुसूची - 2
आरक्षतियाँ व अधिशेष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	4086 72 84	3562 03 19
जोड़ें: परिवर्धन	663 90 62	524 69 65
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – I	**4750 63 46**	**4086 72 84**
II. पूंजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	2753 15 36	2749 56 13
जोड़ें: परिवर्धन	9 87 87	43 90 22
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	40 39 74	40 30 99
योग – अ	**2722 63 49**	**2753 15 36**
आ. आस्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2157 44 57	2133 94 51
जोड़ें: परिवर्धन	12 31 19	23 50 06
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग- आ	**2169 75 76**	**2157 44 57**
इ. अन्य		
अथ शेष	153 22 07	153 12 62
जोड़ें: परिवर्धन	231	945
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - इ	**153 24 38**	**153 22 07**
योग - II (अ, आ, इ)	**5045 63 63**	**5063 82 00**
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	8557 90 11	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - III	**8557 90 11**	**8557 90 11**

अनुसूची - 2
आरक्षितियाँ व अधिशेष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति		
अथ शेष	3647 11 52	3611 09 12
जोड़ें: परिवर्धन	36 03 26	36 02 40
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – अ	**3683 14 78**	**3647 11 52**
आ निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – आ	**97 95 58**	**97 95 58**
इ विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती		
अथ शेष	965 71 07	841 65 96
जोड़ें: परिवर्धन	111 80 37	126 64 35
घटाएँ : कटौतियाँ	93 60 97	2 59 25
योग – इ	**983 90 47**	**965 71 06**
ई निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता		
अथ शेष	390 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – ई	**390 00 00**	**390 00 00**
कुल - IV (अ, आ, इ, ई)	**5155 00 83**	**5100 78 16**
V. लाभ व हानि खाते	**(14469 29 17)**	**(16448 69 86)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**9039 88 85**	**6360 53 25**

अनुसूची - 3
जमाएँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	10 92 98	8 12 73
ii) अन्यों से	22908 03 99	16662 13 19
योग - I	**22918 96 97**	**16670 25 92**
II. बचत बैंक जमाएँ	**102589 32 08**	**97442 54 56**
III. मियादी जमाएँ		
i) बैंकों से	566 65 84	570 93 19
ii) अन्यों से	159830 42 93	146199 55 38
योग - III	**160397 08 77**	**146770 48 57**
योग – अ (I, II एवं III)	**285905 37 82**	**260883 29 05**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	278967 49 60	254324 09 53
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	6937 88 22	6559 19 52
योग आ	**285905 37 82**	**260883 29 05**

अनुसूची - 4
लिए गए उधार

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
अन्य बैंके	2118 67 50	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	19121 97 00	15428 82 35
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	0	0
अधीनस्थ कर्ज	2165 00 00	2465 00 00
योग (I)	**23405 64 50**	**17893 82 35**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**6981 52 05**	**2909 94 83**
योग (I एवं II)	**30387 16 55**	**20803 77 19**
ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**21240 64 50**	**15428 82 35**

अनुसूची - 5
अन्य देयताएँ व प्रावधान

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. देय बिल	811 73 08	818 79 34
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. प्रोद्भूत ब्याज	402 50 31	279 92 37
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	6584 54 04	5685 26 17
योग	**7798 77 43**	**6783 97 88**

अनुसूची - 6
में नकदी व शेष भारतीय रिज़र्व बैंक

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है)	1263 61 73	1124 41 87
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
i) चालू खाते में शेष	9094 53 29	12222 84 82
ii) अन्य खातों में शेष	6546 41 27	3800 82 78
योग (I एवं II)	**16904 56 29**	**17148 09 47**

अनुसूची - 7
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
अ) चालू खातों में	8 78 89	15 11 42
आ) अन्य जमा खातों में	236 89 25	1060 05 50
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
अ) बैंकों के साथ	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
योग - (i एवं ii)	**245 68 14**	**1075 16 92**
II. भारत के बाहर		
अ) चालू खातों में	790 57 04	473 61 34
आ) अन्य जमा खातों में	3 50 90	1732 15 95
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	610 09 50	177 78 50
योग - II (अ, आ एवं इ)	**1404 17 44**	**2383 55 79**
योग (I एवं II)	**1649 85 57**	**3458 72 71**

अनुसूची - 8
निवेश

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	91652 13 70	86603 00 74
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	99 45	98 95
iii) शेयर	602 66 86	1135 28 89
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	2542 94 34	2214 23 50
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	606 90 22	0
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड में निवेश)	71 00 75	88 83 28
योग- I	**95476 65 32**	**90042 35 36**
II. भारत के बाहर के निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	3834 79 09	3710 18 36
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	5 67	0
iii) शेयर	0	45 85 91
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	127 13 90	178 57 21
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	193 44 19	193 44 19
vi) अन्य निवेश	0	0
योग – II	**4155 42 85**	**4128 05 68**
योग (I एवं II)	**99632 08 17**	**94170 41 04**
भारत में सकल निवेश	96752 28 36	92133 61 92
घटाएँ: मूल्यह्रास	1275 63 04	2091 26 56
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	0	0
निवल विनिधान	**95476 65 32**	**90042 35 36**
भारत के बाहर सकाल निवेश	4164 78 91	4137 76 01
घटाएँ: मूल्यह्रास	9 36 05	9 70 33
निवल विनिधान	**4155 42 85**	**4128 05 68**
कुल निवल निवेश	**99632 08 17**	**94170 41 04**

अनुसूची - 9
अग्रिम

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	8332 89 52	4566 85 34
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	77151 92 44	77358 12 71
iii) सावधि उधार	127833 98 98	96127 59 32
योग	**213318 80 94**	**178052 57 37**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	145445 87 71	135655 23 42
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	34358 84 19	11604 08 55
iii) अप्रतिभूत	33514 09 04	30793 25 40
योग	**213318 80 94**	**178052 57 37**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	107640 07 65	91803 94 00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	24336 39 57	24710 67 89
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	64104 10 60	47319 44 89
योग	**196080 57 82**	**163834 06 78**
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से बकाया	0	0
ii) अन्यों से बकाया		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	7333 80 59	6623 36 77
b) संघबद्ध उधार	2743 70 69	2530 49 57
c) अन्य	7160 71 84	5064 64 25
योग	**17238 23 12**	**14218 50 59**
योग (इ-I एवं इ-II)	**213318 80 94**	**178052 57 37**

अनुसूची - 10
स्थिर आस्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	4571 95 99	4491 30 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	4 20 09	80 65 22
	4576 16 08	**4571 95 99**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	0	0
	4576 16 08	4571 95 99
अद्यतन मूल्यह्रास	1378 83 55	1325 92 48
कुल -I	**3197 32 53**	**3246 03 51**
II. पूंजी गत चालू कार्य	14 47 85	8 79
कुल - II	**14 47 85**	**8 79**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)		
वर्ष के आरंभ में लागत	2703 23 88	2202 47 91
वर्ष के दौरान परिवर्धन	346 66 67	542 31 60
	3049 90 55	**2744 79 50**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	94 23 89	41 55 63
	2955 66 67	2703 23 88
अद्यतन मूल्यह्रास	2427 71 45	2239 38 49
कुल - III	**527 95 21**	**463 85 39**
योग (I, II व III)	**3739 75 59**	**3709 97 69**

* 31.03.2024 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं।

अनुसूची - 11
अन्य आस्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	30 51 35	735 12 57
ii) प्रोद्भूत ब्याज	4153 89 68	3620 47 19
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	5450 54 21	4522 59 89
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	2 51 92	3 94 07
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	224 27 48	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	6926 80 68	8102 05 09
कुल	**16788 55 32**	**17194 20 32**

अनुसूची - 12
आकस्मिक दायित्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	4 87 95	4 79 19
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	165998 91 81	165634 95 19
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में	13137 86 75	11746 40 32
ख) भारत के बाहर	157 78 69	371 76 19
v) स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	4557 27 59	5530 28 60
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
a) पूंजी गत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	100 99 50	52 46 12
b) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	0	0
c) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
d) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	0	0
e) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	0	0
f) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	0	0
g) भारिबै के साथ डीईएफ में राशि	2003 50 50	1822 20 80
h) आइटी मांग विवाद	9780 74 96	10968 40 67
i) अन्य	6 29	6 29
कुल	**195742 15 63**	**196131 44 96**

अनुसूची - 13
अर्जित ब्याज

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	17575 60 73	13150 68 73
ii) निवेशों पर आय	5945 77 19	5848 62 93
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	228 74 20	401 00 96
iv) अन्य	299 61 32	0
कुल	**24049 73 44**	**19400 32 62**

अनुसूची - 14
अन्य आय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	1330 59 21	1220 78 96
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	273 23 94	249 57 50
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	749 91 77	(314 03 46)
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	2 20 92	1 58 38
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	192 80 84	564 42 16
vi) विविध आय	3107 49 56	2386 41 28
कुल	**5656 26 24**	**4108 74 82**

अनुसूची - 15
खर्च किया गया ब्याज

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
i) जमाओं पर ब्याज	12608 56 51	10535 60 95
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1611 81 65	609 80 22
iii) अन्य	(6 12)	3 28
योग	**14220 32 04**	**11145 44 45**

अनुसूची - 16
परिचालन व्यय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6140 12 56	4099 05 11
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	528 16 92	492 71 53
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	32 85 60	24 66 66
iv) विज्ञापन और प्रचार	5 08 06	1 40 17
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	335 85 28	259 88 98
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	97 53	74 46
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	30 26 73	31 96 81
viii) विधि प्रभार	31 29 54	24 70 76
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	60 99 30	67 19 63
x) मरम्मत व अनुरक्षा	40 61 73	25 05 46
xi) बीमा	350 06 73	340 80 82
xii) अन्य व्यय	1165 60 77	1053 25 93
योग	**8721 90 75**	**6421 46 32**

अनुसूची - 17
बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

आंकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जितने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित और व्यय लेखांकन

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के सम्बन्ध में वसूली के आधार पर आय का निर्धारण किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है, बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष, अगर हो तो, के लिए किया जाता है। एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तब किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को वाद दायर खातों के रूप में माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली का विनियोजन चाहे वह कॉरपोरेट देनदार या गारंटरों के प्रति शुरू की गई प्रक्रिया से ही हो उन्हें मुकदमा दायर खातों के समान ही माना जाएगा।

डिबेंचर/ इक्विटी/ अन्य ऋण या इक्विटी या उपकरणों आदि के रूप में हुई वसूली, जो एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में नकद वसूली के रूप में होती है और जैसा कि मुकदमा दायर खातों में किया जाता है अर्थात मूलधन और उसपर ब्याज।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर गणना में लिया जाता है।

2.3 बिक्री पूरी होने के बाद बहुमूल्य धातुओं की बिक्री से प्राप्त आय की गणनान्य आय के रूप में की जाती है।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर गणना में लिया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावाकृत बचत बैंक खाते एवं अदावाकृत मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमा व उधार के अलावा, प्रारम्भिक रूप से चिन्हित होने पर विदेशी मुद्रा लेन-देन को विदेशी मुद्रा राशि पर लेन-देन की तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर को लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया, की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार वर्णित जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों के मामलों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के संबन्धित अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम

च) म्युचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1 ''व्यापार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए चिह्नित किया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण-पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ (प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है, सिर्फ ऐसे मूल्यह्रास को छोड़कर जिन्हें बॉस्केट में उपलब्ध मूल्य वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है। हालाँकि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत /परिशोधन लागत पर आगे ले जाया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एनपीए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं भी लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध व परिपक्वता तक धारित) निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, कर चुकतान के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षिती में अंतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है तथा अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी कथित निवेशों से समायोजित किया गया है।

4.14 निवेश को, उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचटीएफ़, व एएफ़एस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा बाद में एचटीएफ़ से एएफ़एस वर्ग में शिफ्टिंग/अंतरण के आलवा वर्ष में एक बार निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्गों के बीच में अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के आधार पर अनतरित किया जाता है । ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

5.4 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

6. डेरिवेटिव्स

6.1 ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2 प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर वर्णित किया गया है।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया गया है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया गया है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के लिए अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

8.2 ग्रेच्युटी व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में ग्रेच्युटी की गणना संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है। मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर, जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्थगित कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ

और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)'' के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक आस्ति राशि तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है।

13. प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी “प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों” के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाहर की ओर प्रावह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे चिन्हित नहीं किया जाता है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

अनुसूची - 18
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हेतु लेखों पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु.करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
परिपक्वता के लिए धारित	85709.55	81802.30	84.93	84.98
बिक्री के लिए उपलब्ध	15207.30	14469.07	15.07	15.03
ट्रेडिंग के लिए धारित	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 20.66 % (पिछले वर्ष 21.30 %) की सीमा के अंदर है जो 31 मार्च 2024 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 23.00% (पिछले वर्ष 23%) रही।

1.3 "परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 45.28 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु. 48.32 करोड़) का इस वर्ष परिशोधन कर दिया गया है। आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पर प्रीमियम के परिशोधन व्यय की मार्जिन ब्याज आय से की जाती है।

इसके अलावा, 4100 करोड़ रुपये की राशि गैर-ब्याज असर भारत सरकार पुनर्पूंजीकरण बांड निवेश के रूप में एचटीएम श्रेणी के तहत वहन लागत पर धारित की जाती है जो मार्च 2031 से मार्च 2036 के बीच परिपक्व हो रही है।

1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआइ/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी. आरईसी. सं. 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 के अनुसार, जैसा कि अद्यतन किया गया है, अनुसूची 14- "अन्य आय" के तहत बैंक द्वारा निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि के साथ-साथ निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि शीर्षक के तहत मूल्यह्रास के प्रावधान का प्रकटीकरण भी किया जाना है और गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) को प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत प्रतिबिंबित किया जाना है। बैंक अब तक निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि शीर्षक के तहत गैर-निष्पादित निवेश के मामले में मार्क टू मार्केट प्रभाव और गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान के शेष हिस्से को प्रावधान और आकस्मिकता शीर्षक के तहत लेखांकन करता रहा है। वर्ष के दौरान, गैर-निष्पादित निवेशों के लिए आवश्यक संपूर्ण प्रावधान का प्रकटीकरण "प्रावधान और आकस्मिकताओं" के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के साथ निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि ₹576.96 करोड़ की सीमा तक अधिक है। यद्यपि पिछली अवधियों से संबंधित प्रभाव को वर्ष के दौरान ध्यान में रखा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को दोबारा नहीं बताया गया है और इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

1.5 सीसीआइएल निपटान गारंटी निधि के प्रति रु. 517.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1717 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु. 13018 करोड़ (पिछला वर्ष रु.15518 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गयी है। रु.3500 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआइ के पास रखा गया है। हमने एलए एफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु आरबीआइ के साथ रु.16000 करोड़ (पिछले वर्ष 6100 करोड़) प्रतिभूति रखी है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.127.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु.127.10 करोड़) को सीसीआइएल के पास रखा गया है और रु.15.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12.50 करोड़) मुद्रा डेरिवेटिव्स के रूप में धारित है।

1.6 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 606.90 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 606.90 करोड़) की शेयर आवेदन राशि का आवंटन लंबित हैं।

1.7 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियाँ बेंची। ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु. 1668.52 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष 2408.02 करोड़) और अर्जित लाभ रु. 14.20 करोड़ (पिछले वर्ष 27.95 करोड़) है। आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते में लेने के पश्चात पूंजी आरक्षित खाते (करों का शुद्ध और वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरित की जाने वाली राशि) में विनियोजित किया गया है।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआइ/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आईएफआर) सृजित किया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिजर्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आइएफआर को शून्य राशि (पिछला वर्ष रु. 390.00 करोड़) अंतरित की गई।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

2.4 अलेखा- परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

3. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर)

वर्ष के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु. 2,20,92,202.68 (रुपए दो करोड़ बीस लाख नब्बे हज़ार दो सौ दो मात्र व अड़सठ पैसे) का लाभ हुआ है।

4. रुपया ब्याज दर स्वैप

31.03.2024 को प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपये का ब्याज दर स्वैप के निरसन पर लाभ खातों पर आस्थगित आय शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए चिन्हित किया जाएगा।

5. अंतर शाखा समाधान/ आंतरिक कार्यालय लेखे

अंतर शाखा लेनदेन और आंतरिक/कार्यालय खातों का समाधान शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय विभागों में विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। बकाया प्रविष्टियों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया के पूरा होने पर आवश्यक लेखांकन समायोजन, यदि कोई आवश्यक हो, किया जाएगा। प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

6. पूंजी और आरिक्षतियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने बेसल III टीयर II बॉन्ड जारी नहीं किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने क्यूआइबी द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 1000 करोड़ रुपये के बेसल III टीयर II बॉन्ड जारी किए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने कोई ईक्विटी पूंजी नहीं जुटाई है। 31 मार्च 2024 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु 18902.41 करोड़ है। 31 मार्च 2023 को भारत सरकार की शेयरधारिता 96.38% है।

7. कर

7.1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए बैंक ने आयकर के प्रावधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की है।

7.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों का शुद्ध) समाधान के अधीन है। यह लंबित मूल्यांकन/अपील के तहत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें]।

7.3 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 8450.79 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 9081.37 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 238.42 करोड़ (पिछले वर्ष 220.52 करोड़) एवं कुल वस्तु एवं सेवा कर रु 1071.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1648.68 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.4 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 756.91 करोड़ है जिसमें रु. 22.67 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु.734.24 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 18.8 का संदर्भ लें।

7.5 मार्च 31,2024 तक बैंक के पास कुल मिलाकर ₹ 5299.94 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति का शेष है, जिसे पूर्व में चिन्हित की गई थी और अनुमानित आधार पर बैंक ने तिमाही (31.03.2024) के लिए ₹ 384.24 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 734.24 करोड़ को रिवर्स कर दिया है।

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण:

1) नियामक पूंजी

क) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) / भुगतान की गई शेयर पूंजी और भंडार@ (मार्जिन का निवल, यदि कोई हो)	20839.72	16736.13
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी*/ अन्य टीयर 1 पूंजी@	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	20839.72	16736.13
iv)	टीयर 2 पूंजी	4034.78	4188.83
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+ टीयर 2)	24874.50	20924.96
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	143979.05	129980.80
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई शेयर पूंजी और आरक्षितियां@	14.47%	12.88%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	14.47%	12.88%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.80%	3.22%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.28%	16.10%
xi)	लिवरेज अनुपात*	5.66%	5.14%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	96.38%	96.38%
	ख) राज्य सरकार (नाम निर्दिष्ट करें)$	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई भुगतान की गई इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि, बेसल III अनुपालक टीयर II बांड	0.00	1000.00

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है।

ख) आरक्षितियों से आहरित

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षितियों से आहरित राशि शून्य है।

2) आस्ति देयता प्रबंधन

क) 31 मार्च 2024 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान*

(रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3494.40	3968.11	13823.20	249.53	3810.85	2570.05
2 से 7 दिन	9008.35	3573.95	12318.52	7650.21	3037.05	2790.44
8 से 14 दिन	8653.41	5566.81	1831.97	793.69	1202.81	2366.72
15 से 30 दिन	8436.83	4737.00	2016.11	1283.08	5708.97	6474.06
31 दिन से 2 महीने तक	11797.55	9761.01	3188.78	435.65	6530.04	5472.58
2 महीने से 3 महीने तक	11538.39	9576.75	3155.22	2764.19	12085.62	5245.23
3 महीने से 6 महीने	31628.76	20060.11	8140.34	5902.82	3354.73	10967.61
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	47420.13	32878.82	11726.85	6533.07	1925.79	3,395.67
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	146920.56	56946.67	36529.83	2608.42	3385.02	798.20
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5059.18	20773.90	2200.81	1.50	932.69	651.07
5 वर्ष से अधिक	1947.80	51175.33	4700.43	2165.00	1743.50	2985.30

31 मार्च 2023 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3070.49	1837.10	23532.65	0.27	2360.90	2467.40
2 से 7 दिन	6659.81	4429.34	2545.41	254.38	1581.66	868.81
8 से 14 दिन	7958.73	2393.20	1962.03	0.00	1814.52	945.80
15 से 30 दिन	5606.22	4431.81	1507.15	287.09	3322.09	1820.99
31 दिन से 2 महीने तक	8717.88	6163.05	2604.59	828.52	5412.50	2205.18
2 महीने से 3 महीने तक	9675.62	8546.17	2521.78	828.67	4016.56	3702.26
3 महीने से 6 महीने	22588.12	13299.37	5667.89	2091.53	6122.42	9281.98
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	40030.48	26407.51	9580.31	964.01	2679.34	7325.23

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	44559.84	47511.61	13165.16	3075.73	1346.52	776.50
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5664.79	27652.69	2980.80	5.89	2122.64	698.54
5 वर्ष से अधिक	106351.30	46336.68	28102.65	2479.72	2059.46	2745.90
कुल	**260883.28**	**189008.53**	**94170.42**	**10815.81**	**32838.61**	**32838.59**

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

आरबीआइ ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को परिपत्र संख्या आरबीआइ/2014-15/529 डीबीआर सं. बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के माध्यम से पेश किया था। जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले बैंक हैं और संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) 30 दिनों तक चलने वाले एक तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए। 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी बैंक के लिए आरबीआइ के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% है।

$$\text{एलसीआर की परिभाषा:} \quad \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)}}$$

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 संपत्ति। स्तर 2 एसेट्स को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है। स्तर 1 की संपत्ति 0 मार्जिन के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15 मार्जिन और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति, न्यूनतम 50% मार्जिन के साथ है।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से मार्जिन के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-तुलन पत्र प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के चार तिमाहियों एवं मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर का विवरण:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही
एचक्यूएलए	61725.29	62640.51	66334.58	65135.35	69269.29
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	44430.36	44559.54	43338.13	39758.39	40469.60
% में एलसीआर	138.93	140.58	153.06	163.82	171.16

बैंक ने मार्च 2024 तिमाही में सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है। 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने के दैनिक औसत (चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2023-24) के आधार पर 138.93% है और मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियमों पर आधारित है। देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं। बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है। अल्को के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय-समय पर सूचित किए जाते हैं। दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण का अनुलग्नक:

(रुपये करोड़ में)

		जून-23		जून-22		सितम्बर-23		सितम्बर-22		दिसम्बर-23		दिसम्बर-22		मार्च-24		मार्च-23	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		65135.35		74671.80		66334.58		71853.08		62640.51		69630.48		61725.29		69 269.29
नकदी बहिर्वाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	205246.75	19197.75	201162.57	18798.37	211340.59	19767.93	201708.59	18852.73	216117.99	20216.43	203241.69	19003.77	219726.53	20565.56	204063.66	19079.47
(i)	स्थिर जमाएं	26538.41	1326.92	26357.71	1317.89	27322.68	136.13	26362.54	1318.13	27907.45	1395.37	26408.03	1320.40	28141.89	1407.09	26537.86	1326.89
(ii)	कम स्थिर जमाएं	178708.34	17870.83	174804.86	17480.49	184017.91	18401.79	175346.05	17534.61	188210.54	18821.05	176833.66	17683.37	191584.64	19158.46	177525.80	17752.58
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	47920.97	23941.17	54893.41	27300.37	54082.57	27010.27	51913.39	25847.61	55182.14	27616.31	47480.46	23936.18	54995.09	28485.66	47998.14	24053.50
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	47920.97	23941.17	54893.41	27300.37	54082.57	27010.27	51913.39	25847.61	55182.14	27616.31	47480.46	23936.18	54995.09	28485.66	47998.14	24053.47
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	4753.98	290.16	1806.59	629.85	5214.87	1367.53	1352.74	640.06	7145.04	1762.16	2333.67	614.27	10658.54	0.00	2976.52	458.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	12477.02	1859.93	12283.99	1631.34	14153.19	2017.54	12351.63	1640.75	15168.96	2058.76	12285.57	1732.91	16293.91	2340.31	12532.57	1 945.81
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	808.46	808.46	539.67	539.67	810.90	810.90	556.77	556.77	743.74	743.74	672.96	672.96	575.43	575.43	891.27	891.27
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	11668.56	1051.47	11744.32	1091.67	13342.29	1206.64	11794.86	1083.98	14425.22	1315.02	11612.61	1059.95	15718.48	1764.88	11641.30	1054.54

		जून-23		जून-22		सितम्बर-23		सितम्बर-22		दिसम्बर-23		दिसम्बर-22		मार्च-24		मार्च-23	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.26	460.26	0.00	0.00	2392.93	2392.93	0.00	0.00
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	15537.54	466.46	16004.55	480.49	17107.07	513.40	16622.63	498.87	17357.57	520.73	16021.53	480.84	17388.27	521.70	15579.17	467.51
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**45755.47**		**48840.42**		**50676.67**		**47480.02**		**52634.65**		**45767.97**		**54306.16**		**46004.29**
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	7.14	0.00	527.18	0.00	34.71	0.00	22.53	0.00	298.85	27.88	0.00	0.00	484.55	44.19	89.58	0.00
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	9630.42	5407.17	6858.73	3916.95	8878.73	5171.76	7750.10	4447.50	11160.61	6014.24	8116.86	4722.21	17974.27	9152.73	8557.04	4903.28
11	अन्य नकद अंतर्वाह	592.16	588.93	664.52	660.69	2168.27	2166.77	567.62	563.99	2032.99	2032.99	674.70	667.97	1029.31	678.88	638.16	631.41
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**10229.72**	**5996.10**	**8050.43**	**4577.64**	**11081.71**	**7338.53**	**8340.25**	**5011.49**	**13492.44**	**8075.11**	**8791.56**	**5390.18**	**19488.13**	**9875.80**	**9284.78**	**5534.69**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**65135.35**		**74671.80**		**6634.58**		**71853.08**		**62640.51**		**69630.48**		**61725.29**		**69269.29**
14	**कुल निवल नकद प्रवाह**		**39759.37**		**44262.78**		**43338.14**		**42468.53**		**44559.54**		**40377.79**		**44430.36**		**40469.60**
15	**तरलता कवरेज अनुपात [%]**		**163.82%**		**168.70%**		**153.06%**		**169.19%**		**140.58**		**172.45%**		**138.93%**		**171.16%**

गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।

1. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या इनफ्लो और आउटफ्लो दरों (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) को लागू करने के बाद की जाती है।
2. समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और इनफ्लो और आउटफ्लो दरों और (ii) किसी भी लागू कैप्स (यानी एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 एसेट्स पर कैप और इनफ्लो पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद की जाती है।

ग) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

आरबीआइ निवल स्थिर निवल अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिससे बैंकों द्वारा अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआइ दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

एनएसएफआर की परिभाषा: $\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}}$

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक फैली हुई है। किसी विशिष्ट संस्थान की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की राशि चलनिधि विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर का विवरण:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	मार्च 2024 तिमाही	दिसंबर 2023 तिमाही	सितंबर 2023 तिमाही	जून 2023 तिमाही
उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) (भारित मूल्य)	269442.74	260922.03	260154.17	243569.35
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) (भारित मूल्य)	183543.59	184593.75	183815.81	172997.73
एनएसएफआर% में	146.80%	141.35%	141.53%	140.79%

बैंक ने **31 मार्च 2024** के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो 146.80% है जो आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो फंडिंग की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि के क्षितिज पर निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

	(रुपये करोड़ में)	दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए					मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	भारित मूल्य
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	23481.86	0.00	0.00	0.00	23481.86	24874.50	0.00	0.00	0.00	24874.50
2	विनियामक पूंजी	23481.86	0.00	0.00	0.00	23481.86	24874.50	0.00	0.00	0.00	24874.50
3	अन्य पूंजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	94107.04	67358.29	54936.01	3677.69	199870.93	98973.34	76744.38	49741.56	3351.75	207768.62
5	स्थिर जमा	12455.09	8914.89	7270.80	3677.69	30886.42	13200.47	10235.71	6634.23	3351.75	31918.63
6	कम स्थिर जमा	8151.95	58443.40	47665.22	0.00	168984.51	85772.87	66508.68	43107.33	0.00	175849.99
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	26847.97	26597.85	21692.65	0.00	37569.24	26534.96	28555.90	18508.39	0.00	36799.62
8	परिचालन जमा	40.49	0.00	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	26807.47	26597.85	21692.65	0.00	37548.99	26534.96	28555.90	18508.39	0.00	36799.62
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	3049.70	2182.86	1780.29	0.00	0.00	3371.98	2614.65	1694.67	0.00	0.00
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	3049.70	2182.86	1780.29	0.00	0.00	3371.98	2614.65	1694.67	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					**260922.03**					**269442.74**
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3508.12					3824.87
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	369.22	0.00	0.00	0.00	184.61	362.20	0.00	0.00	0.00	181.10
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	42972.82	35048.28	31604.00	105720.97	153228.39	40900.01	42365.43	30875.02	102887.98	152715.15
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	255.89	642.96	5991.25	6351.11	0.00	202.04	796.02	4316.64	4744.95
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	42972.82	34792.39	30961.04	50292.95	108487.42	40900.01	42163.39	30079.00	49613.80	110549.19

	(रुपये करोड़ में)	दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए					मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**	**कोई परिपक्वता नहीं**	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**
एएसएफ आइटम											
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	8443.83	0.00	0.00	9882.18	11911.91	5668.05	0.00	0.00	6875.63	8153.39
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	22570.94	15553.90	0.00	0.00	0.00	22469.70	14906.33
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	18156.99	11802.05	0.00	0.00	0.00	20964.55	13626.96
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	26865.83	22835.96	0.00	0.00	0.00	26487.84	22514.67
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	12136.94	143.51	127.71	14595.27	26904.12	11486.34	188.18	129.54	14284.50	25989.24
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	662.10	562.79		0.00	0.00	662.10	562.79
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.28	0.00	0.00	6.28
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.31	0.00	0.00	0.31
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	12136.94	143.51	127.71	13933.17	26341.34	11486.34	181.58	129.54	13622.40	25419.86
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम	0.00	1205.82	1073.04	15363.54	768.52		1805.96	1288.36	16297.46	833.23
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					**184593.75**					**183543.59**
32	**निवल स्थिर निधि अनुपात (%)**					**141.35%**					**146.80%**

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

	(रुपये करोड़ में)	जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए					सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**	**कोई परिपक्वता नहीं**	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	21558.72	0.00	0.00	0.00	21558.72	22325.85	0.00	0.00	0.00	22325.85
2	विनियामक पूंजी	21558.72	0.00	0.00	0.00	21558.72	22325.85	0.00	0.00	0.00	22325.85
3	अन्य पूंजीगत साधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	91964.96	59572.87	56832.92	2350.06	191263.29	93463.91	56569.56	64085.44	8582.86	202707.34
5	स्थिर जमा	12177.40	7888.25	7525.45	2350.06	28561.61	12374.44	7489.70	8484.79	8582.86	35514.35
6	कम स्थिर जमा	79787.55	51684.62	49307.47	0.00	162701.68	81089.47	49079.86	55600.65	0	167192.99
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	24729.15	18815.46	17950.07	0.00	30747.34	25742.42	16762.58	18989.67	0.00	35120.98
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	24729.15	18815.46	17950.07	0.00	30747.34	25742.42	16762.58	18989.67	0.00	35120.98
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	2983.29	1932.51	1898.34	0.00	0.00	3232.56	1956.53	2216.47	0.00	0
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां	0.00	0.00	54.71	0.000	0.00		0	0.00	0.00	0
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	2983.29	1932.51	1843.63	0.00	0.00	3232.56	1956.53	2216.47	0.00	0.00
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**24356.35**					**260154.17**
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA)					3505.29					3523.97
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	409.87	0.00	0.00	0.00	204.94	1102.73	0.00	0.00		551.36
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	43115.77	29990.70	25285.55	94562.00	139655.63	43806.31	34070.99	26741.67	106378.71	151392.62
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	281.06	1653.97	9556.07	10425.21	0.00	219.65	839.37	6164.41	6617.05
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	43115.77	29709.64	23631.58	50856.92	102818.01	43806.31	33851.34	25902.30	51826.04	107180.25

	(रुपये करोड़ में)	जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए					सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**	**कोई परिपक्वता नहीं**	**<6 महीने**	**6 महीने से <1 वर्ष**	**एक वर्ष और अधिक**	**भारित मूल्य**
एएसएफ आइटम											
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	8555.41	0.00	0.00	10091.48	12120.48	9790.72	0.00	0.00	11583.13	13945.44
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	8599.68	3929.70	0.00	0.00	0.00	21825.75	15017.18
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	16900.13	10985.09	0.00	0.00	0.00	17673.51	11487.78
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	26450.24	22482.70	0.00	0.00	0.00	26562.51	22578.13
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	12537.83	175.76	139.80	16335.45	28909.53	11999.97	175.92	120.43	15081.10	27301.99
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00			0	0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	1862.10	1582.79	0	0.00	0.00	1162.10	987.79
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		0.00	0.00	0.00	0.00	0	17.64	0.00	0	17.64
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की मार्जिन से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.88	0.00	0	0.88
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	12537.83	175.76	139.80	14473.35	27326.75	11999.97	157.39	120.43	13919.00	26295.68
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम		1125.84	895.51	14086.07	722.34		1122.59	858.98	14125.84	1045.87
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					**172 997.73**					**183815.81**
32	निवल स्थिर निधि अनुपात (%)					**140.79%**					**141.53%**

3. निवेश

अ) 31.03.2024 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
कुल	81230.16	1.01	0.00	0.00	606.90	22.07	81860.14	3549.11	199.57	100.69	3849.37	85709.51
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.00	6.13	0.00	6.13	6.2
निवल	81230.16	0.99	0.00	0.00	606.90	22.02	81860.21	3549.11	193.44	100.69	3843.24	85703.45
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	10478.08	0.00	1950.51	3067.53	0.00	487.95	15984.07	285.37	0.00	29.73	315.1	16299.17
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	56.11	0.00	1347.83	524.58	0.00	438.96	2367.48	0.00	0.00	2.92	2.92	2370.4
निवल	10421.97	0.00	602.68	2542.95	0.00	48.99	13616.59	285.37	0.00	26.81	312.18	18663.73
ट्रेडिंग के लिए धारित												
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	91708.24	1.01	1950.51	3067.53	606.90	510.02	97844.21	3834.48	199.57	130.42	4164.47	102008.68
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	2.92	9.05	9.05
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	56.11	0.02	1347.83	524.58	0	439.01	2367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2367.55
निवल	91652.13	0.99	602.68	2542.95	606.90	71.01	95476.66	3834.48	193.44	127.5	4155.42	99632.08

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	**31.03.2024 (आइएनआर) के अनुसार प्रावधान की राशि**
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	465024053.40
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	304892801.68
कुल	**769916855.08**

उपर्युक्त प्रावधान के.का. बही में धारित है।

31.03.2023 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	**अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां**	**शेयर**	**डिबेंचर और बांड**	**सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत में कुल निवेश**	**सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)**	**सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम**	**अन्य**	**भारत के बाहर कुल निवेश**	**कुल निवेश**
परिपक्वता के लिए धारित												
कुल	77120.52	1.01	606.90	0.00	0.00	13.86	77742.29	3710.18	199.58	150.28	4060.03	81802.32
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
निवल	77120.52	0.99	606.89	0.00	0.00	13.86	77742.27	3710.18	193.45	150.28	4053.90	81796.17
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	9749.10	0.00	1896.07	2535.49	0.00	604.33	14784.99	0.00	0.00	77.72	77.72	14862.71
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	266.61	0.00	1367.68	321.26	0.00	529.35	2484.90	0.00	0.00	3.57	3.57	2488.47
निवल	9482.49	0.00	528.39	2214.23	0.00	74.98	12300.09	0.00	0.00	74.15	74.15	12374.24
ट्रेडिंग के लिए आयोजित												
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	86869.62	1.01	2502.97	2535.49	0.00	618.19	92527.28	3710.18	199.58	228.00	4137.76	96665.03
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	266.61	0.00	1367.68	321.26	0.00	529.35	2484.90	0.00	6.13	3.57	9.70	2494.60
निवल	86603.01	0.99	1135.28	2214.23	0.00	88.84	90042.35	3710.18	193.45	224.43	4128.05	94170.41

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	**31.03.2023 (आइएनआर) के अनुसार प्रावधान की राशि**
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	458079776.52
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	300490999.26
कुल	**758570775.78**

आ) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचालन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
ए. प्रारंभिक जमा	2094.84	2 436.23
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2573.57	769.51
सी. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ बट्टे खाते में डालना	3389.86	1 104.77
डी. जमा शेष	1275.63	2 100.97
निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
ए. प्रारंभिक जमा	390.00	390.00
बी. जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
सी. कम: ड्राडाउन	0.00	0.00
डी. जमा शेष	390.00	390.00
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (बुक वैल्यू)	2.62%	2.71%

इ) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी (5% की निर्धारित सीमा से अधिक) से बिक्री: शून्य [पिछला वर्ष: शून्य]। वर्ष की शुरुआत में आरबीआइ द्वारा अनुमत श्रेणी अंतरण के अलावा एचटीएम श्रेणी में/से अंतरण : शून्य।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र-वर्गीकरण, वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का मूल्यांकन और संचालन (दिशा-निर्देश) 2021 दिनांकित 25.08.2021 के अनुसार (23 मार्च, 2022 को अद्यतित), बैंकों को निवेश को परिपक्वता में/से धारित को वर्ष में एक बार, सामान्यतः लेखांकन वर्ष की शुरुआत में, स्थानांतरित करने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिए जाने के अलावा, उस लेखांकन वर्ष के शेष भाग के दौरान किसी भी अन्य बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	**विवरण**	**2023-24**	**2022-23**
क)	1 अप्रैल को अथशेष बैलेंस	2305.16	2541.11
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	288.77	1181.76
ग)	उपरोक्त अवधि के दौरान मार्जिन*	40.44	1417.71
घ)	31 मार्च को अंतिम शेष	2553.49	2305.17
ङ)	धारित कुल प्रावधान**	2553.49	2277.38

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23
क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	23653.69	23478.76	23605.05	23415.10	0	0	0	0	0	0
ख)	वित्तीय संस्थाओं	380.5	380.50	364.4	364.40	0	0	0	0	0	0
ग)	बैंकों	1208.96	1258.27	1136.76	1135.25	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
घ)	निजी कॉर्पोरेट	2341.39	3179.12	2018.38	2874.32	18.75	110.74	65.25	77.92	65.19	19.27
ङ)	सहायक/संयुक्त उद्यम	806.48	199.58	0	0	0	0	0	0	0	0
च)	अन्य	3835.4	3710.18	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1284.67)	(2227.99)	(770.53)	(2032.44)	0	0	0	0	0	0
	कुल *	**30941.75**	**29978.42**	**26354.06**	**25756.63**	**27.50**	**119.49**	**74.00**	**86.67**	**73.94**	**28.02**

टिप्पणी:

1. इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है क्योंकि ये रेटिंग दिशानिर्देशों से मुक्त हैं।

2. उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।

उ) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष 2023-24 के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष 2023-24 के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष 2023-24 के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	1006.86	7685.05	217.87	7000.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियांक) क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	360.53	360.53	0.99	0.00

• प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018 में निर्दिष्टानुसार होगा।

ऊ) 31 मार्च2024 तक सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च 2024 तक बकाया
टीआरईपीएस	200.00	11200.00	3327.05	1217701.15	400.00
आइबी रेपो	5.21	304.68	25.84	9430.83	0.00

4. आस्ति की गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक जमा	174936.97	2558.23	8704.16	2809.16	14071.55	189008.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					1648.51	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					8925.63	
जमा शेष	**212224.06**	**1204.39**	**4480.05**	**1109.99**	**6794.43**	**219018.49**
सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					577.07	577.07
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1134.73	1134.73
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					6690.91	6690.91
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					522.92	522.92
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक संतुलन	1593.71	1078.72	6752.67	2687.37	10518.76	12112.47
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					2706.49	2706.49
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					7897.19	7897.19
धारित प्रावधानों का अंतिम संतुलन	1488.76	723.02	3879.89	942.40	5305.10	6793.86
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		1469.50	1753.01	43.62	3266.01	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					677.67	
घटाएँ: वर्ष के दौरान मार्जिन					2726.83	
जमा शेष		442.84	719.42	54.59	1216.85	1216.85
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम संतुलन						0.00
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						30244.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना						6461.43
घटाएं: पूर्व में वर्ष के दौरान खाते तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने से की गई वसूली						4869.33
जमा शेष						**31836.20**

अनुपात (प्रतिशत में)	**2023-24**	**2022-23**
सकल अग्रिम से हुए सकल एनपीए	3.10%	7.44%
निवल अग्रिम से हुए निवल एनपीए	0.57%	1.83%
प्रावधान कवरेज अनुपात	96.85%	92.63%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र*	2023-24			2022-23		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	52699.17	2064.73	3.92%	42819.21	2880.74	6.73%
ख)	प्राथमिकता के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	14371.32	1084.45	7.55%	13231.33	1433.44	10.83%
ग)	क्षेत्र उधार सेवाएं सेवाएं	20915.24	1018.25	4.87%	17368.86	1318.10	7.59%
घ)	वैयक्तिक ऋण	13536.68	487.76	3.06%	13344.53	1177.51	8.82%
	उप-योग (i)	**101522.42**	**4655.19**	**4.59%**	**86763.93**	**6809.79**	**7.84%**
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र						
अ.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2935.68	33.19	1.13%	1168.96	93.14	7.97%
आ.	उद्योग	18192.07	1725.64	9.49%	31343.78	5679.66	18.12%
इ.	सेवाएं	46718.68	33.92	0.07%	25104.98	864.77	3.44%
ई.	वैयक्तिक ऋण	49050.64	346.49	0.71%	44039.67	624.19	1.42%
उ.	खाद्य साख	599.00	0.00	0.00%	587.18	0.00	0.00%
	उप-कुल (ii)	**117496.08**	**2139.24**	**1.82%**	**102244.60**	**7261.76**	**7.10%**
	कुल (i + ii)	**219018.49**	**6794.43**	**3.10%**	**189008.51**	**14071.60**	**7.44%**

*बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी खुलासा करेंगे जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वह इसके ब्योरे का खुलासा करेगा
'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में अलग से खनन के लिए बकाया अग्रिम।

ग) विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
कुल संपत्ति	30020.73	20193.55
कुल एनपीए	1356.83	1559.87
कुल राजस्व	855.20	562.61

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

i) समाधान योजना का विवरण

तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआइ परिपत्र संख्या आरबीआइ/2018-19/2013 डीबीआर नंबर बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 , जहां समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के भीतर व्यवहार्य समाधान योजना लागू नहीं की गई है - संशोधित ढांचा:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋणों की राशि	31.03.2024 तक ऋण की राशि, (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत	31.03.2024 को किया गया प्रावधान	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान	(डी) में से 31.03.2024 तक प्रावधान पहले ही कर लिया गया है।
228.22	228.22	228.22	72.90	0.00	72.90

ड़) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआइ ने अपनी अधिसूचना सं. आरबीआइ/ डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी. आरईसी सं. 45/ 21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 (01.04.2024 को अद्यतन) ने उन बैंकों द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता बनाई है जहां आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों में भिन्नता वार्षिक रिपोर्ट की सीमाएँ पार कर गई हैं।

31.03.2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए, यदि निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(ए) आरबीआइ द्वारा मूल्यांकन हेतु एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है, और

(बी) आरबीआइ द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 2023* तक सकल एनपीए, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	14072
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक सकल एनपीए	14127
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	55
4.	31 मार्च, 2023 तक निवल एनपीए, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	3266
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च 2023 तक निवल एनपीए	3320
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	54
7.	31 मार्च, 2023 तक एनपीए के लिए प्रावधान, जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2858
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक एनपीए के लिए प्रावधान	2906
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	48
10	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	6030
11.	31 मार्च2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) की सूचना दी गई	2099
12.	प्रावधान में अंतर पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	2043*

*विभिन्न प्रावधानों के तहत विचलन पर विचार करने के बाद,जैसे

o निवेश के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त प्रावधान- रु. 8 करोड़,

o एनपीए को कम करके बताने के लिए अतिरिक्त प्रावधान- 48 करोड़ रुपये

यदि कोई भी पैरामीटर (ए) और/या (बी) ट्रिगर करता है, तो स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी जाएगी।

वर्तमान स्थिति: आरबीआइ ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए विचलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ट्रिगर बिंदुओं का आकलन इस प्रकार है:

ए) आरबीआइ द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है, और

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि

(करोड़ रुपये में)

प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले लाभ की सूचना	प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ का 10%	आरबीआइ द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान	रिपोर्ट किए गए आंकड़े और आरबीआइ के आंकड़े के बीच 10% का अंतर	यदि बी-सी नकारात्मक है तो ट्रिगर सक्रिय हो जाता है
(ए)	(बी)	(सी)	(बी-सी)	
6,030	302	48	254	**नहीं**

बी) आरबीआइ द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि

(करोड़ रुपये में)

प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए (वर्ष के दौरान अतिरिक्त)	प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए का 10%	आरबीआइ द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए	रिपोर्ट किए गए आंकड़े और आरबीआइ के आंकड़े के बीच 10% का अंतर	यदि बी-सी नकारात्मक है तो ट्रिगर सक्रिय हो जाता है
(A)	(B)	(C)	(B-C)	
4472	224	55	169	**नहीं**

चूंकि दोनों ट्रिगर बिंदुओं में कोई ट्रिगर साक्ष्य नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और तदनुसार, सेबी एलओडीआर नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

च) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

आरबीआइ मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर. एसटीआर. आरईसी /21.04.048/2021-22 “मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) दिशानिर्देश, 2021” दिनांक 24.09.2021 के अनुसार प्रकटीकरण दिनांकित 24.09.2021, 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) “वैसे ऋण डिफ़ॉल्ट में नहीं है” @ के संबंध में जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं

सह-उधार :

	कॉर्पोरेट	**कृषि**		**खुदरा**	**एमएसएमई**
अधिग्रहण का तरीका	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट -कैपरी ग्लोबल कैपिटल**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट -आइआइएफएल**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	शून्य	320.02	249.98	148.40	83.51
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य	1.61	1.5
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)	शून्य	138.80%	140.45%	190.33%	130.98%
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	शून्य	शून्य	शून्य	अनरेटेड	अंतर्निहित पूल सहायक अनरेटेड हैं

पूल खरीद:

	कॉर्पोरेट	कृषि		खुदरा	एमएसएमई
अधिग्रहण का तरीका	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट -कैपरी ग्लोबल कैपिटल**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट -आइआइएफएल**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**	**प्रत्यक्ष असाइनमेंट**
अर्जित ऋणों का कुल मूल बकाया (करोड़ में)	शून्य				
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)					
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)					
मूर्त सुरक्षा कवरेज (%)					
मूल्य के अनुसार अर्जित ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण					

II) **वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरित तनावग्रस्त ऋण**

(राशि रु. करोड़ में)

दिनांक 24.09.2021 को ऋण एक्सपोज़र के अंतरण पर आरबीआइ के मास्टर निदेश के तहत 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित किए गए तनावग्रस्त ऋण का विवरण						
	एआरसी को		**अनुमत हस्तांतरी को**		**अन्य हस्तांतरी को (कृपया निर्दिष्ट करें)**	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
खातों की संख्या	7 वैयक्तिक कॉर्पोरेट ऋण + 474 एमएसएमई एनपीए ऋणों का 2 पोर्टफोलियो + 25948 अप्रतिभूतित शैक्षिक ऋणों का पोर्टफोलियो	7 एनपीए ऋण + 256 एमएसएमई एनपीए ऋणों का पोर्टफोलियो + 9604 अप्रतिभूतित शैक्षिक ऋणों का पोर्टफोलियो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का सकल मूल बकाया	1841.70	750.55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (अंतरण के समय)	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल विचारार्थ	660.08	319.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण						
	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से				एआरसी से	
अर्जित ऋणों का सकल मूल बकाया	शून्य				शून्य	
भुगतान हुए कुल प्रतिफल	शून्य				शून्य	
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य				शून्य	

III) बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान की 161.23 करोड़ रुपये की राशि को वापस कर दिया है।

IV) 31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण।

(राशि करोड़ रुपये में)

रिकवरी रेटिंग	बही मूल्य (31.03.2024)	बही मूल्य (31.03.2023)
आरआर 1 + (150% से अधिक)	0.00	7.43
आरआर 1 (100%-150%)	33.97	36.55
आरआर 2 (75%-100%)	99.05	91.90
आरआर 3 (50%-75%)	16.00	16.15
आरआर 4 (25%-50%)	81.77	104.71
आरआर 5 (0%-25%)	79.29	57.26
आरआर 6	0.00	0.00
योजना अवधि के दौरान एसआर-रेटिंग से छूट	0.00	0.00
एसआर-अनरेटेड	106.39	150.82
कुल	**416.47***	**464.82***

* बैंक ने 100% प्रावधान धारित किया है।

छ) धोखाधड़ी खाते

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी:

विवरण	2023-24	2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	16	48
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	13.39	1309.14
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	13.39	1309.14
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य

1. बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

2. 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, शून्य राशि की अग्रिम संबंधित 1 धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई।

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी के अलावा:

विवरण	2023-24	2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	27	34
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	1.69	22.94
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	1.69	22.94
सेंधमारी/डकैती/लूट-पाट और आदि सहित शुरुआत से 31 मार्च तक संचयी प्रावधान	493.12	491.81

बैंक ने 31.03.2024 हेतु चार तिमाहियों की अवधि में विस्तारित करने के स्थान पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, आरबीआइ को अग्रिम श्रेणी के अलावा अन्य 6 धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान 0.22 करोड़ रुपये है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है।धोखाधड़ी से संबंधित एफएमआर वार आंकडो का मिलान किया जा रहा है।

ज) साइबर धोखाधड़ी:

वविरण	2023-24	2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	8006	935
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	0.01	0.06

31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	0.01	0.06
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

बैंक ने 31.03.2024 हेतु चार तिमाहियों की अवधि में विस्तारित करने के स्थान पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को डिजिटल बैंकिंग श्रेणी के तहत 1569 धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान रु.0.01 करोड़ है। रु.0.01 करोड़ राशि के संभावित नुकसान हेतु प्रावधान किए गए हैं।

झ) कोविड -19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हुए हैं	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस छमाही के अंत में
वैयक्तिक ऋण**	1865.58	83.32	0.00	124.66	1657.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2032.96	59.72	0.00	248.48	1724.76
जिनमें से एमएसएमई	1688.40	59.72	0.00	226.12	1402.56
अन्य	239.86	1.74	0.00	31.33	206.79
कुल	**4138.30**	**144.78**	**0.00**	**404.47**	**3589.15**

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है।

**वैयक्तिक ऋण खुदरा अग्रिम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. एक्स्पोज़र

क. स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

श्रेणी	**2023-24**	**2022-23**
i) प्रत्यक्ष ऋण	32499.33	28896.40
i) आवासीय बंधक- उधारकर्ता की उस आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा। जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण को पृथक रूप से दिखाया जाएगा। एक्सपोज़र में गैर- निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)	29573.39 11980.45	25659.39 10801.04
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी;	2121.02	2180.25
अन्य स्थावर संपदा (सीआरई के तहत नहीं आने वाले होटल, अस्पताल और लिक्विरेंट)	804.92	1056.76
बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश- आवासीय व्यावसायिक रियल एस्टेट	0.00	0.00

श्रेणी	2023-24	2022-23
ii) अप्रत्यक्ष ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	3962.51	4961.52
कुल स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण	**36461.84**	**33857.92**

ख. पूँजी बाजार को ऋण एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	458.86	444.89
ii) शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष आधार पर अग्रिम;	0	0.18
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	0	0.36
iv प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उदेश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	453.78	1 008.64
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.00	0.20
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.00	0.41
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	140.71	114.52
xi) अन्य वित्तीय गारंटी	0.00	0.00
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1 053.35**	**1 569.20**

ग. जोखिम वर्ग वार देशीय ऋण :

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग *	31.03.2024 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2024 तक धारित प्रावधान	31.03.2023 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2023 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	14898.81	7.62	10276.51	4.65
कम	4590.90	0.00	5785.86	0.00
सामान्य रूप से कम	2958.99	0.00	1468.35	0.00
सामान्य	9.79	0.00	12.04	0.00
सामान्य रूप से उच्च	491.25	0.00	338.13	0.00
उच्च	0.67	0.00	412.17	0.00
उच्चतर	547.57	0.00	4.03	0.00
कुल	**23497.98**	**7.62**	**18297.09**	**4.65**

*वैसे समय तक , जब बैंक आंतरिक रेटिंग व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं , बैंक देशीय जोखिम एक्सपोज़र के वर्गीकरण करने एवं प्रावधान बनाने हेतु ईसीजीसी द्वारा अपनाए जा रहे सात श्रेणी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ईसीजीसी द्वारा बैंकों को उनके देश वर्गीकरण की तिमाही अपडेट अनुरोध किए जाने पर प्रदान कर सकता है और अंतरिम अवधि के दौरान देश वर्गीकरण में अचानक हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दे सकता है।

घ. अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक द्वारा अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर शुल्क जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों की गणना की जाएगी और साथ ही निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य का भी प्रकटीकरण किया जाएगा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	48531.80	49549.61
उक्त में से,अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	6570.39	7031.50
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	6570.39	7031.50

ड़. फैक्टरिंग एक्सपोजर

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
फैक्टरिंग के तहत हमारे बैंक का एक्सपोजर	6377.11	2489.62

च. इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

भारत में वित्तीय बाजारों के विकास के साथ, बैंकों ने उन संस्थाओं के माध्यम से अनुमत वित्तीय गतिविधियों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से उनके स्वामित्व में हैं। परिणामस्वरूप, समूह संस्थाओं के प्रति बैंकों का एक्सपोजर बढ़ा है और आगे चलकर इसमें और वृद्धि हो सकती है। समूह संस्थाओं के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना के साथ निम्नलिखित प्रकटीकरण करना चाहिए:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	शून्य	शून्य
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

छ. आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यूएफसीई)

बैंक ने यूएफसीई पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के लिए प्रावधान का अनुमान लगाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/100-00-007/22-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुरूप है। 31 मार्च 2023 को बैंक ने उसके प्रति 12.86 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

6. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क. जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	12738.79	13701.36
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	4.48%	5.25%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	40254.52	32027.55
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	18.38%	16.95%

ग. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	49718.03	35588.43
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	14.49%	11.80%

*अग्रिमों की गणना लागू भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन के आधार पर की जाएगी।

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	698.69	3761.29
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.28%	26.73%

वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीए का केंद्रीकरण (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी राइट-ऑफ खाते शामिल नहीं हैं)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	सकल एनपीए बकाया (रु. करोड़ में)
1	सालिम शूज़ प्राइवेट लिमिटेड	93.56
2	रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड	47.80
3	ब्रह्मपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	45.08
4	पी एंड जी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	44.89
5	टेक्सट्रेड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	44.24
6	एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड	39.71
7	एम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	39.17
8	नाओलिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	33.68
9	मेसर्स जड़िया पाइप्स इंडिया लिमिटेड	32.92
10	मेसर्स चार्टर्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	31.77
11	लोकशक्ति शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	31.36
12	सोना अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	30.46
13	जे आर सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	25.75
14	सिमोको टेली कम्युनिकेशंस	24.64
15	नॉर्थ पॉइंट एजुकेशन ट्रस्ट	23.91
16	एमएनटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	23.68
17	शिंगार लिमिटेड	23.02
18	प्रियदर्शिनी एजुकेशन सोसायटी	22.37
19	द इंड्यूर प्राइवेट लिमिटेड	21.53
20	इन्फ्यूटेक हेल्थकेयर लिमिटेड	19.16
	कुल	**698.69**

वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनपीए का केंद्रीकरण (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते शामिल नहीं हैं)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	सकल एनपीए बकाया (रु. करोड़ में)
1	एगसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	717.13
2	लैंको रिसोर्सेज इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	413.48
3	एएमडब्ल्यू मोटर्स लिमिटेड	390.70
4	गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	271.58
5	रबीरुन विनिमय प्राइवेट लिमिटेड	243.74
6	पायनियर गैस पावर लिमिटेड	191.01
7	पीसी ज्वैलर लिमिटेड	181.51
8	जेट एयरवेज़ इंडिया लिमिटेड	154.47
9	पुंज लॉयड लिमिटेड	151.85
10	नागाई पावर प्राइवेट लिमिटेड	134.71
11	एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड	118.11
12	वराही डायमंड्स एंड फाइनेंस लिमिटेड	116.29
13	फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड	104.07
14	पानीपत जालंधर NH-1 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	101.04
15	सलीम शूज़ प्राइवेट लिमिटेड	93.49
16	ड्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	79.07
17	जीबीजे होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	79.05
18	एस के एम रियल इंफ्रा लिमिटेड	77.80
19	राजस्थान की रोड इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	72.58
20	ब्रह्म पुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	69.61
	कुल	**3761.29**

7. डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार / ब्याज दर अदला –बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
स्वैप करारों के काल्पनिक मूल करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि स्वैप करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां शामिल

हैं, का भी खुलासा किया जाएगा।.

$ संकेंद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए एक्सपोजर या अत्यधिक गियर वाली कंपनियों के साथ स्वैप कर सकते हैं।

@ यदि स्वैप विशिष्ट परिसंपत्तियों, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक को प्राप्त होगी या तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगी। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू होगा।

ख. विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है।बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को हेज़ करने हेतु किया जाता है।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैंक टू बैंक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

बैंक,सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याजदर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप(आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है।स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार मौजूद है।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।

ख) व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है।

डेरिवेटिव का उपयोग , संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के स्पष्ट संदर्भ के साथ डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियां। इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं

ए) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन।

बी) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति

ङ) प्रतिरक्षा और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और बचाव/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं; और

च) प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति@				
	क) आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) देयताएँ (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम. सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
3	ऋण जोखिम$	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क} प्रतिरक्षा पर	अधिकतम न्यूनतम:	शून्य	a) अधिकतम: 9.04 न्यूनतम: 0.00	शून्य
	ख} व्यापार पर	अधिकतम न्यूनतम:	शून्य	b) अधिकतम: 0.00 न्यूनतम: 0.00	शून्य

@ प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो परिसंपत्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी।

$ भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर विधि अपना सकते हैं।

घ. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पदों के मूल्यांकन के लिए प्रोपराइटरी मॉडल का उपयोग करने वाले बैंक, प्रोपराइटरी मॉडल के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरन करेंगे, जिसमें उस मॉडल का उपयोग करने का औचित्य और उनके वित्तीय विवरणों में खातों के नोट्स में मूल्यांकन पद्धति का स्पष्टीकरण शामिल होगा। प्रकटीकरण में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआइएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या एफआइएमएमडीए * द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन भी शामिल होगा।

* एफआइएमएमडीए द्वारा प्रकाशित सीडीएस वक्र या एफआइएमएमडीए द्वारा अनुशंसित बेंचमार्क के अनुसार मूल्यांकन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता तब प्रभावी होगी जब एफआइएमएमडीए सीडीएस वक्र प्रकाशित करना शुरू कर देगा या मूल्यांकन बेंचमार्क की सिफारिश करेगा।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रक्षित किए गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर पहली हानि अन्य	शून्य	शून्य

	ख) तुलनपत्र पर एक्सपोजर पहली हानि अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर पहली हानि अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर पहली हानि अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलन पत्र के अनुसार एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर पहली हानि अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर पहली हानि अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) पुनर्भुगतान प्राप्ति (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग सीएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	शून्य	शून्य
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिसका समेकन किया जाना आवश्यक हो)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ निधि)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	1822.20	1595.20
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	303.77	256.98
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	122.47	29.98
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	2003.50	1822.20

11. शिकायतों का प्रकटीकरण :

क) बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्रम सं		विवरण	2023-24	2022-23
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायत				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	1950	2850
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	257420	198307
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	257353	199207
	3.1	जिसमें, बैंक द्वारा खारिज किए गए शिकायतों की संख्या	1890	6071
4		वर्ष के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	2017	1950
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें				
5		ओबीओ से प्राप्त शिकायतों का बैंक द्वारा सुलझाने की संख्या	1451	1432
	5.1	5 के, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाए गए खातों की संख्या	512	627
	5.2	5 के, बीओ द्वारा समाधान / मध्यस्थता / जारी सलाहकार के माध्यम से सुलझाव गए खातों की संख्या	939	804
	5.3	5 के, बैंक के प्रति बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाए गए खातों की संख्या	0	1#
6		निर्धारित समय समय के भीतर अवार्ड कार्यान्वित न करने की सख्या (जिनका अपील किया गया है, उसे छोड़कर)	0	0

नोट : बनाए रखने योग्य शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधार पर शिकायतों को संदर्भित करती है और योजना के दायरे में आती है।

आरबीआइओ योजना के अनुसार अवार्ड व्यापगत हो गया है क्योंकि ग्राहक ने पत्र दिया है कि उसे अवार्ड स्वीकार नहीं है।

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायतों का आधार (यथा संबन्धित शिकायत)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी / कमी का %	वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 के, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वि.वर्ष 2023-24)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	793	118199	(+)6.21%	427	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	595	72708	(+)2.74%	464	0
क्रेडिट कार्ड	262	1686	(-)12.46%	298	0
ऋण और अग्रिम	23	883	(-)15.50%	14	0
चेक / ड्राफ्ट / बिल	10	2744	(+)0.44%	5	0

अन्य	267	61200	(+)480.20%	809	0
कुल	**1950**	**257420**	**(+)29.81%**	**2017**	**0**
पिछला वर्ष (वि.वर्ष 2022-23)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	1006	111287	(+)32.25%	793	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	1134	70769	(-)2.39%	595	0
क्रेडिट कार्ड	307	1926	(-)12.69%	262	0
ऋण और अग्रिम	112	1045	(-)32.36%	23	1
चेक / ड्राफ्ट / बिल	7	2732	(+)83.60%	10	1
अन्य	284	10548	(+)36.77%	267	0
कुल	**3272**	**151084**		**2026**	

12. लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
आरबीआइ द्वारा लगाए गए दंड	3.20	0.57

13. पारिश्रमिक प्रकटीकरण

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2023-24)**	**पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2022-23)**
1.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी व सीईओ) (01.01.2023 से)	4080132	4413566
2.	सुश्री एस. श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	3857030.33	3904720.09
3.	श्री संजय विनायक मुदालियर	कार्यपालक निदेशक	3181709.89	1058964.00
4.	श्री जयदीप दत्ता रॉय	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से)	747253.16	लागू नहीं
5.	श्री धनराज टी	कार्यपालक निदेशक (10.03.2024 से)	253295.23	लागू नहीं

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

**वर्ष का भाग

14. अन्य प्रकटीकरण

अ. कारोबार अनुपात

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	2.92%	2.66%
ii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.68%	1.32%
iii) जमा लागत	4.70%	4.13%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	3.28%	2.93%
v) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.01%	1.91%
vi) आस्तियों से लाभ	0.81%	0.76%
vii) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	23.54%	20.21
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.12%	0.09

आ. बैंक बीमा कारोबार

उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण उनकी तुलन पत्र के खातों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए, प्रकटीकरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए किया जाना चाहिए।

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2023-24	2022-23
क	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.39	3.24
ख	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	27.09	26.31
ग	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.51	0.44
घ	अन्य (स्पष्ट करें)	1.61	शून्य
	कुल	**31.60**	**29.99**

*बैंक द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक।

इ. विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करेंगे।

आय की प्रकृति	2023-24	2022-23
विपणन और वितरण व्यवसाय	शून्य	शून्य

ई. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	शून्य	12985.50	शून्य	शून्य
3	पीएसएलसी - अतिलघु उद्यम	3000.00	शून्य	शून्य	शून्य
4	पीएसएलसी सामान्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उ. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(0.49)	1.35
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	2706.49	2857.74
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(112.22)	(462.45)
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	(7.37)	(12.85)
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	756.92	249.46
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	764.71	1210.12
कुल	**4108.14**	**3843.38**

ऊ. आईएफआरएस अभिसरणित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) लागू करने की प्रक्रिया में है। आरबीआइ ने परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी.बीसी. सं. 29/21.07.001 / 2018-19 दिनांकित 22 मार्च 2019 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। हालाँकि, सभी बैंकों द्वारा आरबीआइ को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण जमा किया जाना है। आरबीआइ के निर्देशानुसार बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। बैंक परियोजना संचालन समिति की मंजूरी के बाद अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआइ को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

ऋ. डीआइसीजीसी को किस्त का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2023-24	2022-23
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	331.48	353.02
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ए. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण परिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियों और व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

1. पेंशन:

आरबीआइ के परिपत्र/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरसीसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के अनुसार, बैंक ने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने का विकल्प चुना था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, 5 (पांच) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 11 नवंबर, 2020 का आईबीए संयुक्त नोट, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 के अधीन है और इसमें परिशोधन भाग शामिल है। 31 मार्च, 2023 तक राशि 255.51 करोड़ रुपये थी।

वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में पूरी अग्रेषित राशि चार्ज कर दी है और अब अग्रेषित राशि शून्य है।

2. ग्रेच्युटी:

31.03.2024 को परिशोधित ग्रेच्युटी देयता शून्य है।

अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किया गया है।

ऐ. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा ब्योरा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव, साथ ही उनके द्वारा पूर्व में जारी एलओसी के तहत उनके द्वारा जारी किए गए संचयी वित्तीय दायित्व और बकाया के वित्तीय विवरण, 'नोट्स टू अकाउंट्स' के भाग के रूप में इसके प्रकाशित किया गया है।

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	शून्य
31.3.2024 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी आंकलित वित्तीय दायित्व	शून्य

31 मार्च, 2022 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जोकि आरबीआइ से अनुमोदन के अधीन है। 31.03.2024 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 2199 मिओ (25.97) है।

सबसे खराब स्थिति में यदि शाखा का संपूर्ण टेक्सटाइल एक्सपोजर के एनपीए होने पर हमें मानक कपड़ा अनारक्षित के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 92.854 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने नेगारा मलेशिया को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया था। बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) की फंडिंग, कारोबार और अन्य मामलों में, जब भी उनकी आवश्यकता होती है सहायता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने कारोबार परिचालन एवं प्रबन्धन में मलेशियाई कानून, विनिमयनों एवं नीतियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। नेगारा मलेशिया को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो यानि विभिन्न तिथियों पर एमवाईआर 115.50 मियो के प्रदत्त पूंजी के 35% के हमारे हिस्से तक है।

मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को आयोजित बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

ओ. हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय सूचना

विवरण	2023-24	2022-23	संचयी *
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	0.26	शून्य	0.26
हरित जमा निधि का उपयोग **			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	1.51	0.72	3.04
(2) ऊर्जा दक्षता	0	0	0
(3) स्वच्छ परिवहन	5.22	शून्य	5.22
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0	0	0
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	0	0	0
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	0	0	0
(7) हरित इमारतें	0	0	0
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0	0	0
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	0	0	0
आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी=1 से 9 का योग)	6.73	0.72	8.26
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी=ए-बी)			
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है			

* नोट: ग्रीन डिपॉजिट योजना 10.02.2024 से शुरू की गई और हमारी विभिन्न क्रेडिट योजनाएं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सूर्या और स्वच्छ परिवहन के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन ग्रीन डिपॉजिट की शुरुआत से पहले से अस्तित्व में हैं।

15. आरबीआइ परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं डीओआर. सं. बीपी. बीसी/ 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 01.04.2019 से 31.03.2024 निम्नानुसार हैं:

खातों की संख्या	31 मार्च 2022 तक कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपए में)
3430	217.72

16. कोविड -19 महामारी ने दो साल से अधिक समय से भारतीय अर्थव्यवस्था सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि, महामारी के कारण बैंक के नतीजे, परिचालन और संपत्ति की गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, बैंक ने सभी कोविड संबंधित पुनर्गठित ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। तथापि, बैंक निरंतर आधार पर विकास पर कड़ी नज़र रख रहा है और संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रहा है। इसलिए बैंक का मानना है कि भविष्य के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

17. वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
आयकर के लिए प्रावधान	22.67	20.60
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	734.24	228.85
निवल प्रावधान	756.91	249.45

18. तुलनात्मक आंकड़ें

पिछले वर्ष के आंकड़ें जहाँ भी जरुरी हो, पुनः समूहित / पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

19. आरबीआइ के दिशानिर्देशानुसार, आरबीआइ/डीओआर/2021-22/ 83डीओआर. एसीसी.आरईसी. क्रमांक 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 25 अक्टूबर 2023 के तहत कुल आय के 1% से अधिक “अन्य आय” शीर्षक के अंतर्गत विविध आय का विवरण इस प्रकार है:

अवधि	**उपशीर्षक / शीर्षक के तहत आने वाले मद**	**राशि करोड़ में**	**राशि प्रतिशत में**
31.03.2024 के तिमाही के लिए	बट्टे से वसूली	9.08	9.97%
31.03.2024 के वर्ष लिए	बट्टे से वसूली	23.72	7.99%

लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण

1) लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय/व्यय मदों की कोई सामग्री नहीं थी।

2) लेखांकन मानक 9 – राजस्व चिन्हित

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को चिन्हित किया गया है।

3) लेखांकन मानक 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
अथ शेष	965.71	841.66
वर्ष के दौरान क्रेडिट	111.80	126.64
वर्ष के दौरान आहरण	93.61	2.59
इति शेष	983.90	965.71

4) लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ‘’कर्मचारियों के लाभ’’ संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

   अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जैसे कि चिकित्सा लाभ, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि हेतु ही मान्य होती है जब कर्मचारी सेवारत होता है।

2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

   लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

(I) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	11314.24	10363.22	1302.17	1200.55
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज लागत	776.97	735.23	94.94	85.31
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	332.67	279.52	88.82	78.70
घटाएं: लाभ का भुगतान किया गया	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	2177.19	1004.24	101.03	57.83
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1302.17

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	11314.25	10363.23	1326.82	1225.20
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	896.50	782.28	101.62	91.81
जोड़ें: नियोक्ता का योगदान	2348.23	1202.74	127.30	124.65
घटाएं: भुगतान किया गया लाभ	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	42.09	33.96	31.23	5.37
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	13465.63	11569.76	1494.38	1302.17
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
iii) अंतर	0.00	255.51	0.00	(24.65)
iv) तुलन पत्र में चिन्हित प्राप्त गैर निधि पोषित निवल देयताएँ	*(0.00)	*(255.51)	0.00	0.00
v) तुलन पत्र में चिन्हित निधि पोषित निवल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	24.65

* आरबीआइ के परिपत्र आरबीआइ/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुपालन में बैंक आइबीए संयुक्त नोट दिनांकित 11 नवंबर, 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 (पांच) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर्मचारियों हेतु पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने का विकल्प चुना था जो कि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाने वाली कुल राशि का कम से कम 1/5वां हिस्सा है एवं 31 मार्च 2023 तक ₹255,51,49,935.00 की राशि का परिशोधित भाग शामिल है। वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में पूरी अग्रेषित राशि चार्ज कर दी है और अब अग्रेषित राशि शून्य है।

(घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2024	2024	2023
i. वर्तमान सेवा लागत	332.67	279.52	88.82	78.70
ii. पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
iii. ब्याज लागत	776.97	735.23	94.94	85.31
iv. योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(896.50)	(782.28)	(101.62)	(91.81)
v. वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	2135.09	970.28	69.80	52.46
vi. वर्ष के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ – हानि में चिन्हित खर्च (i+ii+iii+iv+v+vi)	2348.24	1202.74	151.95	124.65

(ङ) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता:

(% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2024	2023	2024	2023
क) ऋण लिखतें /केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	4.09	3.41	9.13	8.67
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	3.89	2.58	11.97	17.32
ग) पीएसयू/ पीएफआइ/कार्पोरेट बाँड्स में निवेश	6.91	4.50	13.57	12.75
घ) ईक्विटी लिखतें	0.77	0.68	1.29	2.31
ड़) अन्य निवेश	84.34	88.83	64.04	58.95
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
बट्टा दर	7.23%	7.48%	7.23%	7.56%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
पेंशन वृद्धि	4.00%	4.00%	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	7.50%	7.50%	7.56%	7.48%
मोर्टैलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गयी प्रक्रिया	**अनुमानित यूनिट क्रेडिट**		**अनुमानित यूनिट क्रेडिट**	

छ) पेंशन हेतु 5 वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**31.03.2020 तक**	**31.03.2021 तक**	**31.03.2022 तक**	**31.03.2023 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9108.28	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9108.28	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63
अंतर (ii-i)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00
गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	**0.00**	**0.000**	**(340.68)**	**(255.51)**	**0.00**

ज) ग्रेच्युटी हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**31.03.2020 तक**	**31.03.2021 तक**	**31.03.2022 तक**	**31.03.2023 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1018.68	913.11	1200.55	1302.17	1494.38
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1400.86	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38
अंतर (ii-i)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00
गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	**382.18**	**382.18**	**24.65**	**24.65**	**0.00**

झ) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर: बट्टा दर को सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2024) के अनुसार तय किया गया है।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.93.40 करोड़ है।

(II) परिभाषित योगदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 165.26 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 145.51 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

(III) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (बिना वित्तपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	2023
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	576.27	516.13
जोड़ें: ब्याज लागत	41.78	36.33
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	74.24	56.88
घटाएं : भुगतान किए गए लाभ	(47.11)	(60.75)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	106.97	27.68
परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	752.15	576.27

(ख) लाभ व हानि खाते में चिन्हित राशि

(रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	2023
i) वर्तमान सेवा लागत	74.24	56.88
ii) पिछली सेवा लागत	-	-
iii) ब्याज लागत	41.78	36.33
iv) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
v) वर्ष में चिन्हित प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	106.97	27.68
लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	223.00	120.89

(ग) तुलन पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और समापन देयता/(आस्तियों) का समाधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	2023
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	576.26	516.13
ii) निवल अधिग्रहण लागत	-	-
iii) लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	223.00	120.89
iv) भुगतान किए गए लाभ	(47.11)	(60.75)
v) तुलन पत्र में चिन्हित निवल देयता	752.15	576.27
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	106.97	27.68
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	752.15	576.26

(घ) प्रमुख बीमांकिक अनुमान [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	2023
बट्टा दर	7.23%	7.56%
वेतन वृद्धि का अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मॉर्टलिटी	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में, यदि आवश्यक हो तो, जानकारी के अभाव में प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

5. लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्टिंग
खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को राजकोष, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	**ट्रेज़री**		**कार्पोरेट / थोक बैंकिंग**		**खुदरा बैंकिंग**		**अन्य बैंकिंग परिचालन**		**कुल**	
विवरण	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2023-24**	**2023-24**	**2022-23**
राजस्व	7252.48	6666.61	9630.17	6645.75	11838.91	9619.76	682.60	575.37	29404.16	23507.49
परिणाम	546.89	888.61	1364.30	742.14	4124.77	3909.84	426.46	400.07	6462.42	5940.66
अनाबंटित आय									301.82	1.58
अनाबंटित व्यय									301.35	1.51
परिचालनगत लाभ/हानि									6763.77	5942.17
आय कर									756.92	0
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									3351.23	3593.95
असाधारण लाभ / हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									2655.63	2348.22
खण्डवार आस्तियाँ	107506.41	103211.70	11437.56	98471.30	1119316.38	101371.87	85.56	131.15	341279.81	303185.45
अनाबंटित आस्तियाँ									10753.81	10559.80
कुल आस्तियाँ									352033.62	313745.82
खण्डवार देयताएँ	97723.41	102119.91	110441.19	91562.64	115594.36	94590.37	272.64	151.16	324031.60	288424.08
अनाबंटित देयताएं									59.72	58.81
कुल देयताएं									**324091.32**	**288482.89**

नोट नंबर 1 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (संपत्ति) के संबंध में 107506.41 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।
नोट नंबर 2 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (देयताओं) के संबंध में 97723.41 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।
भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	**देशीय**		**अंतरराष्ट्रीय**		**कुल**	
	2023-24	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	2022-23
राजस्व	28850.80	22946.46	855.19	562.61	29705.99	23509.07
आस्तियाँ	338332.37	303132.95	13701.25	10612.87	352033.62	313745.82

6. लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत है :

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.01.2023 से प्रभावी)

सुश्री एस. श्रीमती, कार्यपालक निदेशक (09.03.2024 तक)

श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक (30.01.2024 तक)

श्री जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी)

श्री धनराज टी, कार्यपालक निदेशक (10.03.2023 से प्रभावी)

(ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:

2023-24 व 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन और निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(राशि रु में)

पूर्णकालिक निदेशक का नाम	**पारिश्रमिक * (2023-24)**	**पारिश्रमिक * (2022-23)**
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)		
01.04.2023 से 30.09.2023	1927968.00	1964990.00
01.10.2023 से 31.03.2024	2152164.00	2448576.00
कुल	**4080132.00**	**4413566.00**
सुश्री एस. श्रीमती (का. नि.)		
01.04.2023 से 30.09.2023	2011500.00	1591533.00
01.10.2023 से 09.03.2024	1845530.33	2313187.09
कुल	**3857030.33**	**3904720.09**
श्री संजय विनायक मुदालियर (का. नि.)		
01.04.2023 से 31.03.2023	1960866.67	लागू नहीं
01.10.2023 से 30.01.2024	1220843.22	1058964.00
कुल	**3181709.89**	**1058964.00**
श्री जयदीप दत्ता रॉय (का. नि.)		
31.01.2024 से 31.03.2024	747253.16	
कुल	**747253.16**	**लागू नहीं**
श्री धनराज टी (का. नि.)		
10.03.2024 से 31.03.2024	253295.23	
कुल	**253295.23**	**लागू नहीं**

*पारिश्रमिक में वेतन और भत्ते, वेतन बकाया, कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी बकाया शामिल है।

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक@		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.38
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	772.24	772.24	2.25	2.38	0.74	0.75	775.23	775.37
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.61	0.63	0.00	0.21	0.61	0.84
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44	193.44
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं	2.82		0.03		0.00		2.85	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	48.53		0.05		0.01		48.59	
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

वर्ष के दौरान अधिकतम एवं वर्ष के अंत पर शेष को प्रदर्शित किया जाएगा।

* अनुबंध सेवाएं इत्यादि व विप्रेषण सुविधाएं , लॉकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं।

7. लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2023-24	2022-23
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	2655.62	2098.78
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	18902412256	18902412256
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	1.40	0.34
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	10.00	10.00

8 लेखांकन मानक - 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

1. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और उसके निम्नलिखित सहायक एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों का समेकित वित्तीय विवरण में शामिल हैं

क्रम सं	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का %
1	ओड़िशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35.00%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35.00%

2. यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक की धारिता 18.06% है। चूंकि यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इसे आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में जेवी में ब्याज शामिल है जिसे एएस 27 (जेवी में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार आनुपातिक समेकन विधि में दर्ज किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर का प्रतिनिधित्व करने वाले जेवी में 15.86 करोड़ रुपये के निवेश की वहन लागत पर निवल संपत्ति की अधिकता का हिस्सा रिजर्व और अधिशेष के तहत रिपोर्ट किया गया है, यह ट्रांसलेशन अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।

4. एसोसिएट में निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23 (एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत हिसाब किया गया है, 606.90 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों में निवेश की राशि को आईओबी की निवल संपत्ति के हिस्से के मुकाबले समायोजित किया गया है। मूल्य में गिरावट को चिन्हित करने के लिए 214.83 करोड़ रुपये और 392.07 करोड़ रुपये की शेष राशि को आरक्षित और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है।

9. लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	1021.64		202.90	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	68.98		190.97	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	126.41		28.79	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	11.01		13.59	
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	1.10		0.93	
एनपीए के लिए प्रावधान	1861.70		3675.34	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	348.27		337.42	
अन्य	1860.83		1583.89	
कुल	**5299.94**		**6033.83**	
निवल डीटीएल/ डीटीए	5299.94		6033.83	

10. लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना

यह मानक संचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में परिसंपत्तियों/देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को संचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) संचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपरोक्त प्रभाव वाले संचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया संचालन पूरी तरह से पर्याप्त है।

11. लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

12. लेखांकन मानक 27–संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग :

बैंक ने संयुक्त उद्यम, जेवी, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) में 35% का निवेश किया है, जिसमें बैंक के पास एमवाईआर 10 प्रति शेयर की दर से 15,50,000 शेयर हैं जिनका मूल्य वर्ष 31.03.2024 को समाप्त वित्तवर्ष में 199,57,52,186 रुपये है। आइआइबीएमबी के शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से मलेशिया में परिचालन को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का निर्णय लेने पर, आइआइबीएमबी के बोर्ड ने स्वैच्छिक समापन के लिए बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम) से अनुमोदन मांगा था।

बीएनएम ने अपने पत्र दिनांकित 09.02.2024 के माध्यम से परिसमापन कार्रवाई पर अनापत्ति जाहिर कर व्यवसाय लाइसेंस को सरेंडर करने की अनुमति दी है जो कि विस्तृत निकास योजना की प्रस्तुति के अधीन है। बीएनएम के उक्त आदेश के संदर्भ में, आईआईबीएमबी का समापन प्रक्रियाधीन है। निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, पर अंतिम समापन के समय विचार किया जाएगा।

13. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की क्षति

कोर बैंकिंग सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए बैंक द्वारा अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकृत किया जा रहा है और 3 वर्षों में परिशोधन किया जा रहा है।

14. लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान:

इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को उचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में विदेशी एक्सचेंजों में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है।
4	घटकों, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटी	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल हैं।

15. पुनर्संरचित खातों का विवरण

क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉर्पोरेट सहित अन्य					कुल				
			2023-24																			
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2023 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	22668	9508	5358	47	37581	60182	25646	3220	34	89066	82,853	35154	8578	81	126650
		बकाया राशि	158	0	0	0	158	2495	371	146	12	3023	2372	673	137	2	2816	5025	1043	283	14	5997
		उन पर प्रावधान	11	0	0	0	11	234	56	146	12	447	194	167	56	36	385	439	222	202	48	843
2	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	213	(7701.00)	7582	119	213	4,133	(4794.00)	5789	0	5128	4346	(12495.00)	13371	119	5341
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	10	(261.98)	256	6	10	56	(10.95)	178	0	224	66	(272.93)	434	6	234
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	1	(39.29)	151	6	118	2	(15.79)	174	0	160	3	(55.08)	325	6	278
3	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	743	(704.00)	(37.00)	(2.00)	0	(542.00)	518	50	1	27	201	(186.00)	13	(1.00)	27
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	32	(30.64)	(1.20)	0	(0.00)	(24.75)	23	2	0	0	7	(7.95)	1	0	0
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	3	(7.66)	(1.20)	0	(5.73)	(6.21)	6	1	0	0	(3.08)	(1.94)	(0.62)	0	(5.61)
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)

क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉर्पोरेट सहित अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
5	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(2428.00)	2,419	6	3	0	(8017.00)	8,937	1	0	921	(10445.00)	11356	7	3	921
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(204.44)	198	6	0	0	(110.92)	250	0	0	139	(315.36)	449	6	0	139
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(20.40)	122	6	0	107	33	211	0	0	243	12	332	6	0	351
6	01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	(5245.00)	(1014.00)	(633.00)	(2.00)	(6894.00)	8044	20460	702	15	29221	2799	19446	69	13	22327
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	(572.83)	(75.06)	(30.87)	(9.92)	(688.68)	168	662	24	0	855	(404.47)	587	(6.52)	(9.65)	166
		उन पर प्रावधान	0	0	0	0	0	(53.38)	(35.55)	(28.98)	(9.92)	(127.83)	54	152	6	0	212	0	117	(22.74)	(9.68)	84
7	31 मार्च 2024 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	15947	2508	12276	165	30896	45870	9791	8352	12	64025	61817	12299	20628	177	94921
		बकाया राशि	158	0	0	0	158	1736	201	376	8	2321	1478	272	293	2	2045	3214	473	669	10	4366
		उन पर प्रावधान	11	0	0	0	11	162	95	272	8	537	107	215	225	2	548	269	309	497	10	1085

(Rs. in Crore)

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	2022-23																					
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2022 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	36994.00	3550.00	2984.00	16.00	43544.00	94827.00	8858.00	7954.00	2.00	111641.00	131821.00	12408.00	10938.00	18.00	155185.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	3014.42	121.03	85.96	11.86	3233.27	3080.70	332.12	194.67	0.02	3607.51	6095.12	453.15	280.63	11.88	6840.78
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	263.86	66.30	60.22	0.02	390.40	537.64	96.56	146.18	11.88	792.26
2	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	2266.00	0.00	0.00	0.00	2266.00	9463.00	14.00	772.00	2.00	10251.00	11729.00	14.00	772.00	2.00	12517.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	373.28	0.00	0.00	0.00	373.28	279.43	0.96	102.25	0.54	383.18	652.71	0.96	102.25	0.54	756.46
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	37.33	0.00	0.00	0.00	37.33	17.43	0.27	41.49	0.54	59.73	54.76	0.27	41.49	0.54	97.06
3	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	74.00	(63.00)	(11.00)	0.00	0.00	283.00	(226.00)	(15.00)	0.00	42.00	357.00	(289.00)	(26.00)	0.00	42.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	3.26	(3.19)	(0.07)	0.00	(0.00)	8.14	(2.25)	(1.20)	0.00	4.69	11.40	(5.44)	(1.27)	0.00	4.69
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	0.33	(0.46)	(0.07)	0.00	(0.20)	0.51	(1.32)	(0.34)	0.00	(1.15)	0.84	(1.78)	(0.41)	0.00	(1.35)
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-				-	(1176.00)	(172.00)	(28.00)	0.00	(1376.00)	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	(1134.00)	(172.00)	(28.00)	0.00	(1334.00)
		बकाया राशि	-				-	(51.15)	(9.26)	(2.26)	0.00	(62.67)	4.69	0.00	0.00	0.00	4.69	(46.46)	(9.26)	(2.26)	0.00	(57.98)
		उन पर प्रावधान	-				-	(5.11)	(1.39)	(2.26)	0.00	22.24	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	(4.37)	(1.39)	(2.26)	0.00	22.98

(Rs. in Crore)

क्रम संख्या	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	2022-23																					
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
5	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(9459.00)	6432.00	2996.00	31.00	0.00	(21316.00)	21 478.00	596.00	18.00	776.00	(30775.00)	27910.00	3592.00	49.00	776.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(370.10)	283.53	85.39	1.18	0.00	(578.46)	654.24	13.48	0.25	89.51	(948.56)	937.77	98.87	1.43	89.51
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	(37.01)	42.53	85.39	1.18	92.09	(49.55)	157.51	13.25	0.25	121.46	(86.56)	200.04	98.64	1.43	213.55
6	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(6031.00)	(239.00)	(583.00)	0.00	6853.00	23121.00	2870.00	6060.00	0.00	32051.00	17090.00	2631.00	5477.00	0.00	25198.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(474.81)	(21.58)	(23.28)	(1.02)	(520.69)	789.90	83.84	170.36	0.00	1 044.10	315.09	62.26	147.08	(1.02)	523.41
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	(47.48)	(3.24)	(23.28)	(1.02)	(75.02)	73.09	15.62	56.97	0.00	145.68	25.61	12.38	33.69	(1.02)	706.66
7	31 मार्च 2023 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	22668.00	9508.00	5358.00	47.00	37581.00	60174.00	25 646.00	3220.00	22.00	89062.00	82842.00	35154.00	8578.00	69.00	126643.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	2494.90	370.53	145.74	12.02	3023.19	2003.64	672.74	137.38	0.81	2814.57	4498.54	1043.27	283.12	12.83	5837.76
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	234.08	55.58	145.74	12.02	447.42	159.90	166.78	56.43	0.81	383.92	393.98	222.36	202.17	12.83	831.34

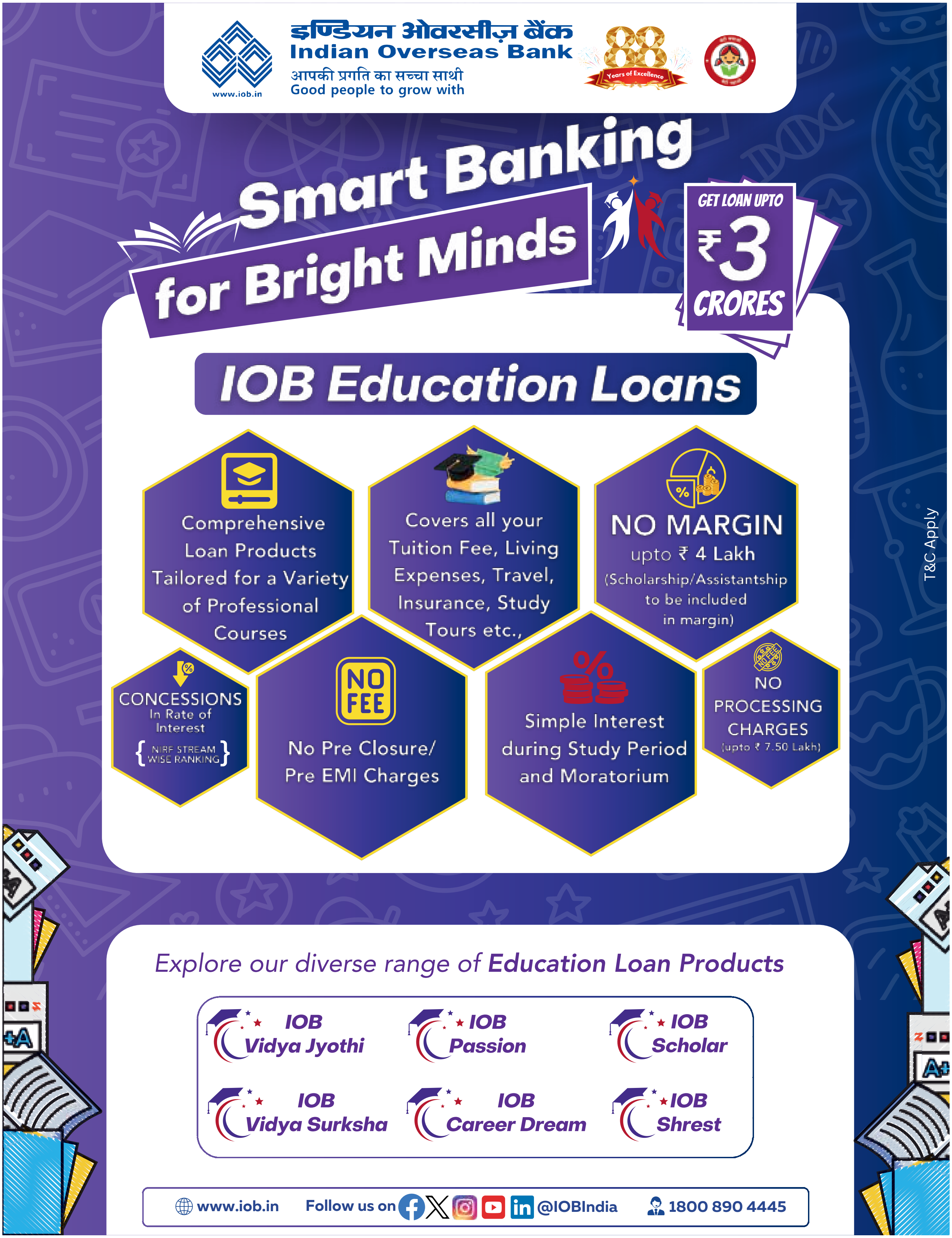
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
88 Years of Excellence
Smart Banking for Bright Minds
GET LOAN UPTO ₹3 CRORES
IOB Education Loans
Comprehensive Loan Products Tailored for a Variety of Professional Courses
Covers all your Tuition Fee, Living Expenses, Travel, Insurance, Study Tours etc.,
NO MARGIN upto ₹ 4 Lakh (Scholarship/Assistantship to be included in margin)
CONCESSIONS In Rate of Interest {NIRF STREAM WISE RANKING}
NO FEE
No Pre Closure/ Pre EMI Charges
Simple Interest during Study Period and Moratorium
NO PROCESSING CHARGES (upto ₹ 7.50 Lakh)
T&C Apply
Explore our diverse range of Education Loan Products
IOB Vidya Jyothi
IOB Passion
IOB Scholar
IOB Vidya Surksha
IOB Career Dream
IOB Shrest
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445

स्वायत्त
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
स्टैंडअलोन

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन

सदस्यगण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल हैं।

   i. हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और 20 शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया,

   ii. सांविधिक शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा 2 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 856 शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया।

   iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया।

   हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया गया है।

   इस तुलन-पत्र में 2369 शाखाओं और 47 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त लाभ व हानि खाते का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी शामिल जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। ये लेखापरीक्षित शाखाएं अग्रिम के क्षेत्र में 27.75%, जमाओं में 54.43%, ब्याज आय में 28.59% और ब्याज संबंधी खर्चों में 22.02% का अंशदान करती है।

   हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदत्त किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते हैं, जो बैंक के लिए आवश्यक है और इस रूप में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है:

   i. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   ii. लाभ और हानि खाता, उस पर नोट्स के साथ पठित वास्तविक लाभ को दर्शाता है; और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है। इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है और हमने इन अपेक्षाओं की नीतिगत संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत बाध्यताओं को पूरा किया है जिन्हें लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया गया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त और अपने विचार को लिए आधार प्रदान करने के लिए सम्पयुक्त है।

मामलों पर बल

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

   i. नोट संख्या 5, अंतर शाखा और आंतरिक/ कार्यालय खातों में प्रविष्टियों के समाधान और उन्मूलन से संबंधित है जो विभिन्न चरणों में हैं।

   ii. नोट संख्या 7.3, उसमें उद्धृत कारणों के लिए विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का प्रावधान न करने से संबंधित है और नोट संख्या 7.2 अग्रिम भुगतान किए गए कर के लंबित समाधान से संबंधित है।

   iii. नोट संख्या 7.5, आस्थगित कर परिसंपत्ति से संबंधित ₹ 5,299.94 करोड़ के आगामी शेष, अनुमानित आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 734.24 करोड़ का उत्क्रमण और 31 मार्च 2024 को आस्थगित कर परिसंपत्ति के आगामी शेष की वास्तविकता के प्रबंधन मूल्यांकन से संबंधित है।

   उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते। निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए है।

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (अनुसूची 17 के 2.1 का संदर्भ ले. वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट 2 के साथ पठित)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 50.09 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है। वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों के मामलों के अतिरिक्त जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो यह भी चिन्हित करता है कि अग्रिम निष्पादन योग्य हैं या गैर-निष्पादित।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आंकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे:

क) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

ख) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमाने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/ तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

घ) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/ विचलन/ त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ङ) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और आय के संगत उलटाव की जांच की गई।

च) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

छ) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

ज) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य अंतरदेशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

झ) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातों के संचालन की समीक्षा की गई।

ञ) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

ट) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

ठ) सुनिश्चित किया गया कि हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत ठीक किया गया है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर प्रणाली जनित रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं शामिल हैं:

क) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

ख) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

ग) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

घ) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ङ) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

च) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 17 के 4 देखें)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 26.49 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। राजकोष के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं –

क) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे समझा।

ख) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं, सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

ग) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

घ) हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप परिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।

ङ) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आंकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 14 (एएस -29) के साथ पठित अनुसूची 17 के 13 का संदर्भ ले):

बैंक ने इसके प्रति विवादित दावे किए हैं, जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं, जो विभिन्न अदालतों/ मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आंकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

क) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

ख) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/ गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

ग) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

घ) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/ बाह्य कानूनी राय/ परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ङ) बैंक/अन्य कॉर्पोरेट के मामले में एक-समान मामलों में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

च) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

छ) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आंकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

ज) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध सीमा तक शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त जानकारी के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों पर निर्भरता रही।

5. अन्य मामले

क) हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 856 शाखाओं, 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक रु. 175898.05 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.12711.84 करोड़ है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है। 31 मार्च 2024 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 40.68%, जमा का 40.93% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 21.92% और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 36.39% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती ऑडिट फर्म हैं और उन्होंने 12 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त की है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है) जो हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी जारी करने के समय प्राप्त हुई थी, जिसको उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवा दिया जाना अपेक्षित है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उक्त वर्णित अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत वर्णित गया है।

यदि, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्य जानकारी में महत्वपूर्ण मिथ्य कथन है, हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी को पढ़ते हैं और इसका यह निष्कर्ष निकालता है कि इसमें कई महत्वपूर्ण मिथ्य कथन है तो हमारे द्वारा गवर्नेंस सहित उन प्रभारों को इस मामले के विषय में सूचित करना आवश्यक होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तथा उनपर गवर्नेंस का प्रभार है

7. बैंक का निदेशक मंडल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है।

   वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आंकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएओं के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री की गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

   एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

   - वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर, उनका आंकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

   - प्रबंधन के द्वारा उयपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

   - लेखांकन के के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी

रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से, जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में गवर्नेंस के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है, उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

उन प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

   उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

   ख) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

   ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

   क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

   ख) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

   ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खातों की पुस्तक के साथ हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एस.एन कपूर एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001545सी

(अविचल एसएन. कपूर)
साझेदार
एम नं.: 400460
यूडीआईएन: 24400460बीकेसीबीयूसी3582

कृते आर. देवेंद्र कुमार एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 24074392बीकेईएजेज़ेड9941

कृते तेज राज एवं पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

(बी. गंगाराजू)
साझेदार
एम नं.: 007605
यूडीआईएन: 24007605बीकेडीजीएफपी7731

कृते लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार
एम नं.: 435511
यूडीआईएन: 24435511बीकेएएचवीडब्ल्यू1147

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2024

स्वायत्त लेखा परीक्षकों से संबंधित अनुबंध "ए"

(‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ खंड के तहत पैराग्राफ 10 (ई) का संदर्भ लें)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डॉस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट की सम तारीख की रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2024 तक **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण आंतरिक वित्तीय शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक की प्रबंधन संस्थान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के प्रकरण में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर वित्तीय विवरणी से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत

अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 858 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

कृते एस.एन कपूर एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001545सी

(अविचल एसएन. कपूर)
साझेदार
एम नं.: 400460
यूडीआईएन: 24400460बीकेसीबीयूसी3582

कृते आर. देवेंद्र कुमार एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं.: 074392
यूडीआईएन: 24074392बीकेईएजेज़ेड9941

कृते तेज राज एवं पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

(बी. गंगाराजू)
साझेदार
एम नं.: 007605
यूडीआईएन: 24007605बीकेडीजीएफपी7731

कृते लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार
एम नं.: 435511
यूडीआईएन: 24435511बीकेएएचवीडब्ल्यू1147

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2024

वार्षिक खाता समेकित

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूँजी व देयताएँ			
पूँजी	01	18902 41 23	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	8659 03 68	5973 62 73
जमाएँ	03	286121 48 17	260973 59 04
उधार	04	30387 16 55	20803 77 19
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	05	7799 22 55	6784 66 43
कुल		**351869 32 18**	**313438 06 62**
परिसंपत्तियाँ			
नकद और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष राशि	06	16905 53 65	17149 91 94
बैंकों के पास शेष राशि और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस	07	1909 36 41	3670 64 98
निवेश	08	99193 91 53	93642 52 02
अग्रिम	09	213330 13 18	178067 68 04
अचल संपत्तियां	10	3740 18 82	3710 73 87
अन्य परिसंपत्तियां	11	16790 18 59	17196 55 77
कुल		**351869 32 18**	**313438 06 62**
आकस्मिक देयताएँ	12	195742 15 63	196131 44 96
संग्रहण के लिए बिल		19119 00 64	19547 85 75
मूल लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग है।

निदेशक मंडल की ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

कार्तिकेय मिश्रा
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

बी चंद्र रेड्डी
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
आय			
अर्जित ब्याज	13	24065 66 70	19406 97 10
अन्य आय	14	5665 30 30	4116 44 74
योग		**29730 97 00**	**23523 41 84**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	14226 50 04	11146 28 90
परिचालन व्यय	16	8730 53 03	6429 81 39
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)		4108 27 92	3843 32 59
योग		**27065 30 99**	**21419 42 88**
लाभ / हानि (-)			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)		2665 66 01	2103 98 96
अग्रणित लाभ / हानि (-)		(16454 44 77)	(18010 24 02)
योग		**(13788 78 76)**	**(15906 25 06)**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		663 90 62	524 69 65
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		8 92 77	
पूञ्जी आरक्षितियों में अंतरण		12 31 19	23 50 06
विशेष आरक्षित को अंतरण		0	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि		(14473 93 34)	(16454 44 77)
योग		**(13788 78 76)**	**(15906 25 06)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)		1.40	1.15
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

एस एन कपूर एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

(अविचल एस एन कपूर)
साझेदार, एम नं.: 400460

तेज राज एवं पाल
एफआरएन 304124ई

(बी गंगाराजू)
साझेदार, एम नं.: 007605

आर देवेंद्र कुमार एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार, एम नं.: 074392

लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार, एम नं.: 435511

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

31.03.2024 समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

(रु. हजार में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि) कर के बाद	26 65 66 01	21 03 98 96
जोड़े: कर के लिए प्रावधान	7 57 08 36	2 49 45 56
कर के पहले निवल लाभ/(हानि)।	**34 22 74 37**	**23 53 44 52**
के लिए समायोजन		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	45 27 60	48 32 25
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	(7 49 91 77)	3 14 03 46
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	3 36 36 92	2 60 42 01
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(2 21 43)	(1 58 38)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	27 15 67 13	29 32 97 61
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1 12 22 29)	(4 62 36 52)
निवेशों पर मूल्यह्रास (एन.पी.आई. के लिए प्रावधान का निवल)	6 37 00 59	3 43 49 00
अन्य मदों के लिए प्रावधान	1 27 24 15	8 67 85 52
टियर II बॉडस पर ब्याज	2 27 69 10	2 11 61 10
	32 24 90 00	**45 14 76 05**
निम्नवत के लिए समायोजन:		
जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	251 47 89 13	(12 40 17 31)
उधारियों में वृद्धि/ (कमी)	98 83 39 36	175 33 13 53
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	17 22 34 87	(34 75 21 94)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(54 83 75 93)	32 92 42 04
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(379 78 12 27)	(367 47 09 96)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(4 75 34 39)	4 50 05 14
	(71 83 59 23)	**(201 86 88 50)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	**(5 83 00 00)**	**(3 36 00 00)**
परिचालन गतिविधियों से सृजित/ (उपयोगित) निवल नकदी प्रवाह (क)	**(11 18 94 86)**	**(136 54 67 93)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों की बिक्री निपटान	5 96 76	22 72 75
स्थिर आस्तियों की खरीद	(3 65 25 82)	(5 82 36 40)
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकद (ख)	**(3 59 29 06)**	**(5 59 63 65)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
टियर I एवं टियर II/ अन्य उधारियों का मोचन	(3 00 00 00)	(8 00 00 00)
बेसल III टियर III बॉण्ड का निर्गम	0	10 00 00 00
टियर II बाण्डों पर प्रदत्त ब्याज	(2 27 69 10)	(21 16 11 40)

31.03.2024 समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

(रु. हजार में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023
वित्तपोषित संबंधी गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकद (ग)	**(5 27 69 10)**	**(19 16 11 40)**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**(20 05 93 00)**	**(161 30 42 98)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
भा. रि. बैं. के पास नकदी व शेष	171 50 18 08	227 49 65 48
बैंकों के पास शेष एवं मांग द्रव्य	36 70 64 98	142 01 60 56
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
नकदी एवं भा. रि. बैं. के पास शेष	169 05 53 65	171 50 18 08
बैंकों के पास शेष एवं मांग द्रव्य	19 09 36 41	36 70 64 98
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / कमी	**(20 05 93 00)**	**(161 30 42 98)**

यह विवरणी अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार की गयी है।

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्रीनिवासन श्रीधर
अध्यक्ष

कार्तिकेय मिश्रा
निदेशक

सोनाली सेन गुप्ता
निदेशक

सुरेश कुमार रुंगटा
निदेशक

बी चंद्र रेड्डी
निदेशक

दीपक शर्मा
निदेशक

संजया रस्तोगी
निदेशक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

एस एन कपूर एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

आर देवेंद्र कुमार एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(अविचल एस एन कपूर)
साझेदार, एम नं.: 400460

(नीरज गोलस)
साझेदार, एम नं.: 074392

तेज राज एवं पाल
एफआरएन 304124ई

लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसियेट्स
एफआरएन 009189सी

(बी गंगाराजू)
साझेदार, एम नं.: 007605

(अभय पालीवाल)
साझेदार, एम नं.: 435511

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 09.05.2024

अनुसूची - 1
पूंजी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
"प्रत्येक रु.10/- के 1890,24,12,256 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1821,83,26,570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)"	**18902 41 23**	**18902 41 23**

अनुसूची - 2
आरक्षितियाँ व अधिशेष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	4086 72 84	3562 03 19
जोड़ें: परिवर्धन	663 90 62	524 69 65
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग – I	**4750 63 46**	**4086 72 84**
II. पूंजी आरक्षिति		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
अथ शेष	2753 15 36	2749 56 13
जोड़ें: परिवर्धन	9 87 87	43 90 22
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	40 39 74	40 30 99
योग – अ	**2722 63 49**	**2753 15 36**
आ. आस्तियों की बिक्री पर		
अथ शेष	2157 44 57	2133 94 51
जोड़ें: परिवर्धन	12 31 19	23 50 06
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग- आ	**2169 75 76**	**2157 44 57**
इ. अन्य		
अथ शेष	153 22 07	153 12 62
जोड़ें: परिवर्धन	2 31	9 45
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - इ	**153 24 38**	**153 22 07**
योग - II (अ, आ, इ)	**5045 63 63**	**5063 82 00**
III. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	8557 90 11	8557 90 11
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	0	0
योग - III	**8557 90 11**	**8557 90 11**

अनुसूची - 2
आरक्षितियाँ व अधिशेष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति		
अथ शेष	3246 11 57	3199 35 83
जोड़ें: परिवर्धन	44 96 04	43 22 60
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग – अ	**3291 07 61**	**3242 58 43**
आ निवेश आरक्षिति खाते		
अथ शेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग – आ	**97 95 58**	**97 95 58**
इ विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती		
अथ शेष	989 08 56	854 49 79
जोड़ें: परिवर्धन	112 02 90	137 47 16
घटाएँ: कटौतियाँ	101 34 83	2 88 41
योग – इ	**999 76 63**	**989 08 54**
ई निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता		
अथ शेष	390 00 00	390 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग – ई	**390 00 00**	**390 00 00**
कुल - IV (अ, आ, इ एवं ई)	**4778 79 82**	**4719 62 55**
V. लाभ व हानि खाते	**(14473 93 34)**	**(16454 44 77)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**8659 03 68**	**5973 62 73**

अनुसूची - 3
जमाएँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
अ. I. मांग जमाएँ		
i) बैंकों से	10 92 98	8 12 73
ii) अन्यों से	22924 54 03	16675 44 49
योग - I	**22935 47 01**	**16683 57 22**
II. बचत बैंक जमाएँ	**102589 41 20**	**97442 80 12**
III. मियादी जमाएँ		
i) बैंकों से	566 65 84	570 93 19
ii) अन्यों से	160029 94 12	146276 28 51
योग - III	**160596 59 96**	**146847 21 70**
योग – अ (I, II एवं III)	**286121 48 17**	**260973 59 04**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	278967 49 60	254324 09 53
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	7153 98 57	6649 49 51
योग - आ	**286121 48 17**	**260973 59 04**

अनुसूची - 4
लिए गए उधार

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
अन्य बैंक	2118 67 50	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	19121 97 00	15428 82 35
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	0	0
अधीनस्थ कर्ज	2165 00 00	2465 00 00
योग (I)	**23405 64 50**	**17893 82 35**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**6981 52 05**	**2909 94 83**
योग (I एवं II)	**30387 16 55**	**20803 77 19**
ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**21240 64 50**	**15428 82 35**

अनुसूची - 5
अन्य देयताएँ व प्रावधान

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. देय बिल	811 73 08	818 79 34
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	402 50 31	279 92 37
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	6584 99 16	5685 94 72
योग	**7799 22 55**	**6784 66 43**

अनुसूची - 6
में नकदी व शेष भारतीय रिज़र्व बैंक

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है)	1263 92 73	1124 81 31
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
i) चालू खाते में शेष	9095 13 31	12222 84 82
ii) अन्य खातों में शेष	6546 47 61	3802 25 81
योग (I, एवं II)	**16905 53 65**	**17149 91 94**

अनुसूची - 7
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
अ) चालू खातों में	8 84 40	15 15 17
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	236 89 25	1060 05 50
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
अ) बैंकों के साथ	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
योग - (I एवं II)	**245 73 65**	**1075 20 67**
II. भारत के बाहर		
अ) चालू खातों में	790 68 07	475 12 12
आ) अन्य जमा खातों में	3 65 60	1732 53 68
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	869 29 09	387 78 51
योग - II (अ, आ एवं इ)	**1663 62 76**	**2595 44 31**
योग - (I एवं II)	**1909 36 41**	**3670 64 98**

अनुसूची - 8
निवेश

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	91652 13 70	86603 00 74
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	99 45	98 95
iii) शेयर	210 59 69	730 75 81
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	2542 94 34	2214 23 50
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	606 90 22	0
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड में निवेश)	71 00 75	88 83 28
योग - I	**95084 58 15**	**89637 82 28**
II. भारत के बाहर के निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	3867 01 90	3744 15 69
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	5 66	0
iii) शेयर	0	45 85 91
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	127 13 90	178 57 21
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	0	0
vi) अन्य निवेश	115 11 92	36 10 93
योग – II	**4109 33 38**	**4004 69 74**
योग (I एवं II)	**99193 91 53**	**93642 52 02**
भारत में सकल निवेश	96166 77 00	91605 72 90
घटाएँ: मूल्यह्रास	1275 63 04	2091 26 56
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	0	0
निवल विनिधान	**94891 13 96**	**89514 46 34**
भारत के बाहर सकल निवेश	4312 13 63	4137 76 01
घटाएँ: मूल्यह्रास	9 36 06	9 70 33
निवल विनिधान	**4302 77 57**	**4128 05 68**
कुल निवल निवेश	**99193 91 53**	**93642 52 02**

अनुसूची - 9
अग्रिम

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	8338 51 80	4569 89 01
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	77156 79 24	77364 66 07
iii) सावधि उधार	127834 82 14	96133 12 96
योग	**213330 13 18**	**178067 68 04**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	145455 52 89	135665 37 83
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	34358 84 19	11604 08 55
iii) अप्रतिभूत	33515 76 10	30798 21 66
योग	**213330 13 18**	**178067 68 04**
इ. I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	107640 07 65	91803 94 00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	24336 39 57	24710 67 89
iii) बैंक	0	0
iv) अन्य	64104 10 60	47319 44 90
योग	**196080 57 82**	**163834 06 79**
II) भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से बकाया	0	0
ii) अन्यों से बकाया		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	7339 42 88	6626 40 44
b) संघबद्ध उधार	2743 70 69	2530 49 57
c) अन्य	7166 41 79	5076 71 24
योग	**17249 55 36**	**14233 61 25**
योग (इ - I एवं इ - II)	**213330 13 18**	**178067 68 04**

अनुसूची - 10
स्थिर आस्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
		(₹ हजार में)
I. परिसर		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	4571 95 99	4491 30 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	4 20 09	80 65 22
उप-योग	**4576 16 08**	**4571 95 99**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	0	0
	4576 16 08	4571 95 99
अद्यतन मूल्यह्रास	1378 83 55	1325 92 48
कुल -I	**3197 32 53**	**3246 03 51**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**14 47 85**	**8 79**
कुल -II	**14 47 85**	**8 79**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)		
वर्ष के आरंभ में लागत	2717 09 80	2216 22 53
वर्ष के दौरान परिवर्धन	346 88 22	542 43 62
उप-योग	**3063 98 02**	**2758 66 15**
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	94 26 16	41 56 35
	2969 71 86	2717 09 80
अद्यतन मूल्यह्रास	2441 33 42	2252 48 23
कुल - III	**528 38 44**	**464 61 57**
योग (I, II व III)	**3740 18 82**	**3710 73 87**

*31.03.2024 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं।

अनुसूची - 11
अन्य आस्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	30 51 35	735 12 57
ii) उपचित ब्याज	4153 89 68	3620 47 19
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	5450 93 06	4523 00 18
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	2 51 92	3 94 07
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	224 27 48	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	6928 05 10	8104 00 25
कुल	**16790 18 59**	**17196 55 77**

अनुसूची - 12
आकस्मिक दायित्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) बैंक के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	4 87 95	4 79 19
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	165998 91 81	165634 95 19
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में	13137 86 75	11746 40 32
ख) भारत के बाहर	157 78 69	371 76 19
v) स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	4557 27 58	5530 28 60
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
a) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	100 99 50	52 46 12
b) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	0	0
c) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	0	0
d) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	0	0
e) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	0	0
f) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	0	0
g) आरबीआइ के साथ डीईएएफ में राशि	2003 50 50	1822 20 80
h) आइटी मांग विवाद	9780 74 96	10968 40 66
i) अन्य	6 29	6 29
कुल	**195742 15 63**	**196131 44 96**

अनुसूची - 13
अर्जित ब्याज

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	17576 70 83	13151 35 40
ii) निवेशों पर आय	5951 69 85	5850 30 90
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	237 64 69	405 30 80
iv) अन्य	299 61 33	0
कुल	**24065 66 70**	**19406 97 10**

अनुसूची - 14
अन्य आय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	1330 75 12	1221 00 41
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	272 94 33	249 57 50
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	749 91 77	(314 03 46)
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	2 21 43	1 58 38
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	193 05 32	564 70 36
vi) विविध आय	3116 42 33	2393 61 55
कुल	**5665 30 30**	**4116 44 74**

अनुसूची - 15
खर्च किया गया ब्याज

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) जमाओं पर ब्याज	12614 68 60	10536 45 21
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1611 87 55	609 80 40
iii) अन्य	(6 11)	3 29
योग	**14226 50 04**	**11146 28 90**

अनुसूची - 16
परिचालन व्यय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक (₹ हजार में)
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	6143 27 79	4102 36 60
ii) भाड़ा, कर और बिजली	528 71 82	493 23 94
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	32 87 88	24 68 66
iv) विज्ञापन और प्रचार	5 10 10	1 42 49
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	336 36 92	260 42 01
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 15 40	90 73
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	30 39 11	31 48 38
viii) विधि प्रभार	31 29 67	24 71 14
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	61 32 40	67 53 72
x) मरम्मत व अनुरक्षा	42 83 04	27 20 20
xi) बीमा	350 23 03	340 97 46
xii) अन्य व्यय	1166 95 87	1054 86 06
योग	**8730 53 03**	**6429 81 39**

अनुसूची -17
बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ – समेकित

1. तैयारी का आधार

1.1 बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

1.2 समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक और उसके संयुक्त उद्यमों व सहयोगियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (मूल) का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख) संयुक्त उद्यम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।

ग) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के तहत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

<u>आंकलन का प्रयोग:</u>

1.3 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आंकलन व अनुमान लगाने होते हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व चिन्हित और व्यय लेखांकन

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के सम्बन्ध में वसूली के आधार पर आय का निर्धारण किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है, बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष, अगर हो तो, के लिए किया जाता है। एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तब किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है।

एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत खातों को मुकदमा दायर खातों के रूप में माना जाएगा और इन एनसीएलटी खातों में वसूली का विनियोजन चाहे वह कॉरपोरेट देनदार या गारंटरों के विरुद्ध शुरू की गई प्रक्रिया से ही हो उन्हें मुकदमा दायर खातों के समान ही माना जाएगा।

डिबेंचर/ इक्विटी/ अन्य ऋण या अर्थ इक्विटी उपकरणों आदि के रूप में हुई वसूली, जो एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में नकद वसूली के रूप में होती है और जैसा कि मुकदमा दायर खातों में किया जाता है अर्थात मूलधन और उसके बाद ब्याज के लिए।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव” के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा राशि पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्समय पर लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार वर्णित किया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) एफईडीएआई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान''/ ''अन्य आस्ति खाता'' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों के मामलों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को एफईडीएआई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम

च) म्युचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्युचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1 ''व्यापार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए चिह्नित किया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/ उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है, सिर्फ ऐसे मूल्यह्रास को छोड़कर जिन्हें बॉस्केट में उपलब्ध मूल्य वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है। हालाँकि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत /परिशोधन लागत पर आगे ले जाया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 निवेश, एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं भी लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध व परिपक्वता तक धारित) निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, कर चुकतान के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षिती में अंतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है।

4.12 तुलन-पत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है तथा अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी कथित निवेशों से समायोजित किया गया है।

4.14 किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में उसके वर्गों में अंतरण, सिर्फ एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अदला-बदली/ अंतरण को छोड़कर, अधिग्रहण लागत/बुकवैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है। उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

6. डेरिवेटिव्स

6.1 ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2 प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी

पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर वर्णित किया गया है।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया गया है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया गया है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के अंशदान के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में ग्रेच्युटी की गणना संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है।

9. आय पर कर:

बैंक द्वारा आयकर व्यय मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की कुल राशि अदा की गई है। मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर, जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है, को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्थगित कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की

तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में होने वाले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''(प्रति शेयर अर्जन)'' के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है, सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक आस्ति राशि तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआइ के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है।

13. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्ति, यदि कोई हो तो उसे चिन्हित नहीं किया जाता है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

अनुसूची - 18
वर्ष 2023-24 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियाँ

1. समेकित वित्तीय विवरणों में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और बैंक के निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का%
1	ओडिशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35%

1.1 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक की 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इस पर आरबीआइ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में विचार नहीं किया गया है।

1.2 समेकित वितीय विवरणी में संयुक्त उपक्रम के हित को एएस 27 (संयुक्त उपक्रम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) की अनुपातिक समेकित पद्धति के अनुसार लेखे में शामिल किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर का दर्शाने वाले संयुक्त उपक्रम में रु 15.86 करोड़ के निवेश की रखाव लागत से ऊपर, निवल आस्तियों में अधिकता के हिस्से को आरक्षिती एवं अधिशेष के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

1.3 एसोसिएट में निवेश के संबंध में, जिसे एएस 23 (एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखे में शामिल किया गया है, 60,6.90 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों में निवेश की राशि को आईओबी की निवल संपत्ति के हिस्से के मुकाबले समायोजित किया गया है। मूल्य में गिरावट को पहचानने के लिए 214.05 लाख रुपये और 392.07 करोड़ रुपये की शेष राशि को आरक्षित और अधिशेष में शेष के प्रति समायोजित किया गया है।

2. एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम का वित्तीय विवरण:

अ) सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2024 तक और संयुक्त उद्यम अर्थात इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएमबी) के मामले में 31.12.2023 तक हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 01.01.2024 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य घटनाएँ नहीं हुई हैं जिनमें समायोजन की आवश्यकता है।

प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण दिया जाता है। इस तरह के विवरण की अनुपलब्धता के मामले में, प्रबंधन का विचार है कि ऐसे विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के तहत प्रकटीकरण को अधिक प्रभावित नहीं करेंगे।

आ) सहयोगी में निवेश, जिसे ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत एएस 23 (सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार लेखांकित किया है, रु 606.90 करोड़ के ईक्विटी शेयर में निवेश की रखाव राशि को रु 209.06 करोड़ की निवल आस्ति में आइओबी के हिस्से के साथ समायोजित किया गया है और शेष रु 392.07 करोड़ को आरक्षिती एवं अधिशेष के शेष के साथ समायोजित किया गया है ताकि मूल्ह्रास को दर्शाया जा सके।

इ) समेकित वितीय विवरणी में संयुक्त उपक्रम के हित को एएस 27 (संयुक्त उपक्रम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) की अनुपातिक समेकित पद्धति के अनुसार लेखे में शामिल किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर का दर्शाने वाले संयुक्त उपक्रम में रु 23.37 करोड़ के निवेश की रखाव लागत से ऊपर, निवल आस्तियों में अधिकता के हिस्से को आरक्षिती एवं अधिशेष के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

ई) सहयोगी/ संयुक्त उपक्रम की आकस्मिक देयता में आइओबी के हिस्से की राशि को हटा दिया गया है क्योंकि वो आइओबी की देयता नहीं है।

3. अंतर शाखा समाधान / आंतरिक कार्यालय लेखे

अंतर शाखा लेन-देन और आंतरिक/कार्यालय खातों का समाधान शाखाओं और/या केंद्रीय कार्यालय विभागों में विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। बकाया प्रविष्टियों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया के पूरा होने पर आवश्यक लेखांकन समायोजन, यदि कोई आवश्यक हो, किया जाएगा। प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

4. पूंजी और आरक्षितियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने बेसल III टियर II बॉन्ड जारी नहीं किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने क्यूआइबी द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 1,000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु 665 करोड़) के बेसल III टीयर II बॉन्ड जारी किए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने कोई ईक्विटी पूंजी नहीं जुटाई है। 31 मार्च 2024 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु 18902.41 करोड़ है। 31 मार्च 2024 को भारत सरकार की शेयरधारिता 96.38% है।

विनियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ रु में)

क्रमांक	विवरण	2023-24	2022-23
i)	कॉमन ईक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूंजी एवं अरक्षितियां @ (कटौती पश्चात, यदि कोई हो)	20839.72	16736.13
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी*/ अन्य टीयर 1 पूंजी@	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	20839.72	16736.13
iv)	टीयर 2 पूंजी	4034.78	4188.83
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	24874.50	20924.96
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	143979.05	129980.80
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यू के प्रतिशत के तौर पर सीईटी 1) / आरडब्ल्यू@ के प्रतिशत के तौर पर प्रदत्त शेयर पूंजी	14.47%	12.88%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यू के प्रतिशत के तौर पर टीयर 1 पूंजी)	14.47%	12.88%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यू के प्रतिशत के तौर पर टीयर 2 पूंजी)	2.80%	3.22%
x)	जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यू के प्रतिशत के तौर पर कुल पूंजी)	17.28%	16.10%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.66%	5.14%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	96.38%	96.38%
	ख) राज्य सरकार (नाम बताएं) $	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-ईक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी में से बेसल III टीयर II बॉन्ड्स	शून्य	1000.00

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत सिर्फ आरआरबी के लिए लागू है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

विवरण	2023-24	2022-23
निवेश में ह्रास / अवलेखन पर प्रावधान	(0.49)	1.35
एनपीए के लिए प्रावधान	2706.49	2857.74
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(112.22)	(462.45)
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	(7.37)	(12.85)
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर समेत)	756.92	249.46
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	764.71	1210.12
कुल	**4108.14**	**3843.38**

5. निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआइ/2017-18/147 डीबीआर संख्या बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आइएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ तैयार की जा सकें ।

आइएफआर में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है, जब तक आइएफआर राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹390.00 करोड़) की राशि आईएफआर में अंतरित कर दी गई है।

6. कर

6.1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अत:, बैंक ने आयकर के प्रावधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की है।

6.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों का शुद्ध) समाधान के अधीन है। यह लंबित मूल्यांकन/अपील के तहत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें]।

6.3 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 8450.79 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 9081.37 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 238.42 करोड़ (पिछले वर्ष 220.52 करोड़) एवं कुल वस्तु एवं सेवा कर रु 1071.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1648.68 करोड़) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

6.4 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 756.91 करोड़ है जिसमें रु. 22.67 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु.734.24 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 18.8 का संदर्भ लें।

6.5 मार्च 31,2024 तक बैंक के पास कुल मिलाकर ₹ 5299.94 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति का शेष है, जिसे पूर्व में चिन्हित की गई थी और अनुमानित आधार पर बैंक ने तिमाही (31.03.2024) के लिए ₹ 384.24 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 734.24 करोड़ को रिवर्स कर दिया है।

6.6 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि: **(रुपये करोड़ में)**

विवरण	2023-24	2022-23
आयकर के लिए प्रावधान	22.67	20.60
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	734.24	228.85
निवल प्रावधान	756.91	249.45

7. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) पर स्थिति

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) के पूर्ण विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव के साथ उनके द्वारा पूर्व में जारी किए गए एलओसी के तहत उनके संचयी वित्तीय दायित्वों का मूल्यांकन भी शामिल है जिसे प्रकाशित वित्तीय विवरण के “नोट्स टू अकाउंट्स" के हिस्से के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	शून्य
31.3.2024 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी आंकलित वित्तीय दायित्व	शून्य

31 मार्च, 2024 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जोकि आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है। 31.03.2024 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 2199 मिओ (25.97) है।

   सबसे खराब स्थिति में यदि शाखा का संपूर्ण टेक्सटाइल एक्सपोजर के एनपीए होने पर हमें मानक टेक्सटाइल अग्रिम के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 92.854 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

   वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने नेगारा मलेशिया को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया था। बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद (आइआइबीएमबी) की फंडिंग, कारोबार और अन्य मामलों में, जब भी उनकी आवश्यकता होती है सहायता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने कारोबार परिचालन एवं प्रबन्धन में मलेशियाई कानून, विनिमयनों एवं नीतियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। नेगारा मलेशिया को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो यानि विभिन्न तिथियों पर एमवाईआर 115.50 मियो के प्रदत्त पूंजी के 35% के हमारे हिस्से तक है।

   मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को आयोजित बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण

8.1 लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

8.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व चिन्हित

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को चिन्हित किया गया है।

8.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि, जैसे कि चिकित्सा लाभ, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उस अवधि हेतु ही मान्य होती है जब कर्मचारी सेवारत होता है।

2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

1. परिभाषित लाभ योजनाएँ

(क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	11314.24	10363.22	1302.17	1200.55
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज लागत	776.97	735.23	94.94	85.31
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	332.67	279.52	88.82	78.70
घटाएं ; लाभ का भुगतान किया गया	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	2177.19	1004.24	101.03	57.83
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1302.17

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	11314.25	10363.23	1326.82	1225.20
जोड़ें: अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
जोड़ें: योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	896.50	782.28	101.62	91.81
जोड़ें: नियोक्ता का योगदान	2348.23	1202.74	127.30	124.65
घटाएं : भुगतान किया गया लाभ	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	42.09	33.96	31.23	5.37
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
गैर निधिपोषित परिवर्तनीय देयता	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
i) वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	13465.63	11569.76	1494.38	1302.17
ii) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
iii) अंतर	0.00	255.51	0.00	(24.65)
iii) तुलन पत्र में चिन्हित प्राप्त गैर निधि पोषित निवल देयताएँ	*(0.00)	*(255.51)	0.00	0.00
iv) तुलन पत्र में चिन्हित निधि पोषित निवल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	24.65

* आरबीआइ के परिपत्र आरबीआइ/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुपालने में बैंक आइबीए संयुक्त नोट दिनांकित 11 नवंबर, 2020 के अनुसार को वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 (पांच) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर्मचारियों हेतु पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने का विकल्प चुना था जो कि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाने वाली कुल राशि का कम से कम 1/5वां हिस्सा है एवं 31 मार्च 2023 तक ₹255,51,49,935.00 की राशि का परिशोधित भाग शामिल है। वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में पूरी अग्रेषित राशि चार्ज कर दी है और अब अग्रेषित राशि शून्य है।

(घ) लाभ व हानि में चिन्हित गए व्यय (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
i. वर्तमान सेवा लागत	332.67	279.52	88.82	78.70
ii. पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
iii. ब्याज लागत	776.97	735.23	94.94	85.31
iv. योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(896.50)	(782.28)	(101.62)	(91.81)
v. वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	2135.09	970.28	69.80	52.46
vi. वर्ष के दौरान चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ – हानि में चिन्हित खर्च (i+ii+iii+iv+v+vi)	2348.24	1202.74	151.95	124.65

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता: (% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2024	2023	2024	2023
क) ऋण लिखतें /केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	4.09	3.41	9.13	8.67
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	3.89	2.58	11.97	17.32
ग) पीएसयू/ पीएफआइ/कार्पोरेट बॉंड्स में निवेश	6.91	4.50	13.57	12.75
घ) ईक्विटी लिखतें	0.77	0.68	1.29	2.31
ड़) अन्य निवेश	84.34	88.83	64.04	58.95
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)	
	2024	2023	2024	2023
बट्टा दर	7.23%	7.48%	7.23%	7.56%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
पेंशन वृद्धि	4.00%	4.00%	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	7.50%	7.50%	7.56%	7.48%
मोर्टैलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 संशोधित अंतिम	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

छ) पेंशन हेतु 5 वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/घाटा (रु. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9108.28	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9108.28	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63
iii.	अंतर (ii-i)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00

(ज) ग्रेच्युटी हेतु पांच वर्ष का प्रकटीकरण

ii) योजना में अधिशेष/घाटा (रु. करोड़ में)

	तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**31.03.2020 तक**	**31.03.2021 तक**	**31.03.2022 तक**	**31.03.2023 तक**	**31.03.2024 तक**
i.	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1018.68	913.11	1200.55	1302.17	1494.38
ii.	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1400.86	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38
iii.	अंतर (ii-i)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00
iv.	गैर चिन्हित पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	गैर चिन्हित संक्रमण दायित्व	-	-	-	-	-
vi.	तुलन पत्र में चिन्हित राशि (iii-iv-v)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00

I) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर: बट्टा दर को सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2024) के अनुसार तय किया गया है।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.93.40 करोड़ है।

II) परिभाषित योगदान योजना:

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 165.26 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 145.51 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

III) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (बिना वित्तपोषित दायित्व के):

सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण लाभ

क) देयताओं के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान (रु. करोड़ों में)

विवरण	**छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)**	
	2024	**2023**
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	576.27	516.13
जोड़ें: ब्याज लागत	41.78	36.33
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	-	-
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	74.24	56.88

घटाएं : भुगतान किए गए लाभ	(47.11)	(60.75)
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	106.97	27.68
परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	752.15	576.27

(ख) लाभ व हानि खाते में चिन्हित राशि (रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	**2023**
i) वर्तमान सेवा लागत	74.24	56.88
ii) पिछली सेवा लागत	-	-
iii) ब्याज लागत	41.78	36.33
iv) योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	0.00	0.00
v) वर्ष में चिन्हित प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	106.97	27.68
लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	223.00	120.89

(ग) तुलन पत्र में चिन्हित प्रारंभिक और समापन देयता/(आस्तियों) का समाधान (रु. करोड़ों में)

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	**2023**
i) प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	576.26	516.13
ii) निवल अधिग्रहण लागत	-	-
iii) लाभ व हानि में चिन्हित खर्च	223.00	120.89
iv) भुगतान किए गए लाभ	(47.11)	(60.75)
v) तुलन पत्र में चिन्हित निवल देयता	752.15	576.27
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	106.97	27.68
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	752.15	576.26

(घ) प्रमुख बीमांकिक अनुमान [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

विवरण	छुट्टी नकदीकरण (गैर निधिपोषित)	
	2024	**2023**
बट्टा दर	7.23%	7.56%
वेतन वृद्धि का अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
पलायन दर	3.00%	3.00%
मॉर्टलिटी	2012-14 अंतिम	2012-14 अंतिम
अपनायी गई प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार करने हेतु भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और पूर्व के सीमित अनुभव/तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और धारणाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में , यदि आवश्यक हो तो, जानकारी के अभाव में प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

8.4 लेखांकन मानक 17 – समेकित वित्तीय विवरणों पर सेगमेंट रिपोर्टिंग

सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को राजकोष, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए: कारोबार सेगमेंट (रु. करोड़ में)

कारोबार सेगमेंट	**राजकोष**		**कार्पोरेट / थोक बैंकिंग**		**खुदरा बैंकिंग**		**अन्य बैंकिंग परिचालन**		**कुल**	
विवरण	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2023-24**	**2023-24**	**2022-23**
राजस्व	7275.89	6678.73	9631.31	6646.45	11838.91	9619.76	682.60	576.90	**29428.71**	**23521.84**
परिणाम	546.89	891.90	1365.05	742.46	4 124.77	3 909.84	426.46	401.60	**6463.17**	**5945.80**
अनाबंटित आय									**301.82**	**1.58**
अनाबंटित व्यय									**301.35**	**1.51**
परिचालनगत लाभ/हानि									**6773.90**	**5947.31**
आय कर									**757.08**	**249.34**
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									**3351.19**	**3593.99**
असाधारण लाभ / हानि									**0.00**	**0.00**
निवल लाभ									**2655.63**	**2103.98**
खण्डवार आस्तियाँ	107330.71	102915.78	114382.96	98471.30	119316.38	101371.87	85.46	131.15	**341115.51**	**302890.10**
अनाबंटित आस्तियाँ									**10753.81**	**10 559.80**
कुल आस्तियाँ									**351869.32**	**313449.90**
खण्डवार देयताएँ	97939.96	102210.89	110441.19	91562.64	115594.36	94 590.37	272.64	151.16	**324248.15**	**288515.06**
अनाबंटित देयताएं									**59.72**	**58.81**
कुल देयताएं									**324307.87**	**288573.87**

नोट नंबर 1 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (संपत्ति) के संबंध में 107330.71 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

नोट नंबर 2 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (देयताओं) के संबंध में 97939.96 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

***वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े स्टैंडअलोन वित्तीय आंकड़ों पर आधारित हैं।**

8.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत है:

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ii) सुश्री एस. श्रीमती, कार्यपालक निदेशक (09.03.2024 तक)

(iii) श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक (30 .01.2024 तक)

(iv) जयदीप दत्ता रॉय, कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी)

(v) धनराज टी, कार्यपालक निदेशक (10.03.2024 से प्रभावी)

(ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:

2023-24 व 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन और निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण: (राशि रु में)

पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक * (2023-24)	पारिश्रमिक * (2022-23)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)		
01.04.2023 से 30.09.2023	19,27,968.00	19,64,990.00
01.10.2023 से 31.03.2024	21,52,164.00	24,48,576.00
कुल	**40,80,132.00**	**44,13,566.00**
सुश्री एस. श्रीमती (का. नि.)		
01.04.2023 से 30.09.2023	20,11,500.00	15,91,533.00
01.10.2023 से 09.03.2024	18,45,530.33	23,13,187.09
कुल	**38,57,030.33**	**39,04,720.09**
श्री संजय विनायक मुदालियर (का. नि.)		
01.04.2023 से 31.03.2023	19,60,866.67	लागू नहीं
01.10.2023 से 30.01.2024	12,20,843.22	10,58,964.00
कुल	**31,81,709.89**	**10,58,964.00**
श्री जयदीप दत्ता रॉय (का. नि.)		
31.01.2024 से 31.03.2024	7,47,253.16	**लागू नहीं**
कुल	**7,47,253.16**	
श्री धनराज टी (का. नि.)		
10.03.2024 से 31.03.2024	2,53,295.23	
कुल	**2,53,295.23**	**लागू नहीं**

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक@		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.38
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	772.24	772.24	2.25	2.38	0.74	0.75	775.23	775.37
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.61	0.63	0.00	0.21	0.61	0.84
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44	193.44
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं	2.82		0.03		0.00		2.85	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	48.53		0.05		0.01		48.59	
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

एन ए - लागू नहीं

वर्ष के दौरान अधिकतम एवं वर्ष के अंत पर शेष को प्रदर्शित किया जाएगा।

* अनुबंध सेवाएं इत्यादि व विप्रेषण सुविधाएं , लॉकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं।

8.6 लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2023-24	2022-23
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	2655.61	2098.78
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	18902412256	18902412256
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	1.40	0.34
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	10.00	10.00

8.7 लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	1021.64		202.90	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	68.98		190.97	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	126.41		28.79	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	11.01		13.59	
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	1.10		0.93	
एनपीए के लिए प्रावधान	1861.70		3 675.34	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	348.27		337.42	
अन्य	1860.83		1583.89	
कुल	**5299.94**		**6033.83**	
निवल डीटीएल/ डीटीए	**5299.94**		**6033.83**	

8.8 एएस 24 - परिचालन बंद करना

यह मानक परिचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में परिसंपत्तियों/ देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को संचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपरोक्त प्रभाव वाले परिचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया परिचालन पूरी तरह से पर्याप्त है।

8.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

8.10 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को 'कॉरपोरेट आस्तियाँ' माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस -28 में दी गई परिभाषा के अनुसार यह 'नकदी सृजन करने वाली इकाई' नहीं है। प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है।

8.11 लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान:

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में विदेशी एक्सचेंजों में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है।
4	घटकों, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटी	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में व्यवस्था करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल ह।

9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है।

10. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Elevating
Street
Entrepreneur
with
PM SVANidhi
Collateral Free Loan
Loan up to ₹ 50,000
Interest Subsidy Available
T&C Apply
For more info visit nearest IOB Branch
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
Follow us on
@IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

स्वायत्त
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
समेकित

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी जिनमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन पत्र शामिल है, समेकित लाभ व हानि खाता और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है, और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) जिसमें सम्मिलित हैं:

   अ) बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   आ) एक विदेशी संयुक्त उद्यम (इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

   इ) एक सहयोगी (ओडिशा ग्राम्य बैंक) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

   हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस तरह के संयुक्त उद्यम और सहयोगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया था, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआइ") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश ("आरबीआइ दिशानिर्देश") और लागू लेखांकन मानक द्वारा इस प्रकार से जानकारी देते हैं जो समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

   क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2024 तक समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं;

   ख) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित लाभ व हानि खाते के संदर्भ में समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के वास्तविक लाभ; और

   ग) समाप्त वर्ष की तिथि के लिए समेकित नकदी प्रवाह के संदर्भ में समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं।

अभिमत का आधार:

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं (एसए) के अनुसार की है। हमारी जिम्मेदारियां इन मानकताओं के अधीन हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। आइसीएआइ द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार हम, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक अपेक्षाएँ जो समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है जिन्हें लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करने हेतु समुपयुक्त है।

मामलो पर बल

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

i. नोट संख्या 3, अंतर शाखा और आंतरिक/ कार्यालय खातो में प्रविष्टियों के समाधान और उन्मूलन से संबंधित है जो विभिन्न चरणों में हैं।

ii. नोट संख्या 6.3, उसमें उद्धृत कारणों के लिए विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का प्रावधान न करने से संबंधित हैं और नोट संख्या 6.2 अग्रिम भुगतान किए गए कर के लंबित समाधान से संबंधित है।

iii. नोट संख्या 6.5, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति से संबंधित ₹5,299.94 करोड़ के आगामी शेष, अनुमानित आधार पर ₹734.24 करोड़ का उत्क्रमण और 31 मार्च 2024 को आस्थगित कर परिसंपत्ति के आगामी शेष की वास्तविकता के प्रबंधन मूल्यांकन से संबंधित है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले, वे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलो पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते । प्रमुख लेखा-परीक्षकों द्वारा चिन्हित प्रमुख लेखापरीक्षा मामलो सहित संबंधित घटक लेखा-परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए हैं।

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 50.09 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है। वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आइआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआइ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों के मामलों के अतिरिक्त जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआइ के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आइआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आइटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो यह भी चिन्हित करता है कि अग्रिम निष्पादन योग्य है या गैर-निष्पादित।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आइआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, सुरक्षा मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आंकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे :

क) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

ख) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आइआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/ तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

घ) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता की पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/ विचलन/ त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ङ) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और आय के संगत उलटाव की जांच की गई।

च) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

छ) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आइटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

ज) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य अंतरदेशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

झ) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातो के संचालन की समीक्षा की गई।

ञ) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

ट) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

ठ) सुनिश्चित किया गया कि हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत ठीक किया गया है।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आइटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आइटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आइटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आइटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर सिस्टम से उत्पन्न रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आइटी सिस्टम के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :

क) बैंक के आइटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

ख) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आइटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

ग) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

घ) सांविधानिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ङ) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

च) आइएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आइटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आइटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 17 के 4 देखें)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 26.49 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्धृत निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआइबीआइएल दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआइ) की

पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी। राजकोष के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं –

क) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआइ की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे स्वीकार किया।

ख) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (सुरक्षा की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं, सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

ग) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्धृत निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

घ) हमने एनपीआइ की पहचान और आय के अनुरूप उलटाव और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन किया।

ङ) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआइ के लिए परीक्षण किया और एनपीआइ के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आंकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

बैंक ने इसके खिलाफ विवादित दावे किए हैं, जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं, जो विभिन्न अदालतों/ मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आंकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

क) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

ख) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/ गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

ग) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

घ) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/ बाह्य कानूनी राय/ परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ङ) बैंक/अन्य कॉरपोरेट के मामले में एक-समान मामलो में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

च) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

छ) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आंकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

ज) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध सीमा तक शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त जानकारी के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों पर निर्भरता रही।

5. अन्य मामले

क) हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल एक एसोसिएट और एक विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक रु. 164.30 करोड़ की कुल संपत्ति, कुल राजस्व रु.24.97 करोड़ और कर के बाद कुल निवल लाभ को दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹8.93 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि एक एसोसिएट के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनकी वित्तीय विवरण/ जानकारी का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत केवल संयुक्त उद्यम और सहयोगी के संबंध में निहित राशि और प्रकटीकरण से पूर्णतः ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख) 01 विदेशी संयुक्त उद्यम के मामले में, वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी उनके संबंधित देशों में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाती है जिसे अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा उनके संबंधित देशों में लागू स्वीकृत लेखापरीक्षक मानकों के तहत लेखापरीक्षा किया गया है। ऐसे विदेशी संयुक्त उद्यम के प्रबंधन ने वित्तीय जानकारी को उनके संबंधित देशों में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों का अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है। भारत के बाहर स्थित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शेष से संबंध में हमारा अभिमत, अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए व अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और निम्नलिखित कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलो के संबंध में संशोधित नहीं है।

ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती ऑडिट फर्म हैं और उन्होंने 12 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त की है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है) जो हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी जारी करने के समय प्राप्त हुई थी, जिसको उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवा दिया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उक्त वर्णित अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत वर्णित गया है।

यदि, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्य जानकारी में महत्वपूर्ण मिथ्य कथन है, हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी को पढ़ते हैं और इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कई महत्वपूर्ण मिथ्य कथन है तो हमारे द्वारा गवर्नेंस सहित उन प्रभारों को इस मामले के विषय में सूचित करना आवश्यक होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तथा उन पर गवर्नेंस का प्रभार है

7. बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआइ') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है जिनका उपयोग उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में बने रहने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम क्षमता का आंकलन करने के लिए समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम सहित ईकाइयों के निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है और इससे संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना व लेखांकन के आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है।

समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम से संबन्धित निदेशक मंडल, समूह व उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर उनका आंकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

- प्रबंधन के द्वारा प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।

- लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष / निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने कई क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण समेकित वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में बैंक के गवर्नेंस और समेकित वित्तीय विवरणियों सहित अन्य ईकाइयों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है, उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलो जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलो, हम उन मामलो का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं । जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार के जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी व संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामलों' पैराग्राफ में वर्णित आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 (यथा संशोधित) के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं :

क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आइसीएआइ द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआइ द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) आइसीएआइ द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर तकनीकी गाइड" के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआइ द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

12. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारे अभिमत में, हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ व अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खातो की पुस्तक के साथ हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ व हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआइ द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एस.एन कपूर एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001545सी

(अविचल एसएन. कपूर)
साझेदार
एम नं. 400460
यूडीआइएन: 24400460बीकेसीबीयूडी4986

कृते आर. देवेंद्र कुमार एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 114207डब्ल्यू

(नीरज गोलस)
साझेदार
एम नं. 074392
यूडीआइएन: 24074392बीकेईएकेए7127

कृते तेज राज एवं पाल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304124ई

(बी. गंगाराजू)
साझेदार
एम नं.: 007605
यूडीआइएन: 24007605बीकेडीजीएफक्यू4400

कृते लक्ष्मी तृप्ति एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009189सी

(अभय पालीवाल)
साझेदार
एम नं.: 435511
यूडीआइएन: 24435511बीकेएएचवीएक्स4725

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 09.05.2024

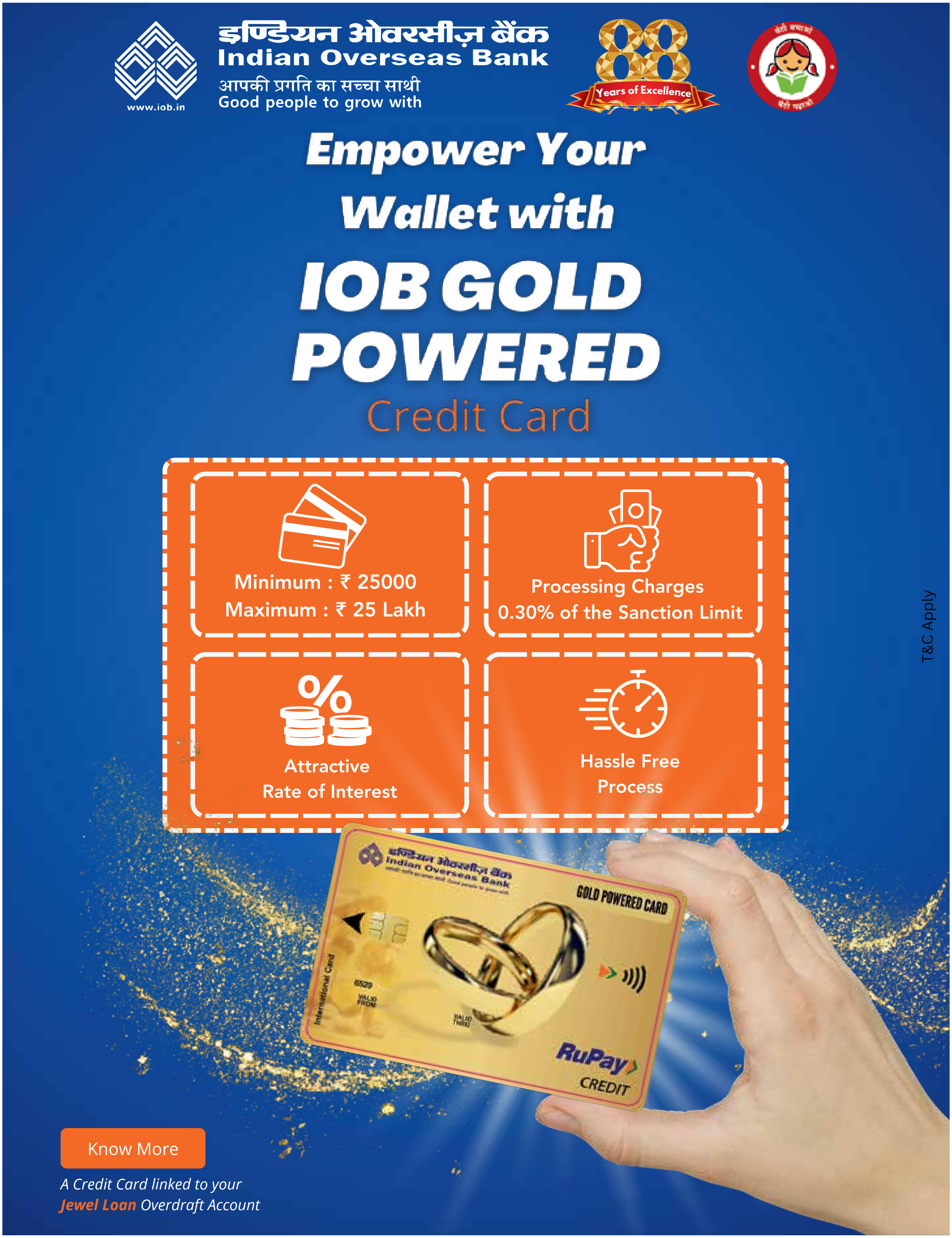
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
88
Years of Excellence
Empower Your Wallet with
IOB GOLD POWERED
Credit Card
Minimum : ₹ 25000
Maximum : ₹ 25 Lakh
Processing Charges
0.30% of the Sanction Limit
Attractive
Rate of Interest
Hassle Free
Process
T&C Apply
GOLD POWERED CARD
RuPay
CREDIT
Know More
A Credit Card linked to your
Jewel Loan Overdraft Account

अतिरिक्त प्रकटीकरण

बेसल III के स्तंभ 3 का प्रकटीकरण- 31.03.2024

आरबीआइ ने बेसल III दिशानिर्देश जारी किए, जो 01.04.2013 से लागू है एवं वर्तमान में बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ, न्यूनतम पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 11.50%, न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर -1 अनुपात 8.00% और न्यूनतम टीयर 1 अनुपात 9.50% है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा धारित न्यूनतम पूंजी 11.50% है और न्यूनतम सीईटी 1 (सीसीबी सहित) 8.00% है। बैंक ने 11.50% (सीसीबी सहित) की नियामक आवश्यकता की तुलना में 31.03.2024 तक 17.28% का सीआरएआर बनाए रखा है।

बेसल III ढांचे में तीन परस्पर सुदृढ़ स्तंभ शामिल हैं:

(i) स्तंभ 1: न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) स्तंभ 2: पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया

(iii) स्तंभ 3: बाज़ार अनुशासन

बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रकटीकरण शामिल है। ये प्रकटीकरण निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम वहन क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और अन्य जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आंकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं। बैंक की जोखिम क्षमता को आम तौर पर बैंक के जोखिम क्षमता विवरण और आइसीएएपी यानी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया में जोखिम सीमा और ट्रिगर बिंदुओं के निर्धारण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित की है। निदेशक मंडल की एक (आरएमसीबी) उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाज़ार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु फंडस समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को

प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल दृष्टिकोण इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करता है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा से (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में ढांचा रूपरेखा का अनुपालन कर रहा है । के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल III फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक स्तम्भ पर आधारित हैं। संशोधित का पहला स्तम्भ क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा स्तम्भ पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे स्तम्भ की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम स्तम्भ जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक “तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क” तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से उबरने की योजना बनाई है। जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डेटा कोड बनाए गए हैं, सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर, मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन, वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रणाली विभाग द्वारा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके, जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है।

बेसल III फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में है।

बेसल III फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 18 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आंकलन कर सकें; (अ) प्रयोज्यता की संभावना (डीएफ - 1), (आ) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ - 2), (इ) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ - 3), (ई) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ - 4), (उ) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ - 5), (ऊ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ - 6), (ए) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ - 7), (ऐ) परिचालन जोखिम (डीएफ - 8), (ओ) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) (डीएफ - 9), (औ) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ - 10), (अं) पूँजी का संघटन (डीएफ - 11), लेखांकन संपत्तियों की सारांश तुलना बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय (डीएफ - 17) और लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ - 18)। यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

डीएफ - 1: प्रयोज्यता की संभावना

"इण्डियन ओवरसीज़ बैंक" पर बेसल III ढांचा लागू होता है। बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, निर्देश और दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक एवं भारत (आइसीएआइ) और भारत में प्रचलित लेखांकन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) 31.03.2024 को समाप्त अवधि हेतु समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

इकाई का नाम	निगमन देश	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओडिशा ग्राम्य बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी समेकन के दायरे में नहीं हैं
इंडियन इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया	मलेशिया	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम समेकन के दायरे में नहीं है

(ख) 31.03.2024 को लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

इकाई का नाम	निगमन देश	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेस	भारत	जनरल इंश्योरेस	368.18	18.06	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(क) 31.03.2024 को समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

इकाई का नाम	निगमन देश (जैसा ऊपर (।) क में इंगित किया गया है)	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
ओडिशा ग्राम्य बैंक	भारत	बैंकिंग	1734.01*	19879.49*
इंडियन इंटरनेशन बैंक, बरहद, मलेशिया	मलेशिया	बैंकिंग	597.63**	1203.48**

*ओडिशा ग्राम्य बैंक में इक्विटी का बैंक हिस्सा 606.90 करोड़ रुपये (1734.01*35%) है।

** इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया में बैंकों की हिस्सेदारी 209.17 करोड़ रुपये (597.63*35%) है।

(ग) सभी अनुषंगी इकाईयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है

निगमन देश / अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

(घ) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं:

(रु. करोड़ में)

बीमा इकाईयों के नाम	निगमन देश	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	भारत	जनरल इंश्योरेस	368.18	18.06	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

31.03.2024 को बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं है।

डीएफ - 2: पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों के समर्थन हेतु अपनी पूंजी की पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण की एक सारांश चर्चा

बैंक के पास बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का आंकलन करने की एक प्रक्रिया है और इसके पूंजी स्तर को बनाए रखने की एक रणनीति है। यह प्रक्रिया यह आश्वासन देती है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में निहित सभी जोखिमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक, पूंजी जुटाने के उपलब्ध विकल्पों पर विचार करके नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है।

बैंक ने स्तंभ 2 आवश्यकताओं के भाग के रूप में अवशिष्ट जोखिम को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी की पर्याप्तता के उपाय के रूप में बैंक के प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करते हुए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर एक रूपरेखा तैयार की है। स्तंभ 1 के तहत निर्धारित क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के अलावा, बैंक ने अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया है और स्तंभ 2 के तहत विभिन्न भौतिक जोखिमों का आंकलन किया है जो या तो आंशिक रूप से कवर किए गए हैं या स्तंभ 1 के तहत कवर नहीं किए गए हैं। आइसीएएपी पूंजी नियोजन प्रक्रिया का विवरण देता है और निम्नलिखित जोखिमों के माप, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी आवश्यकता और तनाव परीक्षण को कवर करते हुए एक मूल्यांकन करता है:

- माइग्रेशन जोखिम/डिफ़ॉल्ट जोखिम की रेटिंग
- तरलता जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- रणनीतिक संबंधी जोखिम
- रेसीडुअल संपार्श्विक जोखिम
- पेंशन दायित्व जोखिम
- कानूनी जोखिम
- देश संबंधी जोखिम
- प्रमुख कार्मिक जोखिम
- संकेन्द्रण जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
- मॉडल जोखिम
- अनुपालन संबंधी जोखिम
- व्यावसायिक जोखिम
- प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम
- आउटसोर्सिंग संबंधी जोखिम
- निपटान संबंधी जोखिम
- आचरण संबंधी जोखिम

आइसीएएपी के तहत अधिकांश भौतिक जोखिमों को मात्रात्मक रूप से कवर किया जाता है जबकि कुछ को गुणात्मक रूप से कवर किया जाता है।

बैंक ने 2 दिसंबर 2013 को आरबीआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप असाधारण लेकिन संभावित घटनाओं के लिए संगठन की संभावित भेद्यता का आंकलन करने के लिए एक "तनाव परीक्षण ढांचा" तैयार किया है। इसके अलावा बैंक ने ईज़ दिशानिर्देशों के आधार पर "तनाव परीक्षण ढांचा" भी तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक के भौतिक जोखिम के संबंध में, आर्थिक मंदी/मंदी के समय पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार इसे संबोधित करने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। नीतिगत नुस्खों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक के बैलेंस शीट और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट उचित समितियों को देता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी पर्याप्तता

बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई है।

31 मार्च, 2024 तक, बैंक द्वारा रखी गई पूंजी सीसीबी सहित 11.50% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 17.28% है:

(रु. करोड़ में)

	31.03.2024 को
ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	10654.42
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	0.00
ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	432.97

- विदेशी मुद्रा जोखिम (गोल्ड सहित)	9.90
- इक्विटी जोखिम	268.47
घ) परिचालनामक जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
• बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	1336.39
ङ) सामान्य ईक्विटी टीयर-I, टीयर-I व कुल पूंजी अनुपात	
• सामान्य इक्विटी टीयर - 1 पूंजी अनुपात	14.47%
• कुल टीयर 1 पूंजी अनुपात (टीयर 1 सीआरएआर)	14.47%
• कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	17.28%

डीएफ - 3: उधार जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछली देय और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की परिभाषाएँ (लेखांकन उद्देश्यों के लिए)**

अनर्जक परिसंपत्तियाँ

कोई परिसंपत्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है। एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक अग्रिम है जहां

(i) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(ii) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।

(iii) खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।

(iv) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(v) छोटी अवधि की फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है और लंबी अवधि की फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त शेष रहती है एक फसल सीज़न के लिए अतिदेय रहती है।

(vi) किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लिया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता है।

(vi) 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

(viii) व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध में, व्युत्पन्न अनुबंध के बाजार मूल्य के लिए सकारात्मक अंक का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्य भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक रहती है।

'आउट ऑफ़ ऑर्डर' स्थिति

यदि बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी रहती है तो किसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट की तारीख तक 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, या जहां क्रेडिट डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है उसी अवधि के दौरान, ऐसे खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है।

- **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान**

  तनाव की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग:

  निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार तनावग्रस्त संपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके, डिफ़ॉल्ट* पर तुरंत ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की पहचान करना:

एसएमए उपवर्ग	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए-1	31-60 दिन
एसएमए-2	61-90 दिन

*डिफॉल्ट' का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना, जब ऋण की राशि का पूरा या कुछ हिस्सा या किस्त देय हो और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चुकाया न जाए। नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, डिफ़ॉल्ट का अर्थ यह भी होगा, उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि का लगातार अतिदेय बना रहना।

- **बैंक की क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति की चर्चा**

  ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना

  बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सुसंरचित ऋण नीति और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। नीति दस्तावेज़ संगठनात्मक संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करती है जिससे बैंक द्वारा किए गए क्रेडिट जोखिम की पहचान की जा सकती है, मात्रा निर्धारित की जा सकती है और उस ढांचे के भीतर प्रबंधित किया जा सकता है, जिसे बैंक अपने जनादेश और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप मानता है। बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणालियों की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), बोर्ड की उप-समिति का गठन किया जाता है जो क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक द्वारा क्रेडिट जोखिम की निगरानी बैंक-व्यापी आधार पर की जाती है और बोर्ड/आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

  नीति एवं रणनीति

  बैंक ने बैंक में सर्वोत्तम क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। ऋण नीति और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति के अलावा, बैंक ने अग्रिमों, फंड और निवेश नीति, काउंटर पार्टी जोखिम प्रबंधन नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति आदि पर ब्याज दर नीति भी बनाई है, जो बैंक में क्रेडिट जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है। इसके अलावा, बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और क्रेडिट जोखिम शमन पर एक नीति लागू की है जो बैंक के हितों की रक्षा के लिए बैंक द्वारा आम तौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक दोनों) और ऐसी प्रतिभूतियों के परिचालन का विवरण देती है।

  क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में एक्सपोज़र में क्रेडिट जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल है।

  क्रेडिट जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में, निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

  i) ऊपरी तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिपक्ष जोखिम का आंकलन करने के लिए क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडल/स्कोरिंग मॉडल को विकसित और परिष्कृत करना, जिनमें से प्रत्येक को अलग से स्कोर किया जाता है।

  ii) समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करके, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को संभालने के लिए विशिष्ट नीति नुस्खे देने और मात्रात्मक एक्सपोजर पैरामीटर निर्धारित करने के लिए उद्योग अनुसंधान का संचालन करना।

iii) क्रेडिट मंजूरी समिति में रखने से पहले जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा सभी उच्च मूल्य वाले क्रेडिट प्रस्तावों का जोखिम विश्लेषण किया जा रहा है।

क्रेडिट जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में एकल उधारकर्ता, समूह उधारकर्ता और उद्योगों जैसे आयामों में एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो प्राप्त करने के लिए जोखिम सीमाएं स्थापित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और क्रेडिट जोखिमों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, व्यक्तिगत कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं, पूंजी बाजार, रियल एस्टेट, संवेदनशील वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिर्देश आदि निर्धारित किए गए हैं। जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए त्रैमासिक अंतराल पर क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल उद्योग जोखिम, व्यवसाय जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहां लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि जैसे जोखिम घटकों से संबंधित मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं को कारक बनाता है। उद्योग जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और बाजार की स्थितियों के आधार पर क्रिसिल द्वारा समर्थित होता है।

मंज़ूरी अधिकार :

बैंक ऋण और अग्रिम की मंज़ूरी के लिए एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का पालन करता है। क्षेत्रीय कार्यालय व केंद्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण स्वीकृतियाँ विभिन्न समितियों द्वारा की जा रही है। विशिष्ट स्वीकृति शक्तियां शाखा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

जाँच और संतुलन अर्थात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन को क्रेडिट स्वीकृतियों से अलग करना, क्रेडिट जोखिम रेटिंग निर्दिष्ट करने की प्रणाली, रेटिंग का सत्यापन, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के आधार पर क्रेडिट सुविधाओं के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था, क्रेडिट ऑडिट आदि मौजूद हैं। न्यूनतम प्रवेश स्तर रेटिंग बेंचमार्क निर्धारित हैं। अन्य बैंकों और देश के एक्सपोज़र पर कुल एक्सपोज़र की निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्र मौजूद है।

(रूपये करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**31.03.2024**
क) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित	339727.93
गैर निधि आधारित	16254.90
कुल	**355982.83**
ख) भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
• **देशी**	
निधि आधारित	200697.35
गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	16894.82
• **विदेशी**	
निधि आधारित	18321.15
• गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	958.10

मात्रात्मक प्रकटीकरण		**31.03.2024**
ग.	एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	संलग्न
घ.	परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	संलग्न
ङ.	एनपीए का मूल्य (कुल)	6794.43
	अवमानक	1204.39
	संदिग्ध	4480.06
	• डी1	1191.41
	• डी2	1579.19
	• डी3	1709.46
	• हानि	1109.98
च.	निवल एनपीए	1216.86
छ.	एनपीए अनुपात	
	• कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	3.10%
	• निवल अग्रिम पर निवल एनपीए	0.57%
ज.	एनपीए की संचलन (सकल)	
	• अथशेष (01.04.2023)	14071.55
	• जोड़ना	1648.51
	• घटाना	8925.63
	• इतिशेष (31.03.2024)	6794.43
झ.	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन	
	• अथशेष (01.04.2023)	10518.99
	• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	2706.49
	• बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	7897.19
	• इतिशेष (31.03.2024)	5328.29
ञ.	अनर्जक निवेशों की राशि	2476.50
ट.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	2476.50
ठ.	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव (देशी)	
	• अथशेष (01.04.2023)	2091.27
	• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	2573.56
	• बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	3389.20
	• इतिशेष (31.03.2024)	1275.63

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विभाजन (वैश्विक)

(रूपये करोड़ में)

विवरण	**राशि**
दिन 1	23509.46
2 दिन – 7 दिन	16746.81

8 दिन – 14 दिन	7793.48
15 दिन – 30 दिन	7169.73
31 दिन – 2 माह	12995.71
2 माह – 3 माह	19137.66
3 माह – 6 माह	29694.90
>6 माह – 12 माह	46719.35
>1 वर्ष – 3 वर्ष	98464.84
>3 वर्ष – 5 वर्ष	22611.54
> 5 वर्ष	84595.45

उद्योगवार प्रकटीकरण

(रू. करोड़ों में)

उद्योग का नाम	**31.03.2024 को एक्सपोज़र**
खनन व क्वेरियिंग	3616.21
खाद्य प्रसंस्करण	4250.32
उनमें से चीनी	775.49
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	599.42
उनमें से चाय	134.86
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	1278.73
सूती वस्त्र	2874.53
जूट वस्त्र	85.46
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	546.33
अन्य वस्त्र उद्योग	3974.62
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	662.66
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	665.84
कागज व कागज उत्पाद	1493.40
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा), कोयलान उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	3059.30
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	4114.62
उनमें से उर्वरक	2195.76
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	573.85
उनमें से अन्य	1345.01
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1600.87
ग्लास एवं ग्लासवेयर	64.12
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1268.27
लौह एवं स्टील	5761.93
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2503.55

सभी इंजीनियरिंग	6696.17
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1136.59
वाहन , वाहन के भाग, परिवहन साधन	3946.78
रत्न व आभूषण	3282.44
निर्माण	1691.56
इंफरास्ट्रक्चर	30792.36
उनमें से रोडवेज़	7852.57
उनमें से ऊर्जा	16678.16
उनमें से दूरसंचार	3034.02
अन्य उद्योग	153.43
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	228784.80
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	170.97
कुल ऋण व अग्रिम – देशीय	**313168.29**

डीएफ - 4: उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

अ) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए

- **उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ ही किसी भी बदलाव की स्थिति का कारण**

  आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने केयर, क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च और इन्फोमेरिक्स (घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) और फिच मूडीज और एस व पी (अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) को अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में पहचाना है। क्रमश: घरेलू और विदेशी एक्सपोज़र की रेटिंग, जिनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और पूंजीगत शुल्क की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

- **एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है**

  (i) एक वर्ष से कम या उसके बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजर के लिए (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य रिवॉल्विंग क्रेडिट को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य रिवॉल्विंग क्रेडिट (अवधि की परवाह किए बिना) और 1 वर्ष से अधिक के टर्म लोन एक्सपोजर के लिए, दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

- **बैंकिंग बुक में तुलनीय संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक के बाहरी रेटिंग एप्लिकेशन ढांचे के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घकालिक और अल्पकालिक एक्सपोजर के लिए निर्दिष्ट सभी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
  - विदेशी संप्रभु और विदेशी बैंक एक्सपोज़र उन्हें जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
  - बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/उधारकर्ता की बाहरी रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान ईसीएआइ द्वारा कम से कम एक बार समीक्षा की गई है और यह इसके आवेदन की तिथि पर लागू है।
  - बैंक के नाम पर सीआरए द्वारा प्रकटीकरण के साथ बैंक सुविधा रेटिंग और उक्त सीआरए द्वारा रेटिंग कार्यों पर जारी प्रेस विज्ञप्ति (पीआर) में रेटेड संबंधित क्रेडिट सुविधाओं को केवल जोखिम भार उद्देश्य के लिए माना जाता है।
  - जहां विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एक इकाई को कई जारीकर्ता रेटिंग सौंपी जाती हैं, जोखिम भार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

- यदि किसी विशेष दावे के लिए चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा केवल एक ही रेटिंग है, तो उस रेटिंग का उपयोग दावे के जोखिम भार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दो रेटिंग दी गई हैं, जो अलग-अलग जोखिम भार में मैप की गई हैं, तो उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है।
- यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अलग-अलग जोखिम भार के साथ तीन या अधिक रेटिंग दी गई हैं, तो दो सबसे कम जोखिम भार के अनुरूप रेटिंग को संदर्भित किया जाता है और उन दो जोखिम भार में से जो अधिक है उसे लागू किया जाता है, यानी, दूसरा सबसे कम जोखिम भार।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रू. करोड़ों में)

वर्गीकरण	न्यूनीकरण के बाद एक्सपोजर (ईएएम)	ईएएम बाहरी रेटिंग के अंतर्गत आता है	अनरेटेड
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	166029.00	22758.38	143270.62
100% जोखिम भार पर	76462.04	7083.69	69378.35
100% से अधिक जोखिम भार	4252.87	3285.07	967.80
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**246743.91**	**33127.14**	**213616.77**
अन्य परिसंपत्तियां			
100% जोखिम भार से कम	22805.45	690.10	22115.36
100% जोखिम भार पर	7426.74	4.72	7422.03
100% से अधिक जोखिम भार	1.82	0.00	1.82
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**30234.01**	**694.82**	**29539.21**

डीएफ – 5: उधार जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(अ) नीतियां और प्रक्रियाएं, और इस बात का संकेत कि बैंक किस हद तक ऑन-ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग का उपयोग करता है

ऑन-बैलेंस शीट नेटिंग ऋण/अग्रिम और जमा तक ही सीमित है, जहां बैंक के पास कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग व्यवस्था है, जिसमें दस्तावेज़ीकरण के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं की गणना करता है:

जहां बैंक:

(क) के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी आधार है कि नेटिंग या ऑफसेटिंग समझौता प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य है, भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया या ऋणशोधनाक्षम हो।

(ख) के पास किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के साथ ऋण/अग्रिम और जमा का निर्धारण करने में सक्षम है जो नेटिंग समझौते के अधीन हैं; और

(ग) के पास निवल आधार पर प्रासंगिक एक्सपोजर की निगरानी और नियंत्रण करता है, यह अपनी पूंजी पर्याप्तता गणना के आधार के रूप में ऋण/अग्रिम और जमा के निवल एक्सपोजर का उपयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को एक्सपोज़र और जमा को संपार्श्विक माना जाता है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

  विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और क्रेडिट जोखिम शमन तकनीकों पर एक सुस्पष्ट नीति बनाई है। नीति दस्तावेज़ समय-समय पर जारी किए गए संपार्श्विक प्रबंधन दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। यह मोटे तौर पर बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और प्रकार को सूचीबद्ध करता है। यह मोटे तौर पर बैंक द्वारा उधार देने और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/निगरानी के लिए बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और प्रकार को सूचीबद्ध करता है ताकि बैंक के हितों की सुरक्षा/रक्षा की जा सके ताकि इससे जुड़े जोखिम को कम किया जा सके।

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण**

  निम्नलिखित संपार्श्विक को आमतौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम शमनकर्ता के रूप में मान्यता दी जाती है:

  - नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमा/एनएससी/केवीपी/एलआइसी पॉलिसी, आदि)
  - स्वर्ण
  - केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां

- **गारंटर प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार और उनकी साख योग्यता**

  आरबीआइ दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

  - संप्रभु, संप्रभु संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआइएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम (ईसीजीसी) और माइक्रो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सहित और छोटे उद्यम (**सीजीटीएमएसई**)], सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक और प्राथमिक डीलर, प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार वाले।

  - अन्य गारंटर जिनकी बाहरी रेटिंग एए या इससे बेहतर है। यदि गारंटर एक मूल कंपनी, सहयोगी या सहायक कंपनी है, तो उन्हें बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त गारंटी के लिए दायित्वधारी से कम जोखिम भार का आनंद लेना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई रेटिंग होनी चाहिए जिसमें इकाई की सभी देनदारियों और प्रतिबद्धताओं (गारंटी सहित) को शामिल किया गया हो।

- **शमन के अंतर्गत (बाज़ार या क्रेडिट) जोखिम सांद्रता के बारे में जानकारी:**

  बैंक के पास परिसंपत्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है जो विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित है, जैसे:-

  - ऊपर सूचीबद्ध योग्य वित्तीय संपार्श्विक
  - संप्रभु और अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स द्वारा गारंटी,
  - प्रतिपक्ष की अचल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति।

(रू. करोड़ में)

डीएफ़ - 5 ऋण जोखिम शमन	31.03.2024
(आ)प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है।	**55833.08**
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	302.30
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर (पीडी)	0.00
कॉर्पोरेट	2203.18
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो	44941.52
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत	1.02
वाणिज्यिक संपत्ति द्वारा प्रतिभूत	3.37
उपभोक्ता ऋण	8189.44
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.00
एनबी एफ सी एन डी	157.47
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – आवासीय ऋण	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – अन्य	32.32
स्टाफ ऋण	1.95
अन्य आस्तियाँ	0.00
पुनर्संरचित /पुनर्गठित खाते	0.00
वाणिज्यिक संपत्ति- आरएच द्वारा प्रतिभूत दावे – आरएच	0.51
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
(इ) प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआइ द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त)	**17855.57**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां	13709.80
कॉर्पोरेट	2675.02
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो	1470.75
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

डीएफ - 6: प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया।

डीएफ – 7: ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बाज़ार जोखिम:

बाज़ार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाज़ार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाज़ार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाज़ार जोखिम को कम करना है।

बाज़ार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ:

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाज़ार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। अन्य नीतियां जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं, वे हैं कंट्री रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, काउंटरपार्टी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए अच्छी तरह से परिभाषित संगठन संरचना निर्धारित करती है, जिससे बैंक द्वारा किए गए बाजार जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण एएलएम ढांचे के भीतर किया जाता है, जो बैंक की जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं निर्धारित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बैंक की बाजार जोखिम में वापसी की अपेक्षा के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए रिपोर्टिंग ढांचे से भी निपटती हैं।

एएलएम नीति विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित है। जैसा कि नीति में परिकल्पना की गई है, आरबीआइ द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना डेटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर अवशिष्ट परिपक्वता/परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यवहार पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट के माध्यम से चलनिधि जोखिम अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को घरेलू संचालन के लिए रिपोर्ट किया गया था, जबकि इसे प्रत्येक विदेशी केंद्र में अलग से प्रबंधित किया गया था और पूर्व में नियंत्रण उद्देश्य के लिए एएलसीओ को रखा गया था। हालांकि मार्च 2013 से आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, तरलता जोखिम की गणना की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये और विदेशी मुद्रा में घरेलू संचालन, विदेशी केंद्रों और विभिन्न आवृत्तियों पर बैंक संचालन के लिए समेकित किया जाता है।

आरबीआइ ने तरलता के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानकों जोकि चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अल्पावधि लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए और नेट स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) लंबी अवधि के दौरान बैंक की लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए हैं, पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, एएलसीओ को रखा जाता है, और मासिक आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट किया जाता है। निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, मासिक आधार पर एएलसीओ को रखा जाता है और तिमाही आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट किया जाता है।

बैंक ने आकस्मिक निधियन योजना की व्यवस्था की है। कुशल परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाएं पहले चार कोष्ठक के लिए आरबीआइ द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय कोष्ठक के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से बैंक की तरलता प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन किया जाता है। तरलता की स्थिति पर किसी भी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपाय भी किए हैं। बैंक व्यवस्थित और स्थिर निधि योजना के माध्यम से घरेलू ट्रेजरी द्वारा पर्याप्त तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करती है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाज़ार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 2 करोड़ व इससे अधिक पर, इसलिए अलको द्वारा अनुमोदित थोक जमा के लिए ब्याज दरें कैप के रूप में कार्य करेंगी और मप्र (ट्रेजरी) को जमा पर ब्याज दरों को उद्धृत करने के लिए नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बेहतर ब्याज दरों को उद्धृत करने और वर्तमान और अनुमानित तरलता के आधार पर कैप के भीतर संचालित करने का अधिकार होगा। रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बैंक की स्थिति, धन के तत्काल भुगतान की आवश्यकता, उपलब्ध तैनाती के अवसरों के संबंध में बाजार का रुझान, अन-हेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर पर प्रभाव आदि। अलको पिछले महीने के दौरान उद्धृत थोक घरेलू जमा (2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा) पर ब्याज दर की समीक्षा करेगा।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाज़ार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2024 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

बाज़ार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5412.11	432.97
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3355.86	268.47
विदेशी विनिमय जोखिम	123.75	9.90
कुल	**8891.72**	**711.34**

डीएफ – 8: परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

परिचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि संबंधी जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

31.03.2024 को

रु. करोड़ में

मानदंड	पूँजी राशि	कल्पित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1336.39	16704.88

डीएफ - 9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनाऐएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और जोखिम स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किया जाता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा ओपन स्थिति सीमा (दिन के समय/रात), स्टॉप लॉस सीमा, समग्र अंतर सीमा की निगरानी की जाती है और अपवाद, यदि कोई हो, तो बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और बैंक के शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है।

जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। बाजार जोखिम तनाव परीक्षण जोखिम मूल्य के पूरक के रूप में पाक्षिक अंतराल पर किया जाता है। परिणाम बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और बैंक के शीर्ष प्रबंधन को सूचित किए जाते हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषन को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है । इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आर्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एनआइआइ) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2024 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है:

(रू. करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2024	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	247.65 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	15.31	47.61
0.50% परिवर्तन	495.30 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	30.63	95.22
0.75% परिवर्तन	742.95 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	45.94	142.84

1.00% परिवर्तन	990.60 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	61.25	190.45
2.00% परिवर्तन	1981.20 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	122.50	380.90
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			**31.03.2024**
आशोधित अवधि अंतराल (पीएजीडी)% में			-0.23
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी की बाज़ार मूल्य (इवीमए)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव मात्रा % में			9.06%

डीएफ – 10: प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने और अपने ग्राहकों के अंतर्निहित जोखिम के जोखिम से बचाव के लिए एक उपयोगकर्ता के रूप में डेरिवेटिव बाजार में भाग ले रहा है। बैंक की व्यावसायिक संरचना, ग्राहकों की प्रकृति और मिश्रण, पूंजी की आवश्यकता और जोखिम की भूख को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति द्वारा शासित होती हैं। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न उत्पाद में काम कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर काउंटर पार्टी सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, डे लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, स्टॉप लॉस सीमा और एक्सपोज़र सीमा आदि जैसी विभिन्न सीमाएँ स्थापित करके विभिन्न जोखिमों का मापन और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी सीमाओं का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति और आरबीआइ/सेबी/एक्सचेंजों के दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार / स्वैप एस	0.00	0.00	0.00
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	165666.20	570.12	570.12
4	ऋण डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफ़ोल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00
	कुल	**165666.20**	**570.12**	**570.12**

डीएफ - 11: पूँजी की संघटना

	डीएफ -11: पूँजी की संघटना	(रु. करोड में)	
बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			बेसल III योजना के पूर्व की राशि
सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	27460.31	27460.31
2	प्रतिधारित आय	10756.78	10756.78

3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1963.11	1963.11
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी**	**40180.21**	**40180.21**
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	1967.86	1967.86
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	14469.29	14469.29
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	3.80	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	2729.20	2729.20
22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	170.34	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों 8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	170.34	0.00
	बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन		
27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 तथा टीयर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00

28	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर कुल विनियामक समायोजन**	**19340.50**	**19166.36**
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी 1)**	**20839.72**	**21013.85**
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: लिखत			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टीयर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	0.00
33	अतिरिक्त टीयर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर** 1 **पूँजी**	**0.00**	**0.00**
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: नियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर कीराशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41a	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर I पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41b	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टीयर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टीयर II की वजह से कटौतियों को कवर करने केलिए अतिरिक्त टीयर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टीयर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	0.00
44	अतिरिक्त टीयर I पूँजी (एटी1)	**0.00**	**0.00**
45	टीयर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)	**20839.72**	**21013.85**
टीयर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टीयर **2** लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	2165.00	2165.00
47	टीयर **2** से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टीयर 2 में स्वीकृत राशि) टीयर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से: बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	1869.78	1869.78
51	**विनियामक समायोजन से पहले टीयर 2 पूँजी**	**4034.78**	**4034.78**

	टीयर 2 पूंजी: नियामक समायोजन		
52	निजी टीयर 2 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
53	टीयर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूंजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक कीराशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56a	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	0	
56b	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टीयर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0	
57	**टीयर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	0.00
58	**टीयर 2 पूँजी (टी2)**	**4034.78**	**4034.78**
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**24874.50**	**25048.63**
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**143979.05**	
60a	जिनमें से : कुल उधार जोखिम भारित आस्तियां	118382.45	
60b	जिनमें से : कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियां	8891.72	
60c	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	16704.88	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारांकवाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.47%	
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.47%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारितआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	17.28%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	2.50%	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआइबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.97%	
	राष्ट्रीय मिनीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसलIII न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
	कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		

74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉं (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टीयर 2 में लागू प्रावधानों को शामिल करने पर कैप		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1869.78	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	1869.78	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	NA	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टीयर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	NA	
	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)		
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सीइटी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	0	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	

टेम्पलेट को नोट्स

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	5299.92
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी में बढ़ोतरी	0
	इसमें से : टीयर 2 पूँजी में बढ़ोतरी	0
26b	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी	0
50	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1869.78
	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1869.78

डीएफ़ - 12: पूँजी की संरचना – समाधान आवश्यकता

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र 31.03.2024 को	नियामक विचार के समेकन के अंतर्गत तुलनपत्र 31.03.2024 को
क	**पूंजी और देयताएँ**		
I	प्रदत्त पूँजी	**18902.41**	**18902.41**
	आरक्षिति तथा अधिशेष	9039.89	8659.04
	अल्पमत ब्याज	0.00	0.00
	कुल पूँजी	**27942.30**	**27561.45**
II	**जमाएं**	**285905.38**	**286121.48**
	जिसमें से : बैंकों से जमा	577.59	577.59
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	285327.79	285543.89
	जिसमें से : अन्य	0.00	0.00
III	**उधार**	**30387.16**	**30387.16**
	जिसमें से : आरबीआइ से	7000.00	7000.00
	जिसमें से : बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	14240.64	14240.64
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	6981.52	6981.52
	जिसमें से : पूँजी लिखत	2165.00	2165.00
IV	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**7798.77**	**7799.23**
	कुल	**352033.61**	**351869.32**
ख			
I	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष**	**16904.56**	**16905.54**
	बैंक में शेष तथा अल्प सूचना पर मांग मुद्रा	**1649.85**	**1909.36**
II	**निवेश**	**99632.08**	**99193.91**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	95486.63	95518.85
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	1.00	1.00
	जिसमें से : शेयर	730.17	453.21
	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	2542.94	2542.94
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	800.34	606.90
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्यूअल निधि आदि)	71.01	71.01
III	**ऋण तथा अग्रिम**	**213318.81**	**213330.13**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	213318.81	213330.13
IV	**अचल आस्तियाँ**	**3739.76**	**3740.19**
V	**अन्य आस्तियाँ**	**16788.55**	**16790.19**
	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0.00	**0.00**
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	5300.10	5300.10
VI	समेकन पर साख	0.00	0.00

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के समेकन के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2024 को	31.03.2024 को
VII	लाभ व हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल	**352033.61**	**351869.32**

डीएफ – 13: विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	विवरण	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
		बेसल III टीयर II	बेसल III टीयर II	बेसल III टियर II
		शृंखला III	शृंखला IV	शृंखला V
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आइएनई565ए08035	आइएनई565ए08043	आइएनई565ए08050
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	नियामक समाधान			
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर II	टीयर II	टीयर II
5	परिवर्तन के बाद बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर II ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	500.00	665.00	1000.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 लाख	रू.1.00 करोड़	रू.01.00 करोड़
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गम की मूल तिथि	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	नहीं	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक पूर्व माँग तिथि, आकस्मिक माँग तिथियां और मोचन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
16	आगामी माँग तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	मोचन के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	स्थिर	स्थिर	स्थिर
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उस लिखत प्रकार को निर्दिष्ट करें जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी/ दिनांकित**	**बेमियादी/ दिनांकित**	**बेमियादी/ दिनांकित**
		बेसल III अनुपालन टीयर II	**बेसल III अनुपालन टीयर II**	**बेसल III अनुपालन टीयर II**
		शृंखला III	**शृंखला IV**	**शृंखला V**
1	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आइएनई565ए08035	आइएनई565ए08043	आइएनई565ए08050
2	लिखत का प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 करोड़	रु. 01.00 करोड़
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर -संचयी या संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
14	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

डीएफ-15: पारितोषिक के लिये प्रकटीकरण आवश्यकता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर प्रकटीकरण लागू नहीं है।

डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण:	
1	विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्य इस प्रकार है: बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग श्रेणी के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए ➢ सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम बाजार दरों पर किया जाता है, अर्थात बाजार के हिसाब से। ➢ गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र से निर्धारित बही मूल्य पर किया जाता है। यदि तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसका मूल्यांकन प्रति कंपनी 1/- रुपये के हिसाब से किया जाता है। परिपक्वता श्रेणी तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

क्रम	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन-पत्र में प्रकट मूल्य, साथ ही साथ उन निवेशों का उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत वास्तविक मूल्य से भौतिक रूप से भिन्न होती है	629.98
2	निवेश के प्रकार और प्रकृति, उस राशि सहित जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: • सार्वजनिक रूप से कारोबार; और • निजी रूप से रखा गया	1090.64 1194.27
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न होने वाले संचयी लाभ/ (हानि)। (01.04.2023 से 31.03.2024) वित्तीय वर्ष 2023-24	15.57
4	कुल गैर-तरलीकृत प्राप्तियाँ (हानियाँ)[13]	(669.77)
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)[14]	(330.83)
6	टीयर 1 और/या टीयर 2 पूंजी ** में शामिल उपरोक्त में से कोई भी राशि	606.90
7	बैंक की कार्यप्रणाली के साथ-साथ कुल राशि और किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के अधीन इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी ग्रुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताएं	शून्य

** प्रायोजक के रूप में ओडिशा ग्राम्य बैंक की शेयर पूंजी में इंडियाट्स बैंक का निवेश।

[13] ऊपर बताए गए आंकड़े शेयरों के कोष्ठक (बकेट) में एमटीएम मूल्यह्रास है।

[14] कुल अप्राप्त लाभ (हानि) घटाए गए मूल्यवृद्धि को अनदेखा कर दिया गया है, जो प्रदर्शन करने वाले शेयरों/गैर सीडीआर शेयरों से संबन्धित है।

डीएफ - 17: लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

क्र. सं.	मद	राशि (रु. करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	398891
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	207
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	4454
5	लेनदेनों को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (यानि रेपो एवं समान प्रतिभूत उधार)	0
6	तुलनपत्र से इतर की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से इतर समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	13556
7	अन्य समायोजन	47459
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोजर**	369235

डीएफ तालिका 18 : लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	मदें	रु. करोड़ में
1	तुलन पत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	398891
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी को निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	48851
3	**तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र** (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	**350040**
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	570
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	3884
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	**कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)**	**4454**
	लेनदेन एक्सपोज़र को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूति	
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---

14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	**लेनदेन एक्सपोज़र्स को वित्तपोषित करने वाली कुल प्रतिभूतियाँ (12 से 15 पंक्तियों का योग)**	**0**
	तुलन पत्र से इतर अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र	33395
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	19839
19	**तुलनपत्र से इतर मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)**	13556
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	**टीयर 1 पूंजी**	20840
21	**कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)**	368050
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	5.66%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट

यथा तिथि तक संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) (एफ) के अनुसार सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-एसईसी2-/ पी/ सीआइआर/ 122 /2023 दिनांक 12 जुलाई 2023, एनएसई परिपत्र संदर्भ संख्या: एनएसई/सीएमएल/ 11 /2024 दिनांकित 10.05.2024 और बीएसई नोटिस संख्या 20240510-48 दिनांकित 10.05.2024 के आधार पर वर्ष 2023-24 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्नलिखित है:

https://www.iob.in/UPLOAD/CEDocuments/iobBRSR_24-2023.pdf

लाभांश वितरण नीति

यथा तिथि तक संशोधित सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने एक लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf

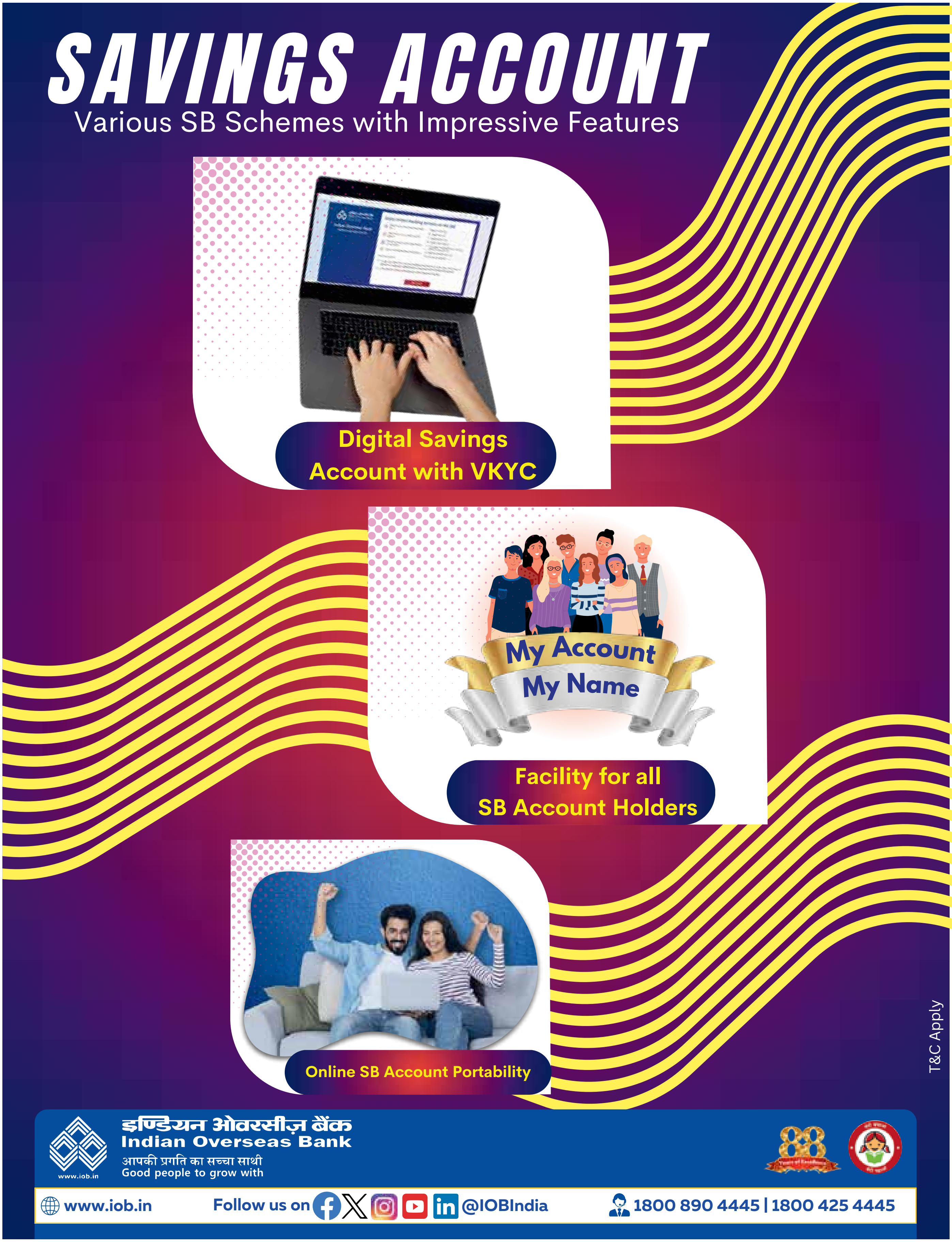
SAVINGS ACCOUNT
Various SB Schemes with Impressive Features
Digital Savings Account with VKYC
My Account My Name
Facility for all SB Account Holders
Online SB Account Portability
T&C Apply
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

NEW PRODUCT
JEWEL LOAN
SUVIDHA
A Special Jewel Loan Product exclusively for
Housing loan borrowers of IOB & also other banks
LOAN
UPTO
₹50
LAKHS
LOAN
Margin Money
Registration
charges
Project Price
Escalation
COST
T&C Apply
SCHEME FEATURES
• Income Tax Benefits
• Attractive Rate of Interest
• Offered as Bullet Payment & EMI option
APPLY NOW
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
Follow us on
@IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

"Securing Your Loved Ones' Future, One Policy at a Time"
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
₹ 2 Lakh Life Cover at ₹ 436
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
₹ 2 Lakh Accidental Insurance at ₹ 20
No need to visit Branch
Paperless
Contactless
T&C Apply
APPLY NOW
SCAN HERE
https://digital.iob.in/insure
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Notice to the Shareholders

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)
Tuesday, the July 02, 2024, at 11.00 a.m. (IST)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended as on 2008) that the **Twenty Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Tuesday, July 02, 2024,** at **11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2024, the Profit and Loss account, Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank under Clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Govt. of India, vide Notification F. no.6/26(ii)/2023- BO. I dated 21.02.2024 for a term of three years, from the date of notification, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 3:

Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India Gazette Notification eF.No.4/1(ii)/2024-BO.I dated 30.01.2024, with effect from his taking over charge for the remainder of his term, i.e. upto 20.10.2024, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 4:

Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification No. eF.No.4/1(xi)/2023-BO.I dated 09.10.2023, for a period of three years with the date of assumption of office on or after 10.03.2024, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 5:

Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank under clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification eF.No.6/2/2022-BO.I dated October 25, 2023 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 6:

Appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, for the appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification eF.No.6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023 with immediate effect and until further orders of the Govt. of India, be and is hereby approved."

AGENDA ITEM NO 7:

To raise paid-up equity capital upto Rs.5000 crores, in one or more tranches, either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any

other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding paid up capital of Rs.5000 crores as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("LODR")** the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the

provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:"

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up, and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute

discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker(s), Legal Advisor(s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Bankers, Legal Advisors, Book Runners, Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of securities/exercise of warrants/ redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities that are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted or such other officer of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution(s)."

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024

NOTES

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement(s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form the part of the Notice.

b) In view of the situations arising due to Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, **Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023** and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022,SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and **SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023** has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to **September 30, 2024** without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with **Annual Report 2023-24** is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders of the Bank may please note that the Notice and Annual Report 2023-24 will be made available on the website of the Bank at **www.iob.in** The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evotingindia.com**

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link **https://wisdom.cameoindia.com** to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, **No shareholder** of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Tuesday, June 25, 2024, being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December28, 2022, **Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023** and SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 & circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CMD21/ CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/2022/47 dated April 28, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and **SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023** and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. **Remote E-voting is optional.** The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, June 25, 2024, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. THE INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The remote e-voting period begins on Saturday, June 29, 2024, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 01, 2024, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on June 25, 2024, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(iv) In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020,** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	**Login Method**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website **www.cdslindia.com** and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website **www.cdslindia.com** and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on **www.cdslindia.com** home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://eservices.nsdl.com** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting

Type of shareholders	Login Method
	services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at **https://eservices.nsdl.com** Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: **https://www.evoting.nsdl.com/** either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at Toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

(1) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**

(2) Click on "Shareholders" module.

(3) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(5) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on **EVSN: 240603001** for exercising e-voting of agenda of AGM 2024.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

1. PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1) **For Physical shareholders** - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal **https://wisdom.cameoindia.com/**

2) **For Demat shareholders** - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3) **For Individual Demat shareholders –** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

2. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before Friday, **June 28, 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in **advance by Friday, June 28, 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 and also as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to **www.evotingindia.com** and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to **and rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at toll free no 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 1800 22 55 33.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to **rsaevoting@gmail.com** with copy to **investor@iobnet.co.in** not less than **FOUR DAYS** before the date of Annual General Meeting i.e., on or before 4.00 p.m. (IST) on Friday, June 28, 2024.

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request, if any, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, only to their respective Depository Participant(s).

i) NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities and provides that any dividend/interest to the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment of dividend/interest, through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

It shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish all the above mentioned details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA below mentioned address:

Sr. No.	Form	Purpose
1	Form ISR - 1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR - 2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR - 3	Declaration Form for opting out of Nomination Form
4	Form ISR - 13	Nomination Form
5	Form ISR - 14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

j) DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 1st April 2019. Further, it has been mandated vide amendment of 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They are required to convert physical shares to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

k) BENEFITS OF DEMATERIALIZATION OF SHARES:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

l) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer’s Report of the total votes cast in

favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024

Explanatory Statement

Agenda Item No. 2

Appointment of Shri Srinivasan Sridhar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

In exercise of the powers conferred under Clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, vide Notification F. no.6/26(ii)/2023-BO. I dated 21.02.2024 has appointed Shri Srinivasan Sridhar (DOB: 03.05.1960) as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, on the Board of Indian Overseas Bank, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Srinivasan Sridhar joined Indian Overseas Bank as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman w.e.f 21.02.2024. Shri Srinivasan Sridhar was on the board of Bank of Baroda as Shareholder director from 2018 till his time of assumption of his current role. Shri Srinivasan Sridhar is a B. Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Qualified Chartered Accountant.

Shri Srinivasan Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained Internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa, and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East, and Africa. He also brings deep Banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter- se Directorship: Nil

Other Directorships: Oracle Financial Services Software Ltd, Nirlon Ltd, Graphite India Ltd., Finca-Azerbaijan.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Srinivasan Sridhar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 3

Appointment of Shri Joydeep Dutta Roy as Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF. No.4/1(ii)/2024-BO.I dated 30.01.2024 has appointed Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director, Bank of Baroda as Executive Director in Indian Overseas Bank with effect from his taking over charge for the remainder of his term, i.e., upto 20.10.2024, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Joydeep Dutta Roy assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f. 31.01.2024. A career Banker for around 28 years, he joined Bank of Baroda in the year 1996.

After completing very successful stints in Bank of Baroda as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank, post which, he was appointed as an Executive Director by the Government of India w.e.f. 21.10.2021.

As Executive Director in Bank of Baroda, he has held charge of various critical portfolios of the Bank viz. Retail Banking Business (Assets & Liabilities), Wealth Management and NRI Business, Risk, Finance and Planning functions, HRM, IT & Digital, Inspection & Audit, Compliance, Credit Monitoring, Collections, Subsidiaries & Joint Ventures, Operations & Services, Enterprise Data Management, among others in the Bank.

He has also served as a director on the board of National e Governance Services Ltd. (NeSL), PSB Alliance Ltd., India First Life Insurance Company Ltd., The Nainital Bank Ltd., Baroda Global Shared Services Ltd., BOB Cards Ltd., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. besides being a Non-Executive Chairman of the Boards of Baroda-BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. and Bank of Baroda (UK) Ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Joydeep Dutta Roy or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 4

Appointment of Shri Dhanaraj T as Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF.No.4/1(xi)/2023-BO.I dated 09.10.2023 has appointed Shri Dhanaraj T, Chief General Bank, Indian Bank as Executive Director in Indian Overseas Bank with effect from his taking over charge on 10.03.2024, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Dhanaraj T has assumed charge as Executive Director of the Bank on 10.03.2024. Prior to this, he was Chief General Manager (CDO/CLO) in Indian Bank. Shri Dhanaraj T joined Indian Bank as Rural Development Officer in 1994.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in important spheres of Banking viz., as a Branch Head of Rural & Corporate Branches, Agriculture Credit, MSME and Human Resources. He played a crucial role during the amalgamation of erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank in all HR related matters. As the Head of HR in the amalgamated entity, transformation of HR practices was carried out meticulously by implementing Performance Management System (PMS) to drive efficiency.

During his stint as Head of Rural Banking Department, he was instrumental in collaborating with IIT, Madras for Agri. Incubation for financing Agri. Start-ups and initiated Agri Co-lending models. As Chairman of RRB, he successfully completed amalgamation of Pallavan Grama Bank & Pandian Grama Bank which eventually came to be known as Tamil Nadu Grama Bank. He was also a Director on the Board of NABKISAN, a Subsidiary of NABARD and on the Board of Saptagiri Grameen Bank, an RRB sponsored by Indian Bank.

Shri Dhanaraj T holds an Agricultural Engineering Degree from Tamil Nadu Agricultural University besides holding other Professional qualifications viz., CAIIB, 'Leadership Development Program' management course for leaders of PSU Banks conducted by IIM Bangalore. He has also attended & completed 'Executive program in HR Analytics'(EPHRA) from IIM, Lucknow.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Dhanaraj T or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 5

Appointment of Shri Kartikeya Misra as Non-Executive Director (Government Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Government of India vide Notification eF.No.6/2/2022-BO.I dated October 25, 2023, has nominated Shri Kartikeya Misra (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Overseas Bank, in place of Ms. Annie George Mathew with immediate effect and until further orders.

Shri Kartikeya Misra, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, is an officer of Indian Administrative Services (IAS 2009 batch).

Shri Kartikeya Misra joined Indian Overseas Bank as Government Nominee Director w.e.f 25.10.2023.

Shri Kartikeya Misra is a graduate from BITS Pilani and a postgraduate from IIM-Ahmedabad. Prior to his current posting, he was posted in the Ministry of Labour and Employment, Andhra Pradesh as Commissioner and had also worked in various Ministries/ Departments of the Government of Andhra Pradesh.

He had also worked as District Collector of West Godavari and East Godavari districts. He also launched the Kaushal Godavari Project for 'Skill Development'. Under his leadership, 16,000 youths found jobs.

He had also worked as Officer on Special Duty, Telangana Bhawan, New Delhi.

Shri Kartikeya Misra had worked as Director of Health and Family Welfare, Andhra Pradesh, Vijayawada, where he was given full additional charge of Managing Director and CEO for Andhra Pradesh Med Tech Zone (AMTZ).

Besides Indian Overseas Bank, Shri Kartikeya Misra is also on the Board of Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) and India Infrastructure Finance Company (UK) Limited (IIFC (UK)).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Limited, India Infrastructure Finance Company (UK) Limited.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Kartikeya Misra or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 6

Appointment of Smt Sonali Sen Gupta as Non-Executive Director (RBI Nominee Director) of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Government of India vide Notification eF.No.6/3/2011-BO.I dated July 14, 2023, has nominated Smt Sonali Sen Gupta (DOB: 04.09.1968), as Director on the Board of Indian Overseas Bank, in place of Shri Vivek Agrawal with immediate effect and until further orders.

Smt Sonali Sen Gupta is currently Regional Director for Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Bengaluru. In her career of nearly three decades in RBI, she has worked as Chief General Manager-in-charge of Financial Inclusion and Development Department at Central Office, Mumbai and served as a Director on Board of National Centre for Financial Education (NCFE), Mumbai. Her area of expertise is Banking Regulation and Supervision and Human Resource Development at Central Office as well Regional Offices level. She has worked in the Central Office as well as Chandigarh, Kolkata, and New Delhi Regional Offices of the Reserve Bank.

She joined Indian Overseas Bank as RBI Nominee Director w.e.f 14.07.2023.

She served as a member secretary to 'Internal Working Group to Review Agricultural Credit' and led the team providing secretarial assistance to the 'Expert Committee on MSME', set up in 2019. She was also a part of specialized committee on Rationalization of Returns/Statements, set up under Regulation Review Authority 2.0.

During the Indian G20 Presidency, she has been RBI Lead for Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), a working group under the Finance Track of G20.

She holds a bachelor's degree in Commerce (Hons) and has a Master's Degree in Banking and Finance. She is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Inter-se Directorship: Nil

Other Directorships: Nil.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Smt Sonali Sen Gupta or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 7

To raise paid-up equity capital upto Rs.5000 crores, either in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof.

(a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

(b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

(c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM dated 06.07.2022 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five % and which could not increase its public shareholding to at least twenty five % within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2024 to increase its public shareholding to at least twenty five %.

(d) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 22nd April 2024 has approved for raising paid up equity capital of Rs.5000 crore through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

(e) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital in one or more tranches, either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placements / Issue of Shares to Employees under SEBI

(Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 / Issue of shares on preferential basis to LIC, other insurance companies, Mutual Funds and QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

(f) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

(g) The Bank in terms of Section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two % of the paid-up equity capital of the Bank.

(h) Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(i) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(j) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(k) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

(l) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(m) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

(n) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

(o) The equity shares allotted, shall rank *pari-passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

(p) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

(q) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

(r) None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 7 of the accompanying Notice.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

Sd/-
(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 06.06.2024

Directors' Report 2023-24

DIRECTOR'S REPORT 2023-24

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with the Audited Balance Sheet and Profit & Loss of the Bank for the year ended 31st March 2024.

Global and Domestic Economic Environment

The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high frequency indicators despite significant central Bank interest rate hikes to restore price stability and continuing geopolitical conflicts. With easing of inflationary pressures, economic activity grew steadily, defying warnings of stagflation and global recession, Risks to the global outlook are now broadly balanced compared with last year.

Taking into consideration these prevailing global economic conditions, the International Monetary Fund (IMF) predicts the global economy will grow at 3.2 percent during 2024 and 2025, at the same pace as in 2023. A slight acceleration for advanced economies, where growth is expected to rise from 1.6 percent in 2023 to 1.7 percent in 2024 and 1.8 percent in 2025, will be offset by a modest slowdown in emerging market and developing economies from 4.3 percent in 2023 to 4.2 percent in both 2024 and 2025.

The Indian economy remained resilient on account of strong economic fundamentals, buoyant domestic demand, robust balance sheets of the corporate sector and strong Bank credit demand which was also facilitated by a large increase in capex by the centre.

India's real gross domestic product (GDP) increased by 7.8% in the fourth quarter (Q4) of 2023-24. Manufacturing sector is the main driver behind this growth. The manufacturing sector grew by 8.9% during the quarter and witnessed a significant growth of 9.9 % in full financial year 2023-24. The real gross domestic product (GDP) expanded by 8.2 % for the full financial year ended 2023-24, the third successive year of 7 per cent or higher growth on the back of buoyant domestic demand. The real GDP expanded by 9.8 per cent and 7.0 per cent in 2021-22 and 2022-23, respectively.

The Reserve Bank of India has projected real GDP growth of India for 2024-25 at 7.0 per cent with Q1:2024-25 at 7.1 per cent; Q2 at 6.9 per cent; Q3 at 7.0 per cent; and Q4 at 7.0 per cent, with risks evenly balanced.

The International Monetary Fund (IMF) has revised its forecast for India's economy, by 30 basis points to 6.8% growth in FY25 citing buoyant domestic demand compared with 6.5% estimated in January 2024.

Financial Performance

The Bank has continued its remarkable performance in Business as well as from a profitability front during the financial year ended 2023-24. The Bank has crossed the Rs.5 lakh crore mark in total business for the first time in the year that ended on March 31, 2024. The Gross Advances increased by 15.9% (YoY) to Rs.2,19,018 crore and the total Deposits increased by 9.6% (YoY to Rs.2,85,905 crore as on 31.03.2024.

Despite various challenges in mobilisation of low-cost CASA deposit, the Bank was able to increase CASA Deposit by 10% to Rs.1,25,508 Crore as on 31.03.2024 as against Rs.1,14,113 Cr in the previous financial year ended 2022-23 by onboarding more than 24.5 lakh CASA customers. CASA Ratio of the Bank also improved by 16 bps to 43.90% as on 31.03.2024 from 43.74% as on 31.03.2023.

The Net Interest income of the Bank has increased by 19.07% to Rs.9,829 Crore as on 31.03.2024 on the back of strong credit growth from Rs.8,255 Crore reported in the previous financial year.

The Net profit of the Bank has increased by 26.54% to Rs.2,656 Crore in the financial year ended 2023-24 from Rs.2,099 Crore as on 31.03.2023 on the back of strong growth in Net Interest Income and Improvement in asset quality. The Net Interest Margin (NIM) of the Bank for the full financial year has been improved by 35 bps to 3.28% as of March 2024 as against 2.93% as of March 2023.

On the asset quality side, the Bank has seen decrease in both gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank decreased to Rs.6,794 Crore (3.10%) as on 31.03.2024 from Rs.14,072 Crore (7.44%) reported in the previous financial year ended 31.03.2023. Similarly, the Net NPA of the Bank has decreased to Rs.1,217 Crore (0.57%) from Rs.3,266 Crore (1.83%) for the above said period.

On a full year basis, the slippage decreased to Rs.1,516 Crore in the financial year 2023-24 from Rs.4,029 Crore in the previous financial year 2022-23. The slippage ratio of the Bank for the full financial year has been reduced by 200 bps to Rs.0.87% in March 2024 as against 2.87% as of March 2023. The Bank has reported a recovery of Rs.4,549 Crore in the financial year 2023-24 which is 6.2% growth against the recovery of Rs.4,285 Crore in the previous financial year 2022-23.

The provision requirement for NPA has decreased by 5.32% to Rs.2,706 Crore as on 31.03.2024 as against Rs.2,858 Crore reported in the previous year due to improvement in the asset quality. The credit cost of the bank for full year basis has reduced to 1.34 % as on 31.03.2024 as against 1.70 % reported in the last year. The Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank has improved by 422 bps to 96.85 % as on 31.3.2024 from 92.63% as on 31.03.2023. The Capital Adequacy ratio has improved to 17.28% as on 31.03.2024 as against 16.10% as on 31.03.2023 and is well above the regulatory requirement.

Income and Expenditure Analysis

The Interest received on advances has increased by 33.65% (YoY) to Rs.17,576 Crores as on 31st March 2024 in comparison to Rs.13,151 Crores received over previous year. Interest on investments has increased to Rs.5,946 Crores in FY 2023-24 as against Rs.5,849 Crores in FY 2022-23. Overall interest income has improved substantially by 23.96% to Rs.24,050 Crores in FY 2023-24 as against Rs.19,401 Crores in FY 2022-23.

The Interest on Deposits stood at Rs.12,609 Crores in FY 2023-24 as compared to Rs.10,536 Crores paid in previous year. Interest on Borrowings have increased to Rs.1,611 Crores in FY 2023-24 as against Rs.609 Crores in FY 2022-23. Overall Interest Expenses has increased to Rs.14,220 Crores in FY 2023-24 as against Rs.11,145 Crores in FY 2022-23.

Net interest income has improved by 19.05% from Rs.8,256 Crores in FY 2022-23 to Rs.9,829 Crores in FY 2023-24.

The operating income has increased by 25.24% to Rs.15,485 Crore as against Rs.12,364 Crore reported in the previous financial year ended 2022-23. The Operating expenses have increased to Rs.8,722 Crores in FY 2023-24 as against Rs.6,422 Crores in FY 2022-23. The employee wage revision payment due to 12th Bi-partite settlement/9th joint note was the major reason for increase in operating expenses in FY 2022-23.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built-in value system of the Bank in conducting its day-to-day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes, and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders which also facilitate effective monitoring.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing a remote e-voting facility to its shareholders, in Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).

- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

- As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank has transferred Unpaid Dividend amount up to the year 2013-14 to IEPF.
- Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio of the Bank improved further to 17.28 % as on 31.03.2024 as against 16.10 % as on 31.03.2023 which is well above the regulatory requirement.

Branch Network

The Bank has 3,236 Domestic Branches as on 31st March 2024 as against 3,220 Branches as on 31st March 2023, comprising of 910 Rural Branches (28.12%), 967 Semi Urban Branches (29.89%), 659 Urban Branches (20.36%) and 700 Metropolitan Branches (21.63%). The Bank also has 49 Regional Offices, 2 Extension Counters, 1 Satellite Office, 2 City Back Offices, 6 Nodal Audit Offices and 1 Retail Loan Processing Centre. During the year FY 2023-24, the Bank has opened 4 Rural Branches, 7 Semi-Urban Branches, 3 Urban Branches, 2 Metropolitan Branches and 1 Retail Loan Processing Centre.

BOARD OF DIRECTORS

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction, and control of the Board. The strength as on 31.03.2024 is ten directors comprising three whole time Directors, two non-executive Directors, four Part-time Non-Official Directors and one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

Position of the terms of the Directors during the Financial Year 2023-24:

Name	Date of Joining	Term to end on	Designation
Shri Srinivasan Sridhar	21.02.2024	20.02.2027	Non-Executive Chairman
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	31.12.2025	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	20.10.2024	Executive Director
Shri Dhanaraj T	10.03.2024	09.03.2027	Executive Director
Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	UFO*	Govt. Nominee Director
Smt Sonali Sen Gupta	14.07.2023	UFO*	RBI Nominee Director
Shri Suresh Kumar Rungta	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri B Chandra Reddy	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri Deepak Sharma	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri Sanjaya Rastogi	03.12.2022	02.12.2025	Shareholder Director

*Until Further Orders

During the FY 2023-24, the following Director's tenure ended as below:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	Executive Director
Smt. S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	Executive Director
Ms. Annie George Mathew	22.07.2016	24.10.2023	Govt. Nominee Director
Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022	13.07.2023	RBI Nominee Director

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions, and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international Banking group, the shareholders & other stakeholders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Chennai
Date : 01.06.2024

Unlocking Potential
with
IOB SME
EASY LOAN
Udyam is mandatory
Hassle Free Credit against property to MSME Unit
LOAN
Demand Loan for short Term needs
Waiver in various charges
APPLY NOW
T&C Apply
No Submission of Stock/Book Debts statements
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on
@IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Management Discussion and Analysis

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC AND BANKING ENVIRONMENT

The Indian economy remained resilient on account of strong economic fundamentals, buoyant domestic demand, robust balance sheets of the corporate sector and strong Bank credit demand which was also facilitated by a large increase in capex by the centre.

India's real Gross Domestic Product (GDP) increased by 8.4% in the third quarter (Q3) of 2023-24, with strong investment activity and a lower drag from net external demand. This is higher than the 8.2% and 8.1% growth in the first and second quarters of 2023-24 respectively.

On the supply side, gross value added recorded a growth of 6.9% in 2023-24, driven by manufacturing and construction activity.

As the domestic economy is experiencing a strong momentum, the second advance estimates (SAE) placed real GDP growth of India at 7.6% for 2023-24, the third successive year of 7% or higher growth on the back of buoyant domestic demand. The real GDP expanded by 9.7% and 7.0% in 2021-22 and 2022-23, respectively.

The Reserve Bank of India has projected real GDP growth of India for 2024-25 at 7.0% with Q1:2024-25 at 7.1%; Q2 at 6.9%; Q3 at 7.0%; and Q4 at 7.0%, with Risks evenly balanced.

The International Monetary Fund (IMF) has revised its forecast for India's economy, by 30 basis points to 6.8% growth in FY25 citing buoyant domestic demand compared with 6.5% estimated in January 2024.

CPI Inflation of India for 2024-25 is projected at 4.5%. The food price uncertainties continue to weigh on the inflation trajectory going forward. Food inflation after moderating to 7.6% in January 2024 from 8.7% in December 2023, edged up to 7.8% in February 2024.

The Banking sector in India remained resilient and stable and various key financial parameters relating to capital adequacy, asset quality, provision coverage and profitability have seen improvement. The demand for credit is seen from almost all the major sectors of the economy. The Credit offtake of the Banking industry (Scheduled Commercial Banks) rose by 16.3% year on year (excluding HDFC merger) for the fortnight ended March 22, 2024. The Deposit too grew by 12.87% (excluding HDFC merger) for the same period.

The Public sector Banks have registered credit and deposit growth of 13.5% and 10.1% respectively during financial year 2023-24 over financial year 2022-23. CD ratio also improved from 73.53% to 75.78% for the same period.

Public Sector Banks' cumulative profit has crossed 2nd time the Rs.1 lakh crore-mark in the financial year ended March 2024. All the 12 Public Sector Banks have crossed the first time cumulative profit of Rs.1 lakh crore in the previous financial year ended March 2023. The 12 PSBs witnessed 34.93% increase in net profit to Rs.1,41,203 Crore compared to Rs.1,04,649 Crore earned in 2022-23 due to higher interest income and improvement in management of non-performing assets.

Going forward, the Banking sector may continue to see double digit credit growth facilitated by a large increase in capex by the centre, increase in MSME loan supported by PLI scheme and increase in retail credit demand due to partnership with fintech for quick loan sanction and disbursement. However, Banks may face pressure on Net Interest Margin (NIM) because of rise in funding cost faster than lending cost and it is expected that the repo rate cut cycle may start from the 2nd half year of the financial year 2024-25. Banks also see challenges from the deposit mobilisation front especially from low-cost CASA deposits. The strong competition among Banks for deposit mobilisation will keep the interest expenses for the Bank at higher side.

BACKGROUND AND DOMESTIC OPERATIONS

BACKGROUND OF THE BANK

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major Banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 Branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 Crore and advances of Rs.44.90 Crore. Presently, the Bank has its overseas presence in 4 countries: Singapore, Hongkong, Thailand and Sri Lanka.

The Bank has also sponsored Odisha Gramya Bank in Odisha.

Key Highlights

- The Bank has 87 years of service excellence in Banking.
- Strong Domestic presence of 3236 Branches & 3506 ATMs and 6379 Business Correspondents provides extended reach to customers.
- 58% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centers enhancing deeper Financial Inclusion.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 41 million active customers.
- Overseas Presence with 4 Branches.
- Sustained Growth in Low-cost CASA deposits, performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 72.59% of Domestic Advances.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.278968 Crores as on 31st March 2024 as against Rs.254324 Crores as on 31st March 2023. The domestic CASA has increased from Rs.112093 Crores as on 31st March 2023 to Rs.123435 Crores as on 31st March 2024. It is also to mention that the domestic savings Bank deposits have grown from Rs.97211 Crores as on 31st March 2023 to Rs.102328 Crores as on 31st March 2024. The domestic CASA% stands at 44.25% as of March 2024.

Domestic Advances

With a view to diversify the Risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail, Agri and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.200697 Crores as on 31st March 2024 as against Rs.173668 Crores as on 31st March 2023. It is noteworthy to mention that the Domestic Gross Advances have grown by 15.56%.

Treasury Operations

The profit on sale of investments was at Rs.272.44 crores during 2023-24 (Rs.249.86 Crores during 2022-23) before accounting category transfer loss at Rs.256.38 crores as against Rs.137.57 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs. 161.57 crores as against Rs.536.65 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank were at Rs.95,476.65* crores as of 31st March 2024 as against Rs.94,170.41 crores as on 31st March 2023. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.434.01 crores during the year 2023-24 as against Rs.786.51 crores during the year 2022-23. 10-year Benchmark yield has moved down from 7.31% to 7.05% during the year.

* Investments relate only to Treasury (Domestic) as per Schedule 8 certified by the Statutory Auditors.

OVERSEAS OPERATIONS

The Bank has 5 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2024. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo. India International Bank (Malaysia) Berhad - a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India, is functioning in Malaysia.

The Overseas Business (except JV-IIBMB) stood at Rs.25,259 Crore as of 31st March 2024 as compared to Rs.21,899 Crore as of 31st March 2023. Business of JV-IIBMB stood at Rs.414.65 crores as of 31st March 2024.

Treasury Operations

The profit on sale of investments (Overseas Centres) was at Rs.0.80 crores during 2023-24. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.27.64 crores as on 31.03.2024 as against Rs.27.20 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank (Overseas Centres) were at Rs.4155.42 crores as of 31st March 2024. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.29.51 crores during the year 2023-24.

MSME PERFORMANCE

In order to facilitate the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, the Government of India enacted THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT 2006 (MSMED ACT 2006). The Act became operational from 02.10.2006 and further notified the new criteria vide Gazette Notification No CG-DL-E-26062020-220191 dated June 26, 2020.

RBI vide their communication letter no RBI/2020-21/10 FIDD. MSME&NFS.BC.No 3/06.02.31/2020-21, dated 02.07.2020 advised the revised guidelines for classification of an Enterprises as MSME which have come into force w.e.f. July 01, 2020.

RBI vide Circular No. RBI/2021-2022/67FIDD.MSME&NFS.BC.No.13/06.02.31 /2021-22 dated 07.07.2021, with respect to Definition of Micro, Small and Medium Enterprises – Addition of Retail and Wholesale Trade.

Various categories of Micro, Small and Medium Enterprises are defined as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost (WDV)	Turn Over
Micro	Up to Rs.1.00 Crore	Up to Rs.5.00 Crore
Small	Above Rs.1.00 Crore & Up to Rs.10.00 Crore	Above Rs.5.00 Crore & Up to Rs.50.00 Crore
Medium	Above Rs.10.00 Crore & Up to Rs.50.00 Crore	Above Rs.50.00 Crore & Up to Rs.250.00 Crore
The Investment & Turnover criteria made uniform for both Manufacturing and Service Enterprises		

RBI vide Circular No. RBI/2021-2022/100 FIDD.MSME&NFS.BC.No.13 /06.02.31 /2023-24 dated 28.12.2023, has clarified that Udyam Registration Certificate is mandatory for Priority Sector Lending classification. More than 75% of MSME portfolio qualified for classification under PSL category and we are in the process of obtaining Udyam Assist Number (UAN) for all the informal micro enterprises.

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.41552 Crores as on 31st March 2024 registering y-o-y growth of 19%.

Bank has sanctioned 508883 number of fresh Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) loans amounting to Rs.5079.45 crores and disbursed Rs.5041.26 crores as on 31st March 2024 vis-à-vis target of Rs.4500 crores. MUDRA facilitation desk is created, and Mudra Nodal Officer is designated at all Branches.

Bank has sanctioned 240 loans amounting to Rs.31.86 crore under Stand-Up India Scheme during the FY 2023-24.

Bank has sanctioned 182031 PM SVANidhi applications amounting to Rs.243.06 crores and disbursed Rs.194.40 crores from the scheme launched date i.e. 02.07.2020 till 31.03.2024.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakh) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2024, we have covered 71108 accounts with an exposure of Rs.1707.76 crore under CGFMU Scheme.

The Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Framework of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under Stress.

Specialized MSME and Focused Branches

As per the Regulatory guidelines, the Bank has opened 22 Specialized SME branches across PAN India. In addition to that, we have identified 144 MSME Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

1) These branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
2) We have imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
3) We have designated one MSME Relationship Officer in all the Branches.
4) Assigned special targets and monitoring the progress regularly.

Lead Generation

Branches have been provided with login access to view and capture the leads i.e., applications marked to the Bank in Standupmitra / Udyamimitra portal. Processing and marking of GST leads has been provided to branches in IOB online and thereby ensuring quick processing and disposal of the applications. We are soliciting business through the existing client base by approaching their suppliers/relatives/friends etc. and offering our services.

Designated MSME Officers at Field Level

Bank has taken various steps and reduced the turnaround time (TAT) for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

MSME Marketing Officers have been identified / designated in all the branches (excluding single man branches). Marketing Officers / MSME Nodal Officers at Regional Offices have been coordinating with all the branches / customers.

Training and Development

Bank has been organizing Special Training Camps at 12 RSETIs spread across Tamil Nadu and Kerala states, provides necessary training / hand holding support to SC, ST, Women beneficiaries and supporting them for their financial needs through credit linkage under Mudra / Stand-up India Schemes and facilitating them to take up gainful employment.

Bank has entered Tie-Up arrangement with reputed organizations viz., NIBM / B Q Global and providing training to the staff members regularly. Bank is also conducting workshops in Staff Training Centres across PAN India

and creating awareness among the staff on MSME regulatory guidelines, schemes and Govt. sponsored schemes viz., Mudra, Stand-up India, PMEGP etc., and nominating staff to the NAMCABS workshops organized by RBI on a regular basis.

Psbloansin59minutes.com

Bank has boarded in the **www.psbloansin59minutes .com** portal as financier. The platform handles MSME loan proposals up to Rs.500.00 lakh. Further the platform handles Mudra Loan up to Rs.10 lakhs. We are encouraging all our existing as well as new customers for registration under GST and for on boarding the platform to support their credit needs.

Jan Samarth Portal

Bank has on-boarded Jan Samarth Portal - National Portal for all Credit Linked Government Schemes (AatmaNirbhar Project). The platform facilitates 13 Central Government Schemes.

Bill Discounting through TReDS Platform

Bank has entered a Tie up arrangement with RXIL, A Trade and M1Xchange and also enrolled as a member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform.

In the FY 2023-24, the number of designated branches for dealing the TReDS transactions also increased from five to nine branches. The outstanding under all the TReDS platform stood at Rs.6377.00 crores as on 31.03.2024.

Co-Lending

➢ Bank has formulated the policy on Co-lending and on boarded Knight Fintech as digital partner for extending technical support and hassle-free disbursement for co-lending arrangement.

  Bank has entered a Co-lending arrangement with the following NBFCs for MSME loans.

  - M/s Vedika Credit Capital Limited
  - M/s Ugro Capital Limited
  - Electronica Finance Limited
  - InCred Financial Ltd.
  - IndiaBulls Commercial Credits Ltd., MSME
  - IIFL Samasta Finance Limited
  - CSL Finance Ltd.
  - SK Finance Ltd.

➢ Bank has sanctioned and disbursed loans in partnership with Capri Gold & IIFL through digital platforms.

Cluster Finance

Bank has identified twelve potential Clusters PAN India, formulated special schemes to promote MSME credit and is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab
Textile Cluster	Surat, Gujarat
Textile Cluster	Tiruchengode, Tamil Nadu
Auto Component	Hosur & Krishnagiri, Tamil Nadu

MSME Portal in IOB ONLINE

Exclusive MSME portal has been created in IOB ONLINE (an Intranet site) with all the latest updates on Bank/ Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the latest information.

Digital and Technology Initiatives

The Department undertakes the following Digital and Technology Initiatives:

➢ **Loan Application Register with e-Tracking**

Bank has introduced online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals. The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the Turnaround Time (TAT) besides containing the rejections.

➢ **Automation of Loan up to Rs. 10.00 lakhs**

Bank has automated the MSME loan processing for loan amounts up to Rs.10.00 lakh and integrated it with the CBS system (Finacle) with an end-to-end solution. The platform supports the user for generating Rating, Inspection Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc., simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). All the loans up to Rs 10.00 lakhs are fully automated.

- **Online Processing of Loans under the Scheme IOB SME Easy and IOB ETF Schemes**

  During the Current FY, Bank has introduced online processing of proposals from Rs.10.00 lakhs to Rs. 5.00 crores under IOB SME Easy scheme and IOB ETF Scheme. The platform is designed with Automated Assessment, Rating, Office Note generation and Sanction.

- **Launch of Digital Channel for Loan Application Registration**

  Internet Banking, Mobile Banking, SMS, Missed Calls, IVRS and Bank websites are enabling registration of applications for MSME Loans. These channels are making up close to 1100 leads per month.

- **Dedicated Call Centre for MSME Loan Leads**

  We have appointed a call center executive and their services are utilized to handle the leads based on TAT assigned. On an average, 50 leads are being handled on a daily basis with on-the-spot eligibility checks and applications are escalated to the branches based on customer's choice.

- **New Channels for Loan Applications**

  Bank is in the process of launching WhatsApp Banking and Chat Bot assistance for loan applications. These channels will be utilizing analytics-based systems for smooth transitioning of loan requests.

- **LOS and LMS**

  Bank is in the process of bringing sophisticated LOS and LMS and in the first phase few MSME loans will be covered. This initiative will boost our MSME segment with real time acquisition of customers.

RETAIL BANKING

The total outstanding under Retail Credit Portfolio increased from Rs.42400 crores as of March 2023 to Rs.48514 Crores as of March 2024. The Bank registered Y-o-Y growth of 14.42% during FY 2023-24. The overall Retail share to domestic advances is 24.17%.

Housing Loan Portfolio Registered Y-o-Y growth of 14.53% during FY 2023-24. Fresh Housing Loans sanctioned during the period under review are 25288 accounts, amounting to Rs.7216.17 crores as against the previous FY 2022-23 figure of 24872 accounts amounting to Rs.6398.80 Crores. The Total Disbursement as on 31.03.2023 was Rs.6236.32 crores which has increased and stood at Rs.6998 Crores in the FY 2023-24.

Vehicle Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 19.73% during the FY 2023-24 as compared to 7.42% growth achieved during FY 2022-23.

Mortgage Loan Portfolio has shown a growth of 42.24%.

Personal Loan Portfolio has shown a growth of 35.50% and Jewel Loan Portfolio has shown a growth of 40.15% during FY 2023-24.

Modification in Existing Scheme

Keeping in view the demand and requirements of branches and in line with the offerings of other Banks in the market and to make our products more competitive, we have gathered inputs and made suitable modifications in the below mentioned schemes to make them move in the market as a competitive product.

1. **Personal Loan**

   Bank has revamped our personal loan product by increasing the quantum of Finance to Rs.30 Lakhs for employees under Category A and B and increasing the Loan quantum on Personal Loan CC for salaried employees to Rs.15 Lakhs.

2. **Loan Against Property**

   After conducting market study and exploring the possibilities of growth in this segment, the Bank has introduced lending to Non individuals and increased the quantum of lending to Rs.20 Crores for individual borrowers and Rs.40 Crores to non-individual borrowers.

3. **Housing Loan**

   Housing Loan is one of the most important and fast-growing segments of the Bank. To cope up with the market requirements and to be very aggressive in the market, revamping of the schemes including Home Advantage Scheme along with offering best rate of interest by introducing differential Rate of interest for Salaried and Self-employed borrowers has been done.

4. **Vidya Jyothi Scheme**

   The scheme has been modified as per IBA model and the quantum of loan amount has been increased to Rs.150 Lakhs for Inland Studies and Rs 300 Lakh for Foreign studies.

5. **Liquirent Scheme**

   To make the scheme more attractive in the market and considering the demand and potential, the rate of interest has been rationalized.

6. **Vehicle Loan**

   Rating-based pricing for all fresh Vehicle loans, irrespective of loan amount for individual and non-individual borrowers has been introduced.

   Electric Two-wheelers manufactured by reputed manufacturers of electric vehicles have also been permitted for financing under the scheme.

Introduction of New Products/ Initiatives under Retail Credit Portfolio

Considering the inputs received from branches and demand in the market, we have introduced the following new Retail Products/Initiatives during the FY 2023-24.

1. To tap the vast potential available in the Personal Loan category and in line with market expectations, we have launched **Personal Loan Top Up scheme** for our '**A category**' Personal Loan borrowers with maximum loan amount of Rs.7.50 Lakh.
2. Introduction of Capital Light Asset Product "**Loan Against Sovereign Gold Bond**" for individuals and non-individuals with maximum lending at Rs.25 Lakhs and Rs. 500 Lakhs respectively.
3. To widen the clientele base and to explore the possibility of getting good Housing loans by taking over from HFC/ NBFC, an additional number of reputed NBFC and HFCs have been on-boarded.
4. Bank has introduced Odisha State Specific Housing Loan scheme - MO GHARA.
5. Bank has introduced Tamil Nadu State Specific Housing Loan scheme AHP and BLC under PMAY for EWS.
6. Bank has signed an MOU with Maruti Suzuki Limited to finance their various vehicles in the month of September 2023.

7. Bank has introduced Karnataka State Specific Housing Loan scheme AHP under PMAY for EWS.
8. To improve the quality of credit and to ensure quick TAT, the first Retail Loan processing Centre has been set up at Hyderabad. Retail Loan Processing centres in other major centres at Mumbai, Coimbatore, Lucknow, Chennai, Delhi, Bangalore and Kolkata-I will be opened shortly.

Digital Initiatives

1. To transform lending process to improved system-based assessment and for greater customer satisfaction, Bank has launched digitized Vehicle Loan under Branch Journey in Loan Originating System (LOS).
2. Digitization of Loan Against Deposit in Branch Journey under Loan Origination System.
3. Digitization of Loan Against Insurance Policy in branch journey in Loan Origination System.
4. Digitization of Pension Loan under branch journey in Loan Origination System.

CORPORATE CREDIT

Corporate credit Banking refers to the provision of financial services by Banks to corporate clients [other than MSME/Agri segment]. These services typically include lending, underwriting, advisory, and other financial products tailored to the needs of corporations and large businesses. Corporate credit Banking plays a vital role in supporting the growth and development of corporate businesses by providing them with timely access to funds, financial expertise, and Risk management solutions to navigate the complexities of the modern business environment. With the present market scenario and Bank's internal Risk appetite, we continue to provide thrust in expanding our exposure in capital light assets, wherein the Bank focuses mainly on AAA/AA rated accounts and PSU/ Government guaranteed exposure spread over various core industries and other segments. Further, to capitalize the ongoing demand on the financial service segment, the Bank is also expanding its structural exposure in the onward lending segment of Housing/MSME/Consumer finance/Vehicle finance. As part of "Azadi Ka Amrit Mahotsav" initiative in nation building, the Bank continues to focus on infrastructure lending & related parties [EPC clients] of repute. Under this vertical, the Bank has Standard Fund based exposure of Rs.55398 crores as on 31.03.2024. We have already floated customized loan products where ROI is linked to market rates. This helps the better rated Corporates to access credit at market determined rates.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The average growth of four quarters for the FY 2023-24 was Rs.2528.25 Crs and the average Outstanding stood at Rs.97232.88 Crs against the target of Rs.58139.97 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 40% of ANBC by achieving 66.90% under Total Priority Sector Advances** during FY 2023-24.

Agriculture

The average growth of four quarters for the FY 2023-24 was Rs.2099.19 Crs and the average outstanding stood at Rs. 48297.00 Crs against the target of Rs.26162.99 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 18% of ANBC by achieving 33.23% under Agriculture advances** during FY 2023-24.

Loans to Small and Marginal farmers

The average growth of four quarters for the FY 2023-24 was Rs.1886.78 Crs and the average outstanding stood at Rs.34552.33 Crs against the target of Rs.14534.99 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 10% of ANBC by achieving 23.77%** under loans to **Small/ Marginal farmers** during FY 2023-24.

Loans to Non-Corporate farmers

The average growth of four quarters for FY 2023-24 was Rs.1819.50 Crs and the average outstanding stood at Rs.47237.17 Crs against the target of Rs.20029.22 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 13.78% of ANBC by achieving 32.50%** under loans to **Small/ Marginal farmers** during FY 2023-24.

Loans to Micro Enterprises

The average growth of four quarters for FY 2023-24 was Rs.166.01 Crs and the average outstanding stood at Rs.22880.69 Crs against the target of Rs. 10901.24 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norms of 7.5% of ANBC by achieving 15.74%** under loans to **Micro Enterprises** during FY 2023-24.

Loans to Weaker Section

The average growth of four quarters for the FY 2023-24 was Rs.1658.65 Crs and the average outstanding of four quarters for the FY 2023-24 stood at Rs.39727.01 Crs against the target of Rs.17441.99 Crs **and the Bank has surpassed the mandatory norms of 12.00% of ANBC by achieving 27.33% under loans to Weaker Section.**

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 69618 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 2946.84 Crs. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 1011294 and with aggregate disbursement of Rs.100076.21 Crs as of March 2024.

Specialized SHG Credit Centre

30 Branches with 5 branches in a Cluster in 19 Regions of our Bank have been formed as Special SHG Credit Centre for processing of SHG loans from nearby branches. During the FY 2023-24, Rs.740.58 Crs have been disbursed to 13378 SHG groups by the Specialized SHG Credit Centre.

Credit flow to women borrowers

Bank's credit to women borrowers stood at Rs.40591.59 crores as on 31st March 2024 which constitutes 23.28% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibilities in 15 districts of Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted three main meetings and 4 Special SLBC meetings.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu has also convened 3 Subcommittee and 3 Steering committee meetings during the year.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

- In the state of Tamil Nadu, 146.54 lakhs PMJDY accounts are opened upto 31st March 2024. The number of female accounts is 86.89 lakhs and the number of male accounts is 59.57 lakhs.
- In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jan Suraksha Schemes have reached 292.35 lakhs as of March 2024, which includes 79.54 lakhs enrolments under PMJJBY and 212.81 lakhs enrolments under PMSBY.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 102%.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of March 2024:

- CD ratio of Banks in the State continues to be above 100% and as of March 2024, the CD ratio stands at 120.62%.
- 47.65% under Priority Sector against the national norms of 40%.

- 25.15% of Agricultural Advances against the national norms of 18%.
- 20.80% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has engaged M/s. Integra Micro Systems Pvt. Ltd., as our Technology Service Provider (TSP) and Six CBCs namely Integra Microsystems Pvt. Ltd., M/s. Atyati Technologies Pvt. Ltd., M/s. FIA Technology Pvt. Ltd., M/s. Starfin India Pvt. Ltd., M/s. Zero Mass Pvt. Ltd., and M/s. RNFI Services Ltd., for the management of Business Correspondent Agents across Pan-India. BCAs are engaged for opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like APY, PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, mobilizing deposits and collecting RD instalments.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of the Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. Our Bank has opened 78,93,343 PMJDY Accounts as on 31.03.2024, out of which 72,68,513 (92%) are operative accounts. We have issued 52,63,189 RuPay Debit Cards till 31st March 2024 and activated 44,54,421 cards (84.63%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016

Our Bank has established Aadhaar Enrolment Centres (AECs) in **379** Branches all over India in line with UIDAI guidelines and engaged **M/s. Vee Technologies Pvt. Ltd.** as a vendor for outsourcing of manpower in all the Aadhaar Enrolment Centres of our Bank since 9th July 2021.

Jansuraksha Schemes

The Jan Suraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jan Suraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY. As on 31st March 2024, the enrolment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of Enrolment as on 31st March 2024 (Cumulative)	Status of Enrolment during the FY 2023-24
PMJJBY	3035811	802117
PMSBY	7057101	2249741
Total	**10092912**	**3051858**

As "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) framework - mandates massive expansion in micro insurance coverage. Our Bank has automated enrolments in the above schemes while sanctioning loans under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through Net Banking and SMS/ missed calls.

Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana (APY) is an old age income security scheme for a savings account holder in the age group of 18-40 years who is not an income tax-payee. The scheme helps in addressing the longevity Risks among the workers in the unorganized sector and encourages the workers to voluntarily save for their retirement.

Performance under APY over the years is as follows:

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959

Financial Year	Enrolments
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
2023-24	**2,61,318**
Total APY Enrolments (Cumulative)	**13,95,273**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 14 RSETIs in all Lead Districts in the State of Tamil Nadu, to provide training to farmers, members of SHGs, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 4212 training programs benefiting 112059 participants which include 79780 women, 32071 men and 208 Transgenders. Bank has achieved cumulative settlement of 73.46% and cumulative credit settlement of 55.75% which are well above the national average of 70% and 50% respectively. All the RSETI are rated AA by MoRD.

Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centres (SNEHA) established at 24 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centres educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counselling services and offer debt counselling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2024, 80,724 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 13,812 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking and 1,46,359 SB accounts have been sourced and opened since inception. 4,641 Special camps for newly included people in the financial system were conducted covering 3,78,461 beneficiaries. FLCs conducted FL sessions at 115 ITIs, 7 Vocational Training partners (VTPs) and 3 Operational Centres (OCs) and imparted Financial Literacy to 20,839 Students.

Centre for Financial Literacy (CFL):

One of the milestones of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI: 2019-2024) is to expand the reach of CFLs to every block of the Country. RBI has allotted a total of 74 centres for CFLs to our Bank with 65 in the State of Tamil Nadu and 9 in Kerala for financial literacy through M/s Dhan Foundation (NGO). The CFLs have been designed to raise financial awareness, promote good financial practices, and drive sustainable change in behaviour, ultimately resulting in informed financial choices and greater sense of control over one's finances. These centres use a combination of educational videos, experiential learning, and financial planning tools to drive home key messages and benefits of using formal financial services. Our Bank's CFLs have been committed to strengthening the financial capabilities of socially and economically disadvantaged communities and minimising every household's financial vulnerability. Our Bank's CFL ensures promoting better financial practices in the community, creating an enabling environment, and developing a network of trained financial inclusion experts which are crucial to driving financial inclusion to the last mile.

PERFORMANCE ON PARA-BANKING PRODUCTS

Under Para Banking business, the Bank has earned an income of Rs.29.94 Crores during FY 2023-24 through Bancassurance & Distribution of Mutual funds. Various campaigns to promote and increase para Banking business were conducted during the year including activities with Corporate Social Responsibility.

Product Launched during the FY 2023-24

We have introduced the following new products during the FY 2023-24.

1. **Niva Bupa Health Insurance**

NTB_1999 – NTB_1999 is a group product offered as a value-added feature to New to Bank (NTB) customers. The features are as follows:

- Base sum Insured – 2.00 Lakhs
- Premium amount – Rs.1999/-
- Hospitalization Coverage of Rs.2.00 Lakhs (Base Sum Insured).
- Personal Accidental Insurance Coverage of Rs.20.00 Lakhs.
- Hospital Daily Cash Coverage of maximum Rs.40000/-

ReAssure 2.0 – ReAssure 2.0 is a retail insurance product which has been reintroduced with the following features.

- Base sum insured 5 Lacs to 1 Crore.
- The main feature of the Re-Assure 2.0 Product is "unlimited reinstatement of sum insured applicable for any illness, or anyone insured" (single claim under this benefit will be payable up to base sum insured).
- Carry forward any unused base sum insured to the next policy year.
- After the first claim is paid ReAssure gets ON And Stays ON, FOREVER!!
- Lock the Clock Facility - Part of ReAssure + Benefit. The premium of the age of the policyholder entered at, will apply until a claim is paid.

2. **Universal Sompo General Insurance**

Group Credit Protection Policy - Group Credit Protection Policy is a group insurance product introduced by our Bank exclusively for our loan borrowers in tie up with USGIC. The policy provides Group critical coverage for 41 critical illnesses.

- Base Sum Insured Maximum 5 Crores.
- The Plan covers 41 Critical illnesses.
- Initial Waiting Period: 60 Days.
- Survival Period: Waived.
- Involuntary Loss of Jobs: 6 EMIs.
- Reimbursement of cost of Performance of Funeral Ceremony: Rs.5000.
- Repatriation of mortal remains: Maximum Rs.10,000.
- Education Benefit: Rs. 3 Lakhs

Campaign conducted for Social Cause

Our Bank has launched a Health Insurance campaign named as PRATISHTHA Campaign 3.0 in tie up with Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd during the period 13.11.2023 to 15.01.2024. The objective of the campaign is to donate 50000 Meals to needy Indians in Old Age Homes and Orphanages.

The criteria of the campaign was, for every Rs.2000/- premium mobilized by branches - one feed point will be awarded and for every FEED point Niva Bupa Health Insurance will donate ONE MEAL expense to NGO on behalf of Indian Overseas Bank under the campaign.

Our Branches took up the challenge and sourced 11254 Policies with a net premium of Rs.6.62 Crores which has contributed 33114 Pledge Points and thereby donating 33114 meals for needy people against the target of 50,000 meals under campaign.

ASBA (BANKER TO ISSUE ACTIVITY)

All our general Banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. e-ASBA continued to be in usage effectively by our customers. ASBA through the UPI process has also been enabled.

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre branches.

e-Trading facility in tie up with SMC Global Securities Ltd. E-trading facility has been implemented to provide trading facility to our demat account holders.

CUSTOMER SERVICE

Bank is constantly striving to provide logical and acceptable solutions to customer's grievances to retain our Good and valuable customers apart from helping them to decide on the right products, services and counselling them to take financial decisions. We are also committed to resolve the complaints within TAT (Turn Around Time) and for a speedy resolution.

To support the customer service system, Our Bank has its own Contact centre along with IVRS facility which provides 24*7*365 days services handling Queries/ Complaints of the customers and providing solutions.

Grievance Redressal Mechanism:

Our Bank's complaint grievance redressal portal is called Standardized Public Grievances Redressal Mechanism **(SPGRS)** with the status tracking facility which is available on our website, so that customers can lodge their complaint online.

The SPGRS Portal facilitates the customer to easily lodge the Query/Complaint as per the categories provided therein. It also has an MIS, escalation Matrix and provision to capture granular details of the complaints, enabling the Bank to take corrective action. Future courses of actions and policies on Grievances Redressal are made based on the analysis from the MIS. Complaint details are available on a real time basis and access by various layers of offices enable effective redressal mechanism. Provision to capture customer feedback is also inbuilt in the portal.

Apart from SPGRS and Contact Centre, we handle complaints received from Banking Ombudsman (RBI), CPGRAMS (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System) maintained by Department of Administrative Reforms and Public Grievance, INGRAMS (Integrated Grievance Redressal Mechanism) maintained by Department of Consumer Affairs.

Bank has introduced various customer friendly initiatives, to provide ease to customers. Some of them are listed below:

1. (a) We have modified our Bank's Internal Grievance Portal i.e., **SPGRS into Bilingual format i.e., Hindi and English,** which will give ease to customers to lodge the complaint.

(b) **Facility of Tracking Complaints:** Once a Complaint is lodged in SPGRS portal, an auto acknowledgement is generated along with complaint ID and it is sent to the complainant's registered Mobile and e-mail ID. Subsequently, the complaint status can be tracked through the link provided in SMS and e-mail till the redressal of the complaint.

(c) There is an **option to re-open** the complaint by the complainant, if the complaint redressed by the Bank is not resolved. Also, if the complainant is not satisfied with the Bank's resolution, he/she can escalate to the Banking Ombudsman through the link provided after the resolution of complaint by the Bank.

(d) SPGRS Portal has the option for the customer to **register the feedback of the customer** if he/ She is not satisfied with the redressal by the Bank.

2. Bank has given other **various options to customers to lodge the complaints**:

- Through Online mode by visiting the website
- Through Toll Free call Centre
- Through Bank's Internet Banking Page
- Through Letter/Email.

3. **Grievance Redressal Day:** Grievance Redressal Meeting is held at branch level in PAN India on **15th of every month.** Department is placing feedback and suggestions received from customers before the Customer Service Committee of the Board.

4. **Grievance Disposal Day**: Grievance Disposal Day was introduced and it is being conducted on the last **Friday of every month** for speedy processing of complaints.

5. **Customer Relationship Management (CRM):** Bank has launched CRM on 14.03.2024 as a part of Digital Initiative and an Integrated complaint mechanism is being introduced to assist Customers for speedy resolution of complaints.

Customer Contact Centre and Lead Management Process:

- We are having dedicated 24x7, 360-degree Omni channel Contact cum Call Centre to receive the complaints and redress them along with IVRS facility. Service provider also records and pushes the data related to service requests to the Bank, facilitating efficient redressal of the same.
- Contact cum Call Center receives – Queries, Requests and Complaints (QRC) from the customers. These are lodged under the CRM (Customer Relationship Management) Programme of the Contact Center and are forwarded to respective departments for further actions, and for resolution of complaints, etc.
- Contact Centre Information has been ported to our IOB website.
- Regular Call Audit is being done and audit observations are shared with Contact Center for their compliance.

PSB Alliance Doorstep Banking:

As per the instruction of IBA and RBI, our Bank has implemented PSB alliance Doorstep Banking successfully.

- Bank stood 6th Position among PSU Banks in DSB (Doorstep Banking) Dastak Campaign conducted from 01.02.2024 – 15.03.2024.
- PSB Alliance Pvt. Ltd. has identified 1100 centers with 1469 active Branches for Doorstep Banking Services.

Achievement of the Department:

- For FY 2023-24, the grievance disposal by the Bank was all time high. We could contain the **CPGRAMS and INGRAMS complaints to NIL.**
- All Complaints were resolved within TAT and No complaints are pending for more than 30 days.
- Bank has not received **AWARD** for FY 2023-24 from RBI- Ombudsman Office.
- 16 Nodal Office of our Bank out of 22 Nodal Office handling Banking Ombudsman Complaint has brought down NIL Pendency in CMS Portal as on 31.03.2024.
- **Quarterly Educative Series** is being issued by the department, which has yielded good results. Department has already issued 16 Educative series circulars based on complaints received and Root Cause Analysis.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2023-2024 is given below:

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Number of complaints at the beginning of the year	1950	2850
Number of complaints received during the year	257420	198307
Number of complaints resolved during the year	257353	199207
Number of complaints pending at the end of the year	2017	1950
Effective Resolution Rate	99.22%	99.03%

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2024 is as follows:

Nature of Complaints	Total Number of complaints in all Channels	% of Total Complaints
NON-DIGITAL		
Advances	2412	0.94
Customer Service	1118	0.43
Demat	89	0.03
Deposits	1693	0.66
General Banking	7054	2.74
Government Business	197	0.08
Insurance	861	0.33
NRI Services	130	0.05
Pension	896	0.35
Others	290	0.11
Sub Total	**14740**	**5.73**
DIGITAL		
Non-ATM	169972	66.03
ATM	72708	28.24
Sub Total	**242680**	**94.27**
Grand Total	**257420**	**100**

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD &CEO presides over the meetings of the committee. The committee met 4 times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024. Number of meetings attended by each member of the committee during the year is as below:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held in FY 2023-24
		From	To	
1	Shri Ajay Kumar Srivastava##	01.01.2023	Till Date	4/4
2	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	Till Date	1/1
3	Smt. S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	3/4
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	3/3
5	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	Till Date	4/4
6	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	Till Date	4/4

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

STRESSED ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT

1. Bank is continuously adopting various methods and recovery tools for reducing the Bank's NPA portfolio and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank had to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as may be warranted. Bank undertook various initiatives during the year for strengthening the recovery function and for improving the overall performance in the Recovery area.

2. Bank implemented and popularized a digital platform for One Time Settlements (OTS), online mechanism under the check box system wherein NPA borrowers can submit their OTS application in IOB online for accounts up to a cut off limit which will enable proper tracking system for the borrower to know the status of their proposals till it is resolved.

3. Bank also implemented digitalization in SARFAESI on 16.08.2023. Under this, Demand notices can be generated online by the branch and can be sent to the Borrowers/Guarantors through an Authorised Officer which saves the Bank's resources as well as time and accelerates the recovery actions in NPA accounts. Since then, all the Demand notices are being issued through digital mode only. Digitalisation process of Possession Notice & Sale Notice has also been developed and implemented on 08.02.2024.

4. During the period under review, one of the recovery tools that has worked very well is the Special OTS Schemes. The special OTS Schemes were modified in such a way that for Non NCLT accounts, powers have been given to various layers of Authorities so that the outstanding NPA A/cs could be settled in a hassle-free manner without taking any long process for sanctioning of the OTS and conveying the same to the borrowers/guarantors. This scheme of Special OTS was made non-discretionary and non-discriminatory in nature. Total number of OTS sanctioned during the FY 2023-24 was 40584 accounts for an amount of Rs. 929.52 Crs and out of this, the Bank has so far recovered an amount of Rs 566.19 Crs.

5. Bank conducted E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act every month till March 2024 through E-Bikray platform. Bank was able to put an E auction of 3918 properties and out of this, 310 Properties were sold fetching Rs.446.33 Crores under E-auction in FY 2023-24. Initiation of the E-auction procedure under SARFAESI had also paved the way for OTS, upgradation, and full closure in many NPA accounts. To bring more buyers, the Bank also engaged Debt Recovery Agents to mobilise bidders. Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospective buyers can search the property details and participate in the Auction. Bank has developed a trigger tool to generate leads from the prospective buyers who visit our website.

6. The total NPA recovery done by the Bank during the FY 2023-24 was around Rs. 4549.15 Crs which was higher than the total recovery done in the previous FY 2022-23 (Rs. 4502.31Crs) and thereby the Bank's focus on Recovery remains unchanged and unwavering. The Bank will continue to keep the Recovery momentum going strong in the current financial year also.

DISPOSAL OF PETITIONS RECEIVED UNDER RTI ACT

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). The Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e., 30 days from the receipt of RTI application). There are 49 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1660 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2023-24. 1670 RTI applications are duly disposed of as per the provisions of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs.

Bank has received 331 first appeals seeking further information against the reply of CPIO and CAPIO and 343 have been duly disposed of by FAA by passing appropriate order on merits and as per the provisions of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/CAPIO and FAA preferred second appeal before Honourable Central Information Commission (CIC), New Delhi. Bank received 54 notices in Second Appeals filed before CIC. All the second appeals were represented by CPIO/CAPIO and were duly disposed of by the Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the Banking business. Banks assume various types of Risks in their activities while providing different kinds of services based on its Risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the Risk profile of the Bank. In the normal course of business, a Bank is exposed to various Risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of Risk management is not to prohibit or prevent Risk taking activity, but to ensure that the Risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view of managing such Risks efficiently and strengthening its Risk management systems, the Bank has put in place various Risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between Risks and returns. The Bank's Risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the Risks with a view to enunciate the Bank's overall Risk philosophy. The Risk management strategy adopted by the Bank is based on understanding of Risks and the level of Risk appetite of the Bank. Bank's Risk appetite is demonstrated broadly through prescription of Risk limits in various policies relating to Risk management.

The Bank has set up an appropriate Risk management organization structure in the Bank. The Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of Credit Risk, Market Risk, Operational Risk and Other Risks in the Bank. The Bank has also constituted internal Risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing Market Risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing Operational Risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management Department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best Risk management systems and practices in the Bank. Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the Bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on Risk management in the Bank and is the convener for all the internal Risk management committees. The Mid-Office in Risk Management in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the Risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, Risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been nominated at Regional Offices to oversee the Credit Risk of the respective regional offices. Apart from coordinating with the Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage Risk more effectively lies with controlling the Risk at the point of its origination. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and the Bank is maintaining capital as per the guidelines. Minimum Capital of 9% and Capital Conservation Buffer of 2.5% with overall CRAR of 11.50% have been prescribed by RBI in their BASEL III. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, Market and Operational Risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the Bank has adequate capital to address all the Risks in their business commensurate with Bank's Risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material Risks to which the Bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar Risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the Bank's material Risk exposure, enable identification of potential Risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the Bank carries out various stress tests periodically on the Bank's balance sheet and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centres have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while the IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's departments and branches. The Bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercises are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its Risk management systems and migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated Bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place a system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

RBI had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) to ensure short term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that the Banks have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the Bank effective from January 1, 2019 is 100%. The Bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels. Bank has enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring Banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective from October 1, 2021 is 100%.

The Bank is maintaining NSFR well above the minimum prescribed levels. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Banks have enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

As per the final guidelines on IRRBB issued by RBI vide Circular issued on 17.02.2023 on Governance, Measurement and Management of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), the Banks should develop their own methodologies for capital allocation, based on their Risk appetite. In determining the appropriate level of capital, Banks should consider both the amount and the quality of capital needed.

The Bank has started computing the Interest Rate Risk in Banking Book and the potential change in Economic Value of Equity and Change in the Net Interest Income is being measured and reported to RBI also. The Bank's interest rate Risk in the Banking book is well within the tolerance limit and is being monitored and managed on a periodic basis.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-Risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the Risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirements on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June, 2015.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The Bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to Risk management in the Bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all Banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches (DF-5), (f) Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the Bank in various parameters.

CREDIT MONITORING

Bank has implemented various strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

Measures implemented during FY 2023-24 for effective monitoring of accounts:

Bank has taken the following measures to address the potential Risk of increased slippages,

- **SMA and Probable Slippages Reports for the month are provided online well ahead every month** and updated reports are made available for follow-up by the Branches/ROs/CO Departments daily.
- **SMS Alerts** are sent to SMA borrowers at regular frequencies reminding them on the repayment of overdue.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits**.

- **SMA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being **reviewed monthly** by the GMs committee at C.O.

- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by the GMs Committee monthly.

- **System generated Letters** to SMA borrowers (mentioning overdue and requesting early regularization) has been enabled for ROs and Branches.

- Services of an **Outbound Call Centre** is also engaged for follow up and recovery in SMA/Probable Slippage accounts of Retail credit and MSME. Apart from the calls, **Voice Blast** facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers reminding them to pay their dues at the earliest.

- **Early Warning Signals (EWS):** Bank has a robust EWS solution in place. The solution covers non-Retail accounts with exposure of Rs. 3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) and Retail accounts with exposure of Rs 50.00 Lakhs and above irrespective of the lending arrangement.

Bank was able to control slippages during the FY 2023-24 by adopting the above measures and has maximized recovery and regularization of Special Mention Accounts.

LOAN REVIEW MECHANISM

- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital outstanding (both fund based and non-fund based) Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches.

- **Agency for Specialized Monitoring (ASM)** is allocated by the Bank for accounts wherever CCD/MSME has stipulated ASM appointment in the sanction. ASM reports are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches for due compliance.

- **Credit Compliance Audit** is conducted for accounts with an exposure of Rs.50.00 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1.00 Crore and above for overseas accounts. Audit is carried out annually. The account is categorized as Low/Moderate/High according to the level of compliance. Corrective measures are taken account wise to strengthen compliance and to address gaps.

COMPLIANCE

Compliance Management is considered as one of the key elements of Corporate Governance Structure and Sound Risk Management Practice of any corporate entity.

The Bank has well defined compliance policy as per Reserve Bank of India Guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance functions. Necessary Circulars / Instructions on the regulatory guidelines are being issued periodically.

Chief Compliance Officer reports to MD & CEO / Board / ACB of the Bank, and effectively participates in various policies clearance and governance meetings. During the financial year, the compliance department has made significant improvement in level of compliance at various field levels. The Compliance Department has also taken new initiatives and development of the existing compliance tools.

The overall compliance level is submitted to the Board / Audit committee of the Board. Annual review of compliance functions and further steps initiated for improving compliance level of branches are also submitted to the Audit Committee of the Board.

The Bank has provided the web Portal viz Knowledge Management Tool in Bank's Intranet wherein all the Regulations, Guidelines of the various regulators like RBI, SEBI Etc. can be accessed at a single point.

Compliance culture is being inculcated among the staff members through various forms of communication and interactions.

New Products launched by the Bank are subject to intensive monitoring for a period of first six months of introduction to ensure that the indicative parameters of compliance Risk are adequately monitored.

INSPECTION & AUDIT

As part of its continuous improvement process, the Bank's Inspection and Audit Department plays a crucial role in ensuring the Bank's compliance with regulatory requirements, Risk management, and internal control systems.

The primary objectives of the Inspection and Audit Department for the FY 2023-24 were:

1. To ensure compliance with regulatory requirements and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and other regulatory bodies.
2. To assess the effectiveness of the Bank's Risk management framework and internal control systems.
3. To identify areas of improvement and recommend corrective actions to enhance the Bank's overall performance.

Highlights of Major activities during FY 2023-24:

Sr. No.	Audit	Highlights
1	RBIA	As per the meticulously crafted audit plan for Risk-Based Internal Audit for the fiscal year 2023-24, the comprehensive audit of all planned and approved branches was successfully completed by the stipulated deadline of March 31, 2024.
2	Offsite Monitoring Unit (OMU)	The Offsite Monitoring Unit (OMU) underwent significant enhancements to optimize its functionality. These enhancements focused on improving the effectiveness of the unit in identifying and addressing potential Risks and issues within the organization. One key improvement was the implementation of control-oriented exception reports.
3	OMU-PROBE	Bank has revamped the Internal Audit System as per Risk Mitigation Plan mandated by RBI and introduced OMU-PROBE and Dynamic Risk Assessment module for forward looking Risk rating.
4	Offsite Control and Surveillance (OCAS)	To improve the compliance level on audit observations, the audit package was further modified to improve control areas.
5	Management Audit	Management Audit of 49 Regional Offices, 43 departments in the central office, 7 Nodal Audit Offices, and 01 Regional Rural Bank (Odisha Gramya Bank) was completed successfully.

6	**Concurrent Audit**	676 branches are covered under concurrent audit with coverage of 50% in deposits and 60% on total advances.
7	**IS Audit**	Various audits as per Audit plan for FY 2023-24 were completed successfully.
		IT Examination 2022-23 observations on IS Audit Complied
		Implemented the Framework for Monitoring Outsourcing Arrangements and Role of Internal Audit.
8	**IFCoFR**	Internal IFCoFR Control Testing at Branches, RO, CO and systems to enable Annual Certification by SCA. Sustained for 2023-24

VIGILANCE

With the theme of "Business First, Preventive vigilance always" continued during the Year 2023-24, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

1. **Preventive vigilance Activities**:

   The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2023-24:

   a) During FY 2023-24, 182 complaints were received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled until the logical end as per the timeframe fixed by CVC and only one complaint was pending more than 3 months which is closed now.

   b) The Department has scrutinized 25 CTE type inspections and examined various procurement orders / service orders placed by the Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB-OGB.

   c) A series of thematic inspections on various matters; verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., were conducted during the year.

   d) CVO/Officials of Vigilance Department have visited 9 Regions of the Bank during the financial year to ensure compliance to the vigilance mechanism at the ground level. During the visit, CVO has sensitized the RO staff, selective Branch heads and few branches over Webex about the importance of preventive vigilance.

   e) During the Financial year 2023-24, as part of VAW 2023 training programme for officials across the branches/ROs was conducted PAN-India highlighting the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings. Also, nominations of officials of the Bank were made to different vigilance training programmes conducted by CVC/Various institutes along with few RVOs who have taken charge during the year as Regional Vigilance Officers at various Regional Offices.

2. **Predictive Vigilance:** CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium Risk branches for the year 2023-24 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by Bank. The details of reports scrutinized are as follows:

   - Scrutinized 3652 Concurrent Audit Reports during the year 2023-24.
   - Scrutinized 1967 Central Office Inspection Reports during the year 2023-24.
   - Scrutinized 1367 Statutory Audit Reports during the year 2023-24.

- During the year 2023-24, total of 26,071 clearances /status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.
- 94 No. of SAC files scrutinized
- 48 No. of Fraud files scrutinized

3. **Punitive Vigilance:** Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, pendency in disposal of vigilance cases and non-vigilance cases reduced for the FY 2023-24. As on 31.03.2024 only 163 vigilance cases are under process at various levels and out of those, charge sheet was issued in 138 cases and for the remaining 25 cases, issuance of charge sheet is under process by CDAC. Further, for more than 36 months only 1 case is pending due to a court case. Total Suspension cases as on 31.03.2024 is 34. Also, during the FY 2023-24 total 10 cases were referred to ABBFF out of which 5 cases were taken up for deliberation and concluded.

4. **Participative Vigilance:** Commission's message on Vigilance Awareness Week **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "Say no to corruption; commit to the Nation"** has been well taken by all Branches, Regional Offices PAN India and Central Office. The Vigilance Department has organized various internal and outreach activities to create awareness among our employees, customers, stakeholders and general public about being honest and transparent. A special focus and wide publicity given on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) during Campaign period. We inspired all the public in general in the process of eradicating corruption and embracing Integrity.

   Also, CVO along with Vigilance Department officials participated in Seminar/Training Programme on (i) Vigilance Administration & Procurement for Vigilance Officers of PSBs & PSUs organized by CPCL on 15.09.2023 and on (ii) Capacity Building - Disciplinary Proceedings & Vigilance Administration by Indian Bank on 17.11.2023.

Gist of Activities / Events conducted within the organization:

In-house Vigilance Awareness Activates:

Mass Pledge: On 30th October 2023, Mass Pledge was taken at 11:00 AM in Central Office, Chennai, wherein Managing Director & Chief Executive Officer Shri Ajay Kumar Srivastava administered the pledge in English in presence of Executive Directors, Chief Vigilance Officer, General Managers and other executives. Pledge in Hindi was administered by Executive Director Shri Sanjay Vinayak Mudaliar. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India.

E-Integrity Pledge: More than 4,05,000 customers have taken Integrity Pledge at the time of opening Account with us from 16th August, 2023 to 15th November, 2023 through our Branches across India.

Online Quiz Contest:

An all-India On-line quiz competition was held on 17th October, 2023 for all the staff members of the Bank in the following categories:

Executives Cadre Quiz category: All the executives of the Bank of the cadre of AGM and above attached with Branches, Regional offices and Central office were encouraged to participate in the competition.

Supervisory Cadre Quiz Category: All the supervisory staff including probationary staff were encouraged to participate in the competition.

Award Staff Quiz category: All the award staff of the Bank were encouraged to participate in the competition

Best Short film/reel/videos: Staff of the Bank were encouraged to prepare a short video/reel/film on the PIDPI and the VAW theme "**भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें**" **"Say no to corruption; commit to the Nation".** It

was informed that the content of the audio visual should not be created with copyright content and to be created in either Hindi/English language. The best five teams were awarded, and their content was used by the Bank for promotion of the theme wherever it seems suitable/fit.

Online Essay Contest for Employees: From 9th October, 2023 to 19th October, 2023 an essay competition was conducted for All employees of the Bank through Online Essay Contest portal on the theme **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "Say no to corruption; commit to the Nation".** A committee evaluated the essays submitted and participation certificates for all participants were issued.

In the same manner, Odisha Gramya Bank too conducted an Essay Competition for all the staff attached to the administrative office and all the branches of the Bank. A committee headed by the Chairman evaluated the participant's effort and distributed the prizes to the winners.

Displaying Banners & Posters: From 30th October 2023 to 5th November 2023, all branches, Regional Offices and Central office displayed VAW Banners at the prominent places across India. In the Central Office, VAW banners were displayed at three places, i.e., Main Gate, Entrance gate of Main building, Annexe Building. One standee for each building was also displayed during VAW.

Seminar on prevention of frauds: On 4th November, PAN India a webinar was organized by inviting Shri Abhay Kumar Singh, IPS, Director General of Police, Director, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Tamil Nādu as Chief Guest. Regional Heads, Regional Vigilance Officers and other staffs at Regional Offices & Branches, Pan India participated through Video Conference.

Seminars and workshops were also organized during the VAW 2023 at all Regional Offices. Eminent personalities from CBI, Police etc., were invited as Chief Guests in the meeting.

Seminars and workshops were also organized at OGB with eminent persons as Chief Guest.

Rangoli Contest on Vigilance Awareness Activities: On 31st October, 2023, 64 employees of our Bank participated in Rangoli competition on the theme **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "Say no to corruption; commit to the Nation"** held at Central Office, Chennai.

Launching of Vigilance Manual (1st Edition): On 30th October, 2023 the First Edition of Vigilance Manual of the Bank was released by Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer in presence of Executive Director, Chief Vigilance Officer, General Managers and other Executives at Central office, Chennai.

Relaunching of IOB Vigil (Quarterly Magazine): In June, 2023, Vigilance Department has relaunched the quarterly magazine IOB Vigil to create awareness regarding the preventive vigilance activities which will be helpful for all the staff members across the work profile.

Outreach Activities:

SKY Advertisement: On 30th October, 2023 a SKY advertisement Balloon on the theme of Vigilance Awareness week 2023 was released by MD, ED & CVO on the top of Central Office building carrying VAW theme and logo of IOB in Tamil & English.

Air Advertisement: Awareness amongst public on VAW 2023 Theme and Jingles was aired from 30th October 2023 to 5th November 2023 - in Fever FM, Radio City and Radio Mirchi in English and Tamil.

RADIO Interview of CVO: On 4th November, 2023, an interview of the CVO was broadcasted on FM Radios on ways to protect the public from Cyber Crime, PIDPI, etc.

Events in Schools and Colleges: Various VAW activities across the country in 315 Schools involving 31643 Students and 83 colleges involving 8882 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.

Awareness Gram-Sabhas: Across the country 486 Gramsabha's involving 12,449 Public was conducted during Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total.

Seminars/workshops: Across the country total 73 Seminars/workshops were conducted on VAW activities wherein around 2602 Public participated and took mass pledge.

Walkathon: Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai in collaboration with Central office have organized a **Mega Walkathon on 05.11.2023 at Besant Nagar Beach – Chennai.** The event has been flagged off by MD & CEO in the presence of Chief Vigilance Officer, General Managers, Deputy General Managers, Assistant General Managers, Vigilance Department Officials and other staff of Central office and Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai have participated in the event enthusiastically.

Other visible activities through DIGITAL Platform:

During VAW 2023, mass SMS was sent to 68,84,370 IOB Customers containing Message "IOB is observing Vigilance Awareness Week from 30.10.2023 to 05.11.2023. Join us to Say no to Corruption; Commit to the Nation by taking the Integrity Pledge at your nearest IOB Branch or visit **www.iob.in** or **https://pledge.cvc.nic.in.**

From 30th October 2023 to 5th November 2023 - Emails to 11,07,825 IOB Customers were sent carrying CVO Message and with a hyperlink to take an e-pledge.

During the VAW week, 3518 ATM & CDM machines of IOB, PAN India were enabled to display and printing of VAW Message **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें ""Say no to corruption; commit to the Nation"**. Join and take pledge **@ www.iob.in."**

During the VAW week, FINACLE CBS was enabled to display VAW Message **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें " "Say no to corruption; commit to the Nation".** Join and take pledge **@ www.iob.in."**

For the month of October 2023 and November 2023 salary slips of the employees were printed with the VAW Message **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें " "Say no to corruption; commit to the Nation"**. Join and take pledge @ **www.iob.in."**

VAW message was prominently displayed in the Bank official page of X(Twitter), YouTube, Instagram and Facebook.

Display of celebration of VAW in our webpage (Internet site and Intranet Site) wherein a hyperlink was provided for taking an integrity pledge for the public.

Activities conducted in Odisha Gramya Bank (OGB) Sponsored by IOB:

- Mass pledge taken by 1847 employees
- E-pledge taken by 18915 customers
- Essay competition conducted and 34 employees participated.
- Activities conducted in 136 schools & 21 colleges and a total 10910 students participated and took mass pledge.
- Awareness Gramsabha's conducted in 218 villages and more than 8236 public participated and took mass pledge.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Analytic Server (OAS), an analytical tool deployed by the Bank provides around 300 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE.

The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns.

Some of the major activities of MIS are furnished below:

Program Development and Modifications

- CRILC Return Upgradation
- MISD – SOP/Framework
- SLBC Reports Automation – Modification
- NESL – Upgradation
- IOB Data Design Portal – Modification
- EWS New Workflow Design
- AML Reports – Migration of FINNET1 to FINNET2
- EASE – Upgradation
- RBI CIMS – Automation
- Data submission for analytics
- Tranche Reports
- LAKSHYA Portal Data submission

Business Intelligence Reports

- Daily vertical wise advances report
- ATM Cash out report
- CKYC, Re-KYC reports
- Funds Committee reports
- Daily Variance reports
- Campaign Management Reports
- Digital Performance Monitoring Reports
- GBM Reports
- SHG Reports
- CIMS Implementation

DIGITAL BANKING

Digital Payments and seamless, efficient Dynamic Online solutions are the norms for customer experience and customer satisfaction in the present-day Banking services. The Bank is committed to its customers to provide the best experience through its Digital Banking Services. The Bank has a strong network of Alternate Delivery Channels to substitute the brick-and-mortar branches. A long chain of ATMs & Cash Recyclers at branches and

offsites sufficiently supplemented by e-Passbook Kiosks form the core of the digital platform of the Bank. Other important and most sought Alternate Delivery channels include Internet Banking, Mobile Banking, NEFT, RTGS and IMPS services, Bank's own BHIM IOB UPI App, PoS machines, Pre-printed QR Codes, Voice Based QR code handsets, IOB Pay and Fastag.

Summary of the various Digital Banking Products and Services offered by the Bank are as follows:

ATM, Cash Recycler and Passbook Kiosk Services of the Bank:

- 3506 Cash Management machines as on 31.03.2024, comprising 1147 ATMs and 2359 Cash Recyclers.
- Deployment of 2777 of these 3506 ATMs/CRs Onsite and remaining 729 Offsite
- Out of total 3506 machines, 2697 are Branch Managed (CAPEX model) and 812 are vendor managed (OPEX model).
- The Bank ensures continuous availability of ATM services to customers 24*7 and sufficient cash in its ATMs and Cash Recyclers.
- Bank's ATM & CR portfolio average uptime for 2023-24 was 96.31% with uptime for March peaking at 97.23% as on 31.03.2024.
- Bank has provided continuous availability of sufficient cash in all its ATMs 24*7; and ensured to keep the cash-out ATMs at the lowest numbers in the industry.
- Bank has deployed 2280 self-service e-Passbook Kiosks at branches. During the ensuing FY (2024-25) Bank plans to rollout e-Passbook Kiosks in 700 more branches.

Bank on Wheels

- As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has deployed "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada).
- Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screen for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educational series to the public.
- A Business Correspondent will also be available in the vehicle for providing on-the-spot support and information to the needy customers.
- During ensuing FY (2024-25) the Bank plans to introduce 50 new Bank on Wheel model ATMs across major centres of the Nation.

Debit Cards:

- Debit Card is a major tool for conducting financial transactions in ATMs, PoS machines and online medium.
- To meet the vagaries of customers, the Bank offers more than ten different variants under RuPay, VISA and Mastercard brands.
- Each flavour of the card is designed to meet specific customer segments. The card variants include Classic, Gold, Platinum, Signature, Select etc. All the variants are NCMC enabled NFC cards.
- Government scheme specific cards viz., PMJDY Cards, Kisan Credit Cards etc., are also offered to the public.
- Both Insta Cards (without customer name) and Personalised cards (with customer name) are offered as per preference of the customers.

- Self-activation of the debit card by the customers, change PIN through Green PIN generation (for all types of cards including PMJDY, KCC, NRO) through different channels are enabled for ease of use.
- Various self-service facilities like enable/disable e-com, enable/disable international transactions, setting separate card limits for different types of transactions, block debit cards, are enabled for card holders through Internet Banking, Mobile Banking, IOB Website, Contact centre and Bank's Branches.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- Cards are issued with the National Common Mobility Card (NCMC) feature of RuPay for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking and IOB ATM.
- Green PIN is enabled for all types of A/cs including PMJDY/KCC/NRO/NRE and INSTA card customers.

MOBILE BANKING

- IOB Mobile Banking App is one of the best user friendly and comprehensive MB Apps.
- Available in both Android and iOS devices
- Product has all the advanced features such as:
  - Self-registration without visiting the branch.
  - Login using Biometric authentication/ Face recognition (IOS) for enhanced security and access.
  - Payee sync between Net Banking and Mobile Banking
  - Debit card Apply, Replacement and Upgrade
  - Debit card New PIN Set/ Reset PIN and change Old PIN
  - ASBA – IPO application – View and withdraw applied IPO
  - Loan repayment.
  - Cooling period for payee addition introduced.
  - Form 15G/H submission.
  - PMJJBY/PMSBY insurance enrolment
  - mPassbook facility available to view & download account statements
  - Voice assistance facility
  - Deposit opening including 444 days, renewal, pre-closure and closure
  - Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.
  - Pay Later/Standing Instructions facility
  - Mobile Banking application in 10 regional languages
  - Scan & Pay Integrated with Mobile Banking
  - Complaints/Fraud Reporting
  - Shop at your favourite store & buy Clothing, Accessories, Furniture, Electronics & much more with added reward points.

INTERNET BANKING

- Currently the Bank provides Internet Banking through its in-house platform.
- Major features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments, Bill Payments, Top Up of Prepaid Cards, and Credit Card Payments.
- Internet Banking application is available in 10 regional languages.
- Facility to avail Demand Loan against Deposit.
- Foreign Outward Remittance to Singapore enabled in Internet Banking.
- Open PPF account without stepping into Branch.
- Online registration and self-activation through Debit Card (Retail).
- Opening/Closure/Renewal of Deposits.
- Block/Unblock/Upgrade/ Set Green PIN/Change Limits of your Debit Card
- Apply/View for Govt Schemes viz NPS, SGB, PPF etc.
- Apply for IPO (Initial Public Offering) both for retail and corporate.
- Download e-Statement, Deposit/Loan Interest Certificates etc.
- Enable / Disable AEPS
- Funds Transfer to VAN ID (My Account My Name ID) through Net Banking
- During the ensuing FY 2024-25 the Bank will be migrating to a new Internet Banking platform enabled by M/s Edgeverve through Digital Engagement Hub which will enhance the Online Banking experience of customers.

BHIM IOB UPI

- The Bank Introduced its BHIM IOB UPI App in the year 2016.
- The Bank launched BHIM IOB UPI (with UPI 1.0 in 2017 and UPI 2.0 in 2021).
- In the FY 2023-24 the Bank introduced UPI LITE App as integral part of BHIM IOB UPI App; using the UPI Lite App, customers can make faster payment up to Rs.500 without UPI PIN.
- Revamped BHIM IOB UPI application was launched in April 2024 with Simplified User Interface and enhanced digital experience.
- Make payment using UPI ID, Account number and IFSC and by scanning any QR code.
- Pay to any mobile Number with UPI Number functionality.
- Use Request Money feature for collecting payments.
- Create UPI mandate for recurring payments.
- Set/Reset UPI PIN using Debit Card or Aadhaar card.
- Self-Transfer facility in case of multiple accounts.
- Add Payee for faster payment.

- Launched multi-lingual Soundbox facility and IOB UPI Vyapar application in 2023 for simplifying merchant's day-to-day activity.
- We have introduced UPI Lite for low value transactions & central mapper.

RTGS/NEFT

- Available for Customer and Inter Bank transactions.
- Customers can avail NEFT facility through Mobile Banking and NEFT/RTGS through Internet Banking.
- NEFT & RTGS channels are functioning 24 X 7.
- NEFT Charges are waived for NEFT transactions initiated through online mode (via internet Banking and mobile Banking) for savings account customers.

IOB PAY

- It is an integrated online payment system which offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. It is an easy and effective way of collecting payments for the merchant customers of our Bank.
- Services are provided through in house developed products with integrated Aggregators/Directly through PG Aggregators.
- Bank has recently empaneled 10 (ten) number of PG Aggregators through EOI process for providing payment gateway to merchant customers of our Bank. This will help the Bank to provide industry standard payment gateway solutions to corporate merchants with website/without website and by providing customized mobile applications/ERPs etc.
- 935+ merchants have been registered in IOB Pay.
- The Bank also provides various other Digital Banking Payment Solutions viz., Point of Sales Machines (PoS), QR Code enabled Payments through Ready to use QR codes to new customers, Voice Message Based QR Code handsets etc., IOB Fastag for prepaid stickers for highway Toll charges payment etc.

TECHNOLOGY & DIGITAL INITIATIVES DURING FY 2023-24

In its endeavor to serve customers across diverse generations and achieve customer delight by delivering innovative solutions, the Bank has been investing remarkably on digital initiatives as part of its digital transformation journey coined as "e-Sankalp", aligning with the technology trends across the industry.

Towards ensuring a robust and resilient technology infrastructure, the Bank has set up a state of the art on-premises container platform and is leveraging it with on-premises private cloud setup, which facilitates hybrid cloud foundation for building and scaling containerized applications. The Bank has established an Integrated Payment Hub to handle diverse payment solutions, modes of payment and scaling up to the growing transaction volume and equally supporting the business growth of the Bank.

The Bank has been amongst the pioneering Public Sector Banks to be authorized by UIDAI to leverage "Aadhaar Face authentication" for customer onboarding which will facilitate our Bank customers to authenticate in a contact-less way in the initiatives like account opening, Re-KYC, registering for Govt. schemes etc. The Bank continues to roll-out various unique customer-centric solutions like "My Account My Name", "Online Safe Deposit Locker", "Online Account Number Portability" which transforms the experience of customers.

For instance, the initiative "My Account My Name" empowers the customers to give a customized 7 charactered name of their own choice to their IOB Account and integrate it with all payment systems and digital financial solutions; without the need to remember the long account number given by the Bank. Similarly, another unique initiative of the Bank, "Online Safe Deposit Locker Allotment", helps customers to find the availability of safe

deposit lockers at the place and branch of their choice; and to apply for automated locker allotment. Further, the "Online Account Number Portability" facility allows the customers to transfer their Savings Bank accounts to their nearest branch of proximity & convenience without the need to visit any branch physically at either end, when they relocate from one place to another.

As part of enhancing the service delivery channels, the Bank has introduced Aadhaar centric "Tab Banking" tool to provide any-time any-where service for account opening and many related services. Through leveraging the tab Banking channel, the staff members are able to deliver the Banking services at doorsteps of all types of individual customers and ensure that the Bank remains a market leader in service delivery under Financial Inclusion.

The Bank has rolled out a "Customer Relationship Management" tool which enhances the operational efficiency through data driven insights. It helps employees to get a comprehensive view of customers & valuable relationships enabling them to recommend the best product, cross sell it and offer best services. While many new digitalized Loan products are introduced through our Loan Origination System for branch journey, customer self-service journeys, the Bank has provided Mobile Apps to all the field staff members to ensure prompt follow up and recovery of loan dues, which enhances the collection and recovery of loans. Bank has also rolled out Office note automation for internal committee & management approvals to minimize / eliminate paperwork.

To enable the timely delivery of all these products and features, and ensure seamless customer experience, the Bank has also upscaled its technology infrastructure with state-of-the-art systems & networks along with secure software and solutions. The Bank commits itself towards continuing these technological cum digital initiatives in the ensuing financial year as well, with more intensity, by partnering with Fintech companies leveraging the benefits of Data Analytics, AI/ML and other upcoming technological trends and innovations.

INFORMATION SECURITY

- Board approved Information Security Policy, Cyber Security Policy, Digital Payment Security Control Policy, Technology Risk Management Policy, Cyber Crisis Management Plan, Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan are in place.
- Bank's Information Security Department is certified with ISO 27001:2022 which is a recognition for following the information security best practices.
- Bank has achieved PCI-DSS certification. PCI DSS stands for Payment Card Industry Data Security Standard. It is a set of security standards designed to protect the payment card data of cardholders and ensure the secure handling of cardholder information by organizations that process, store, or transmit payment card data.
- Data Centers are in place which facilitates Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections and Dual connectivity from different alternate service providers/ media for branches have been established.
- Firewall and Intrusion prevention systems are in place.
- Bank has implemented a Data Classification tool to classify the sensitive information and ensure the security of confidentiality and privacy of sensitive information.
- Deception tools have been implemented which detect threats early with low rates of false positives.
- Bank has a Static Application Security Testing (SAST) and Dynamic Application Security Testing (DAST) tool to identify potential weaknesses and vulnerabilities in the applications.
- A Security Operating Centre (SOC) operates 24*7*365 days to monitor and analyze the information security incidents to take preventive and corrective steps.
- Regular DR drills are being conducted every quarter to ensure availability.

- Bank has disseminated security awareness through educational series in Bank's website, Internal circulars, posters, SMSs, messages through ATM Kiosk, Internet Banking, Mobile Banking and Social Media Handles (Facebook, twitter etc.).
- Bank has also uploaded cyber security awareness videos on the Bank's website, social media accounts such as Facebook, twitter, YouTube etc. to create awareness.
- Bank has conducted Cyber Security awareness training for all the staff members and third-party service providers.

GOVERNMENT ACCOUNTS

Direct Tax Collections:

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes. Direct tax collection has been enabled in internet Banking and over the counter (OTC) in all branches. During the year, the Bank has handled transactions amounting to Rs.12774.81 crores and earned a commission of Rs.1.22 crores.

Indirect Tax Collections:

The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the introduction of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year, the Bank handled transactions amounting to Rs.18150.56 crores and earned a commission of Rs.1.63 crores.

Payment of Pension:

Bank is serving pensioners of Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu, and Malaysian Government Pension.

Our Centralised Pension Processing Centre (CPPC) disburses the pension for various departments of Central Govt., such as Civil, Defence, Railway, Telecom and Postal wherein the total number of pension accounts is 33026 as on 31.03.2024. Bank has disbursed about Rs.1465.46 crores of such pensions during the year and received reimbursement within 3 days from the date of disbursement. In this regard, the Bank has earned a commission of Rs.4.16 crores during the year.

Other treasuries / Services handled:

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu and collection of various State Revenues. Bank has collected a state revenue of Rs.8716.35 Cr during the year 2023-24. Bank handles the Receipts and payments of Planning Commission and Department of Telecommunications totalling to Rs.1024.70 Crore. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 63 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.601.61 crore.

Small Savings Schemes:

Bank has been actively participating in the Government of India's Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana and Mahila Samman Savings Certificate 2023 and have contributed subscriptions of about Rs.2842.17 crores during the year.

New Govt Savings Scheme – Mahila Samman Savings Certificate, 2023:

The Ministry of Finance has advised the Banks to launch the new savings scheme – Mahila Samman Savings Certificate, 2023. The scheme has been implemented in our Bank and all branches are authorized to handle the scheme. Our branches have opened 10073 accounts during the year.

Sovereign Gold Bond Scheme (SGB):

During the year, the Bank has collected Rs.255.14 crores of subscription amount under SGB and earned an income of Rs.2.56 crore.

National Pension System:

All our Bank Branches have been enabled for accepting subscriptions of NPS. During the year, our branches have opened 1859 NPS accounts**.**

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

1. **Recruitment & Staff strength**

The Bank's staff strength stood at 21475 Comprising 12353 Officers, 7423 Clerks and 1699 Sub-staff as of 31st March 2024.

- During the year 2023 - 2024, 48 Probationary Officers in JMG Scale I and 173 Clerks have joined the services of our Bank through IBPS Common Recruitment Process (CRP). Also, 15 Specialist officers (IT) in MMG Scale II, 1 Specialist Officer (Fire) in JMG Scale I have joined the services of our Bank who are recruited by our Bank.

  Of the total staff strength, 4229 members belong to SC category, 1580 to ST Category, and 7099 to OBC Category. Staff Strength includes 7786 Women employees, 848 Ex-servicemen and 490 physically challenged members.

2. **Motivation**

Employee Day:

Employees are the first and foremost assets of our Bank and Bank always believes in continuous motivation to gain confidence of employees.

Our employees have always displayed impeccable commitment and dedication to our esteemed organization, at all times, and conducting "EMPLOYEE DAY" is one way of actively involving all our employees, knowing and resolving their issues and grievances, making them feel appreciated for their professional as well as personal achievements, and thereby, re-instilling a sense of belongingness and ensuring that they propel towards higher levels of performance. Every 3rd Saturday of the month is celebrated as Employee Day across the country.

ASK US:

Our Bank has always been proactive in providing its employees with ample learning opportunities and the "ASK US – Online Help Desk" is one such initiative introduced by our Bank.

It is a Real Time Online Platform provided for our staff members for clarifying their Banking related doubts, become more confident in discharging their day to day duties and thereby, render efficient customer service.

Our Bank's endeavour and approach towards training and developing our employees has always been to improve on the current processes, build capacity in the Bank to offer better Banking service by addressing the knowledge gap, by providing staff members with ample learning opportunities.

All Regional Offices and CO Departments will identify Resource Persons from their respective workplace. These Resource persons will in turn help the staff members in clarifying their doubts on a real time basis.

All Ideas Matter (AIM):

Employees form the most important component for the progress of our Bank. Hence suggestions from them help the Bank in framing better policies and procedures. Keeping this in mind our Bank has introduced a Staff Suggestion Scheme named "ALL IDEAS MATTER" – Unleash your ideas wherein all staff members irrespective of the cadre are encouraged to offer their valuable suggestions and ideas.

On a quarterly basis the suggestions received from the staff members are placed before a select Committee of GMs for scrutinization and the best suggestions are selected on consensus. Those staff members whose suggestions are awarded as best suggestions will be provided with an appreciation letter and the suggestion is shared with the concerned Department for feasibility study.

Reward and Recognition Policy:

The major aim of reward and recognition policy is to attract and retain the best talent. To attract and retain the best talent, it becomes important to recognize the efforts put in by the employees in terms of performance, attitude, and achievements.

The objective of reward and recognition policy is to promote motivation in the workplace and to build up a culture that is conducive for achieving organizational objectives and to make employees feel valued and appreciated for their good work done, either individually or through teams.

In this connection our staff members with exemplary performance are being rewarded with appreciation letters under various categories.

3. **Capacity Building**

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, the Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to enhance the knowledge of the staff members.

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to enhance their capability. The members who are currently working under any of the identified areas have to obtain the requisite certification within two years.

As a part of motivational measure, the Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

4. **Ethics Policy**

Ethics policy is in place covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on an annual basis.

5. **Lakshya – HR Transformation project**

Our Bank is embarking towards Human Resources Transformation by engaging an external consultant. The Project name is "Lakshya" - Moving forward towards Excellence. The main objective of this project is to have a comprehensive IT / Digital Performance Management System solution which shall bring in major HR transformation, by enabling and optimizing the Bank for the future in terms of achieving business goals, talent management and complying with benchmark needs of EASE and other regulatory requirements. Most importantly, it will bring in requisite performance culture in the Bank, thereby allowing sustainable growth through collective performance of all employees.

The major upgradations will be on Performance Management System (PMS), where more than 80% of the roles will be having Measurable KRAs and 70% of the marks will be system driven. Also, it will help to allocate realistic targets in line with the market growth. This shall lead to more transparency, better efficiency, optimization of resources and enhanced productivity.

The above project commenced in the month of January 2024 and the complete transformation will be completed before the end of this calendar year.

6. **Job Family**

A Job Family framework for Officers is in place which comprises 10 families. Under HR transformation Bank has proposed to increase the Job families from 10 to 14.

The same was arrived at after grouping similar nature of tasks/ business vertical and related depts./ cells/ areas etc. under one family.

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the above Job Families have been grouped/ classified under the given Job Family.

7. **Training**

Keeping in view of the corporate goal and making the Bank a customer centric one, training has been imparted on contemporary issues of Banking apart from basic areas of Banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second Line Managers were conducted for all staff members through various modes (Online and Offline)

Pre-Promotion Training for SC/ST/OBC/PH members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted through online mode.

The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Clerks who retired during the year.

Internal Training

Our Bank's internal training system comprises One Staff College and Twelve Staff Training Centres (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2023 – 24 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Sub staff	Total	SC (Out of Total)	ST (Out of Total)
Training imparted to Individual Staff members (irrespective of no. of trainings attended)	6871	4429	1010	12310	2630	957
Training imparted during FY 2023 - 24 (based on total no. of trainings attended by members)	8854	5188	1083	15125	3286	1257

External Training

We had also deputed 1321 Executives/Officers/Clerical for training programmes conducted by reputed external institutes like IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, ASCI-Hyderabad, Oracle University, CAB – Pune, RBI, Wrights Training and Consulting LLP, State Bank Institute of Leadership (SBIL), NAMCABS, IIBM-Guwahati, Industrial Management Academy, CAFRAL – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA, IIBF, NIBSCOM, Bird-Lucknow, VMware, Madras Chamber of Commerce and Industry.

Apart from the general and subject concerned training programmes, Bank has also conducted special training programs to the top performers of the CASA campaign to encourage the top performers.

Also, 94 Executives have been imparted special training on Communication skills by Centre for Organization Development (COD), 177 Executives/Officers have been trained on various Leadership Development Training Programs by reputed training institutes like ASCI, NIBM etc.,

E-Paatashala – Online e-Learning portal

E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 71 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2023 - 24. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala). The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular basis. A total of 7425 Officers completed all 06 Mandatory modules (out of 71 available modules) under E-Paatashala.

Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS)

To have a formalized grievance redressal mechanism for our staff members, a Standard Employee Grievance Redressal System (SEGRS) online portal is made available to lodge the grievances of our staff members. The Grievances/Complaint Main areas are grouped in various categories related to Facilities, Behaviour, Allowances etc.,

These grievances will be redressed at two levels - Regional Office and Central Office. The complaints will be escalated to the next level on a time bound basis and redressed accordingly.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

To monitor and maintain a good Industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/matters of IR nature are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank. Disciplinary action is initiated against staff members who remain on unauthorized absence

Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

HRMD-IR Section, Central Office holds discussions with the Officer Association / Workmen Union for redressal of grievances of staff members regarding staff benefits / IR issues etc.

During the financial year, upon signing of the 12th Bipartite Settlement and 9th Joint Note, payment of arrears / revision in salary were made to Award Staff and to Officers.

The quantum of Staff Vehicle Loan for purchase of two wheelers / four wheelers by staff members was increased and interest rates on Staff Vehicle Loan was also reduced.

Similarly, the quantum of Staff Housing Loan was increased considerably during the financial year and interest rate was reduced.

Relief Loan was sanctioned to staff members who were affected by the Cyclonic Storm "MICHAUNG" and the floods caused by it in the State of Tamil Nadu.

The reimbursement of expenses incurred by officers towards transport of personal goods on transfer from one place to another and the reimbursement of Travelling Expenses to Officers who use their own vehicle for office duty was increased as per the guidelines prescribed by IBA.

We obtain statements from all staff members regarding their 'Movable, Immovable and valuable properties' as at the end of March every year. For the year ended 31.03.2023, most of the staff members have submitted their returns which were also scrutinized.

To prevent Sexual Harassment of Women at Workplace, Internal complaints committees were constituted at all administrative offices (Central / Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2023 – 2024 is as follows:

Complaints pending as at the beginning of the year (01.04.2023)	Complaints received during the year 2023-24	Complaints disposed off during the year	Complaints pending as at the end of the year (31.03.2024)
0	6	1	5

Industrial Disputes / Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed of expeditiously.

CONDUCT AND DISCIPLINARY ACTION CELL

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2023-24, due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, we have disposed of 357 cases. During the year under review, the Bank issued 353 new charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 270 cases as on 31.03.2024, out of which 163 are Vigilance cases and 107 are non-Vigilance cases. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame. The number of Disciplinary cases has been brought down to 270 cases amidst an inflow of 417 new cases during the financial year 2023-24. Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, video conference etc. to speed up the Disciplinary proceedings.

Disciplinary authorities, IA& PO have been sensitized to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time.

REPRESENTATION OF SC/ST/OBC EMPLOYEES IN INDIAN OVERSEAS BANK:

Category of posts	Total No. of employees As on 31.03.2024	No of SCs	% Of SCs	No of STs	% OF STs	No of OBCs	% Of OBCs	No of Gen	% Of Gen
Officers	12353	2114	17.11	1155	9.35	3936	31.86	5148	41.67
Clerk	7423	1459	19.66	369	4.97	2612	35.19	2983	40.19
Sub-Staff	1318	486	36.87	46	3.49	419	31.79	367	27.85
Sweeper	381	170	44.62	10	2.62	132	34.65	69	18.11
Total	21475	4229	19.69	1580	7.36	7099	33.06	8567	39.89

Rosters:

As per Ministry guidelines, promotions and recruitment rosters are maintained at Head Office to ensure adequate representation of SC/ST/OBC employees. Inspection of Rosters is carried out on a regular basis. Roster Register

for the Calendar year 2019, 2020, 2021 & 2022 have been verified by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi.

Trainings:

Pre-Promotion training is conducted for SC/ST/OBC/PwBD employees before the commencement of the promotion examinations.

CLOs & Office Bearers of SC/ST & OBC welfare Associations were imparted training on Reservation norms, Rosters and other Govt. guidelines.

Welfare of SC/ST/PwBD/ Ex-Servicemen Employees:

The Reservation Policy for SC/ST/PwBD/Ex- Serviceman which is applicable for Banks under Government of India is also applicable to Indian Overseas Bank. As stipulated by the Government of India Reservation Cell is functioning under the direct control of Chief Liaison officer which ensures the implementation of the rules of Reservation. The Cell takes care of the grievances of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Differently abled Persons.

Quarterly meetings with the majority Welfare Association are held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matters/welfare of our SC/ST Employees.

Welfare of OBC Employees:

The Reservation Policy for OBCs which are applicable for Banks under Government of India are also applicable to Indian Overseas Bank.

Bank has a Reservation Cell at the Central Office, which is under the direct supervision of the Chief Liaison Officer, who is in the rank of General Manager. The Chief Liaison Officer through the Reservation Cell ensures that the Government guidelines are implemented in the Bank.

Half yearly meetings with the majority Welfare Association are held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matters/welfare of our OBC Employees.

Loan Facilities for SCs/STs Beneficiaries:

Our Bank has Schemes like CEGSSC and Stand-up India for welfare and upliftment of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes and all other credit facilities of our Bank cater to the needs of all classes of society including Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

CEGSSC (Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes): provides Guarantee cover to Scheduled Caste borrowers for the loans up to Rupees Five Crores.

Stand up India: Provides Guarantee cover to Scheduled Caste/Scheduled Tribe & Women borrowers for the loans from Rs. 10 lakhs to Rs. 1 Crore.

SECURITY DEPARTMENT

Safety, Security and precautionary measures, as and where required, mandated and suggested were reviewed, studied and implemented in all Branches, ATMs and Administrative Offices keeping in view the local law and order, crime rate and modus operandi of the crimes against Banks in mind. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Portable fire extinguishers for fighting A, B and C classes of fire have been provided at all Branches and Administrative Offices. Self-operating Modular Fire Extinguishers have been provided in UPS rooms across all branches. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security gadgets viz., CCTV and Burglar Alarm system

functioning 24x7x365 days incorporating Passive Infra-Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches. Integrated Alarm system installed in vulnerable branches and outsourced Watchmen/ Armed Guards deployed at vulnerable ATMs and branches, on a case-to-case basis. RSO's (Regional Security Officers) deployed in various Regions have visited Branches, checked functioning of security gadgets installed, educated staff about handling and importance of these gadgets and need for routine checking of same, assessed Risk perceptions of Branches and ATMs and have taken adequate corrective measures to provide a safe working environment in Branches. Most of the Currency Chests have been sanctioned outsourced fortified cash vans with two armed guards for safe transfer of cash to needy Branches and lifting of the same from wherever it is in excess and the same is reviewed by the Security Department at Central Office.

OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the FY 2023-24. The Bank is committed to achieve all the goals of the Annual Program formulated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. 853 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Government of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all the computers in Administrative Offices and all the Branches. Four editions of our in-house Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form, have been published. The Bank has conducted All India Official Language Conference for Official Language Officers on 14th and 15th July 2023 at Staff College, Chennai. The said program was chaired by our MD & CEO and Ms. Anshuli Arya, Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India has also attended as a chief guest. Regional Offices and Branches, who have done excellent work in the field of Official Language implementation were rewarded under the Rajbhasha Shield Scheme. Also, the Regional Offices whose publication of E-Magazine was excellent were rewarded in the said conference.

Our Bank has received the prestigious 'Rajbhasha Kirti" First Prize from the Ministry of Home Affairs, Government of India for Financial Year 2022-23, as a certification of the efforts made by our Bank towards the implementation of Official Language and Magazine, which was received by Sri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. Our MD & CEO got the opportunity to address 10,000 participants on the subject of "**नराकास - राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावशाली मंच**" at 3rd All India Official Language Conference on 15th September 2023 at Pune (Maharashtra), scheduled by Ministry of Home Affairs. Our Regional Office Goa has secured 2nd Prize from Regional Implementation Office, Govt. of India for Official Language Implementation for the FY 2022-23. Our 33 Regional Offices along with Branches have received awards from respective TOLICs. Our 25 Regional Offices were inspected in connection with Official Language implementation by the Official Language Department, Central Office.

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language has conducted inspection of Regional Office Chandigarh, Regional Office Raipur, Regional Office NCR Delhi, Regional Office Pune, Regional Office Jaipur, Rajkot Branch, Regional Office Ahmedabad, Regional Office Mumbai and Regional Office Goa on 18th April 2023, 24th May 2023, 14th June 2023, 13th September 2023, 04th October 2023, 08th January 2024, 10th January 2024, 12th February 2024, and 15th February 2024, respectively. The said committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All-India Hindi Essay Writing competition was held on 18th September 2023 for staff members. Bank has also conducted an inter-Bank All-India Hindi Essay Writing competition in December 2023 for the staff members of all Public Sector Banks and FIs. Award winning articles of the said competition have been compiled and published in a book form as "निबंध संचय भाग-2". We have also published 'फ़िनेकल मेनू सहायिका', which describes the command of Finacle menu and their uses. On 10th January 2024, World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices. On this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Various Hindi competitions were conducted by Regional Offices on Bank's 88th Foundation Day celebrations on 10th February 2024. Central Office has conducted a seminar on "सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में भारतीय भाषाएं" for executives on 21st February 2024 on occasion of International Mother Language Day.

Our Bank has introduced a cash incentive scheme for staff members, who are doing excellent implementation of Official Language in January 2021. Under this scheme, staff members who have excelled in the Official Language are being given an incentive of Rs. 1,000 and there is a provision to confer certificate to 12 staff members from central office and 3 staff members from each Regional Office & 6 staff members from Branches coming under their jurisdiction of respective ROs during every half year. During FY 2023-24, a total of 620 staff members were awarded with cash incentives and certificates under this scheme.

STATUS OF IMPLEMENTATION OF IND AS IN OUR BANK

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards). RBI vide circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all Banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements every half year. A Project Steering Committee headed by the Executive Director has been formed for monitoring Implementation of Ind AS in the Bank as per RBI directive. Bank is submitting Proforma Ind AS Financial Statements to RBI on half yearly basis regularly after approval of Project Steering Committee.

PSBS – REFORM AGENDA – EASE – ENHANCED ACCESS & SERVICE EXCELLENCE

EASE Reforms Agenda was launched in 2018 by IBA under the guidance of DFS. EASE Reforms Agenda focused on bridging operational and capability gaps between public and private sector Banks. The EASE programme sets a common reforms agenda for public-sector Banks every year. EASE aims to foster new-age reforms in Public sector Banks (PSBs) to improve profitability, asset quality, customer service and digital capabilities. The Enhanced Access and Service Excellence (EASE) program stressed on data analytics, automation, digitization, technology, asset quality improvement, outcome-centric HR and overall governance. EASE Reforms Agenda has significant contributions in increasing performance, transparency and accountability across all the PSBs.

EASE 6.0 introduced for financial year 2024 focuses on the 4 themes:

1) Delivering excellence in customer service with digital enablement.

2) Digital and Analytics Driven Business Improvement.

3) Tech and data enabled capability building.

4) Developing People and enhancing HR operations.

Bank has actively participated in EASE 6.0 programme and has taken necessary initiatives to showcase improved performance under EASE Reform Index.

Awards & Accolades:

➢ Bank has been recognized as the 2nd Best Top Improver and 2nd Best in Earliest Clarification Closure under EASE 5.0 for the FY 2023.

➢ Bank's Ranking under EASE Reform Agenda improved to 9th Position.

PLANNING & ECONOMIC DESK

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional Daily MIS to Top Management & various study analysis. The economic desk supports Top Management with day-to-day developments in the economy, apart from analysing the Government/ RBI policies at regular intervals.

NEW DEVELOPMENTS:

Keeping in view the demand and requirements of branches and in line with the offerings of other Banks in the market and to make our product more competitive, we have gathered inputs and made suitable modifications and introduced and revamped liability schemes in order to make them move in the market as a competitive product.

1. **Revamped SB schemes**

   a) To meet the needs and expectations of the existing as well as new customers and to be in line with the changing industry trends, we have revamped our existing saving account schemes.

   b) Objective of revamping the savings account scheme was to reduce/merge a large number of schemes with similar features and by adding more attractive dynamic features in those schemes in line with the current industry trend.

2. **IOB RERA Current Account**

   As per Real Estate Regulatory Authority (RERA) Act, every promoter needs to open a separate Bank account called RERA designated/ Project Account for getting himself registered under RERA. RERA Account is an exclusive current account scheme for Realtors to comply with provisions and guidelines of RERA Act 2016.

   To cater the needs of the promoters/realtors, we have introduced IOB RERA current account scheme.

3. **IOB Freedom Savings and Current Account**

   a) In order to meet the needs and expectations of the dynamic Banking industry and in the context of offering innovative products, a subscription-based model of saving account and current account has been introduced.

   b) The product provides customers with unlimited access to ATMs across the country with no minimum balance requirement, free from concerns about additional charges and a bundle of attractive features. Personal accidental insurance coverage of Rs. 10.00 lakhs is available in both saving and current account.

   c) The annual subscription fee is Rs 1600/- (Rs One Thousand Six Hundred only) (inclusive of GST) for saving account scheme and Rs. 3000/- (Rs Three Thousand only) (inclusive of GST) for current account scheme.

4. **IOB Green Deposit Scheme**

   Climate change has been recognised as one of the most critical challenges faced by the global society and economy in the 21st century. The financial sector plays a pivotal role in mobilizing resources and their allocation thereof in green activities/projects. Our Bank is committed towards creating a sustainable world by encouraging the low emission & eco-friendly activities and financing such projects. As part of the regulatory framework, our Bank has introduced the IOB Green Deposit Scheme and all deposits accepted under the Scheme shall be utilized for financing green activities and projects and developing the green finance ecosystem in the country.

5. **Introduction of TAB Based Banking**

   a) As part of digital transformation, our Bank has rolled out a customer onboarding solution for opening saving accounts. To further ease the process of account opening, Aadhar Biometric based instant account opening through Tab gadgets with integrated web camera and fingerprint scanners has been introduced.

   b) The application is integrated with UIDAI and NSDL facilitating the customer to be identified through Aadhar based biometric authentication and PAN validation. The process is integrated with Core Banking Solution (Finacle) for automated account opening.

PUBLIC RELATIONS

Press Release and Electronic Media Interaction

The Department in coordination with M/s. Concept Public Relations India Limited up to February 2024 and from 01st March 2024 with M/s.Veritas Reputation P. Ltd. disseminated 48 Standalone press releases and conducted 7 electronic media interactions.

Advertisement, Publicity, and other activities

The Bank has utilized various platforms for advertisement and publicity, including Print, Online Advertisement, FM Radio, Chennai Metro Train, Hoarding and Social Media. During the fiscal year, the Bank has spent Rs.83.19 Lakhs on Advertisement (Regulatory and Non Regulatory) and Rs.1.22 Crores on publicity.

As directed by DFS, the following Activities were organized centrally by the Bank:

- April to August 2023 - Azadi Ka Amrit Mahotsav - Celebration on 75 years of India's Independence. The Department co-ordinated with Regional Offices to conduct Customer Meet and Business Meet in Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Tamil Speaking Regions. Reports on AKAM events for Anchor and Non-Anchor Months were furnished to DFS.
- 14th June 2023 - World Blood Donor Day-2023 was observed, and our MD & CEO has administered the World Blood Donor Day Pledge.
- 13th to 15th August 2023 - Har Ghar Tiranga Campaign conducted across INDIA.
- 15th August 2023 - Partition Horror Day conducted at 25 selected branches across INDIA.
- 02nd October 2023 - Swachata He Seva campaign organized successfully by Cleaning Marina Beach and Park in Mount Road
- 26th November 2023 - Constitutional Day Pledge administered by MD & CEO
- 26th January 2024 - Bank celebrated 75th Republic Day at our Central Office and across Regional Offices. Top Management, Executives and Staff Members attended the unfurling ceremony at the Central Office.
- 08th March 2024 - International Women's Day celebrated across all Branches, Regional Offices and Central Office in India.
- The Bank, in coordination with SLBC, led the Vikisit Bharat Sankalpa. Initiative, empowering citizens through schemes like PMSVANidhi, Mudra, PMFME towards a developed India by 2047.

Other activities

- 21st to 28th July 2023 - Compliance Awareness week organised across India.
- 15th August 2023 - Independence Day greetings published in The Hindu – English Newspaper
- 30th October 2023 to 05th November 2023 - Vigilance Awareness Week (VAW) 2023 organized by the Bank under the guidelines under CVC guidelines, including Walkathon at Besant Nagar Beach.
- 10th February 2024 - Advertisement Aired on 88th Foundation Day Celebration through FM Radio Stations along with special Live action video posted on social media

Bank hosted/participated in the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committee Meetings held during the FY 2023-24

- 19th April 2023 -Study Visit of the Development - related Parliamentary Standing Committee on Industry at Mumbai.
- 17th May 2023 - Study visit of Committee on Government Assurances, Rajya Sabha at Chennai
- 19th May 2023 - Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation, Lok Sabha at Ooty
- 03rd July 2023 - Study Visit of the Committee on Government Assurances (2022-23), Rajya Sabha at Chennai
- 06th July 2023 Study Tour Programme of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2022-23) at Coimbatore

- 19th August 2023 - On the spot Study Visit of the Committee on Estimates, Lok Sabha at Rameshwaram
- 21st August 2023 - Study Tour of the Standing Committee on Finance (2022-23) in Chennai
- 26th August 2023 - Study visit of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj in Chennai
- 04th October 2023 - Study Visit of the Public Accounts Committee (2023-24) at Goa.
- 10th October 2023 - Study Visit of the Standing Committee on Communications and Information Technology (2023-24) at Mumbai
- 03rd November 2023- Study Visit of the Department-related Parliamentary 03rd November 2023- Standing Committee on Industry at Srinagar
- 04th November 2023- Study Visit of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development at Swaraj Dweep (Havelock Island)
- 08th January 2024 - Studt Visit of the Committee on Welfare of Other Backward Classes (2023-24) at Chennai.
- 25th January 2024 - Study Visit of Department - related Parliamentary Standing Committee on Industry at Mahabalipuram.

Social Media

- The Bank's official Social Media platform was effectively used to enhance the brand image of the Bank. A dedicated social media team has been formed to further enhance and build our Brand Image.
- As of March 31, 2024, our subscriber count on YouTube - 3,60,203, Facebook – 1,14,718, Instagram – 86,631, X – 40,936 and LinkedIn – 29,068 totaling 6,31,556 subscribers
- Additionally, we are committed to regularly updating our social media channels with posts about our products and services, educating our customers and staff and significantly boosting our Bank's marketing visibility.
- During FY 2023-24, 853 posters/flyers/videos were posted on social media and 533 customer complaints received through social media were meticulously attended and resolved within 48 hours.

Corporate Social Responsibility

During FY 2023-24, the Bank spent a total of Rs.5.58 Crores on Corporate Social Responsibility (CSR), benefiting about 176,695 beneficiaries.

OUTLOOK FOR BANKING SECTOR

Public Sector Banks' cumulative profit has crossed 2nd time the Rs.1 lakh crore-mark in the financial year ended March 2024. All the 12 Public Sector Banks' have crossed the first-time cumulative profit of Rs.1 lakh crore in the previous financial year ended March 2023. The 12 PSBs witnessed 34.93% increase in net profit to Rs.1,41,203 Crore compared to Rs.1,04,649 Crore earned in 2022-23 due to higher interest income and improvement in management of non-performing assets.

Going forward, the Banking sector may continue to see double digit credit growth facilitated by a large increase in capex by the centre, increase in MSME loan supported by PLI scheme and increase in retail credit demand due to partnership with fintech for quick loan sanction and disbursement. However, Banks may face pressure on Net Interest Margin (NIM) because of rise in funding cost faster than lending cost and it is expected the repo rate cut cycle may start from the 2nd half year of the financial year 2024-25. Banks also see challenges from the deposit mobilisation front especially from low-cost CASA deposits. The strong competition among Banks for deposit mobilisation will keep the interest expenses for the Bank at higher side.

UNLOCK THE DOOR OF YOUR DREAM CAR
IOB VEHICLE LOAN
T&C Apply
Maximum funding upto 90 % of on-road price*
Special Concession based on Good CIBIL Score
Lower Processing Charges
Apply Now
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Corporate Governance Report 2023-24

CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE YEAR 2023-24

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance:

Indian Overseas Bank recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interests of all its stakeholders viz. Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn has enabled the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limited to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and Risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc. The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction, and control of the Board. The strength as on 31.03.2024 is ten directors comprising three whole time Directors, two Non-Executive Directors, four Part-time Non-Official Directors and one Director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest.

The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post of Chartered Accountant director is vacant since 25.07.2019.

The Bank has taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

b. Particulars of Directors who held office during the financial year 2023-24:

S. N.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Ap-pointments	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri Srinivasan Sridhar	Non-Executive Chair-man & Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.02.2024	--
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	01.01.2023	--
03	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director	Executive / Whole Time	31.01.2024	--
04	Shri Dhanaraj T	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2024	--
05	Smt S Srimathy	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2021	09.03.2024
06	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Executive Director	Executive / Whole Time	01.01.2023	30.01.2024
07	Shri Kartikeya Misra	Government Nomi-nee Director	Official Non-Executive	25.10.2023	--
08	Ms. Annie George Mathew	Government Nominee Director	Official Non-Executive	22.07.2016	24.10.2023
09	Smt Sonali Sen Gupta	RBI Nominee Director	Official Non-Executive	14.07.2023	--
10	Shri Vivek Aggarwal	RBI Nominee Director	Official Non-Executive	25.02.2022	13.07.2023
11	Shri Suresh Kumar Rungta	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
12	Shri B Chandra Reddy	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
13	Shri Deepak Sharma	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
14	Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director	Non-Executive	03.12.2022	--

Profile of Present Directors of the Bank as on 31.03.2024 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the Directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and declaration is as under.

"This is to confirm that the Bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct."

Shri Pranay Kumar, Assistant General Manager, is the present Secretary of the Board.

c. Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors:

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise /Competencies available with the Board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	Yes

d. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held twelve times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace since 2012-13. Subsequently, web-based portal is shifted to e-meeting portal which is a product of MobiTrail in FY 2019-20. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time, and resources. The Bank is also on the verge of embracing full automation of Board and Board level committee meetings which has been already launched on Pilot basis for one Board level committee which will be followed by all other Board level committee meetings from FY 2024-25.

- During the financial year 2023-24, the Board meetings were held 12 times on the following dates and places:

S. No.	Date of Meeting	Place
01	11.05.2023	Chennai
02	12.05.2023	Chennai
03	23.06.2023	Mahabalipuram
04	24.06.2023	Mahabalipuram
05	02.08.2023	Chennai
06	03.08.2023	Chennai
07	05.09.2023	Chennai
08	11.10.2023	Chennai
09	27.10.2023	Chennai
10	20.12.2023	Chennai
11	24.01.2024	Chennai
12	12.03.2024	Chennai

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. Wherever Leave of Absence is being requested by Directors, leave of absence is marked. All meetings have taken place partially/fully in electronic mode throughout the FY 2023-24.

- Attendance of the Directors at the Board meetings and last AGM held on are furnished below:

S. N.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 07.07.2023
01	Shri Srinivasan Sridhar	01/01	--
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	11/12	Present
03	Shri Joydeep Dutta Roy	01/01	--
04	Shri Dhanaraj T	01/01	--
05	Smt. S Srimathy	08/11	Present
06	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	10/11	Present
07	Shri Kartikeya Misra	03/04	--
08	Ms Annie George Mathew	05/08	--
09	Shri Vivek Aggarwal	04/04	
10	Smt Sonali Sen Gupta	07/08	--
11	Shri Suresh Kumar Rungta	12/12	Present
12	Shri B Chandra Reddy	12/12	Present
13	Shri Deepak Sharma	12/12	Present
14	Shri Sanjaya Rastogi	12/12	Present

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2024:

S. No.	Name of the Director	No. of Shares
1	Shri Sanjaya Rastogi	100

No other Non-Executive Directors hold any shares of the Bank.

e. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri Srinivasan Sridhar	1. Oracle Financial Services Software Ltd., 2. Nirlon Limited, 3. Graphite India Ltd., 4. Finca, Azerbaijan	**Oracle Financial Services Software Ltd.** 1. Audit Committee - as member 2. Corporate Social Responsibility committee - as member 3. Nomination and Remuneration Committee - as member 4. Risk Management Committee - as Chairman and

		5. ESOP Allotment Committee- as Chairman **Graphite India Ltd.** 1. Audit Committee - as member 2. Risk Management Committee - as Chairman **Nirlon Ltd.** 1. Audit Committee-as member 2. Nomination and Remuneration Committee - as member 3. Stakeholder Relationship Committee- as member 4. Corporate Social Responsibility Committee - as Chairman 5. Independent Directors Committee- as member
Shri Ajay Kumar Srivastava	Universal Sompo General Insurance Company	--

f. Membership in Committees:

Audit Committee of the Board, Risk Management Committee of Board, Information Technology Committee of the Board, Nomination and Remuneration Committee, Committee for Monitoring Large Value Frauds, Review Committee on Wilful Defaulters and Non-Co-Operative Borrowers, Board Committee for Performance Evaluation and Stakeholder Relationship Committee is chaired by Independent Directors. In view of RBI/SEBI/DFS guidelines, reconstitution of the committees has been done as per extant guidelines.

3. Committees of the Board:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for recording.

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
4. Customer Service Committee of the Board (CSC)
5. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries (CRDC)
6. Information Technology Strategy Committee (ITSC)
7. Board Level Steering Committee on Human Resources (BLSCHR)
8. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA (BLCMRNPA)

9. Committee of Board for Consideration of Appeals (CBCA)
10. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)
11. Nomination and Remuneration Committee (NRC)
12. Board Level Committee for Monitoring Large Value Frauds (CMLVF)
13. Review Committee on Wilful Defaulters and Non-Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
14. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
15. Credit Approval Committee (CAC)

3.1 Management Committee of the Board:

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a) Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board.

b) Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c) Proposals for approval of capital and revenue expenditure.

d) Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e) Filing of suits / appeals, defending them etc.

f) Investments in Government and other approved securities, shares, and debentures of companies, including underwriting.

g) Donations.

h) Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met twenty-two times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

S. N.	Name of the Director	Position	Tenure of Membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava##	Chairman	01.01.2023	--	22/22
02	Shri Joydeep Dutta Roy	Member	31.01.2024	--	03/03
03	Shri Dhanaraj T	Member	10.03.2024	--	02/02
04	Smt S Srimathy	Member	10.03.2021	09.03.2024	18/20
05	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Member	01.01.2023	30.01.2024	18/18
06	Smt Sonali Sen Gupta	Member	14.07.2023	--	12/15
07	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022	13.07.2023	04/07
08	Shri Suresh Kumar Rungta	Member	11.10.2023	--	08/08
09	Shri Sanjaya Rastogi	Member	03.12.2022	10.10.2023	14/14

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023, Chairman of the Committee since 01.01.2023.

3.2 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/SEBI. The Audit Committee of the Board (ACB) consists of only non-executive directors (NEDs). The Chair of the Board is not a member of the ACB. The meetings of the ACB are chaired by an independent director who is not chairing any other committee of the Board. The Chair of the ACB is not member of any committee of the board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members have the ability to understand all financial statements as well as the notes/ reports attached thereto and at least one member have requisite professional expertise/ qualification in financial accounting or financial management [e.g., experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

Executive Directors are joining the meeting as Invitee which is approved by the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- ⇨ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of RBI.
- ⇨ To review the internal inspection / audit function in the Bank the system, its quality and effectiveness in terms of follow up and also the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- ⇨ To obtain and review quarterly/annual reports from Compliance Department on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches.
- ⇨ To review compliance report on the directives issued by ACB/Board/RBI.
- ⇨ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual I quarterly financial statements and reports.
- ⇨ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI i.e., RAR/RMP etc.
- ⇨ Review on exposures to sensitive sectors, i.e., capital market & real estate.
- ⇨ Review of KYC/ AML Guidelines - (i) Review of implementation (ii) Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC / AML guidelines at branches.
- ⇨ Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers.
- ⇨ It should recommend the various policies in respect of Inspection and Audit/ Accounting/ Governance etc. of Bank for approval of Board in its meeting.
- ⇨ To review calendar notes as approved by ACB.

This Committee specially focuses on the follow-up of:

- ⇨ Inter- Branch Adjustment Accounts.
- ⇨ Unreconciled long outstanding entries in Suspense, Sundries, Funds in Transit, clearing Inter - Bank Accounts, Nostro Accounts etc.
- ⇨ Frauds and all other major areas of house-keeping.

⇨ Detailed report on fraudulent transactions relating to Internet Banking through phishing attacks pointing out in particular the deficiencies in the existing systems and steps taken by the IT department to prevent such cases.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A. Potential NPA / stress cases as and when required.

B. High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances.

C. Cases of One-time settlement involving high value loans.

D. High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the accounts.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges.

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient, and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing of Audit Plan and status of achievement thereof.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

Further as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, PART C, the role of the audit committee is defined which is part of Corporate Governance Policy.

The committee met eight times during the year 2023-24.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2023 to 31.03.2024 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

S. N.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
01	Shri B Chandra Reddy	Chairman	05.01.2022	--	08/08
02	Smt Sonali Sen Gupta	Member	14.07.2023	--	04/06
03	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022	13.07.2023	02/02
04	Shri Suresh Kumar Rungta	Member	05.01.2022	10.10.2023	04/04
05	Shri Sanjaya Rastogi	Member	11.10.2023	--	04/04
06	Shri Deepak Sharma	Member	05.01.2022	--	08/08

3.3 Risk Management Committee of Board:

Meetings of Risk Management Committee of Board (RMCB) is chaired by an Independent Director who is not Chair of the Board or any other committee of the board. The Chair of the Board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite Risk management expertise. Present Chairman of the committee is Shri Suresh Kumar Rungta who is an Independent Director. Role and Function of RMCB is to review and evaluate the overall Risks assumed by the Bank. The Committee will oversee the policy and strategy for integrated Risk management relating to credit Risk, market Risk and operational Risk. The Committee met five times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

S. N.	Name of the Directors	Tenure of Membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
01	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	05/05
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023##	--	05/05
03	Ms. S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	04/05
04	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	05/05
05	Shri B Chandra Reddy	21.10.2022	--	05/05
06	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	05/05
07	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	05/05

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023.

3.4 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed

quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is Non-Executive Chairman. The Committee met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

S. N.	Name of the Directors	Tenure of Membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023##	--	04/04
02	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	01/01
03	Ms. S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	03/04
04	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	03/03
05	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	10.10.2023	02/02
06	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	04/04
07	Shri Deepak Sharma	11.10.2023	--	02/02

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023, Chairman of the Committee up to 12.03.2024.

3.5 Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following:

- formulation of a Comprehensive Deposit Policy.
- issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account.
- product approval process with a view to suitability and appropriateness.
- annual survey of depositor satisfaction.
- triennial audit of such services. Besides, the Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered.
- to evaluate and review the level of customer services in the Bank. It shall also consider the new measures for improvement in Customer Services.

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

S. N.	Name of the Director	Tenure of Membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava##	01.01.2023	--	04/04
02	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	01/01
03	Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	03/04
04	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	03/03
05	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	04/04
06	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	04/04

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023.

3.6 Committee For Review Of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries:

It reviews the vigilance/ non-vigilances disciplinary and departmental enquires on quarterly basis and quarterly progress for staff accountability Examination in fraud cases involving Rs.50 crore and above. MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

S. N.	Name of the Director	Tenure of Membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava##	01.01.2023	--	04/04
02	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	01/01
03	Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	03/04
04	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	03/03
05	Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	--	01/02
06	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	24.10.2023	02/02
07	Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022	13.07.2023	01/01
08	Smt Sonali Sen Gupta	14.07.2023	--	02/03

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023.

3.7 Nomination and Remuneration Committee:

Nomination and Remuneration Committee (NRC) is carrying out necessary due diligence and arrive at the 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors as specified in RBI Master Direction DBR. Appt.No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Part D. It is also carrying out function of existing Remuneration Committee.

NRC is constituted with only Non-Executive Directors (NED). The meeting of the NRC is chaired by an Independent Director. The Chair of the board is not chairing the NRC. The meeting of NRC is held as and when required the Committee consists of five Non-Executive Directors.

The Committee did not meet during the year FY 2023-24.

3.8 Information Technology Strategy Committee:

Information Technology Strategy Committee (ITSC) is deliberating on the IT policy of technology adoption by the Bank for leveraging the developments in IT to improve business. It reviews and monitor progress of major IT enabled Business Initiatives and Technical Architecture of the Bank. Detail role and function is defined in Corporate Governance Policy.

The Chairman presides over the meetings of the Committee. At present, Shri Srinivasan Sridhar, part time Non-Official Director & Non-Executive Chairman is chairing the committee. The Committee had met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

The number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

S. N.	Name of the Directors	Tenure of Membership		Number of meetings attended/held
		From	To	
01	Shri Srinivasan Sridhar	12.03.2024	--	01/01
02	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	03/04
03	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	01/01
04	Shri Dhanaraj T	10.03.2024	--	01/01
05	Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	02/03
06	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	03/03
07	Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	--	01/02
08	Smt Annie George Mathew	25.07.2018	24.10.2023	02/02
09	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	11.03.2024	03/03
10	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022		04/04

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.9 Board Level Steering Committee On Human Resources:

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SN.	Name of the Directors/Member	Tenure of Membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	04/04
02	Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	04/04
03	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	04/04
04	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	24.10.2023	03/03
05	Shri Kartikeya Misra	25.10.2023	--	00/01
06	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	04/04
07	Dr T T Ram Mohan**	--	--	03/04

Membership since 09.10.2017 as Executive Director up to 31.12.2022, MD & CEO w.e.f. 01.01.2023. Chairman of the Committee since 01.01.2023.

** He is not an appointed director. He has been nominated for this Committee as HR professional (Ex-IIM Professor) in line with DFS guidelines.

3.10 Review Committee on Wilful Defaulters & Non-Co-Operative Borrowers:

Non-Executive Chairman is chairing this committee from 12.03.2024. The Committee met five times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SN.	Name of the Directors	Tenure of Membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
01	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	05/05
02	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	05/05
03	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	05/05

3.11 Stakeholders Relationship Committee:

The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II, SEBI (LODR) Regulations 2015, which is given below:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new /duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports /statutory notices by the shareholders of the company.

The Committee met four times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

S. N.	Name of the Directors	Tenure of Membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
01	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	04/04
02	Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	03/04
03	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	30.01.2024	03/03
04	Shri Joydeep Dutta Roy	31.01.2024	--	01/01
05	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	04/04
06	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	04/04

Compliance Officer:

Mr. Ram Mohan K is the Compliance Officer in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges during the period under review for complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2023	Nil
Received during the year	38
Redressed during the year	38
Pending as on 31.03.2024	Nil

It is confirmed that no investors' complaints remained un-resolved/pending for more than 30 days.

3.12 Board Level Committee To Monitor Recovery In NPA:

Board Level Committee to Monitor Recovery In NPA (BLCMRNPA) is reviewing and monitoring the recovery in all NPA accounts. It also reviews the NPA Management and also progress/ action taken report on various guidelines/ directions given by Government of India in respect of stressed assets. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met seven times during the period 01.04.2023 to 31.03.2024. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.13 Board Committee for Performance Evaluation:

To evaluate the performance of Whole-Time Directors and General Managers in charge of internal control (such as Inspection & Audit, Compliance & Risk) as per DFS guidelines. The Committee met two times during the year 2023-24.

3.14 Committee of Board for Consideration of Appeals:

Committee of Board for Consideration of Appeals acts as an Appellate authority/ Reviewing Authority in case of punishment/ Disciplinary action etc. is awarded to Executives where MD& CEO is the Disciplinary Authority (DA) or in his absence Executive Directors are Disciplinary Authority. Wherever, MD & CEO is the Disciplinary Authority, he/ she will not be the members of Committee for Appeal and Review. The Committee met once during the year 2023-24.

3.15 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off. Subsequently various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 19 times during the period from 01.04.2023 to 31.03.2024. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

4. Senior Management:

Particulars of Senior Management including the changes therein since the close of the previous financial year:

S. N.	Name	Designation
01	Mr. Rajeev Kumar	Chief Vigilance Officer
02	Mr. Sudhir Prasad Thakur	General Manager/HOD

S. N.	Name	Designation
03	Mr. Nataraj Karyampudi	General Manager & Chief Compliance Officer/HOD
04	Ms. Rajalakshmi Bhavani Shankar	General Manager/HOD
05	Mr. Lakshmi Venkatesh R	General Manager/HOD
06	Mr. A. M. Banerjee	General Manager/HOD
07	Mr. Mahesh Kumar S P	General Manager & Chief Financial Officer/HOD
08	Mr. Gopal S	General Manager/HOD
09	Mr. Mohan M	General Manager/HOD
10	Mr. Reyazul Haque	General Manager/HOD
11	Mr. Suresh P	General Manager/HOD
12	Mr. Shyam Sunder Narang	General Manager/HOD
13	Ms. Selvarani V	General Manager/HOD
14	Mr. Koustuv Majumder	General Manager & Chief Risk Officer/HOD
15	Mr. Shubhendu Kumar Verma	General Manager/HOD (Demitted office on superannuation on 31.12.2023)
16	Mr. Shiv Kumar Gupta	General Manager/HOD (Demitted office on superannuation on 31.12.2023)
17	Mr. Brundaban Nayak	General Manager/HOD (Demitted office on superannuation on 31.07.2023)
18	Mr. Nandakumaran S	Deputy General Manager & Company Secretary (Demitted office on superannuation on 31.05.2023)
19	Mr. Amit Srivastava	Deputy General Manager/HOD
20	Mr. Thirumurugan S	Deputy General Manager/HOD
21	Ms. Dhurga Devi M	Deputy General Manager/HOD

5. Remuneration to Directors:

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the Whole-time directors of the Bank, during the year 2023-24 are as under:

Name	Designation	Period	Details of Remuneration			Amount (Rs.)
			Salary	Arrears	PF	
Mr. Ajay Kumar Srivastava	MD & CEO	01.04.2023 to 31.03.2024	36,88,224.00	1,36,068.00	2,55,840.00	40,80,132.00
Ms. S Srimathy	ED	01.04.2023 to 09.03.2024	35,57,777.10	52,200.00	2,47,053.23	38,57,030.33
Mr. Sanjay Vinayak Mudaliar	ED	01.04.2023 to 30.01.2024	29,44,493.89	45,696.00	1,91,520.00	31,81,709.89

Mr. Joydeep Dutta Roy	ED	31.01.2024 to 31.03.2024	7,09,128.00	0.00	38,125.16	7,47,253.16
Mr. Dhanaraj T	ED	10.03.2024 to 31.03.2024	2,40,372.00	0.00	12,923.23	2,53,295.23

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

6. General Meetings:

Details of General Meetings (AGM/ EGM) held during the last three years are given here in below:

SN.	Nature of Meeting	Date, Day & Time of Meeting	Venue	Business Performed
01	EGM	12.05.2021 Wednesday 11.30 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai - 600 002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	To issue and allot 2,46,54,23,932 equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at an issue price of Rs.16.63 per equity share (including premium of Rs.6.63 per equity share) aggregating to Rs.4100 crore as determined by the Board in accordance with Regulation 164 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 on preferential basis to Government of India (Special Resolution).
02	21st AGM	07.08.2021 Monday 11.00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai - 600 002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March, 2021 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2021, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon. (Ordinary Resolution)

				b) Further issue of shares not exceeding 125,00,00,000 equity shares by way of public issue, rights issue, shares to employees, preferential issue and/or private placement/QIP (Special Resolution). c) Further issue of shares to employees under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 up to 82,18,00,000 equity shares of face value of Rs.10/- each under Employee Stock Purchase Scheme. (Special Resolution).
03	22nd AGM	15.07.2022 Friday 11.00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai - 600 002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March, 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2022, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon. (Ordinary Resolution). b) To raise Rs.1000 crores of equity capital by further issue of equity shares either by way of Follow-on Public Offer/ Rights Issue/ Qualified Institutional Placement or by any other means. (Special Resolution). c) To consider issue of shares to Employees under the "Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2022-23 (IOB-ESPS 2022-23)" (Special Resolution).
04	23rd AGM	07.07.2023 Friday 11.00 AM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai - 600 002 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)	a) Adoption of Audited Balance Sheet of the Bank as of 31st March 2023 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023, together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon. (Ordinary Resolution).

				b) Appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO (Ordinary Resolution). c) Appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as Executive Director (Ordinary Resolution). c) To raise paid up equity capital of Rs.1000 Crore through various options available (QIP/FPO/ Rights Issue/ESPS etc.) (Special Resolution).

- EGM for election of one shareholder director was scheduled to be held on 15.12.2022 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.
- In the 21st, 22nd and 23rd AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders' approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP) / Rights Issue / Preferential allotment or Follow-on Public Offer or Preference Shares (cumulative / non-cumulative).
- No Special resolution was passed during last Three previous years through Postal ballots.

The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 07.07.2023.

Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer (Chairman of the Meeting)
Ms. S Srimathy	Executive Director
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Executive Director
Shri Chandra Reddy B	Independent Director
Shri Suresh Kumar Rungta	Independent Director
Shri Deepak Sharma	Independent Director
Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director

e-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the issuer agrees to provide **e-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

7. Means of Communication:

- Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at **www.iob.in** The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts on its website.
- The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of Publication
30.06.2023	Business Standard	Dinamani	Business Standard	03.08.2023
30.09.2023	Business Standard	Dinamani	Business Standard	28.10.2023
31.12.2023	Financial Express	Dinamani	Jan Satta	25.01.2024
31.03.2024	Business Standard	Dinamani	Business Standard	10.05.2024

8. General Shareholder Information:

a) **AGM:** Date, Time, and Venue:

Date	02.07.2024 (Tuesday)
Time	11.00 a.m. (IST)
Venue	Virtual Mode (Through Video Conferencing or Other Audio Video Means)

b) **Financial Year:** 01st April 2023 to 31st March 2024.

c) **Dividend Payment Date:** Nil (No dividend declared for FY 2023-24).

d) **Unpaid Dividend:**

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of Banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by Banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
NIL		

e) **The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:**

Bombay Stock Exchange Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
Floor 1, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Annual Listing Fees for the year 2023-24 have been paid to both the stock exchanges within the prescribed due dates.

f) **Stock Code:**

Name of the Stock Exchange	Stock Code
ISIN	INE565A01014
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB

g) **Market Price Data:**

Period - Month	BSE		NSE	
	High Price (Rs.)	Low Price (Rs.)	High Price (Rs.)	Low Price (Rs.)
April 2023	26.00	**22.30**	26.00	**22.25**
May 2023	26.85	23.57	26.50	23.55
June 2023	26.05	23.61	26.05	23.70
July 2023	27.44	24.45	27.45	24.45
August 2023	33.44	25.70	33.45	25.70
September 2023	48.65	29.97	48.60	30.00
October 2023	51.00	36.65	51.10	36.65
November 2023	42.44	38.55	42.40	38.80
December 2023	47.49	39.25	47.50	39.25
January 2024	50.98	42.05	51.00	42.05
February 2024	**83.80**	48.00	**83.75**	48.00
March 2024	70.26	55.05	70.30	55.05

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2023-24, in the respective Stock Exchanges. Bank has not been suspended from Trading.

h) **Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2023 to 31.03.2024**

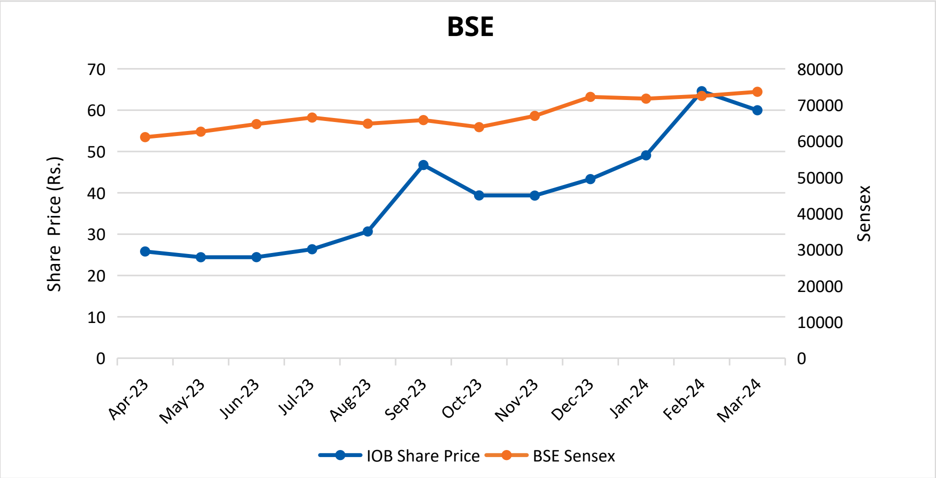

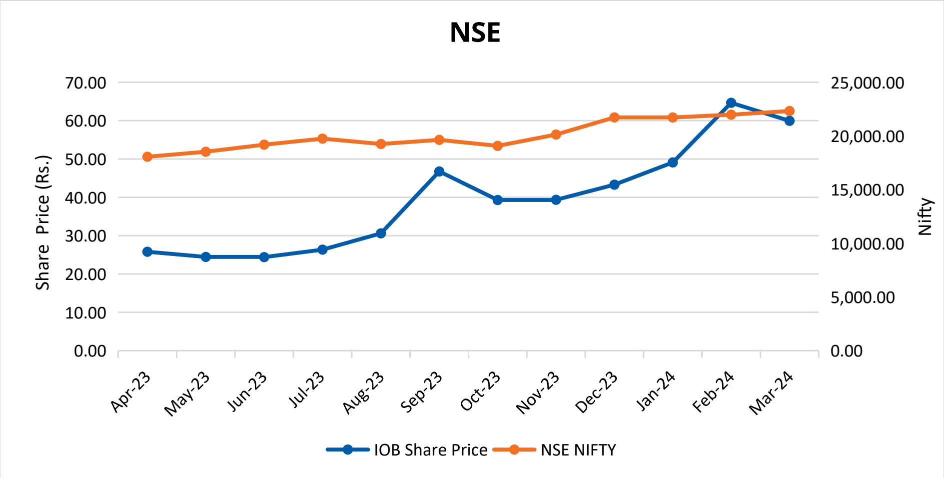

i) **Registrar & Share Transfer Agent:**

M/s. Cameo Corporate Services Limited (Unit - IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai - 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700 |Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

j) **Share Transfer System:**

SEBI vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialized form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form will be accepted. The Original Share Certificates along with Transmission / Transposition request should be forwarded to M/s. Cameo Corporate Services, Chennai, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transmission / transposition of shares.

k) **Distribution of shareholding as on 31.03.2024:**

SN	Category	No. of Share-holders	No. of Shares	% of holding
PROMOTERS HOLDING				
1	Government of India (President of India)	01	1821,83,26,570	96.38
	Sub-Total (1)	**01**	**1821,83,26,570**	**96.38**
NON-PROMOTERS HOLDING				

2	Institutional Investors (Domestic)			
	Mutual Funds	11	1,19,47,292	0.06
	Banks, Financial Institutions	04	1,09,200	0.00
	Insurance Companies	05	23,24,94,571	1.23
	Other Financial Institutions	02	56,347	0.00
	Sub-Total (2)	**22**	**24,46,07,410**	**1.29**
INSTITUTIONAL INVESTORS (FOREIGN)				
	Foreign Portfolio Investor	18	91,61,501	0.05
	Sub-Total (3)	**18**	**91,61,501**	**0.05**
NON-INSTITUTIONAL INVESTORS				
	Key Managerial Person	01	13,624	0.00
	Individuals	9,88,313	35,83,11,972	1.90
	NRI	4,319	87,20,697	0.05
	Bodies Corporate	1,148	1,31,94,155	0.07
	Overseas Corporate Body	01	48,000	0.00
	ESOP/ESOS/ESPS	8,268	4,20,84,080	0.22
	HUF	4,065	74,63,323	0.04
	Trusts	18	4,40,462	0.00
	Director and their Relatives	02	1,725	0.00
	Clearing Members	08	38,495	0.00
	Others	01	602	0.00
	Sub-Total (4)	**10,06,144**	**43,03,16,775**	**2.28**
GRAND TOTAL		**10,06,185**	**1890,24,12,256**	**100.00**

I) **Distribution Of Shareholding:**

i) Distribution schedule as on 31.03.2024(Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

Shareholding of Shares	No. of Shareholders	% to Total No. of Shareholders	No. of Shares	% to Total
01-100	6,57,833	64.29	2,19,76,032	0.12
101-500	2,44,241	23.87	6,58,07,969	0.35
501-1000	62,316	6.09	5,13,78,405	0.27
1001-2000	28,327	2.77	4,29,75,827	0.23
2001-3000	9,137	0.89	2,35,00,506	0.12

3001-4000	4,232	0.41	1,52,80,585	0.08
4001-5000	4,091	0.40	1,95,46,810	0.10
5001-10000	8,506	0.84	6,51,33,946	0.35
10001 and above	4,520	0.44	1859,68,12,176	98.38
Total	**10,23,203**	**100.00**	**1890,24,12,256**	**100.00**

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares:

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
Life Insurance Corporation of India	2280,87,393	1.21

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares:

Name of Shareholder	No. of Shares	% of Holding
NIL		

iv) Statement showing details of locked-in shares:

SN	Name of Shareholder	No. of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares
01	President of India	246,54,23,932	13.04
02	Public	NIL	NIL

v) Foreign Shareholding as on 31.03.2024:

SN	Category	As on 31.03.2024		As on 31.03.2023	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
01	Foreign Institutional Investors	NIL	0.00	NIL	0.00
02	OCBs	48,000	0.00	48,000	0.00
03	NRIs	87,20,697	0.05	89,97,058	0.05
04	Foreign Portfolio Investor	91,61,501	0.05	1,47,05,100	0.08
Total		**1,79,30,198**	**0.10**	**2,37,50,158**	**0.13**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2024 was 0.10%, which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

vi) Top Ten shareholders of the Bank as on 31.03.2024:

SN	Name of Shareholders	No. of Shares held	% of Total holding
01	President of India	1821,83,26,570	96.380
02	Life Insurance Corporation of India	22,74,01,943	1.203
03	Nippon Life India Trustee Ltd. - A/C Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees	65,22,372	0.034
04	Copthall Mauritius Investment Limited - ODI Account	39,35,456	0.020
05	Kotak PSU Bank ETF	34,96,780	0.018
06	General Insurance Corporation of India	25,65,275	0.013
07	Wisdomtree India Investment Portfolio, Inc.	22,83,182	0.012
08	Citadel Securities India Markets Pvt. Ltd.	12,56,302	0.007
09	Walton Michael Desa	12,00,000	0.006
10	The New India Assurance Company Limited	10,70,628	0.006
	Total	**1846,80,58,508**	**97.699**

m) **Dematerialization of Shares**

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2024 are as under:

Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares held	% on Total Paid up
CDSL	7,59,716	1843,98,73,933	97.55
NSDL	1,86,426	43,77,42,704	2.32
PHYSICAL	77,061	2,47,95,619	0.13
TOTAL	**10,23,203**	**1890,24,12,256**	**100.00**

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts.

Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer
- No threat of loss of share certificate
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- Nomination facility
- Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are

requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No.	Form	Purpose
01	Form ISR - 1	To register/update PAN, KYC details
02	Form ISR - 2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
03	Form ISR - 3	Declaration Form for opting out of Nomination Form
04	Form ISR - 13	Nomination Form
05	Form ISR - 14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2023	219	54,700
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2024	219	54,700

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

n) **Reconciliation of Share Capital Audit Report:**

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

o) **Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:**

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

p) **The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of Debentures/ Promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2024 are as follows:**

Series	ISIN	Date of Allotment	Size (Rs. in Cr.)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
Basel III Tier II Bonds						
III	INE565A08035	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	INE565A08043	31.03.2022	665.00	120	8.60	31.03.2032#
V	INE565A08050	24.03.2023	1000.00	120	9.00	31.03.2033#

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI)

During the year Bank has redeemed the Basel III complaint Tier II Bonds- Series II amounting to Rs.300 Crore, by exercising Call option on 08.12.2023.

q) **Debenture Trustee to the Issue:**

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai, as Bond Trustees to for Series III & Series IV Bond Issues and has appointed M/s. SBI Cap Trustee Company Limited, Mumbai as Bond Trustees to for Series V Bond issues to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd.,
Asian Building, 17 R Kamani Road,
Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001
Contact Details:
Mr. Krishnakant, Senior Manager
022-40807000

M/s. SBICAP Trustee Company Limited
Mistry Bhavan, 4th Floor,
122 Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020
Contact Details: Mr. Aditya Kapil
022 4302 5500/5566
022 4302 5525
www.sbicaptrustee.com

r) **Credit Ratings:**

- **Basel III Tier II Bonds as on 31.03.2024**

Name of the Rating Agency	BASEL III TIER II BONDS		
	SERIES III	SERIES IV	SERIES V
	INE565A08035	INE565A08043	INE565A08050
	Rs.500 Crores	Rs.665 Crores	Rs.1000 Crores
CRISIL Limited	AA- / POSITIVE		
ICRA Limited			AA- / POSITIVE
INDIA Ratings	AA- / POSITIVE	AA- / POSITIVE	
CARE Ratings		AA- / POSITIVE	AA- / POSITIVE

Previous Credit Rating for all Series of Basel III Tier II Bonds by all Credit Rating Agency is AA-/Stable for the FY 2022-23.

- **Certificate of Deposits:**

Name of the Rating Agency	Instrument Type	Amount	Rating
CARE Ratings	Certificate of Deposits	Rs.10000 Crores	CARE A1+ (A One Plus)

s) **Address for Correspondence:**

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai - 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700 | Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002
Telephone: 044 - 7172 9791, 044 - 2888 9360 | email: investor@iobnet.co.in

9. Other Disclosures:

- Other than those in the normal course of Banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the SEBI or any other statutory authorities on any matter related to Capital Markets, during the last three years.

- The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.
- The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees, officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/ officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank. The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures.

  The content of the policy is made available on Bank's website **https://iob.in/Whistle-blower-scheme**

  No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.
- The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI / Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts.
- The policies related to the provisions of Corporate Governance (Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link: **https://iob.in/Policies**
- There are no material subsidiaries of the Bank as on 31.03.2024.
- Details of utilization of funds raised through Qualified Institutional Placement: Not applicable for the Financial Year 2023-24.
- Bank has appointed M/s. S. R. Srinivasan & Co & LLP, Practicing Company Secretaries for conducting Secretarial Audit of the Bank for the year ended 31.03.2024. The Annual Secretarial Audit Report forms part of the Annual report of the Bank.
- A Certificate from M/s. S. R. Srinivasan & Co & LLP, Practicing Company Secretaries certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/ Regulatory Authority is attached and form part of the Annual Report.
- Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Annexure-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Nil
- Commodity price Risks and commodity hedging activities - Not Applicable.
- During the FY 2023-24, there were no such instances, where the Board did not accept recommendations of the Committee of the Board which are mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.
- A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board for each quarter and will be annexed to the Annual Report of the Bank.
- Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Auditors for the Financial Year 2023-24 is Rs.30,26,72,832.96/-

- In line with the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made there under, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace.

Number of complaints filed during the financial year	06
Number of complaints disposed of during the financial year	01
Number of complaints pending at the end of the financial year	05

- The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and is annexed to the Annual Report of the Bank.
- The Non-Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.
- The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Annual Report and is available on the Bank's website at **https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf**
- Details of familiarization programs for Directors have been given on the Bank's website at **https://iob.in/FPIID**

10. The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1)of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

S. N.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1	The Board: A Non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
2	Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
3	Audit Qualification	The Bank is having unqualified financial statements.
4	Separate post of Chairman and the Managing Director or the CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full-time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank.
5	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is reporting to the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & Chief Executive Officer

Brief Profile of the present Directors of the Bank

1. **Shri Srinivasan Sridhar, Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director (D.O.B: 03.05.1960)**

Shri Srinivasan Sridhar joined Indian Overseas Bank as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman w.e.f 21.02.2024. Shri Srinivasan Sridhar was on the board of Bank of Baroda as Shareholder director from 2018 till his time of assumption of his current role. Shri Srinivasan Sridhar is a B. Com (Hons.) graduate from Delhi University and is also a Qualified Chartered Accountant.

Shri Srinivasan Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained Internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa, and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East, and Africa. He also brings deep Banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Oracle Financial Services Software Ltd., Nirlon Ltd., Graphite India Ltd., Finca- Azerbaijan.

2. **Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer (D.O.B: 15.10.1967)**

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed charge as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 01.01.2023 from his posting as Executive Director of the Bank since 09.10.2017.

He has a Bachelor Degree in Science (Hons) and CAIIB Part I.

He started his Banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore Banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was also Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of Regional Rural Bank in his previous Bank.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

3. **Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director (D.O.B: 01.07.1972)**

Shri Joydeep Dutta Roy assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f. 31.01.2024. A career Banker for around 28 years, he joined Bank of Baroda in the year 1996.

After completing very successful stints in Bank of Baroda as the Head of HR, Regional Head of Bank's Dehradun and Bareilly Regions, Head of Integration at the time of amalgamation of erstwhile Dena and erstwhile Vijaya Banks with Bank of Baroda, he was elevated to the position of Chief General Manager and was posted in the Office of the MD & CEO of the Bank. As a Chief General Manager, he was in charge of strategy formulation & implementation in the Bank and for conducting Bank level and Vertical level reviews apart from managing the Subsidiaries & Joint Ventures of the Bank, post which, he was appointed as an Executive Director by the Government of India w.e.f. 21.10.2021.

As Executive Director in Bank of Baroda, he has held charge of various critical portfolios of the Bank viz. Retail Banking Business (Assets & Liabilities), Wealth Management and NRI Business, Risk, Finance and Planning functions, HRM, IT & Digital, Inspection & Audit, Compliance, Credit Monitoring, Collections, Subsidiaries & Joint Ventures, Operations & Services, Enterprise Data Management, among others in the Bank.

He has also served as a director on the board of National e Governance Services Ltd. (NeSL), PSB Alliance Ltd., India First Life Insurance Company Ltd., The Nainital Bank Ltd., Baroda Global Shared Services Ltd., BOB Cards Ltd., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. besides being a Non-Executive Chairman of the Boards of Baroda-BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. and Bank of Baroda (UK) Ltd.

Shri Joydeep Dutta Roy holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

4. Shri Dhanaraj T, Executive Director (D.O.B: 20.05.1970)

Shri Dhanaraj T has assumed charge as Executive Director of the Bank on 10.03.2024. Prior to this, he was Chief General Manager (CDO/CLO) in Indian Bank. Shri Dhanaraj T joined Indian Bank as Rural Development Officer in 1994.

During his long stint in the Banking Industry, he gained varied exposures in important spheres of Banking viz., as a Branch Head of Rural & Corporate Branches, Agriculture Credit, MSME and Human Resources. He played a crucial role during the amalgamation of erstwhile Allahabad Bank with Indian Bank in all HR related matters. As the Head of HR in the amalgamated entity, transformation of HR practices was carried out meticulously by implementing Performance Management System (PMS) to drive efficiency.

During his stint as Head of Rural Banking Department, he was instrumental in collaborating with IIT, Madras for Agri. Incubation for financing Agri. Start-ups and initiated Agri Co-lending models. As Chairman of RRB, he successfully completed amalgamation of Pallavan Grama Bank & Pandian Grama Bank which eventually came to be known as Tamil Nadu Grama Bank. He was also a Director on the Board of NABKISAN, a Subsidiary of NABARD and on the Board of Saptagiri Grameen Bank, a RRB sponsored by Indian Bank.

Shri T Dhanaraj holds an Agricultural Engineering Degree from Tamil Nadu Agricultural University besides holding other Professional qualifications viz., CAIIB, 'Leadership Development Program' management course for leaders of PSU Banks conducted by IIM Bangalore. He has also attended & completed 'Executive program in HR Analytics' (EPHRA) from IIM, Lucknow.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

5. Shri Kartikeya Misra, Govt. Nominee Director (D.O.B: 21.09.1981)

Shri Kartikeya Misra, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, is an officer of Indian Administrative Services (IAS 2009 batch).

Shri Kartikeya Misra joined Indian Overseas Bank as Government Nominee Director w.e.f 25.10.2023.

Shri Kartikeya Misra is a graduate from BITS Pilani and a postgraduate from IIM-Ahmedabad. Prior to his current posting, he was posted in the Ministry of Labour and Employment, Andhra Pradesh as Commissioner and had also worked in various Ministries/ Departments of the Government of Andhra Pradesh.

He had also worked as District Collector of West Godavari and East Godavari districts. He also launched the Kaushal Godavari Project for 'Skill Development'. Under his leadership, 16,000 youths found jobs.

He had also worked as Officer on Special Duty, Telangana Bhawan, New Delhi.

Shri Kartikeya Misra had worked as Director of Health and Family Welfare, Andhra Pradesh, Vijayawada, where he was given full additional charge of Managing Director and CEO for Andhra Pradesh Med Tech Zone (AMTZ).

Besides Indian Overseas Bank, Shri Kartikeya Misra is also on the Board of Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) and India Infrastructure Finance Company (UK) Limited (IIFC (UK)).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Limited, India Infrastructure Finance Company (UK) Limited.

6. Smt Sonali Sen Gupta, RBI Nominee Director (D.O.B: 04.09.1968)

Smt Sonali Sen Gupta is currently Regional Director for Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Bengaluru. In her career of nearly three decades in RBI, she has worked as Chief General Manager-in-charge of Financial Inclusion and Development Department at Central Office, Mumbai and served as a Director on Board of National Centre for Financial Education (NCFE), Mumbai. Her area of expertise is Banking Regulation and Supervision and Human Resource Development at Central Office as well Regional Offices level. She has worked in the Central Office as well as Chandigarh, Kolkata, and New Delhi Regional Offices of the Reserve Bank.

She joined Indian Overseas Bank as RBI Nominee Director w.e.f 14.07.2023

She served as a member secretary to 'Internal Working Group to Review Agricultural Credit' and led the team providing secretarial assistance to the 'Expert Committee on MSME', set up in 2019. She was also a part of specialised committee on Rationalisation of Returns/Statements, set up under Regulation Review Authority 2.0

During the Indian G20 Presidency, she has been RBI Lead for Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), a working group under the Finance Track of G20

She holds a Bachelor's Degree in Commerce (Hons) and has a Master's Degree in Banking and Finance. She is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

7. Shri Suresh Kumar Rungta, Part Time Non-Official Director (D.O.B: 07.07.1956)

Shri Suresh Kumar Rungta has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21.12.2021. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further he has authored Several books.

He has regularly contributed to leading Hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

He has a Master's degree in Commerce (Finance).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Swadeshi Plast Pvt. Ltd.

8. Shri B. Chandra Reddy, Part Time Non-Official Director (D.O.B: 14.04.1958)

Shri B. Chandra Reddy has been Nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21.12.2021. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further, he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

He is a Fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and having Master's degree in Commerce.

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

9. Shri Deepak Sharma, Part Time Non-Official Director (D.O.B: 31.07.1976)

Shri Deepak Sharma has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21.12.2021. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further he has relevant Experience in Unique Combination of Finance, Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shri Deepak Sharma is having qualification of B. Com, EPGDIB (IIFT), LLB, LLM (Real Estate).

Shareholding in Indian Overseas Bank is Nil.

Other Directorships: Nil.

10. Shri Sanjaya Rastogi, Shareholder Director (D.O.B: 18.01.1963)

Shri Sanjaya Rastogi joined Life Insurance Corporation of India as a Direct Recruit Officer in 1987. After Graduation, he did his Master's in Business Administration from Institute of Management Technology.

Shri Sanjaya Rastogi has been nominated as Shareholder Director of Indian Overseas Bank on 03.12.2022.

In his long illustrious career, he has handled several important assignments in LIC as Marketing Manager, Sr. Divisional Manager of Mumbai DO I & III. He has worked in Pension & Group Schemes department and LICHFL. Prior to his posting as Executive Director (MBAC) he worked as Regional Manager (Marketing), Northern Zone, Delhi of LIC. He superannuated on 31.01.2023 as Executive Director of LICI.

Shareholding in Indian Overseas Bank: He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil.

Auditors’ Certificate on Corporate Governance

AUDITOR'S CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai - 600 002

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the Bank") for the financial year ended March 31, 2024, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended up to date, to the extent applicable.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **Laxmi Tripti & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009189C

CA Abhay Paliwal
Partner
M. No.: 435511
UDIN: 24435511BKAHVT2998

Place : Chennai
Date : 07.05.2024

Secretarial Audit Report

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members of
Indian Overseas Bank,
763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by **INDIAN OVERSEAS BANK** (hereinafter called **"the Bank"**). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed, other records maintained by the Bank and the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2024 by and large appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minutes book, forms and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended 31st March, 2024, according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder:

As per Section 1(4)(c) of the Companies Act , 2013, "the provisions of the Act shall apply to Banking companies, except in so far as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)". Since the Bank does not have a Corporate Identification Number (CIN) we have not made any observations under this head.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder.

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye laws framed thereunder.

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999, and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.

(v) All other relevant laws applicable to the Bank, a list of which has been provided by the management to the extent applicable.

Note: The Secretarial Standards issued and notified by the Institute of Company Secretaries of India is applicable only to Companies registered under the Companies Act as provided under Section 118 of the Companies Act, 2013 and since the Bank does not have a CIN and is a Nationalized Bank now, the Secretarial Standards are not applicable to it. Hence, we have not included our observations on the same.

The following Regulations and Guidelines prescribed under the **Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (‘SEBI Act’):**

a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

d) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client.

During the period under review, no business was transacted which required the compliance of the following SEBI Regulations:

a) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

b) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021.

c) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.

d) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018.

Indian Overseas Bank is a Nationalized Bank, governed under the following legislations, and as amended from time to time:

i. Banking Regulations Act, 1949.

ii. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

iii. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the extent applicable except the following:

1. Proviso to Regulation 17(1) of SEBI (LODR) provides that the Board of Directors of Top 1000 listed companies shall have at least one Independent Woman Director. However, the composition of the Board does not include an Independent Woman Director.

2. The Bank has not complied with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as follows:

   a) Not complied with Section 9(3)(e): which requires the appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.

   b) Not complied with Section 9(3)(f): which requires the appointment of one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen.

   c) Not complied with Section 9(3)(g): which requires the appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

In so far as other laws which are applicable to the Bank, based on the information provided and the representation made by the Bank and on the review of the compliance reports taken on record by the Board of Directors of the Bank, in our opinion there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines, except the following:

1. The **Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970** requires various compliances to be followed by contractors. However, one of the contractors engaged by the Bank has not obtained license. The Bank is yet to file the Annual Return for the calendar year 2023.

2. **Section 11 A of Maternity Benefit Act, 1961** read along with **Rule 6 of Tamil Nadu Maternity Benefit Rules, 1967** requires every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche. The Bank has not provided crèche facility. However, we are informed that the Bank is paying creche allowance to eligible women employees.

We further report that:

- Subject to the above observations, the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws and in consonance with SEBI (LODR).

- The Board Secretary attends all Board meetings as per RBI requirements to ensure compliances are met.

- Adequate notice has been given to all Directors to schedule the Board Meetings. A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period:

a) RBI levied a penalty of Rs.2.20 Crores by an order dated 29th May 2023 (for FY 2020-21) on the Bank for contravention of the provisions of sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 (the Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Pertaining to Advances- Divergence in NPA Accounts', 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016' and Advisory on 'Man in the Middle (MiTM) Attacks in ATMs.

b) RBI levied a penalty of Rs.1 crore for non-compliance on 31st October 2023 (for FY 2021- 22), with certain directions issued by RBI on "Loans and Advances - Statutory and Other Restrictions".

c) BSE levied a penalty of Rs.10,000/- on 29th May 2023 (for FY 2021-22), for non- compliance of Regulation 60(2) of SEBI LODR Regulations which requires the listed entity to give notice in advance of atleast seven working days to the Stock Exchange of the record date.

For **SR Srinivasan & Co. LLP**
Company Secretaries

S. Rajendran
Managing Partner
FCS: 3737 / **CP. No.:** 14055
UDIN: F003727F000303587
Peer Review Cert. No.: 1177/2021

Place : Chennai
Date : 03.05.2024

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure - A and forms an integral part of this report.

ANNEXURE 'A' TO SECRETARIAL AUDIT REPORT OF INDIAN OVERSEAS BANK FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2024 DATED 03th MAY 2024

To
The Members of
Indian Overseas Bank,
763, Anna Salai, Chennai - 600 002

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank, since the compliance by the Bank of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit Report is partially limited to virtual examination based on inputs provided by the management in soft copies.

7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **SR Srinivasan & Co. LLP**
Company Secretaries

S. Rajendran
Managing Partner
FCS: 3737 / **CP. No.:** 14055
UDIN: F003727F000303587
Peer Review Cert. No.: 1177/2021

Place : Chennai
Date : 03.05.2024

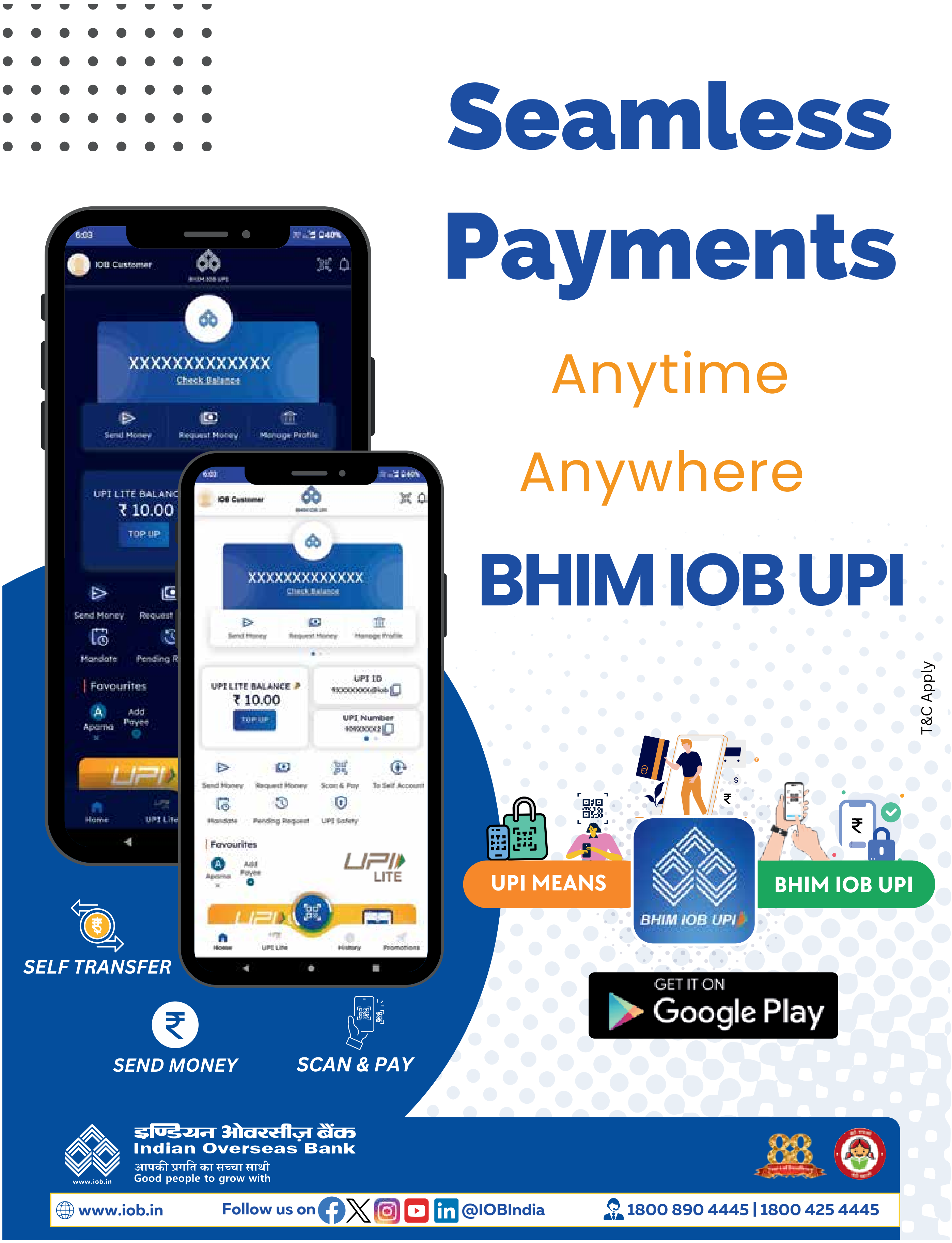
Seamless
Payments
Anytime
Anywhere
BHIM IOB UPI
T&C Apply
UPI MEANS
BHIM IOB UPI
BHIM IOB UPI
GET IT ON
Google Play
SELF TRANSFER
SEND MONEY
SCAN & PAY
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Non-Disqualification of Directors

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members of
Indian Overseas Bank,
763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Indian Overseas Bank** having its registered office at 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its Officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ended 31st March, 2024 has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as a Director of Companies by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

S. No.	Name of the Director	Initial Date of Appointment
1	Mr. Srinivasan Sridhar	21-02-2024
2	Mr. Ajay Kumar Srivastava	01-01-2023
3	Mr. Joydeep Dutta Roy	31-01-2024
4	Mr. Dhanaraj T	10-03-2024
5	Mr. Kartikeya Misra	25-10-2023
6	Mrs. Sonali Sen Gupta	14-07-2023
7	Mr. Sanjaya Rastogi	03-12-2022
8	Mr. Suresh Kumar Rungta	21-12-2021
9	Mr. B Chandra Reddy	21-12-2021
10	Mr. Deepak Sharma	21-12-2021
11	Mr. Vivek Aggarwal (upto 13-07-2023)	25-02-2022
12	Ms. Annie George Mathew (upto 24-10-2023)	22-07-2016
13	Mr. Sanjay Vinayak Mudaliar (upto 30-01-2024)	01-01-2023
14	Ms. S Srimathy (upto 09-03-2024)	10-03-2021

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **SR Srinivasan & Co. LLP**
Company Secretaries

S. Rajendran
Managing Partner
FCS: 3737 / **CP. No.:** 14055
UDIN: F003727F000303587
Peer Review Cert. No.: 1177/2021

Place : Chennai
Date : 18.04.2024

Annual Accounts
Standalone

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	01	18902 41 23	18902 41 23
Reserves and Surplus	02	9039 88 85	6360 53 25
Deposits	03	285905 37 82	260883 29 05
Borrowings	04	30387 16 55	20803 77 19
Other Liabilities and Provisions	05	7798 77 43	6783 97 88
TOTAL		**352033 61 88**	**313733 98 60**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	06	16904 56 29	17148 09 47
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	1649 85 57	3458 72 71
Investments	08	99632 08 17	94170 41 04
Advances	09	213318 80 94	178052 57 37
Fixed Assets	10	3739 75 59	3709 97 69
Other Assets	11	16788 55 32	17194 20 32
TOTAL		**352033 61 88**	**313733 98 60**
Contingent Liabilities	12	195742 15 63	196131 44 96
Bill for collection		19119 00 64	19547 85 75
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Dhanaraj T
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Srinivasan Sridhar
Chairman

Kartikeya Misra
Director

Sonali Sen Gupta
Director

Suresh Kumar Rungta
Director

B Chandra Reddy
Director

Deepak Sharma
Director

Sanjaya Rastogi
Director

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2024	YEAR ENDED 31.03. 2023
INCOME			
Interest Earned	13	24049 73 44	19400 32 62
Other Income	14	5656 26 24	4108 74 82
TOTAL		**29705 99 68**	**23509 07 44**
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	14220 32 04	11145 44 45
Operating Expenses	16	8721 90 75	6421 46 32
Provisions and Contingencies (Net)		4108 14 40	3843 38 07
TOTAL		**27050 37 19**	**21410 28 84**
PROFIT / LOSS (-)			
Net Profit / Loss (-) for the year		2655 62 49	2098 78 60
Profit / Loss (-) brought forward		(16448 69 86)	(17999 28 75)
TOTAL		**(13793 07 37)**	**(15900 50 15)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		663 90 62	524 69 65
Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
Transfer to Capital Reserve		12 31 18	23 50 06
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		0	0
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(14469 29 17)	(16448 69 86)
TOTAL		**(13793 07 37)**	**(15900 50 15)**
Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		1.40	1.15
Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

S N Kapur & Associates
FRN - 001545C

(Avichal S N. Kapur)
Partner, (M No: 400460)

R. Devendra Kumar & Associates
FRN - 114207W

(Neeraj Golas)
Partner, (M No: 074392)

Tej Raj & Pal
FRN - 304124E

(B. Gangaraju)
Partner, (M No: 007605)

Laxmi Tripti & Associates
FRN - 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner, (M No: 435511)

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss) After Tax	26 55 62 49	20 98 78 60
Add: Provision for taxes	7 56 91 66	2 49 45 57
Net Profit / (Loss) before Tax	**34 12 54 15**	**23 48 24 17**
Adjustments for:		
Amortisation of HTM Investments	45 27 60	48 32 25
Loss on Revaluation of Investments	(7 49 91 77)	3 14 03 46
Depreciation on Fixed Assets	3 35 85 28	2 59 88 98
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(2 20 92)	(1 58 38)
Provision for NPAs	27 15 61 90	29 32 97 61
Provision for Standard Assets	(1 12 22 29)	(4 62 44 67)
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	6 37 00 59	3 43 49 00
Provision for Other Items	1 27 32 54	8 67 99 15
Interest on Tier II Bonds	2 27 69 10	1 83 40 80
	32 24 42 04	**44 86 08 20**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	250 22 08 76	(12 75 63 43)
Increase / (Decrease) in Borrowings	98 83 39 36	175 33 13 53
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	19 45 84 84	(53 55 83 98)
(Increase) / Decrease in Investments	(53 94 03 55)	33 03 05 53
(Increase) / Decrease in Advances	(379 81 85 46)	(367 42 02 52)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(6 94 82 30)	4 43 70 91
	(72 19 38 35)	**(220 93 59 96)**
Direct Taxes (Net)	**(5 83 00 00)**	**(3 36 00 00)**
NET CASH FLOW GENERATED FROM /(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**(11 65 42 16)**	**(155 95 27 59)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	5 96 76	22 72 03
Purchase of Fixed Assets	(3 65 25 82)	(5 82 20 43)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(3 59 29 06)**	**(5 59 48 40)**

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds / Other Borrowings	(3 00 00 00)	(8 00 00 00)
Issue of Basel III Tier II Bonds	0	10 00 00 00
Interest Paid on Tier II Bonds	(2 27 69 10)	(2 11 61 10)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(5 27 69 10)**	**(11 61 10)**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**(20 52 40 32)**	**(161 66 37 10)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	171 48 09 47	227 48 99 35
Balances with Banks & Money at Call	34 58 72 71	140 24 19 93
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	169 04 56 29	171 48 09 47
Balances with Banks & Money at Call	16 49 85 57	34 58 72 71
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**(20 52 40 32)**	**(161 66 37 10)**

This statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

The Previous year figures have been regrouped where ever necessary to confirm with the current year presentation and as per regulatory requirements.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Dhanaraj T
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Srinivasan Sridhar
Chairman

Kartikeya Misra
Director

Sonali Sen Gupta
Director

Suresh Kumar Rungta
Director

B Chandra Reddy
Director

Deepak Sharma
Director

Sanjaya Rastogi
Director

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

S N Kapur & Associates
FRN - 001545C

R. Devendra Kumar & Associates
FRN - 114207W

(Avichal S N. Kapur)
Partner, (M No: 400460)

(Neeraj Golas)
Partner, (M No: 074392)

Tej Raj & Pal
FRN - 304124E

Laxmi Tripti & Associates
FRN - 009189C

(B. Gangaraju)
Partner, (M No: 007605)

(Abhay Paliwal)
Partner, (M No: 435511)

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

SCHEDULE - 1
CAPITAL

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year - 2500,00,00,000 Equity shares of Rs.10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1890,24,12,256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**18902 41 23**	**18902 41 23**

SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	4086 72 84	3562 03 19
Add: Additions	663 90 62	524 69 65
Less: Deductions	0	0
TOTAL - I	**4750 63 46**	**4086 72 84**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening Balance	2753 15 36	2749 56 13
Add: Additions	9 87 87	43 90 22
Less: Deductions / Depreciation	40 39 74	40 30 99
TOTAL - A	**2722 63 49**	**2753 15 36**
B. On sale of Assets		
Opening Balance	2157 44 57	2133 94 51
Add: Additions	12 31 19	23 50 06
Less: Deduction	0	0
TOTAL - B	**2169 75 76**	**2157 44 57**
C. Others		
Opening Balance	153 22 07	153 12 62
Add: Additions	231	945
Less: Deduction	0	0
TOTAL - C	**153 24 38**	**153 22 07**
TOTAL - II (A,B & C)	**5045 63 63**	**5063 82 00**
III. SHARE PREMIUM		
Opening balance	8557 90 11	8557 90 11
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - III	**8557 90 11**	**8557 90 11**

SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening Balance	3647 11 52	3611 09 12
Add: Additions	36 03 26	36 02 40
Less: Deduction	0	0
TOTAL - A	**3683 14 78**	**3647 11 52**
B. Investment Reserve Account		
Opening Balance	97 95 58	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - B	**97 95 58**	**97 95 58**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	965 71 07	841 65 96
Add: Additions	111 80 37	126 64 35
Less: Deduction	93 60 97	2 59 25
TOTAL - C	**983 90 47**	**965 71 06**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening balance	390 00 00	390 00 00
Add: Additions	0	0
Less : Deductions	0	0
TOTAL - D	**390 00 00**	**390 00 00**
TOTAL - IV (A,B,C & D)	**5155 00 83**	**5100 78 16**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**(14469 29 17)**	**(16448 69 86)**
TOTAL (I, II , III, IV & V)	**9039 88 85**	**6360 53 25**

SCHEDULE - 3
DEPOSITS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	10 92 98	8 12 73
ii) From Others	22908 03 99	16662 13 19
TOTAL - I	**22918 96 97**	**16670 25 92**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**102589 32 08**	**97442 54 56**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	566 65 84	570 93 19
ii) From Others	159830 42 93	146199 55 38
TOTAL - III	**160397 08 77**	**146770 48 57**
TOTAL - A (I, II & III)	**285905 37 82**	**260883 29 05**

SCHEDULE - 3
DEPOSITS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
B. I) Deposits of branches in India	278967 49 60	254324 09 53
II) Deposits of branches outside India	6937 88 22	6559 19 52
TOTAL - B	**285905 37 82**	**260883 29 05**

SCHEDULE - 4
BORROWINGS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	0	0
Other Banks	2118 67 50	0
Other Institutions & Agencies	19121 97 00	15428 82 35
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
Subordinated Debt	2165 00 00	2465 00 00
TOTAL (I)	**23405 64 50**	**17893 82 35**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**6981 52 05**	**2909 94 83**
TOTAL (I & II)	**30387 16 55**	**20803 77 19**
Secured borrowings included in I & II above	**21240 64 50**	**15428 82 35**

SCHEDULE - 5
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. Bills Payable	811 73 08	818 79 34
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	402 50 31	279 92 37
IV. Others (including provisions)	6584 54 04	5685 26 17
TOTAL	**7798 77 43**	**6783 97 88**

SCHEDULE - 6
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1263 61 73	1124 41 87
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	9094 53 29	12222 84 82
ii) in Other Accounts	6546 41 27	3800 82 78
TOTAL (I & II)	**16904 56 29**	**17148 09 47**

SCHEDULE - 7
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	8 78 89	15 11 42
b) In Other Deposit Accounts	236 89 25	1060 05 50
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - I (i & ii)	**245 68 14**	**1075 16 92**
II. Outside India		
i) In Current Accounts	790 57 04	473 61 34
ii) In Other Deposit Accounts	3 50 90	1732 15 95
iii) Money at Call and Short Notice	610 09 50	177 78 50
TOTAL - II (i, ii & iii)	**1404 17 44**	**2383 55 79**
TOTAL (I & II)	**1649 85 57**	**3458 72 71**

SCHEDULE - 8
INVESTMENTS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in ‘000s)
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	91652 13 70	86603 00 74
ii) Other Approved Securities	99 45	98 95
iii) Shares	602 66 86	1135 28 89
iv) Debentures and Bonds	2542 94 34	2214 23 50
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	606 90 22	0
vi) Other Investments (Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)	71 00 75	88 83 28
TOTAL - I	**95476 65 32**	**90042 35 36**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	3834 79 09	3710 18 36
ii) Other Approved Securities	5 67	0
iii) Shares	0	45 85 91
iv) Debentures and Bonds	127 13 90	178 57 21
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
vi) Other Investments	0	0
TOTAL - II	**4155 42 85**	**4128 05 68**
TOTAL (I & II)	**99632 08 17**	**94170 41 04**
Gross Investments in India	96752 28 36	92133 61 92
Less: Depreciation	1275 63 04	2091 26 56
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	**95476 65 32**	**90042 35 36**
Gross Investments Outside India	4164 78 90	4137 76 01
Less: Depreciation	9 36 05	9 70 33
Net Investments	**4155 42 85**	**4128 05 68**
TOTAL NET INVESTMENTS	**99632 08 17**	**94170 41 04**

SCHEDULE - 9
ADVANCES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
A. i) Bills Purchased & Discounted	8332 89 52	4566 85 34
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	77151 92 44	77358 12 71
iii) Term Loans	127833 98 98	96127 59 32
TOTAL	**213318 80 94**	**178052 57 37**
B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	145445 87 71	135655 23 42
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	34358 84 19	11604 08 55
iii) Unsecured	33514 09 04	30793 25 40
TOTAL	**213318 80 94**	**178052 57 37**
C. I) Advances in India		
i) Priority Sector	107640 07 65	91803 94 00
ii) Public Sector	24336 39 57	24710 67 89
iii) Banks	0	0
iv) Others	64104 10 60	47319 44 89
TOTAL	**196080 57 82**	**163834 06 78**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	7333 80 59	6623 36 77
W b) Syndicated Loans	2743 70 69	2530 49 57
c) Others	7160 71 84	5064 64 25
TOTAL	**17238 23 12**	**14218 50 59**
TOTAL (C-I & C-II)	**213318 80 94**	**178052 57 37**

SCHEDULE - 10
FIXED ASSETS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
I. Premises		
At cost / revalued as at beginning of the FY	4571 95 99	4491 30 77
Additions during the year*	4 20 09	80 65 22
SUB TOTAL	**4576 16 08**	**4571 95 99**
Deductions during the year*	0	0
	4576 16 08	4571 95 99
Depreciation to date	1378 83 55	1325 92 48
TOTAL - I	**3197 32 53**	**3246 03 51**
II. Capital work in progress	14 47 85	8 79
TOTAL - II	**14 47 85**	**8 79**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as at beginning of the FY	2703 23 88	2202 47 91
Additions during the year	346 66 67	542 31 60
SUB TOTAL	**3049 90 55**	**2744 79 50**
Deductions during the year	94 23 89	41 55 63
	2955 66 67	2703 23 88
Depreciation to date	2427 71 45	2239 38 49
TOTAL - III	**527 95 21**	**463 85 39**
TOTAL (I, II & III)	**3739 75 59**	**3709 97 69**

*Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2024

SCHEDULE - 11
OTHER ASSETS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Inter Office Adjustments (Net)	30 51 35	735 12 57
ii) Interest Accrued	4153 89 68	3620 47 19
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	5450 54 21	4522 59 89
iv) Stationery & Stamps	2 51 92	3 94 07
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	224 27 48	210 01 51
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	6926 80 68	8102 05 09
TOTAL	**16788 55 32**	**17194 20 32**

SCHEDULE - 12
CONTINGENT LIABILITIES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 87 95	4 79 19
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	165998 91 81	165634 95 19
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	13137 86 75	11746 40 32
b) Outside India	157 78 69	371 76 19
v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	4557 27 58	5530 28 60
vi) Other items for which the Bank is contingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	100 99 50	52 46 12
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps (USD)	0	0
d) Interest rate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2003 50 50	1822 20 80
h) Disputed IT demands	9780 74 96	10968 40 66
i) Others	6 29	6 29
TOTAL	**195742 15 63**	**196131 44 96**

SCHEDULE - 13
INTEREST EARNED

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Interest / discount on advances / bills	17575 60 73	13150 68 73
ii) Income on investments	5945 77 19	5848 62 93
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	228 74 20	401 00 96
iv) Others	299 61 32	0
TOTAL	**24049 73 44**	**19400 32 62**

SCHEDULE - 14
OTHER INCOME

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Commission, Exchange and Brokerage	1330 59 21	1220 78 96
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	273 23 94	249 57 50
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	749 91 77	(314 03 46)
iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	2 20 92	1 58 38
v) Profit/Loss on exchange transactions	192 80 84	564 42 16
vi) Miscellaneous Income	3107 49 56	2386 41 28
TOTAL	**5656 26 24**	**4108 74 82**

SCHEDULE - 15
INTEREST EXPENDED

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Interest on Deposits	12608 56 51	10535 60 95
ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1611 81 65	609 80 22
iii) Others	(6 12)	3 28
TOTAL	**14220 32 04**	**11145 44 45**

SCHEDULE - 16
OPERATING EXPENSES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Payments to and provisions for employees	6140 12 56	4099 05 11
ii) Rent, Taxes and Lighting	528 16 92	492 71 53
iii) Printing and Stationery	32 85 60	24 66 66
iv) Advertisement and Publicity	5 08 06	1 40 17
v) Depreciation on Bank's property	335 85 28	259 88 98
vi) Directors' fees, allowances and expenses	97 53	74 46
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	30 26 73	31 96 81
viii) Law charges	31 29 54	24 70 76
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	60 99 30	67 19 63
x) Repairs and Maintenance	40 61 73	25 05 46
xi) Insurance	350 06 73	340 80 82
xii) Other Expenditure	1165 60 77	1053 25 93
TOTAL	**8721 90 75**	**6421 46 32**

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the Banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery is in the form of debentures/equity/other debt or equity or quasi equity instruments etc. in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery and to appropriate the same as is done in suit filed accounts i.e. towards principal and thereafter towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

e) Bonds & Debentures,

f) Subsidiaries / Joint Ventures and

g) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt. Ltd.). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored except for the depreciation on Non Performing Investments, which is not netted off against appreciation available in the basket. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2."Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning/de–recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI)

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.0489/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the Bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3%
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management’s judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, “Earnings Per Share”, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

Schedule - 18

NOTES TO ACCOUNTS FOR STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

1. Investments:

1.1 In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the investments portfolio of the Bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in Crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Held to Maturity	85709.55	81802.30	84.93	84.98
Available for Sale	15207.30	14469.07	15.07	15.03
Held for Trading	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 20.66% (previous Year 21.30%) of Bank's Demand and Time liabilities as at 31st March 2024 as against ceiling of 23.00% (previous year 23%) stipulated by Reserve Bank of India.

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of ₹45.28 Crores was amortized during the year (previous year ₹48.32 Crore). In accordance with the RBI guidelines amortization expense of premium on investments is deducted from interest income.

Further, a sum of ₹4100.00 crore being non-Interest bearing GOI Recapitalization Bonds investments which are held under Held To Maturity category at carrying cost are maturing from March 2031 to March 2036.

1.4 In accordance with the RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30,2021, as updated, the Bank was required to disclose profit/loss on revaluation of investments as well as provision for depreciation under the head Proft /loss on revaluation of investment under Schedule 14-"Other Income" and Provision for non- performing investment (NPI) is to be reflected under Provisions and contingencies. The Bank has hitherto been accounting the mark to market impact in the case of non-performing investments under the head Profit/ loss on revaluation of investment and the remaining portion of provision for non- performing investment under the head Provisions and contingencies. During the year, the entire provision required for non-performing investments has been disclosed under "provision and contingencies". Consequent to this, Profit/loss on revaluation of investment is higher to the extent of ₹576.96 crores with corresponding increase in Provisions and contingencies. The impact though related to previous periods has been accounted for during the year, previous year figures have not been restated and are therefore not comparable.

1.5 Securities of Face Value for ₹517.00 Crore (previous year ₹ 1,717 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for ₹13,018.00 Crore (previous year ₹15,518.00 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. Besides, securities to the extent of ₹127.10 Crore (previous year ₹127.10 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and ₹15.00 Crore (previous year ₹15.00 Crore) held for Currency derivative segment. The Bank has placed securities of face value Rs.3,500 Crore (previous year ₹1,500 Crore) with Reserve Bank of India for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent ₹16,000 Crore (previous year ₹6,100 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window.

1.6 Shares under Investments in India in Regional Rural Bank – Odisha Gramya Bank is ₹606.90 Crore (previous year ₹606.90 Crore) which includes amount towards Share Capital Deposits.

1.7 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year through, outright sale and no security was sold under Reserve Bank of India's Open Market Operations (OMO). The Bank has sold Government Securities (other than OMO), to the extent of ₹1,668.52 Crore (BV) [previous year ₹2408.02 Crore] (within 5%, prescribed limit of Reserve Bank of India) and booked a profit of ₹14.20 Crore [previous year ₹27.95 Crore]. In accordance with the RBI guidelines the profit on sale of Government Securities under HTM category has been taken to Profit & Loss account and subsequently has been appropriated to capital reserve account (Net of taxes and amount to be transferred to Statutory Reserve).

Investment Fluctuation Reserve

As per Reserve Bank of India circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC.102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the Bank against increase in yields in future.

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a) Net profit on sale of Investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

During the year ended on March 31st 2024 an amount of ₹NIL (Previous year ₹390.00 Crore) has been transferred to IFR.

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the reliability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of assets during the year was Rs.2,20,92,202.68 (Rupees Two crore twenty lakhs ninety thousand two hundred and two and sixty eight paise only).

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on March 31st 2024 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

5. Inter Branch Reconciliation/internal office accounts

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/office accounts is under progress at different stages at the branches and/or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries as at the earliest. The necessary accounting adjustments if any required shall be carried out on the completion of such process. The Management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

6. Capital and Reserves

- During the Financial Year 2023-24, Bank has not issued Basel III Tier II Bonds. For the Financial year 2022-23, Bank has issued Basel III Tier II Bonds Rs.1000 Crore through private placement subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).
- During the financial year 2023-24, Bank has not raised any equity capital. The paid-up capital of the Bank stands at Rs.18,902.41 Crore as on March 31st, 2024. The Government of India shareholding stands at 96.38% as on March 31st, 2024.

7. Taxes

7.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act, 1961 are not applicable to the Bank. Therefore Bank has not provided any amount towards provision for Income tax.

7.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

7.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.8450.79 Crore (previous year Rs.9081.37 Crore), Service Tax aggregating to Rs. 238.42 Crore (previous year Rs.220.52 Crore) and Goods and Service Tax aggregating to Rs.1071.78 Crore (Previous year Rs.1648.68 Crs).

7.4 Tax expense for the year amounting to Rs.756.91 Crore includes Current Tax expense of Rs. 22.67 Crore and Deferred Tax expense of Rs.734.24 Crore – refer note no.18.8.

7.5 The Bank has a carried balance of Net Deferred Tax Assets up to March 31,2024 aggregating to ₹5299.94 Crore which was recognized in earlier periods and on estimated basis Bank has reversed deferred tax asset amounting to ₹ 384.24 Crore for the quarter (31.03.2024) and ₹ 734.24 Crore for the year ended 31.03.2024.

8. There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

DISCLOSURES AS PER RESERVE BANK OF INDIA REQUIREMENTS:

1. **REGULATORY CAPITAL**

a) **Composition of Regulatory Capital**

(Amount in Rs. Crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	20839.72	16736.13
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	20839.72	16736.13
iv)	Tier 2 capital	4034.78	4188.83
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	24874.50	20924.96
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	143979.05	129980.80
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)/Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@	14.47%	12.88%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.47%	12.88%

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.80%	3.22%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.28%	16.10%
xi)	Leverage Ratio	5.66%	5.14%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	96.38%	96.38%
	b) State Government (specify name)$	NA	NA
	c) Sponsor Bank$	NA	NA
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL	NIL
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III Tier II Bonds	NIL	1000.00

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

b) **Draw down from Reserves**

Drawdown from the reserves during the financial year 2023-24 is NIL.

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31st 2024

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3494.40	3968.11	13823.20	249.53	3810.85	2570.05
2 to 7 days	9008.35	3573.95	12318.52	7650.21	3037.05	2790.44
8 to 14 days	8653.41	5566.81	1831.97	793.69	1202.81	2366.72
15 Days – 30 Days	8436.83	4737.00	2016.11	1283.08	5708.97	6474.06
31 Days – 2 Months	11797.55	9761.01	3188.78	435.65	6530.04	5472.58
2 Months – 3 Months	11538.39	9576.75	3155.22	2764.19	12085.62	5245.23
3 Months – 6 Months	31628.76	20060.11	8140.34	5902.82	3354.73	10967.61
Over 6 Months & Upto 1 year	47420.13	32878.82	11726.85	6533.07	1925.79	3395.67
Over 1 year & up to 3 years	146920.56	56946.67	36529.83	2608.42	3385.02	798.20
Over 3 years & up to 5 years	5059.18	20773.90	2200.81	1.50	932.69	651.07
Over 5 years	1947.80	51175.33	4700.43	2165.00	1743.50	2985.30
Total	**285905.36**	**219018.46**	**99632.06**	**30387.16**	**43717.07**	**43716.93**

Maturity pattern of assets and liabilities as at March 31st 2023

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3070.49	1837.10	23532.65	0.27	2360.90	2467.40
2 to 7 days	6659.81	4429.34	2545.41	254.38	1581.66	868.81
8 to 14 days	7958.73	2393.20	1962.03	0.00	1814.52	945.80
15 Days – 30 Days	5606.22	4431.81	1507.15	287.09	3322.09	1820.99
31 Days – 2 Months	8717.88	6163.05	2604.59	828.52	5412.50	2205.18
2 Months – 3 Months	9675.62	8546.17	2521.78	828.67	4016.56	3702.26
3 Months – 6 Months	22588.12	13299.37	5667.89	2091.53	6122.42	9281.98
Over 6 Months & Upto 1 year	40030.48	26407.51	9580.31	964.01	2679.34	7325.23
Over 1 year & up to 3 years	44559.84	47511.61	13165.16	3075.73	1346.52	776.50
Over 3 years & up to 5 years	5664.79	27652.69	2980.80	5.89	2122.64	698.54
Over 5 years	106351.30	46336.68	28102.65	2479.72	2059.46	2745.90
Total	**260883.28**	**189008.53**	**94170.42**	**10815.81**	**32838.61**	**32838.59**

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

Reserve Bank of India had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) vide circular No RBI/2014-15/529 DBR. No. BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 which has been modified from time to time, in order to ensure short term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that Bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines for the Bank effective for FY 2023-24 is 100%.

$$\text{Definition of LCR:} \quad \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Each category includes assets which the Bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Details of LCR for FY 2023-24 (Four Quarters) & Quarter Ended March 2023:

(Rs. in Crore)

Details	Quarter Ended March 31, 2024	Quarter Ended December 31, 2023	Quarter Ended September 30, 2023	Quarter Ended June 30, 2023	Quarter Ended March 31, 2023
HQLA	61725.29	62640.51	66334.58	65135.35	69269.29
Total Net cash Outflows	44430.36	44559.54	43338.13	39758.39	40 469.60
LCR in %	138.93	140.58	153.06	163.82	171.16

Bank has calculated LCR for all working days for the March 2024 quarter based on the data extracted from the Bank's database through the program specifically designed for this purpose. Bank's LCR for the quarter ended March 31st 2024 stands at 138.93% based on daily average of three months (Q4 FY 2023-24) and is well above the present minimum requirement prescribed by Reserve Bank of India of 100% for the Quarter ended March, 2024. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The Domestic and Overseas Centers are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to Risk Management Committee of Board (RMCB) periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short-term requirements.

Annexure to the Quantitative Disclosure:

(Amount in Rs. Crore)

	Particulars	Jun-23		Jun-22		Sep-23		Sep-22		Dec-23		Dec-22		Mar-24		Mar-23	
		Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value(average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		65135.35		74671.80		66334.58		71853.08		62640.51		69630.48		61725.29		69269.29
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	205246.75	19197.75	201162.57	18798.37	211340.59	19767.93	201708.59	18852.73	216117.99	20216.43	203241.69	19003.77	219726.53	20565.56	204063.66	19079.47
(i)	Stable deposits	26538.41	1326.92	26357.71	1317.89	27322.68	136.13	26362.54	1318.13	27907.45	1395.37	26408.03	1320.40	28141.89	1407.09	26537.86	1326.89
(ii)	Less stable deposits	178708.34	17870.83	174804.86	17480.49	184017.91	18401.79	175346.05	17534.61	188210.54	18821.05	176833.66	17683.37	191584.64	19158.46	177525.80	17752.58
3	Unsecured wholesale funding, of which:	47920.97	23941.17	54893.41	27300.37	54082.57	27010.27	51913.39	25847.61	55182.14	27616.31	47480.46	23936.18	54995.09	28485.66	47998.14	24053.50
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	47920.97	23941.17	54893.41	27300.37	54082.57	27010.27	51913.39	25847.61	55182.14	27616.31	47480.46	23936.18	54995.09	28485.66	47998.14	24053.47
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	4753.98	290.16	1806.59	629.85	5214.87	1367.53	1352.74	640.06	7145.04	1762.16	2333.67	614.27	10658.54	0.00	2976.52	458.00
5	Additional requirements, of which	12477.02	1859.93	12283.99	1631.34	14153.19	2017.54	12351.63	1640.75	15168.96	2058.76	12285.57	1732.91	16293.91	2340.31	12532.57	1945.81

(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	808.46	808.46	539.67	539.67	810.90	810.90	556.77	556.77	743.74	743.74	672.96	672.96	575.43	575.43	891.27	891.27
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	11668.56	1051.47	11744.32	1091.67	13342.29	1206.64	11794.86	1083.98	14425.22	1315.02	11612.61	1059.95	15718.48	1764.88	11641.30	1054.54
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.26	460.26	0.00	0.00	2392.93	2392.93	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	15537.54	466.46	16004.55	480.49	17107.07	513.40	16622.63	498.87	17357.57	520.73	16021.53	480.84	17388.27	521.70	15579.17	467.51
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		**45755.47**		**48840.42**		**50676.67**		**47480.02**		**52634.65**		**45767.97**		**54306.16**		**46004.29**
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	7.14	0.00	527.18	0.00	34.71	0.00	22.53	0.00	298.85	27.88	0.00	0.00	484.55	44.19	89.58	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	9630.42	5407.17	6858.73	3916.95	8878.73	5171.76	7750.10	4447.50	11160.61	6014.24	8116.86	4722.21	17974.27	9152.73	8557.04	4903.28
11	Other cash inflows	592.16	588.93	664.52	660.69	2168.27	2166.77	567.62	563.99	2032.99	2032.99	674.70	667.97	1029.31	678.88	638.16	631.41
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	**10229.72**	**5996.10**	**8050.43**	**4577.64**	**11081.71**	**7338.53**	**8340.25**	**5011.49**	**13492.44**	**8075.11**	**8791.56**	**5390.18**	**19488.13**	**9875.80**	**9284.78**	**5534.69**
13	**TOTAL HQLA**		**65135.35**		**74671.80**		**6634.58**		**71853.08**		**62640.51**		**69630.48**		**61725.29**		**69269.29**
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		**39759.37**		**44262.78**		**43338.14**		**42468.53**		**44559.54**		**40377.79**		**44430.36**		**40469.60**
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		163.82%		168.70%		153.06%		169.19%		140.58		172.45%		138.93%		171.16%

Unweighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the Circular and LCR template.

1. Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
2. Adjusted values are calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on level 2B and level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

Reserve Bank of India introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring Banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines effective from October 1, 2021 is 100%

$$\text{Definition of NSFR: } \frac{\text{Available Stable Fund (ASF)}}{\text{Required Stable Fund (RSF)}}$$

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. Available stable funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of required stable funding (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Details of NSFR for the quarter ended June 2023, Sep' 2023, Dec'2023 & Mar'2024:

(Rs. in Crore)

Details	Mar 2024 Quarter	Dec 2023 Quarter	September 2023 Quarter	June 2023 Quarter
Available stable funding (ASF) (Weighted Value)	269442.74	260922.03	260154.17	243 569.35
Required Stable Fund (RSF) (Weighted Value)	183543.59	184593.75	183815.81	172 997.73
NSFR in %	146.80%	141.35%	141.53%	140.79%

Bank has calculated NSFR for **March 31st 2024** which stands at 146.80% which is well above the Reserve Bank of India prescribed minimum requirement of 100%. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

		For Quarter Ended Dec 2023					For Quarter Ended Mar 2024				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
(Rs.in Crore)		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	23481.86	0.00	0.00	0.00	23481.86	24874.50	0.00	0.00	0.00	24874.50
2	Regulatory capital	23481.86	0.00	0.00	0.00	23481.86	24874.50	0.00	0.00	0.00	24874.50
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	94107.04	67358.29	54936.01	3677.69	199870.93	98973.34	76744.38	49741.56	3351.75	207768.62
5	Stable deposits	12455.09	8914.89	7270.80	3677.69	30886.42	13200.47	10235.71	6634.23	3351.75	31918.63
6	Less stable deposits	8151.95	58443.40	47665.22	0.00	168984.51	85772.87	66508.68	43107.33	0.00	175849.99
7	Wholesale funding: (8+9)	26847.97	26597.85	21692.65	0.00	37569.24	26534.96	28555.90	18508.39	0.00	36799.62
8	Operational deposits	40.49	0.00	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	26807.47	26597.85	21692.65	0.00	37548.99	26534.96	28555.90	18508.39	0.00	36799.62
10	Other liabilities: (11+12)	3049.70	2182.86	1780.29	0.00	0.00	3371.98	2614.65	1694.67	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	3049.70	2182.86	1780.29	0.00	0.00	3371.98	2614.65	1694.67	0.00	0.00
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**260922.03**					**269442.74**
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3508.12					3824.87
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	369.22	0.00	0.00	0.00	184.61	362.20	0.00	0.00	0.00	181.10
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	42972.82	35048.28	31604.00	105720.97	153228.39	40900.01	42365.43	30875.02	102887.98	152715.15
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	255.89	642.96	5 991.25	6351.11	0.00	202.04	796.02	4316.64	4744.95
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central Banks and PSEs, of which:	42972.82	34792.39	30961.04	50292.95	108487.42	40900.01	42163.39	30079.00	49613.80	110549.19

		For Quarter Ended Dec 2023					For Quarter Ended Mar 2024				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
(Rs.in Crore)		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
20	With a Risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit Risk	8443.83	0.00	0.00	9882.18	11911.91	5668.05	0.00	0.00	6875.63	8153.39
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	22570.94	15553.90	0.00	0.00	0.00	22469.70	14906.33
22	With a Risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit Risk	0.00	0.00	0.00	18156.99	11802.05	0.00	0.00	0.00	20964.55	13626.96
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	26865.83	22835.96	0.00	0.00	0.00	26487.84	22514.67
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	12136.94	143.51	127.71	14595.27	26904.12	11486.34	188.18	129.54	14284.50	25989.24
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	662.10	562.79		0.00	0.00	662.10	562.79
27	NSFR derivative assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.28	0.00	0.00	6.28
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.31	0.00	0.00	0.31
29	All other assets not included in the above categories	12136.94	143.51	127.71	13933.17	26341.34	11486.34	181.58	129.54	13622.40	25419.86
30	Off-balance sheet items	0.00	1205.82	1073.04	15363.54	768.52		1805.96	1288.36	16297.46	833.23
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					184593.75					183543.59
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					141.35%					146.80%

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

(Rs. in Crore)		For Quarter Ended Jun 2023					For Quarter Ended Sep 2023				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	21558.72	0.00	0.00	0.00	21558.72	22325.85	0.00	0.00	0.00	22325.85
2	Regulatory capital	21558.72	0.00	0.00	0.00	21558.72	22325.85	0.00	0.00	0.00	22325.85
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	91964.96	59572.87	56832.92	2350.06	191263.29	93463.91	56569.56	64085.44	8582.86	202707.34
5	Stable deposits	12177.40	7888.25	7525.45	2350.06	28561.61	12374.44	7489.70	8484.79	8582.86	35514.35
6	Less stable deposits	79787.55	51684.62	49307.47	0.00	162701.68	81089.47	49079.86	55600.65	0	167192.99
7	Wholesale funding: (8+9)	24729.15	18815.46	17950.07	0.00	30747.34	25742.42	16762.58	18989.67	0.00	35120.98
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	24729.15	18815.46	17950.07	0.00	30747.34	25742.42	16762.58	18989.67	0.00	35120.98
10	Other liabilities: (11+12)	2983.29	1932.51	1898.34	0.00	0.00	3232.56	1956.53	2216.47	0.00	0
11	NSFR derivative liabilities	0.00	0.00	54.71	0.000	0.00		0	0.00	0.00	0
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2983.29	1932.51	1843.63	0.00	0.00	3232.56	1956.53	2216.47	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					24356.35				0.0	260154.17
											0
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3505.29					3523.97
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	409.87	0.00	0.00	0.00	204.94	1102.73	0.00	0.00		551.36
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	43115.77	29990.70	25285.55	94562.00.	139655.63	43806.31	34070.99	26741.67	106378.71	151392.62
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	281.06	1653.97	9556.07	10425.21	0.00	219.65	839.37	6164.41	6617.05
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central Banks and PSEs, of which:	43115.77	29709.64	23631.58	50856.92	102818.01	43806.31	33851.34	25902.30	51826.04	107180.25

(Rs. in Crore)		For Quarter Ended Jun 2023					For Quarter Ended Sep 2023				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
20	With a Risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit Risk	8555.41	0.00	0.00	10091.48	12120.48	9790.72	0.00	0.00	11583.13	13945.44
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	8599.68	3929.70	0.00	0.00	0.00	21825.75	15017.18
22	With a Risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit Risk	0.00	0.00	0.00	16900.13	10985.09	0.00	0.00	0.00	17673.51	11487.78
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	26450.24	22482.70	0.00	0.00	0.00	26562.51	22578.13
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	12537.83	175.76	139.80	16335.45	28909.53	11999.97	175.92	120.43	15081.10	27301.99
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00			0	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1862.10	1582.79	0	0.00	0.00	1162.10	987.79
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00	0	17.64	0.00	0	17.64
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.88	0.00	0	0.88
29	All other assets not included in the above categories	12537.83	175.76	139.80	14473.35	27326.75	11999.97	157.39	120.43	013919.00	26295.68
30	Off-balance sheet items		1125.84	895.51	14086.07	722.34		1122.59	858.98	14125.84	1045.87
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					**172997.73**					**183815.81**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**140.79%**					**141.53%**

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio As at March 31st 2024

(Amount in Rs. crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	**Other Approved Securities**	**Shares**	**Debentures and Bonds**	**Subsidiaries and/or joint ventures**	**Others**	**Total investments in India**	**Government securities (including local authorities)**	**Subsidiaries and/or joint ventures**	**Others**	**Total Investments outside India**	**Total Investments**
Held to Maturity												
Gross	81230.16	1.01	0	0	606.90	22.07	81860.14	3549.11	199.57	100.69	3849.37	85709.51
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0.02	0	0	0	0.05	0.07	0	6.13	0	6.13	6.20
Net	**81230.16**	**0.99**	**0**	**0**	**606.90**	**22.02**	81860.21	**3549.11**	**193.44**	**100.69**	**3843.24**	85703.45
Available for Sale							0					
Gross	10478.08	0	1950.51	3067.53	0	487.95	15984.07	285.37	0	29.73	315.10	16299.17
Less: Provision for depreciation and NPI	56.11	0	1347.83	524.58	0	438.96	2367.48	0	0	2.92	2.92	2370.40
Net	**10421.97**	**0**	**602.68**	**2542.95**	**0**	**48.99**	**13616.59**	**285.37**	**0**	**26.81**	**312.18**	18663.73
Held for Trading							0					
Gross	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Total Investments	**91708.24**	**1.01**	**1950.51**	**3067.53**	**606.90**	**510.02**	**97844.21**	**3834.48**	**199.57**	**130.42**	**4164.47**	102008.68
Less: Provision for non-performing investments	0	0	0	0	0	0	0	0	6.13	2.92	9.05	9.05
Less: Provision for depreciation and NPI #	56.11	0.02	1347.83	524.58	0	439.01	2367.55	0	0	0	0	2367.55
Net	**91652.13**	**0.99**	**602.68**	**2542.95**	**606.90**	**71.01**	**95476.66**	**3834.48**	**193.44**	**127.5**	**4155.42**	99632.08

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule - 8 (Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	**Amount of provision as on 31.03.2024 (INR)**
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	465024053.40
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	304892801.68
TOTAL	**769916855.08**

The above mentioned provision is held in C.O. books.

b) Composition of Investment Portfolio As at March 31st 2023

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	**Other Approved Securities**	**Shares**	**Debentures and Bonds**	**Subsidiaries and/or joint ventures**	**Others**	**Total investments in India**	**Government securities (including local authorities)**	**Subsidiaries and/or joint ventures**	**Others**	**Total Investments outside India**	**Total Investments**
Held to Maturity												
Gross	77120.52	1.01	606.90	0.00	0.00	13.86	77742.29	3710.18	199.58	150.28	4060.03	81802.32
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
Net	**77120.52**	**0.99**	**606.89**	**0.00**	**0.00**	**13.86**	**77742.27**	**3710.18**	**193.45**	**150.28**	**4053.90**	**81796.17**
Available for Sale												
Gross	9749.10	0.00	1896.07	2535.49	0.00	604.33	14784.99	0.00	0.00	77.72	77.72	14862.71
Less: Provision for depreciation and NPI	266.61	0.00	1367.68	321.26	0.00	529.35	2484.90	0.00	0.00	3.57	3.57	2488.47
Net	**9482.49**	**0.00**	**528.39**	**2214.23**	**0.00**	**74.98**	**12300.09**	**0.00**	**0.00**	**74.15**	**74.15**	**12374.24**
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Investments	**86869.62**	**1.01**	**2502.97**	**2535.49**	**0.00**	**618.19**	**92527.28**	**3710.18**	**199.58**	**228.00**	**4137.76**	**96665.03**
Less: Provision for non-performing investments #	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Less: Provision for depreciation and NPI	266.61	0.00	1367.68	321.26	0.00	529.35	2484.90	0.00	6.13	3.57	9.70	2494.60
Net	**86603.01**	**0.99**	**1135.28**	**2214.23**	**0.00**	**88.84**	**90042.35**	**3710.18**	**193.45**	**224.43**	**4128.05**	**94170.41**

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule - 8 (Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	**Amount of provision as on 31.03.2023 (INR)**
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	458079776.52
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	300490999.26
TOTAL	**758570775.78**

The above mentioned provision is held in C.O. books.

c) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening Balance	2094.84	2436.23
b. Add: Provisions made during the year	2573.57	769.51
c. Less: Write off/write back of excess provisions during the year	3389.86	1104.77
d. Closing Balance	1275.63	2100.97
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening Balance	390.00	390.00
b. Add: Amount transferred during the year	0.00	0.00
c. Less: Drawdown	0.00	0.00
d. Closing balance	390.00	390.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Book value)	2.62%	2.71%

d) Sale and transfers to/from HTM category/Permanent Category

During the year ended March 31, 2024 and March 31, 2023, Sale from Held To Maturity category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: Nil [Previous Year: Nil]. Transfer To/From Held To Maturity Category other than the Category Transfer allowed by Reserve Bank of India at the beginning of the Year: NIL

As per Master Circular-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2021d 25.08.2021 issued by Reserve Bank of India (updated as on March 23, 2022), Banks are permitted to shift Investments to/ from Held To Maturity once in a year, normally at the beginning of the accounting year. No further shifting will be allowed during remaining part of that accounting year, except when explicitly permitted by Reserve Bank of India.

e) Non-SLR Investment Portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
a)	Opening balance as on 1st April	2305.16	2541.11
b)	Additions during the year since 1st April	288.77	1181.76
c)	Reductions during the above period	40.44	1417.71
d)	Closing balance as on 31st March	2553.49	2305.17
e)	**Total provisions held**	2553.49	**2277.38**

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in Rs. Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23	23-24	22-23
a)	PSUs	23653.69	23478.76	23605.05	23415.10	0	0	0	0	0	0
b)	FIs	380.50	380.50	364.40	364.40	0	0	0	0	0	0
c)	Banks	1208.96	1258.27	1136.76	1135.25	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
d)	Private Corporates	2341.39	3179.12	2018.38	2874.32	18.75	110.74	65.25	77.92	65.19	19.27
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	806.48	199.58	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Others	3835.40	3710.18	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Provision held towards depreciation	(1284.67)	(2227.99)	(770.53)	(2032.44)	0	0	0	0	0	0
	Total*	**30941.75**	**29978.42**	**26354.06**	**25756.63**	**27.50**	**119.49**	**74.00**	**86.67**	**73.94**	**28.02**

Note:

1. Investment in equity, equity oriented mutual funds, venture capital, central and state government securities are not segregated under these categories as these are exempt from rating guidelines.

2. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

f) Repo transactions (in face value terms)*

(Amount in Rs. crore)

	Minimum outstanding during the year 2023-24	Maximum outstanding during the year 2023-24	Daily average outstanding during the year 2023-24	Outstanding as on March 31, 2024
i) Securities sold under repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	1006.86	7685.05	217.87	7000.00
ii) Securities purchased under reverse repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	360.53	360.53	0.99	0.00

- The disclosure shall be as specified in Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions,2018 as amended from time to time.

g) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at March 31,2024

Securities Lent through GSL transactions	Minimum Outstanding during the year	Maximum Outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31 2024
TREPS	200.00	11200.00	3327.05	1217701.15	400.00
IB REPO	5.21	304.68	25.84	9430.83	0.00

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Amount Rs. in Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	174936.97	2558.23	8704.16	2809.16	14071.55	189008.52
Add: Additions during the year					1648.51	
Less: Reductions during the year					8925.63	
Closing balance	212224.06	1204.39	4480.05	1109.99	6794.43	219018.49
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					577.07	577.07
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1134.73	1134.73
iii) Technical/ Prudential Write-offs					6690.91	6690.91
iv) Write-offs other than those under (iii) above					522.92	522.92
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1593.71	1078.72	6752.67	2687.37	10518.76	12112.47
Add: Fresh provisions made during the year					2706.49	2706.49
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					7897.19	7897.19
Closing balance of provisions held	1488.76	723.02	3879.89	942.40	5305.10	6793.86
Net NPAs						
Opening Balance		1469.50	1753.01	43.62	3266.01	
Add: Fresh additions during the year					677.67	
Less: Reductions during the year					2726.83	
Closing Balance		442.84	719.42	54.59	1216.85	1216.85
Floating Provisions						
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						30244.10
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						6461.43
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						4869.33
Closing balance						31836.20

Ratios (in Percent)	**2023-24**	**2022-23**
Gross NPA to Gross Advances	3.10%	7.44%
Net NPA to Net Advances	0.57%	1.83%
Provision coverage ratio	96.85%	92.63%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amounts in Rs. crore)

Sr. No.	Sector*	2023-24			2022-23		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	52699.17	2064.73	3.92%	42819.21	2880.74	6.73%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending Services	14371.32	1084.45	7.55%	13231.33	1433.44	10.83%
c)	Services	20915.24	1018.25	4.87%	17368.86	1318.10	7.59%
d)	Personal loans	13536.68	487.76	3.06%	13344.53	1177.51	8.82%
	Sub-total (i)	**101522.42**	**4655.19**	**4.59%**	86763.93	6809.79	7.84%
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	2935.68	33.19	1.13%	1168.96	93.14	7.97%
b)	Industry	18192.07	1725.64	9.49%	31343.78	5679.66	18.12%
c)	Services	46718.68	33.92	0.07%	25104.98	864.77	3.44%
d)	Personal loans	49050.64	346.49	0.71%	44039.67	624.19	1.42%
	Food Credit	599.00	0.00	0.00%	587.18	0.00	0.00%
	Sub-total (ii)	**117496.08**	**2139.24**	**1.82%**	**102244.60**	7261.76	7.10%
	Total (i + ii)	**219018.49**	**6794.43**	**3.10%**	**189008.51**	**14071.60**	**7.44%**

*Banks shall also disclose in the format above, sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a Bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it shall disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Assets	30020.73	20193.55
Total NPAs	1356.83	1559.87
Total Revenue	855.20	562.61

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Reserve Bank of India Circular No. RBI/2018-19/2013 DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets, where viable resolution plan has not been implemented within 180 days/365 days of review period - Prudential framework:

(Amount in Rs. Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2024, out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.03.2024	Addl. Provision made during quarter ended 31.03.2024	Provision out of (d) already made by 31.03.2024
228.22	228.22	228.22	72.90	0.00	72.90

e) Divergence in asset classification and provisioning

RBI vide its notification no. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/ 21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated as on 01.04.2024) has made disclosure requirement by the Banks where divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning exceed certain thresholds in their Annual report.

For the FY ending 31.03.2023, the Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) ***the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 5 % of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and***

(b) ***the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 5 % of the published incremental Gross NPAs for the reference period***

(Amount in Rs. Crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2023* as reported by the Bank	14072
2.	Gross NPAs as on March 31, 2023, as assessed by Reserve Bank of India	14127
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	55
4.	Net NPAs as on March 31, 2023, as reported by the Bank	3266
5.	Net NPAs as on March 31, 2023, as assessed by Reserve Bank of India	3320
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	54
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2023, as reported by the Bank	2858
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2023, as assessed by Reserve Bank of India	2906
9.	Divergence in provisioning (8-7)	48
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2023	6030
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31,2023	2099
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2023 after considering the divergence in provisioning	2043*

* After taking into consideration of divergence under various provisions viz.,

o Additional provisions for valuation of investments - Rs. 8 crores,

o Additional provisions for understatement of NPAs - Rs. 48 crores

If any of the parameter (a) and / or (b) triggers, the information to be reported to the Stock Exchanges.

Present Status: The RBI has submitted the divergence report for the year ended 31.03.2023 and assessment of trigger points are as follows:

a) **the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 5 % of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and**

Period ended March 31,2023 (Rs. in Crore)

Reported profit before provisions and contingencies	10% of the reported profit before provisions and contingencies	Additional provisioning for NPA by RBI	Difference between 10% of reported figure and RBI figure	Trigger activates if B – C is negative
(A)	(B)	(C)	(B-C)	
6030	302	48	254	**No**

b) **the additional gross NPAs identified by RBI exceed 5 % of the published incremental Gross NPAs for the reference period.**

Period ended March 31,2023

(Rs. in Crore)

Published incremental Gross NPAs (Additions during the year)	10 % of the published incremental Gross NPAs	Additional gross NPAs identified by RBI	Difference between 10% of reported figure and RBI figure	Trigger activates if B – C is negative
(A)	(B)	(C)	(B-C)	
4472	224	55	169	**No**

Since there is no trigger evidenced in both of the trigger points, there is no breach by the Bank and accordingly, there is no need for making disclosure as per SEBI LODR regulations/guidelines.

f) **Disclosure of transfer of loan exposures**

Disclosures as per RBI Master directions ref no RE/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of loan exposures) Directions, 2021" dated 24.09.2021, the details of loans transferred / acquired during quarter ended March 31,2024 are given below:

i) **In respect of "Loans not in default" that are transferred or acquired**

a. **Co-lending:**

	Corporate	Agri		Retail	MSME
Mode of Acquisition	**Direct Assignment**	**Direct assignment -capri global capital**	**Direct Assignment-IIFL**	**Direct Assignment**	**Direct Assignment**
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	NIL	320.02	249.98	148.40	83.51
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	NIL	NIL	1.61	1.50
Weighted Average Holding period by originator (in years)	NIL	NIL	NIL	NA	NIL
Tangible Security Coverage (%)	NIL	138.80%	140.45%	190.33%	130.98%
Rating wise distribution of loans acquired by value	NIL	NIL	NIL	Unrated	Underlying pool asst are unrated

b. **Pool Buy out:**

	Corporate	Agri		Retail	MSME
Mode of Acquisition	**Direct Assignment**	**Direct assignment -capri global capital**	**Direct Assignment-IIFL**	**Direct Assignment**	**Direct Assignment**
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (In Crore)	NIL				
Weighted Average Residual Maturity (in years)					
Weighted Average Holding period by originator (in years)					
Tangible Security Coverage (%)					
Rating wise distribution of loans acquired by value					

ii) **Details of Stressed Loan transferred during the year 2023-24**

(Amount in Rs. crore)

Details of stressed loans transferred during the year ended 31.03.2024 under RBI Master Direction on transfer of loan exposure dated 24.09.2021						
	To ARCs		**To permitted transferees**		**To other transferees (please specify)**	
	Y.E. 31.03.2024	**Y.E. 31.03.2023**	**Y.E. 31.03.2024**	**YE 31.03.2023**	**YE 31.03.2024**	**YE 31.03.2023**
No. of accounts	7 Individual Corporate Loans+2 portfolio of 474 MSME NPA loans +2 portfolio of 25948 unsecured Education NPA loans	7 NPA Loans + a portfolio of 256 MSME NPA Loans + a portfolio of 9604 Unsecured Education loans	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1841.70	750.55	NIL	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	5 Years	5 Years	NIL	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	660.08	319.04	NIL	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL

Details of loans acquired during the year		
	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	**From ARCs**
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

iii) The Bank has reversed the amount of Rs 161.23 Crore of excess provision to the profit & loss account on account of sale of stressed loans during year ending March 31st 2024.

iv) Details of The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31st 2024.

(Amounts in Rs Crore)

Recovery Rating	Book Value (31.03.2024)	Book Value (31.03.2023)
RR1+(More than 150%)	0.00	7.43
RR1(100%-150%)	33.97	36.55
RR2(75%-100%)	99.05	91.90
RR3(50%-75%)	16.00	16.15
RR4(25%-50%)	81.77	104.71
RR5(0%-25%)	79.29	57.26
RR6	0.00	0.00
SRs-Rating Exempted during planning period	0.00	0.00
SRs-Unrated	106.39	150.82
Total	**416.47***	**464.82***

* Bank is holding 100% of provision

g) Fraud accounts

Advance related fraud:

Particulars	2023-24	2022-23
Number of frauds reported	16	48
Amount involved in fraud (Rs. Crore)	13.39	1 309.14
Amount of provision made for such frauds (Rs. Crore)	13.39	1 309.14
Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (Rs. Crore)	Nil	Nil

1. Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for the financial year ended March 31st, 2024, instead of spilling over a period of four quarters.

2. During the quarter ended March 31st 2024, 1 number of advance related frauds reported, having NIL amount outstanding.

Other than Advance related frauds:

Particulars	2023-24	2022-23
Number of frauds reported	27	34
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on March 31st (Rs. crore)	1.69	22.94
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (Rs. crore)	1.69	22.94
Cumulative Provision as on March 31st since beginning, including Burglary/Dacoity/Robbery and etc	493.12	491.81

- Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2024, instead of spilling over a period of four quarters.
- During the quarter ended March 31st 2024, 6 frauds under other than advances category has been reported to Reserve Bank of India, where likely loss is Rs. 0.22 crores and for which the Bank is holding 100% provision. FMR wise fraud data is being reconciled.

Cyber Frauds:

Particulars	2023-24	2022-23
Number of frauds reported	8006	935
Likely loss for the frauds reported as on 31st March 2024 (Rs. Crore)	0.01	0.06
Amount of Provision made for such frauds as on 31st March (Rs. Crore)	0.01	0.06
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (Rs. Crore)	Nil	NIL

- Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2024 instead of spilling over a period of four quarters.
- During the quarter ended March 31st 2024, 1569 frauds under cyber frauds category has been reported to Reserve Bank of India, where the likely loss is 0.01 crores. The provision for the amount of INR 0.01 crores has been made for the likely loss.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(Amounts in Rs. crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans**	1 865.58	83.32	0	124.66	1657.60
Corporate persons*	2032.96	59.72	0	248.48	1724.76
Of which MSMEs	1688.40	59.72	0	226.12	1402.56
Others	239.86	1.74	0	31.33	206.79
Total	**4138.30**	**144.78**	**0.00**	**404.47**	**3589.15**

* As defines in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

** Personal loan represent Retail advances

5. Exposure

a. Exposure to real estate sector

(Amounts in Rs. crore)

Category	2023-24	2022-23
i) Direct exposure	32499.33	28896.40
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	29573.39	25659.39
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	11980.45	10801.04
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include non-fund based (NFB) limits;	2121.02	2180.25
c) Real estate others: Hotels, Hospitals and liquirent not under CRE	804.92	1056.76
d) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – i. Residential ii. Commercial Real Estate	0.00	0.00
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies	3962.51	4961.52
Total Exposure to Real Estate Sector	**36461.84**	**33857.92**

b. Exposure to capital market

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	458.86	444.89
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0	0.18
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0	0.36
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	453.78	1 008.64

Particulars	2023-24	2022-23
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.20
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) Financing to stockbrokers for margin trading; or Financial guarantee issued to stock exchange on behalf of brokers	0.00	0.41
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	140.71	114.52
Xi) Other financial guarantee	0.00	0.00
Total exposure to capital market	**1053.35**	**1569.20**

c. Risk category-wise country exposure

(Amounts in Rs. crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024	Exposure (net) as at 31.03.2023	Provision held as at 31.03.2023
Insignificant	14898.81	7.62	10276.51	4.65
Low	4590.90	0.00	5785.86	0.00
Moderately Low	2958.99	0.00	1468.35	0.00
Moderate	9.79	0.00	12.04	0.00
Moderately High	491.25	0.00	338.13	0.00
High	0.67	0.00	412.17	0.00
Very High	547.57	0.00	4.03	0.00
Total	**23497.98**	**7.62**	**18297.09**	**4.65**

*Till such time, as Banks move over to internal rating systems, Banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country Risk exposures. ECGC shall provide to Banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all Banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

d. Unsecured advances

Banks shall disclose the total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral as per the following format:

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total unsecured advances of the Bank	48531.80	49549.61
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	6570.39	7031.50
Estimated value of such intangible collateral	6570.39	7031.50

e. Factoring exposures

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Exposure of our Bank under Factoring	6377.11	2489.62

f. Intra-group exposures

With the developments of financial markets in India, Banks have increasingly expanded their presence in permitted financial activities through entities that are owned by them fully or partly. As a result, Banks' exposure to the group entities has increased and may rise further going forward. In order to ensure transparency in their dealings with group entities, Banks should make the following disclosures for the current year with comparatives for the previous year:

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
i. Total amount of intra-group exposures	NIL	NIL
ii. Total amount of top 20 intra-group exposures	NIL	NIL
iii. % of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers	NIL	NIL
iv. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

g. Unhedged foreign currency exposures

Based on the available financial results and the declaration from the borrowers, the Bank has estimated the liability towards unhedged foreign currency Exposure to their constituents in terms of RBI/2022-23/131 DOR .MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11,2022 and the Bank holds provision of Rs.12.86 Cr as on March 31, 2024.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPA

a. Concentration of Deposits

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Deposits of twenty largest depositors	12738.79	13701.36
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	4.48%	5.25%

b. Concentration of advances

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Advances to the twenty largest borrowers	40254.52	32027.55
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	18.38%	16.95%

c. Concentration of exposures (Credit and Investment Exposure)

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	49718.03	35588.43
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the Bank on borrowers/customers	14.49%	11.80%

**Exposures shall be computed as per applicable Reserve Bank of India regulation

d. Concentration of NPAs

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	698.69	3761.29
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	10.28%	26.73%

Concentration of NPAs FY 2023-24 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

Concentration of NPAs FY 2023-24 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

S. No.	BORROWER NAME	Gross NPA O/s in Crore
1	Saalim Shoes Pvt. Ltd.	93.56
2	Rukmini Iron Private Limited	47.80
3	Brahmaputra Infrastructure Limited	45.08
4	P and G Enterprises Pvt. Ltd.	44.89
5	Textrade International Private Limited	44.24
6	LMJ International Limited	39.71
7	Empee Sugars and Chemicals Ltd.	39.17
8	Naolin Infrastructure Private Limited	33.68
9	M/s Jadia Pipes India Ltd.	32.92
10	M/s Chartered Hotels Pvt. Ltd.	31.77
11	Lokshakti Sugar and Allied Industries Ltd.	31.36
12	Sona Alloys Private Limited	30.46
13	J R Solvent Industries Pvt. Ltd.	25.75
14	Simoco Tele communications	24.64
15	North Point Education Trust	23.91
16	MNT Buildcon Private Limited	23.68
17	Shingar Limited	23.02
18	Priyadarshini Education Society	22.37
19	The Indure Private Limited	21.53
20	Infutec Healthcare Limited	19.16
	Total	**698.69**

Concentration of NPAs FY 2022-23 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

S. No.	BORROWER NAME	Gross NPA O/s in Crore
1	Agson Global Private Limited	717.13
2	Lanco Resources International Pte Ltd.	413.48
3	AMW Motors Limited	390.70
4	Gayatri Projects Limited	271.58
5	Rabirun Vinimay Private Limited	243.74
6	Pioneer Gas Power Limited	191.01
7	PC Jeweller Limited	181.51
8	Jet Airways india Limited	154.47
9	Punj Loyyd Ltd.	151.85
10	Nagai Power Pvt. Ltd.	134.71
11	SEL Textiles Limited	118.11
12	Varahi Diamonds and Finance Limited	116.29
13	Future Enterprises Limited	104.07

S. No.	BORROWER NAME	Gross NPA O/s in Crore
14	Panipat Jalandhar NH-1 tollway Private Limited	101.04
15	Saalim Shoes Private Limited	93.49
16	Dra Industries Limited	79.07
17	GBJ Hotels Private Limited	79.05
18	S K M Real Infra Limited	77.80
19	Road Infra Structure Development company of Rajasthan Limited	72.58
20	Brahma Putra Infrastructure Limited	69.61
	Total	**3761.29**

7. Derivatives

a. Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amounts in Rs. crore)

	Particulars	2023-24	2022-23
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements		
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps		
iv)	Concentration of credit Risk arising from the swaps$		
v)	The fair value of the swap book@		

Note: Nature and terms of the swaps including information on credit and market Risk and the accounting policies adopted for recording the swaps should also be disclosed.

$ Examples of concentration could exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.

@ if the swaps are linked to specific assets, liabilities or commitments, the fair value would be the estimated amount that the Bank would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date, for a trading swap the fair value would be its mark to market value.

b. Exchange traded interest rate derivatives

(Amounts in Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March .....(instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

c. Disclosures on Risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate Risk and currency Risk in Banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the Risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mismatch, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the Risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper Risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate Risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the Bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

   a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of Risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

   b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit Risk (arising from probable counter party failure), Liquidity Risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational Risk, Regulatory Risk and Reputation Risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the Risks associated in using derivatives and proper Risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all Risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

   c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The Bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and

the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge Bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with Reserve Bank of India guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6).

Risk Management policies pertaining to derivatives with articular reference to the extent to which derivatives are used, the associated Risks and business purposes served. Also include

a) The Structure and Organization for management of Risk in derivatives trading.

b) The Scope and nature of Risk measurement, Risk reporting and Risk monitoring systems

c) Policies for hedging and/or mitigating Risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit Risk mitigation.

ii) Quantitative disclosures

(Amounts in Rs. crore)

S. No.		2023-24		2022-23	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging ii) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	Marked to Market Positions@				
	I) Asset (+) ii) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Credit Exposure$	NIL	NIL	NIL	NIL
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) on hedging derivatives ii) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) on hedging	a) Max: Min:	NIL	a) Max: 9.04 Min: 0.00	NIL
	ii) on trading	b) Max: Min:		b) Max: 0.00 Min: 0.00	

@ The net position shall be shown either under Asset or Liability, as the case may be for each type of derivatives.

$ Banks may adopt the current exposure method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per extant RBI Instructions.

d. Credit default swaps

Bank using a proprietary model for valuation of Credit Default Swaps (CDS) positions, shall disclose the valuation as per the proprietary model, including the rationale for using that model and an explanation of the valuation methodology in the Notes to Accounts in their financial statements. The disclosure shall also include the valuation as per the CDS curve published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) or a benchmark recommended by FIMMDA*.

*The requirement to disclose valuation as per the CDS curve published by FIMMDA or a benchmark recommended by FIMMDA shall be effective once FIMMDA starts publishing the CDS curve or recommends a valuation benchmark.

8. Disclosures relating to securitization

(Number/ Amounts in Rs. crore)

Sl. No.	Particulars	Mar 31 2024	Mar 31 2023
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL
4.	Amountof exposures to securitization transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL

Sl. No.	Particulars	Mar 31 2024	Mar 31 2023
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and. (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
Nil	Nil

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	1822.20	1595.20
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	303.77	256.98
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	122.47	29.98
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	2003.50	1822.20

11. Disclosure of complaints

a. **Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Ombudsman**

S. No.	Particulars	2023-24	2022-23
	Complaints received by the Bank from its customers		
1	Number of complaints pending at beginning of the year	1950	2850
2	Number of complaints received during the year	257420	198307
3	Number of complaints disposed during the year	257353	199207
3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	1890	6071
4	Number of complaints Pending at the end of the year	2017	1950
	Maintainable complaints received by the Bank from OFFICE OF OMBUDSMAN		
5	Number of Maintainable complaints received by the Bank from Office Of Ombudsman	1451	1432

S. No.	Particulars	2023-24	2022-23
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	512	627
5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	939	804
5.3	Of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	0	1#
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman scheme 2021 (previously Banking Ombudsman Scheme 2006) and covered within the ambit of the scheme.

The Award is lapsed as per RBIO Scheme as the customer has given letter stating that he is not accepting the Award.

b. Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (FY 2023-24)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	793	118199	(+) 6.21%	427	0
ATM/Debit cards	595	72708	(+) 2.74%	464	0
Credit Cards	262	1686	(-) 12.46%	298	0
Loans and advances	23	883	(-) 15.50%	14	0
Cheques/Draft/bills	10	2744	(+) 0.44%	5	0
Others	267	61200	(+) 480.20%	809	0
Total	**1950**	**257420**	**(+) 29.81%**	**2017**	**0**
Previous Year (FY 2022-23)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	1006	111287	(+) 32.25%	793	0
ATM/Debit cards	1134	70769	(-) 2.39%	595	0
Credit Cards	307	1926	(-) 12.69%	262	0
Loans and advances	112	1045	(-) 32.36%	23	1
Cheques/Draft/bills	7	2732	(+) 83.60%	10	1
Others	284	10548	(+) 36.77%	267	0
Total	**2850**	**198307**	**(+) 16.93%**	**1 950**	**2**

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Amounts in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Penalties imposed by Reserve Bank of India	3.20	0.57

13. Disclosure on remuneration

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2023-24)	Remuneration* Amount (Rs.) (2022-23)
1.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) From 01.01.2023	4080132	4413566
2	Smt S Srimathy	Executive Director	3857030.33	3904720.09
3.	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Executive Director	3181709.89	1058964.00
4.	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director From 31.01.2024	747253.16	NA
5.	Shri Dhanaraj T	Executive Director From 10.03.2024	253295.23	NA

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

14. Other Disclosures

a. Business ratios

Particulars	2023-24	2022-23
i) Interest Income as a percentage to Working Funds	2.92%	2.66%
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.68%	1.32%
iii) Cost of Deposits	4.70%	4.13%
iv) Net Interest Margin	3.28%	2.93%
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.01%	1.91%
vi) Return on Assets	0.81%	0.76%
vii) Business (deposits plus advances) per employee (in Rs. crore)	23.54	20.21
viii) Profit per employee (in Rs. crore)	0.12	0.09

b. Bancassurance business

The details of fees /Brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them should be disclosed in the notes on accounts to their Balance Sheet, Disclosures should be made for both the current year and previous year.

(Amounts in Rs. crore)

S. No.	Nature of income*	2023-24	2022-23
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.39	3.24
(b)	For selling Non-Life Insurance Policies	27.09	26.31
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.51	0.44
(d)	Others – Related to previous years accounted during the year	1.61	NIL
	Total	**31.60**	**29.99**

* Fees /renumeration earned in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

c. Marketing and Distribution

Banks shall disclose the details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function(excluding bancassurance business) undertaken by them

Nature of income	2023-24	2022-23
Marketing & Distribution Business	NIL	NIL

d. Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Amounts in Rs. crore)

S. No.	Particulars	2023-24		2022-23	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	NIL	NIL	NIL	NIL
2	PSLC - SF/MF	NIL	12985.50	NIL	NIL
3	PSLC - Micro Enterprises	3000.00	NIL	NIL	NIL
4	PSLC - General	NIL	NIL	NIL	NIL

e. Provisions and contingencies

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Provisions for depreciation on Investment / Written back	(0.49)	1.35
Provision towards NPA	2706.49	2857.74
Provision towards Standard Assets	(112.22)	(462.45)
Provision for Restructured accounts	(7.37)	(12.85)
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	756.92	249.46
Other Provision and Contingencies	764.71	1210.12
Total	**4108.14**	**3843.38**

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

As per RBI guidelines, Bank is in the process of implementing Ind AS (Indian Accounting Standards). RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001 / 2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all Banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements every half-year. A project Steering Committee headed by Executive Director has been formed for monitoring of Implementation of Ind AS in the Bank as per RBI directive. Bank is submitting Proforma Ind AS Financial Statements to RBI on half yearly basis after approval of Project Steering Committee

g. Payment of DICGC Insurance Premium

(Amounts in Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	331.48	353.02
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

h. Disclosure on unamortised Pension and Gratuity Liabilities and amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

1. **Pension:**

In accordance the RBI circular/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated

4th October 2021, the Bank had opted to amortize additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020 over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5 of the total amount being expensed every year and has been carrying amortized portion amounting to Rs.255.51 Crores as at March 31, 2023.

During the year, the Bank has charged entire carried forward amount to the Profit & Loss Account and the carried forward amount now is NIL.

2. **Gratuity:**

Unamortised gratuity liabilities as on March 31st 2024 is **NIL**

Provision for the employee benefits pertaining to Pension, Gratuity & Leave encashment have been made on the basis of Actuarial Valuation.

i. Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact , as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars	**FY 2023-24**
Letters of Comfort issued during the year	NIL
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2024	3
Assessed Financial impact	NIL
Cumulative Assessed Financial Obligation	NIL

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2024:

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2199 Mio(25.97%) as on March 31st 2024.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 92.854 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to Bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio.

Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch.

j. Portfolio -level information on the use of funds raised from green deposits.

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2023-24	2022-23	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	0.26	NIL	0.26
Use of green deposit funds **			
1) Renewable Energy	1.51	0.72	3.04
2) Energy Efficiency	0	0	0
3) Clean Transportation	5.22	Nil	5.22
4) Climate Change Adaptation	0	0	0
5) Sustainable water and waste management	0	0	0
6) Pollution Prevention and control	0	0	0
7) Green Buildings	0	0	0
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0	0	0
9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0	0	0
Total Green deposit funds allocated (B=sum of 1 to 9)	**6.73**	**0.72**	**8.26**
Amount of Green Deposit funds not allocated (C=A-B)			
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

***Note:** Green Deposits scheme introduced w.e.f 10.02.2024 and our various credit schemes like Surya under renewable energy and Electronic Vehicle under clean transport are in existence before the introduction of Green Deposits.

15. In accordance with the Reserve Bank of India Circular No DBR No. BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts from 01.04.2023 to 31.03.2024 are as under:

No. of Accounts	Aggregate exposure as on 31st March 2024 (Rs. in crore)
3430	217.72

16. COVID-19 pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy for more than two years. However, the Bank's results, operations and asset quality have not been affected much because of the pandemic. Further, Bank has made necessary provisions for all COVID related restructured loans. The Bank is however keeping a close watch on developments on an ongoing basis and taking proactive measures continuously to maintain and improve asset quality. The Bank, therefore, believes that there may not be any significant impact on Bank's future financial results

17. Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Provision for Income Tax	22.67	20.60
Provision for Deferred Tax	734.24	228.85
Net Provision	756.91	249.45

18. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

19. As per RBI guidelines, RBI/DOR/2021-22/ 83DOR. ACC.REC. No.45 / 21.04.018/ 2021-22 dated October 25, 2023, the details of Miscellaneous Income under the head "Other Income" exceeding 1% of the Total Income is as under:

Period	Item under the Subhead /Head	Amount in Crore	Amount in Percent
For the quarter ended 31.03.2024	Recovery in Write Off	9.08	9.97%
For the year ended 31.03.2024	Recovery in Write Off	23.72	7.99%

DISCLOSURES UNDER ACCOUNTING STANDARDS

1. Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2023.

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

2. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

3. Accounting Standard 11 – The Effects of Changes In Foreign Exchange Rates

Particulars	2023-24	2022-23
Opening Balance	965.71	841.66
Credited during the year	111.80	126.64
Withdrawn during the year	93.61	2.59
Closing Balance	983.90	965.71

4. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:-

I. Defined Benefit Plans (Pension and Gratuity)

(a) Changes in the present value of the obligations:

(Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
Present Value of obligation as at the beginning of the year	11314.24	10363.22	1302.17	1200.55
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Interest Cost	776.97	735.23	94.94	85.31
Add: Past Service Cost	-	-	-	-
Add: Current Service Cost	332.67	279.52	88.82	78.70
Less: Benefits Paid	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	2177.19	1004.24	101.03	57.83
Present Value of Obligation at year end	13465.63	11314.25	1494.38	1302.17

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

(Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	11314.25	10363.23	1326.82	1225.20
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Expected return on Plan Assets	896.50	782.28	101.62	91.81
Add: Employer's contribution	2348.23	1202.74	127.30	124.65
Less: Benefit Paid	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	42.09	33.96	31.23	5.37
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
Unfunded Transitional Liability	-	-	-	-

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Rs. in Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
i) Present value of obligations as at the end of the year	13465.63	11569.76	1494.38	1302.17
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
iii) Difference	0.00	255.51	0.00	(24.65)
iv) Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(0.00)	*(255.51)	0.00	0.00
v) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	24.65

* In accordance the RBI circular; RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, the Bank had opted to amortize additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020 over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial

year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year and has been carrying amortized portion amounting to ₹255,51,49,935.00 as at March 31,2023. During the year, the Bank has charged entire carried forward amount to the Profit & Loss Account and the carried forward amount now is ₹NIL.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Rs. in Crores)

Particulars	**PENSION (Funded)**		**GRATUITY (Funded)**	
	2024	**2024**	**2024**	**2023**
i) Current Service Cost	332.67	279.52	88.82	78.70
ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) Interest Cost	776.97	735.23	94.94	85.31
iv) Expected return on Plan Asset	(896.50)	(782.28)	(101.62)	(91.81)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	2135.09	970.28	69.80	52.46
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	**2348.24**	**1202.74**	**151.95**	**124.65**

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	**Pension Trust**		**Gratuity Trust**	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
a) Debt instruments/Central Govt Securities	4.09	3.41	9.13	8.67
b) State Govt Securities	3.89	2.58	11.97	17.32
c) Investments in PSU/ PFI/ Corporate bonds	6.91	4.50	13.57	12.75
d) Equity Investments	0.77	0.68	1.29	2.31
e) Other Investments	84.34	88.83	64.04	58.95
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

Particulars	**PENSION (Funded)**		**GRATUITY (Funded)**	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Discount Rate	7.23%	7.48%	7.23%	7.56%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
Pension Increase	4.00%	4.00%	-	-
Expected rate of return on Plan Assets	7.50%	7.50%	7.56%	7.48%
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/ Deficit in the plan

(Rs. in Crores)

	Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
i.	Present value of obligations as at the end of the year	9108.28	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9108.28	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63
iii.	Difference (ii-i)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/ Deficit in the plan

(Rs. in Crores)

	Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
i.	Present value of obligations as at the end of the year	1018.68	913.11	1200.55	1302.17	1494.38
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1400.86	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38
iii.	Difference (ii-i)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2024).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs. 93.40 crores.

II) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2023-24, the Bank has contributed Rs.165.26 Crore (Previous Year Rs.145.51 Crore).

III) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(Rs. in Crores)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
Present value of obligations as at the beginning of the year	576.27	516.13
Add: Interest Cost	41.78	36.33
Add: Past Service Cost	-	-
Add: Current Service Cost	74.24	56.88
Less: Benefits Paid	(47.11)	(60.75)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	106.97	27.68
Closing Defined Benefit Obligation	752.15	576.27

(b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. In Crores)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
i) Current Service Cost	74.24	56.88
ii) Past Service Cost	-	-
iii) Interest Cost	41.78	36.33
iv) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	106.97	27.68
Expenses Recognized in P&L	223.00	120.89

(c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(Rs. in Crores)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
i) Opening Defined Benefit Obligation	576.26	516.13
ii) Net Acquisition Cost	-	-
iii) Expenses Recognized in P&L	223.00	120.89
iv) Benefits paid	(47.11)	(60.75)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	752.15	576.27
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	106.97	27.68
Closing Defined Benefit Obligation	752.15	576.26

(d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

Particulars	ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
Discount Rate	7.23%	7.56%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%
Attrition Rate	3.00%	3.00%
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited past experience/immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

5. Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(Rs. In Crores)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**
Revenue	7252.48	6 666.61	9630.17	6645.75	11838.91	9619.76	682.60	575.37	**29404.16**	**23507.49**
Result	546.89	888.61	1364.30	742.14	4124.77	3909.84	426.46	400.07	**6462.42**	**5940.66**
Unallocated Income									**301.82**	**1.58**
Unallocated Expenses									**301.35**	**1.51**
Operating Profit/Loss									**6763.77**	**5 942.17**
Income Taxes									**756.92**	**0**
Provisions & Contingencies									**3351.23**	**3 593.95**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**2655.63**	**2348.22**
Segment Assets	107506.41	103211.70	11437.56	98471.30	1119316.38	101371.87	85.56	131.15	**341279.81**	**303 185.45**
Unallocated Assets									**10753.81**	**10 559.80**
Total assets									**352033.62**	**313 745.82**
Segment Liabilities	97723.41	102119.91	110441.19	91562.64	115594.36	94590.37	272.64	151.16	**324031.60**	**288 424.08**
Unallocated Liabilities									**59.72**	**58.81**
Total Liabilities									**324091.32**	**288 482.89**

Note No.1 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.107506.41 crores regarding Treasury Operations (Assets) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.**Note No.2 –** The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.97723.41 crores regarding Treasury Operations (Liabilities) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

Part B – Geographic segments

(Rs. in Crores)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2023-24	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**
Revenue	28850.80	22946.46	855.19	562.61	**29705.99**	**23509.07**
Assets	338332.37	303132.95	13701.25	10612.87	**352033.62**	**313745.82**

6. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Bank: Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and CEO

(ii) Smt. S Srimathy, Executive Director (Superannuated on 09.03.2024)

(iii) Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director (Upto 30.01.2024)

(iv) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director (w.e.f 31.01.2024)

(v) Shri Dhanaraj T, Executive Director (w.e.f 10.03.2024)

(B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2023-24 and 2022-23:

(Amount in Rs.)

NAME OF THE WHOLE TIME DIRECTOR	REMUNERATION* (2023-24)	REMUNERATION* (2022-23)
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)		
01.04.2023 to 30.09.2023	19,27,968.00	19,64,990.00
01.10.2023 to 31.03.2024	21,52,164.00	24,48,576.00
Total	**40,80,132.00**	**44,13,566.00**
Ms S Srimathy (ED)		
01.04.2023 to 30.09.2023	20,11,500.00	15,91,533.00
01.10.2023 to 09.03.2024	18,45,530.33	23,13,187.09
Total	**38,57,030.33**	**39,04,720.09**
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED)		
01.04.2023 to 31.03.2023	19,60,866.67	NA
01.10.2023 to 30.01.2024	12,20,843.22	10,58,964.00
Total	**31,81,709.89**	**10,58,964.00**
Shri Joydeep Dutta Roy (ED)		
31.01.2024 to 31.03.2024	7,47,253.16	NA
Total	**7,47,253.16**	
Shri Dhanaraj T (ED)		
10.03.2024 to 31.03.2024	2,53,295.23	NA
Total	**2,53,295.23**	

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

(Amount in Rs Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings#	N.A.	N.A.	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.38
Deposits#	N.A.	N.A.	772.24	772.24	2.25	2.38	0.74	0.75	775.23	775.37
Placement of deposits#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.61	0.63	0.00	0.21	0.61	0.84
Investments#	N.A.	N.A.	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44	193.44
Non-funded commitments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	2.82		0.03		0.00		2.85	
Interest received	N.A.	N.A.	48.53		0.05		0.01		48.59	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

N.A. (Not Applicable)

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

7. Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2023-24	2022-23
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	2655.621	2098.78
Weighted Average Number of Equity Shares	18902412256	18902412256
Basic & Diluted Earnings Per Share (Rs.)	1.40	0.34
Nominal value per Equity Share (Rs.)	10.00	10.00

8. Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard-23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (The Bank) and the following Associate and Joint Venture of the Bank:

S. No.	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank Malaysia Berhad as on 31.12.2023	Joint venture	Malaysia	35%

2. The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Statements as per extant RBI guidelines.

3. The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of Rs.15.86 Crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

4. In respect of investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of Rs.606.90 Crore is adjusted against IOB's share of net assets of Rs.214.83 Crore and the balance of Rs.392.07 Crore is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

9. Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2024		31.03.2023	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	1021.64		202.90	
Provision for Frauds	68.98		190.97	
Provision for Other Assets	126.41		28.79	
Provision for Restructured Advances	11.01		13.59	
Reserve for Severance Pay	1.10		0.93	
Provision for NPA	1861.70		3675.34	
Foreign Currency Translation Reserve	348.27		337.42	
Others	1860.83		1583.89	
Total	**5299.94**		**6033.83**	
Net DTA	**5299.94**		**6033.83**	

10. Accounting Standard 24 – Discontinuing Operations

This Standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/ closure of branches of Banks by transferring the assets/ liabilities to the other branches of the same Bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger / closure of branches of Banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same Bank. Disclosures shall be required under the Standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the Bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalised by the Bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

11. Accounting Standard 26 – Intangible Assets

Impairment of Asset in our Bank is Nil.

12. Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

The Bank has an investment of 35% in the JV, India International Bank (Malaysia) Berhad (IIBMB) with 1,15,50,000 no. of shares of MYR 10 each valuing Rs 199,57,52,186 as at the year-end 31.03.2024. Upon the shareholders of IIBMB unanimously deciding for voluntary exit of the operation in Malaysia, the Board of the IIBMB sought approval from the Bank Negara Malaysia (BNM) for voluntary winding up. The BNM in letter dated 09.02.2024 has given no objection to the winding up operation and subsequently surrender the business licence subject to submission of detailed exit plan. In terms of the said order of BNM, the IIBMB is in the process of winding up. The impact on the investment, if any, that might arise shall be considered upon final winding up.

13. Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

The Software acquired by the Bank for core Banking Systems and other services relating to information technology departments are being capitalized under intangible assets and are amortized over 3 years.

14. Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending.
2	Liability on partly paid-up investments / venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interBank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market Risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The Banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter Bank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the Bank on behalf of associates & subsidiaries, Banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

15. Particulars of Accounts Restructured

(Amount in Rs. Crore)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2023	No. of Borrowers	3	0	0	0	3	22668	9508	5358	47	37581	60182	25646	3220	34	89066	82853	35154	8,578	81	126650
		Amount Outstanding	158	0	0	0	158	2495	371	146	12	3023	2372	673	137	2	2816	5025	1043	283	14	5997
		Provision Thereon	11	0	0	0	11	234	56	146	12	447	194	167	56	36	385	439	222	202	48	843
2	Fresh Restructuring during 01.04.2023 to 31.03.2024 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	213	(7701.00)	7582	119	213	4133	(4794.00)	5789	0	5128	4346	(12495.00)	13371	119	5341
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	10	(261.98)	256	6	10	56	(10.95)	178	0	224	66	(272.93)	434	6	234
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	1	(39.29)	151	6	118	2	(15.79)	174	0	160	3	(55.08)	325	6	278
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	743	(704.00)	(37.00)	(2.00)	0	(542.00)	518	50	1	27	201	(186.00)	13	(1.00)	27
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	32	(30.64)	(1.20)	0	(0.00)	(24.75)	23	2	0	0	7	(7.95)	1	0	0
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	3	(7.66)	(1.20)	0	(5.73)	(6.21)	6	1	0	0	(3.08)	(1.94)	(0.62)	0	(5.61)
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional Risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)	0	0	0	0	0	(4.00)	0	0	0	(4.00)
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)	0	0	0	0	0	(23.57)	0	0	0	(23.57)
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)	0	0	0	0	0	(2.34)	0	0	0	(2.34)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(2428.00)	2,419	6	3	0	(8017.00)	8937	1	0	921	(10445.00)	11,356	7	3	921
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(204.44)	198	6	0	0	(110.92)	250	0	0	139	(315.36)	449	6	0	139
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(20.40)	122	6	0	107	33	211	0	0	243	12	332	6	0	351
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2023 to 31.03.2024	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	(5245.00)	(1014.00)	(633.00)	(2.00)	(6894.00)	8044	20460	702	15	29221	2799	19446	69	13	22327
		Amount Outstanding	0	0	0	0	0	(572.83)	(75.06)	(30.87)	(9.92)	(688.68)	168	662	24	0	855	(404.47)	587	(6.52)	(9.65)	166
		Provision Thereon	0	0	0	0	0	(53.38)	(35.55)	(28.98)	(9.92)	(127.83)	54	152	6	0	212	0	117	(22.74)	(9.68)	84
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2024 (closing Figures)	No. of Borrowers	3	0	0	0	3	15947	2508	12276	165	30896	45870	9791	8352	12	64025	61817	12299	20628	177	94921
		Amount Outstanding	158	0	0	0	158	1736	201	376	8	2321	1478	272	293	2	2045	3214	473	669	10	4366
		Provision Thereon	11	0	0	0	11	162	95	272	8	537	107	215	225	2	548	269	309	497	10	1085

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
	2022-23																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2022	No. of Borrow-ers	-	-	-	-	-	36994.00	3550.00	2984.00	16.00	43 544.00	94827.00	8858.00	7954.00	2.00	111641.00	131821.00	12408.00	10938.00	18.00	155185.00
		Amount Out-standing	-	-	-	-	-	3014.42	121.03	85.96	11.86	3233.27	3080.70	332.12	194.67	0.02	3607.51	6095.12	453.15	280.63	11.88	6840.78
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	263.86	66.30	60.22	0.02	390.40	537.64	96.56	146.18	11.88	792.26
2	Fresh Restructuring during 01.04.2022 to 31.03.2023 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrow-ers	-	-	-	-	-	2266.00	0.00	0.00	0.00	2266.00	9463.00	14.00	772.00	2.00	10251.00	11729.00	14.00	772.00	2.00	12517.00
		Amount Out-standing	-	-	-	-	-	373.28	0.00	0.00	0.00	373.28	279.43	0.96	102.25	0.54	383.18	652.71	0.96	102.25	0.54	756.46
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	37.33	0.00	0.00	0.00	37.33	17.43	0.27	41.49	0.54	59.73	54.76	0.27	41.49	0.54	97.06
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrow-ers	-	-	-	-	-	74.00	(63.00)	(11.00)	0.00	0.00	283.00	(226.00)	(15.00)	0.00	42.00	357.00	(289.00)	(26.00)	0.00	42.00
		Amount Out-standing	-	-	-	-	-	3.26	(3.19)	(0.07)	0.00	(0.00)	8.14	(2.25)	(1.20)	0.00	4.69	11.40	(5.44)	(1.27)	0.00	4.69
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	0.33	(0.46)	(0.07)	0.00	(0.20)	0.51	(1.32)	(0.34)	0.00	(1.15)	0.84	(1.78)	(0.41)	0.00	(1.35)
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional Risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrow-ers	-	-	-	-	-	(1176.00)	(172.00)	(28.00)	0.00	(1 376.00)	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	(1134.00)	(172.00)	(28.00)	0.00	(1334.00)
		Amount Out-standing	-	-	-	-	-	(51.15)	(9.26)	(2.26)	0.00	(62.67)	4.69	0.00	0.00	0.00	4.69	(46.46)	(9.26)	(2.26)	0.00	(57.98)
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(5.11)	(1.39)	(2.26)	0.00	22.24	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	(4.37)	(1.39)	(2.26)	0.00	22.98

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification	Details	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
5	Down gradation of the restructured accounts during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	(9459.00)	6432.00	2996.00	31.00	0.00	(21316.00)	21 478.00	596.00	18.00	776.00	(30 775.00)	27 910.00	3592.00	49.00	776.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(370.10)	283.53	85.39	1.18	0.00	(578.46)	654.24	13.48	0.25	89.51	(948.56)	937.77	98.87	1.43	89.51
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(37.01)	42.53	85.39	1.18	92.09	(49.55)	157.51	13.25	0.25	121.46	(86.56)	200.04	98.64	1.43	213.55
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	(6031.00)	(239.00)	(583.00)	0.00	(6853.00)	23121.00	2870.00	6 060.00	0.00	32051.00	17090.00	2631.00	5477.00	0.00	25198.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(474.81)	(21.58)	(23.28)	(1.02)	(520.69)	789.90	83.84	170.36	0.00	1044.10	315.09	62.26	147.08	(1.02)	523.41
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(47.48)	(3.24)	(23.28)	(1.02)	(75.02)	73.09	15.62	56.97	0.00	145.68	25.61	12.38	33.69	(1.02)	706.66
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2023 (closing Figures)	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	22668.00	9 508.00	5358.00	47.00	3758.00	60174.00	25 646.00	3220.00	22.00	89062.00	82842.00	35 154.00	8578.00	69.00	126 643.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	2494.90	370.53	145.74	12.02	3023.19	2 003.64	672.74	137.38	0.81	2814.57	4498.54	1043.27	283.12	12.83	5837.76
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	234.08	55.58	145.74	12.02	447.42	159.90	166.78	56.43	0.81	383.92	393.98	222.36	202.17	12.83	831.34

Independent Auditors' Report Standalone

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT - STANDALONE

To
The Members of
Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Indian Overseas Bank** (the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of :

   (i) The Central office and 20 branches audited by us,

   (ii) 856 domestic branches and 2 Regional Offices audited by the respective Statutory Branch Auditors and;

   (iii) 04 foreign branches audited by the respective Local Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI').

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2369 domestic branches and 47 Regional offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 27.75% of advances, 54.43% of deposits, 28.59% of interest income and 22.02% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**The "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit ; and

   c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following notes in Schedule 18 of Standalone Financial Statements:

   i) Note No.5 relating to the reconciliation and elimination of entries in inter branch and internal/office accounts which are at different stages.

   ii) Note No. 7.3 relating to non-provision of various disputed Income tax and Indirect tax liabilities for the reasons stated therein and Note No. 7.2 regarding pending reconciliation of tax paid in advance.

   iii) Note No. 7.5 regarding carried balance of ₹ 5,299.94 crores relating to Deferred tax asset, reversal of ₹ 734.24 crores during the year on estimated basis and the management assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2024.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

   I. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer 2.1 of Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements)

   The net advances of the Bank constitute 50.09 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

   Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

   Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India (“RBI”), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

   The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

   Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

   Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead Bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income ,in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Performing relevant analytical procedures.

k) Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc

l) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a Risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports / returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Refer 4 of Schedule 17 read with Note 1 of Schedule 18 to the financial Statements).

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 26.49 % of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent Risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on –

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Refer 13 of Schedule 17 read with Note 14 (AS-29) of Schedule 18 to the financial statements) :

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Central office.

5. Other Matters

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 856 domestic branches, 2 Regional offices and 4 foreign branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total Assets of ₹ 175898.05 crores as at March 31,2024 and total revenue of ₹12711.84 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and offices cover 40.68% of total advances, 40.93% of total deposits and 21.92% of non-performing assets as at 31st March 2024 and 36.39% of revenue for the year ended on 31st March 2024. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) The Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2023 were audited by the joint auditors three of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated May 12,2023.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the Risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those Risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The Risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

   Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the Bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2024.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For **S. N. Kapur & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 001545C

(Avichal SN. Kapur)
Partner
M. No.: 400460
UDIN: 24400460BKCBUC3582

For **R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 24074392BKEAJZ9941

For **Tej Raj & Pal**
Chartered Accountants
FRN:304124E

(B. Gangaraju)
Partner
M. No.: 007605
UDIN: 24007605BKDGFP7731

For **Laxmi Tripti & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner
M. No.:043511
UDIN: 24435511BKAHVW1147

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 10(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Indian Overseas Bank** (the "Bank") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the Risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed Risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the Risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements

for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the Risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matter

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 858 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **S. N. Kapur & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 001545C

(Avichal SN. Kapur)
Partner
M. No.: 400460
UDIN: 24400460BKCBUC3582

For **R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 24074392BKEAJZ9941

For **Tej Raj & Pal**
Chartered Accountants
FRN:304124E

(B. Gangaraju)
Partner
M. No.: 007605
UDIN: 24007605BKDGFP7731

For **Laxmi Tripti & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner
M. No.:043511
UDIN: 24435511BKAHVW1147

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

Annual Accounts Consolidated

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	01	18902 41 23	18902 41 23
Reserves and Surplus	02	8659 03 68	5973 62 73
Deposits	03	286121 48 17	260973 59 04
Borrowings	04	30387 16 55	20803 77 19
Other Liabilities and Provisions	05	7799 22 55	6784 66 43
TOTAL		**351869 32 18**	**313438 06 62**
ASSETS			
Cash and balances with Reserve Bank of India	06	16905 53 65	17149 91 94
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	1909 36 41	3670 64 98
Investments	08	99193 91 53	93642 52 02
Advances	09	213330 13 18	178067 68 04
Fixed Assets	10	3740 18 82	3710 73 87
Other Assets	11	16790 18 59	17196 55 77
TOTAL		**351869 32 18**	**313438 06 62**
Contingent Liabilities	12	195742 15 63	196131 44 96
Bill for collection		19119 00 64	19547 85 75
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedules Form Part of the Balance Sheet			

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Dhanaraj T
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Srinivasan Sridhar
Chairman

Kartikeya Misra
Director

Sonali Sen Gupta
Director

Suresh Kumar Rungta
Director

B Chandra Reddy
Director

Deepak Sharma
Director

Sanjaya Rastogi
Director

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(₹ in '000s)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2024	YEAR ENDED 31.03.2023
INCOME			
Interest Earned	13	24065 66 70	19406 97 10
Other Income	14	5665 30 30	4116 44 74
TOTAL		**29730 97 00**	**23523 41 84**
EXPENDITURE			
Interest Expended	15	14226 50 04	11146 28 90
Operating Expenses	16	8730 53 03	6429 81 39
Provisions and Contingencies (Net)		4108 27 92	3843 32 59
TOTAL		**27065 30 99**	**21419 42 88**
PROFIT / LOSS (-)			
Net Profit / Loss (-) for the year		2665 66 01	2103 98 96
Profit /Loss (-) brought forward		(16454 44 77)	(18010 24 02)
TOTAL		**(13788 78 76)**	**(15906 25 06)**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		663 90 62	524 69 65
Transfer to Revenue and Other Reserves		8 92 77	
Transfer to Capital Reserve		12 31 19	23 50 06
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		0	
Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		(14473 93 34)	(16454 44 77)
TOTAL		**(13788 78 76)**	**(15906 25 06)**
Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		1.40	1.15
Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00
Schedules Form Part of the Profit & Loss Account			

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

S N Kapur & Associates
FRN - 001545C

(Avichal S N. Kapur)
Partner, (M No: 400460)

R. Devendra Kumar & Associates
FRN - 114207W

(Neeraj Golas)
Partner, (M No: 074392)

Tej Raj & Pal
FRN - 304124E

(B. Gangaraju)
Partner, (M No: 007605)

Laxmi Tripti & Associates
FRN - 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner, (M No: 435511)

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

CONSOLIDATED CASHFLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss) After Tax	26 65 66 01	21 03 98 96
Add: Provision for taxes	7 57 08 36	2 49 45 56
Net Profit / (Loss) before Tax	**34 22 74 37**	**23 53 44 52**
Adjustments for:		
Amortisation of HTM Investments	45 27 60	48 32 25
Loss on Revaluation of Investments	(7 49 91 77)	3 14 03 46
Depreciation on Fixed Assets	3 36 36 92	2 60 42 01
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(2 21 43)	(1 58 38)
Provision for NPAs	27 15 67 13	29 32 97 61
Provision for Standard Assets	(1 12 22 29)	(4 62 36 52)
Depreciation on Investments (net of Provision for NPI)	6 37 00 59	3 43 49 00
Provision for Other Items	1 27 24 15	8 67 85 52
Interest on Tier II Bonds	2 27 69 10	2 11 61 10
	32 24 90 00	**45 14 76 05**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	251 47 89 13	(12 40 17 31)
Increase / (Decrease) in Borrowings	98 83 39 36	175 33 13 53
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	17 22 34 87	(34 75 21 94)
(Increase) / Decrease in Investments	(54 83 75 93)	32 92 42 04
(Increase) / Decrease in Advances	(379 78 12 27)	(367 47 09 96)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(4 75 34 39)	4 50 05 14
	(71 83 59 23)	**(201 86 88 50)**
Direct Taxes (Net)	(5 83 00 00)	(3 36 00 00)
NET CASH FLOW GENERATED FROM /(USED IN) OPERATING ACTIVITIES (A)	**(11 18 94 86)**	**(136 54 67 93)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	5 96 76	22 72 75
Purchase of Fixed Assets	(3 65 25 82)	(5 82 36 40)
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	**(3 59 29 06)**	**(5 59 63 65)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Redemption of Tier I & Tier II Bonds / Other Borrowings	(3 00 00 00)	(8 00 00 00)
Issue of Basel III Tier II Bonds	0	10 00 00 00
Interest Paid on Tier II Bonds	(2 27 69 10)	(21 16 11 40)

CONSOLIDATED CASHFLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(5 27 69 10)**	**(19 16 11 40)**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) + (B) + (C)	**(20 05 93 00)**	**(161 30 42 98)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	171 50 18 08	227 49 65 48
Balances with Banks & Money at Call	36 70 64 98	142 01 60 56
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	169 05 53 65	171 50 18 08
Balances with Banks & Money at Call	19 09 36 41	36 70 64 98
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**(20 05 93 00)**	**(161 30 42 98)**

This statement has been prepared in accordance with Indirect Method

The Previous year figures have been regrouped where ever necessary to confirm with the current year presentation and as per regulatory requirements

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Dhanaraj T
Executive Director

Joydeep Dutta Roy
Executive Director

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

Srinivasan Sridhar
Chairman

Kartikeya Misra
Director

Sonali Sen Gupta
Director

Suresh Kumar Rungta
Director

B Chandra Reddy
Director

Deepak Sharma
Director

Sanjaya Rastogi
Director

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

S N Kapur & Associates
FRN - 001545C

(Avichal S N. Kapur)
Partner, (M No: 400460)

R. Devendra Kumar & Associates
FRN - 114207W

(Neeraj Golas)
Partner, (M No: 074392)

Tej Raj & Pal
FRN - 304124E

(B. Gangaraju)
Partner, (M No: 007605)

Laxmi Tripti & Associates
FRN - 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner, (M No: 435511)

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

SCHEDULE - 1
CAPITAL

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
AUTHORISED CAPITAL		
2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year - 2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
1890,24,12,256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821,83,26,570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**18902 41 23**	**18902 41 23**

SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	4086 72 84	3562 03 19
Add: Additions	6639062	524 69 65
Less: Deductions	0	0
TOTAL - I	**4750 63 46**	**4086 72 84**
II. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening Balance	2753 15 36	2749 56 13
Add: Additions	9 87 87	43 90 22
Less: Deductions / Depreciation	40 39 74	40 30 99
TOTAL - A	**2722 63 49**	**2753 15 36**
B. On sale of Assets		
Opening Balance	2157 44 57	2133 94 51
Add: Additions	12 31 19	23 50 06
Less: Deduction	0	0
TOTAL - B	**2169 75 76**	**2157 44 57**
C. Others		
Opening Balance	153 22 07	153 12 62
Add: Additions	2 31	9 45
Less: Deduction	0	0
TOTAL - C	**153 24 38**	**153 22 07**
TOTAL - II (A,B & C)	**5045 63 63**	**5063 82 00**
III. SHARE PREMIUM		
Opening balance	8557 90 11	8557 90 11
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - III	**8557 90 11**	**8557 90 11**

SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
A. Other Revenue Reserves		
Opening Balance	3246 11 57	3199 35 83
Add: Additions	44 96 04	43 22 60
Less: Deduction	0	0
TOTAL - A	**3291 07 61**	**3242 58 43**
B. Investment Reserve Account		
Opening Balance	97 95 58	97 95 58
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - B	**97 95 58**	**97 95 58**
C. Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	989 08 56	854 49 79
Add: Additions	112 02 90	137 47 16
Less: Deduction	101 34 83	2 88 41
TOTAL - C	**999 76 63**	**989 08 54**
D. Investment Fluctuation Reserve Account		
Opening balance	390 00 00	390 00 00
Add: Additions	0	0
Less: Deductions	0	0
TOTAL - D	**390 00 00**	**390 00 00**
TOTAL - IV (A,B,C & D)	**4778 79 82**	**4719 62 55**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**(14473 93 34)**	**(16454 44 77)**
TOTAL (I, II, III, IV & V)	**8659 03 68**	**5973 62 73**

SCHEDULE - 3
DEPOSITS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	10 92 98	8 12 73
ii) From Others	22924 54 03	16675 44 49
TOTAL - I	**22935 47 01**	**16683 57 22**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**102589 41 20**	**97442 80 12**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	566 65 84	570 93 19
ii) From Others	160029 94 12	146276 28 51
TOTAL - III	**160596 59 96**	**146847 21 70**
TOTAL - A (I, II & III)	**286121 48 17**	**260973 59 04**

SCHEDULE - 3
DEPOSITS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
B. I) Deposits of branches in India	278967 49 60	254324 09 53
II) Deposits of branches outside India	7153 98 57	6649 49 51
TOTAL - B	**286121 48 17**	**260973 59 04**

SCHEDULE - 4
BORROWINGS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India		
Other Banks	2118 67 50	0
Other Institutions & Agencies	19121 97 00	15428 82 35
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)		
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds		
Subordinated Debt	2165 00 00	2465 00 00
TOTAL (I)	**23405 64 50**	**17893 82 35**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**6981 52 05**	**2909 94 84**
TOTAL (I & II)	**30387 16 55**	**20803 77 19**
Secured borrowings included in I & II above	**21240 64 50**	**15428 82 35**

SCHEDULE - 5
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
I. Bills Payable	811 73 08	818 79 34
II. Inter Office Adjustments (Net)		
III. Interest Accrued	402 50 31	279 92 37
IV. Others (including provisions)	6584 99 16	5685 94 72
TOTAL	**7799 22 55**	**6784 66 43**

SCHEDULE - 6
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1263 92 73	1124 81 31
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	9095 13 31	12222 84 82
ii) in Other Accounts	6546 47 61	3802 25 81
TOTAL (I & II)	**16905 53 65**	**17149 91 94**

SCHEDULE - 7
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
I. In India		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	8 84 40	15 15 17
b) In Other Deposit Accounts	236 89 25	1060 05 50
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	0	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - I (i & ii)	**245 73 65**	**1075 20 67**
II. Outside India		
i) In Current Accounts	790 68 07	475 12 12
ii) In Other Deposit Accounts	3 65 60	1732 53 68
iii) Money at Call and Short Notice	869 29 09	387 78 51
TOTAL - II (i, ii & iii)	**1663 62 76**	**2595 44 31**
TOTAL (I & II)	**1909 36 41**	**3670 64 98**

SCHEDULE - 8
INVESTMENTS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	91652 13 70	86603 00 74
ii) Other Approved Securities	99 45	98 95
iii) Shares	210 59 69	730 75 81
iv) Debentures and Bonds	2542 94 34	2214 23 50
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	606 90 22	0
vi) Other Investments (Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)	71 00 75	88 83 28
TOTAL - I	**95084 58 15**	**89637 82 28**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	3867 01 90	3744 15 69
ii) Other Approved Securities	5 66	0
iii) Shares	0	45 85 91
iv) Debentures and Bonds	127 13 90	178 57 21
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) Other Investments	115 11 92	36 10 93
TOTAL - II	**4109 33 38**	**4004 69 74**
TOTAL (I & II)	**99193 91 53**	**93642 52 02**
Gross Investments in India	96166 77 00	91605 72 90
Less: Depreciation	1275 63 04	2091 26 56
Less: Interest on Restructured Investments	0	0
Net Investments	**94891 13 96**	**89514 46 34**
Gross Investments Outside India	4312 13 63	4137 76 01
Less: Depreciation	9 36 06	9 70 33
Net Investments	**4302 77 57**	**4128 05 68**
TOTAL NET INVESTMENTS	**99193 91 53**	**93642 52 02**

SCHEDULE - 9
ADVANCES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
A. i) Bills Purchased & Discounted	8338 51 80	4569 89 01
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	77156 79 24	77364 66 07
iii) Term Loans	127834 82 14	96133 12 96
TOTAL	**213330 13 18**	**178067 68 04**
B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	145455 52 89	135665 37 83
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	34358 84 19	11604 08 55
iii) Unsecured	33515 76 10	30798 21 66
TOTAL	**213330 13 18**	**178067 68 04**
C. I) Advances in India		
i) Priority Sector	107640 07 65	91803 94 00
ii) Public Sector	24336 39 57	24710 67 89
iii) Banks	0	0
iv) Others	64104 10 60	47319 44 90
TOTAL	**196080 57 82**	**163834 06 79**
II) Advances Outside India		
i) Due from Banks	0	0
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & Discounted	7339 42 88	6626 40 44
b) Syndicated Loans	2743 70 69	2530 49 57
c) Others	7166 41 79	5076 71 24
TOTAL	**17249 55 36**	**14233 61 25**
TOTAL (C - I & C - II)	**213330 13 18**	**178067 68 04**

SCHEDULE - 10
FIXED ASSETS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
I. Premises		
At cost / revalued as at beginning of the FY	4571 95 99	4491 30 77
Additions during the year*	4 20 09	80 65 22
SUB TOTAL	**4576 16 08**	**4571 95 99**
Deductions during the year*	0	0
	4576 16 08	4571 95 99
Depreciation to date	1378 83 55	1325 92 48
TOTAL - I	**3197 32 53**	**3246 03 51**
II. Capital work in progress	14 47 85	8 79
TOTAL - II	**14 47 85**	**8 79**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as at beginning of the FY	2717 09 80	2216 22 53
Additions during the year	346 88 22	542 43 62
SUB TOTAL	**3063 98 02**	**2758 66 15**
Deductions during the year	94 26 16	41 56 35
	2969 71 86	2717 09 80
Depreciation to date	2441 33 42	2252 48 23
TOTAL - III	**528 38 44**	**464 61 57**
TOTAL (I, II & III)	**3740 18 82**	**3710 73 87**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2024

SCHEDULE - 11
OTHER ASSETS

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
i) Inter Office Adjustments (Net)	30 51 35	735 12 57
ii) Interest Accrued	4153 89 68	3620 47 19
iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	5450 93 06	4523 00 18
iv) Stationery & Stamps	2 51 92	3 94 07
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	224 27 48	210 01 51
vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	6928 05 10	8104 00 25
TOTAL	**16790 18 59**	**17196 55 77**

SCHEDULE - 12
CONTINGENT LIABILITIES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 87 95	4 79 19
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	165998 91 81	165634 95 19
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	13137 86 75	11746 40 32
b) Outside India	157 78 69	371 76 19
v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	4557 27 58	5530 28 60
vi) Other items for which the Bank is contingently liable		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	100 99 50	52 46 12
b) Banks liability under currency swaps	0	0
c) Interest rate swaps (USD)	0	0
d) Interest rate swaps (INR)	0	0
e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
g) Amount in DEAF with RBI	2003 50 50	1822 20 80
h) Disputed IT demands	9780 74 96	10968 40 66
i) Others	6 29	6 29
TOTAL	**195742 15 63**	**196131 44 96**

SCHEDULE - 13
INTEREST EARNED

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023 (₹ in '000s)
i) Interest / discount on advances / bills	17576 70 83	13151 35 40
ii) Income on investments	5951 69 85	5850 30 90
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	237 64 69	405 30 80
iv) Others	299 61 33	0
TOTAL	**24065 66 70**	**19406 97 10**

SCHEDULE - 14
OTHER INCOME

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Commission, Exchange and Brokerage	1330 75 12	1221 00 41
ii) Profit/Loss on Sale of Investments	272 94 33	249 57 50
iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	749 91 77	(314 03 46)
iv) Profit on sale of land, Building & Other Assets	2 21 43	1 58 38
v) Profit/Loss on exchange transactions	193 05 32	564 70 36
vi) Miscellaneous Income	3116 42 33	2393 61 55
TOTAL	**5665 30 30**	**4116 44 74**

SCHEDULE - 15
INTEREST EXPENDED

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Interest on Deposits	12614 68 60	10536 45 21
ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1611 87 55	609 80 40
iii) Others	(6 11)	3 29
TOTAL	**14226 50 04**	**11146 28 90**

SCHEDULE - 16
OPERATING EXPENSES

	AS AT 31.03.2024	AS AT 31.03.2023
		(₹ in '000s)
i) Payments to and provisions for employees	6143 27 79	4102 36 60
ii) Rent, Taxes and Lighting	528 71 82	493 23 94
iii) Printing and Stationery	32 87 88	24 68 66
iv) Advertisement and Publicity	5 10 10	1 42 49
v) Depreciation on Bank's property	336 36 92	260 42 01
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 15 40	90 73
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	30 39 11	31 48 38
viii) Law charges	31 29 67	24 71 14
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	61 32 40	67 53 72
x) Repairs and Maintenance	42 83 04	27 20 20
xi) Insurance	350 23 03	340 97 46
xii) Other Expenditure	1166 95 87	1054 86 06
TOTAL	**8730 53 03**	**6429 81 39**

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK-CONSOLIDATED

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the Banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

1.2 The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2024. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Indian Overseas Bank (Parent).

b. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

c. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

Use of Estimates

1.3 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

NCLT admitted accounts shall be treated as suit filed accounts and the appropriation of recovery in these NCLT accounts whether it is from the process initiated against the corporate debtor or guarantors shall be done as in suit filed accounts.

Recovery is in the form of debentures/equity/other debt or equity or quasi equity instruments etc. in the NCLT approved resolution plan amount as cash recovery and to appropriate the same as is done in suit filed accounts i.e. towards principal and thereafter towards interest.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

e) Bonds & Debentures,

f) Subsidiaries / Joint Ventures and

g) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt. Ltd.). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored except for the depreciation on Non Performing Investments, which is not netted off against appreciation available in the basket. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI)

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.0489/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the Bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following:

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3%
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund and National Pension System is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Funds. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

SCHEDULE - 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2023-24

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (The Bank) and the following Associate and Joint Venture of the Bank:

S. No.	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad (as on 31.12.2023)	Joint Venture	Malaysia	35%

1.1. The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture for preparation of Consolidated Financial Statements as per extant RBI guidelines.

1.2. The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of Rs.15.86 Crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

1.3. In respect of investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity shares of Rs.60,6.90 Crore is adjusted against IOB's share of net assets of Rs.214.05 Lakhs and the balance of Rs.392.07 Crore is adjusted against balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

2. Financial Statements of Associates / Joint Venture:

a. The audited financial statements of the Associate have been drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. 31.03.2024 and in case of JV viz: India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB), which have been drawn up to 31.12.2023. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during the period from 01.01.2024 to 31.03.2024 requiring adjustment therein.

The disclosures in respect of Joint venture is given to the extent details available with the management. In the case of non-availability of such details, the management is of the view that the details would not materially impact disclosures under the consolidated financial statements.

b. The investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity share of Rs 606.90 crore is adjusted against IOB 's share of net assets of Rs 209.06 crore and the balance of Rs 392.07 Crore is adjusted against the balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

c. The consolidated financial statement includes the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidated method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of Rs 23.37 Crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

d. The amount of IOB's share in contingent liability of Associate/JV has been removed since it is not the liability of IOB.

3. Inter Branch Reconciliation/internal office accounts

Reconciliation of Inter Branch transactions and internal/office accounts is under progress at different stages at the branches and/or Central Office Departments. Steps are being taken to eliminate the outstanding entries as at the earliest. The necessary accounting adjustments if any required shall be carried out on the completion of such process. The Management however does not anticipate any material consequential effect of pending reconciliation and elimination of outstanding entries.

4. Capital and Reserves

- During the Financial Year 2023-24, Bank has not issued Basel III Tier II Bonds. For the Financial year 2022-23, Bank has issued Basel III Tier II Bonds Rs.1000 Crore through private placement subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).
- During the financial year 2023-24, Bank has not raised any equity capital. The paid-up capital of the Bank stands at Rs. 18,902.41 Crores as on March 31st, 2024. The Government of India shareholding stands at 96.38% as on March 31st, 2024.

a) **Composition of Regulatory Capital**

(Amount in Rs. Crore)

Sr. No.	Particulars	2023-24	2022-23
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	20839.72	16736.13
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	20839.72	16736.13
iv)	Tier 2 capital	4034.78	4188.83
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	24874.50	20924.96
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	143979.05	129980.80
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@	14.47%	12.88%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.47%	12.88%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.80%	3.22%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.28%	16.10%
xi)	Leverage Ratio	5.66%	5.14%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	96.38%	96.38%
	b) State Government (specify name)$	NA	NA
	c) Sponsor Bank$	NA	NA
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL	NIL
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III Tier II Bonds	NIL	1000.00

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

Provisions and contingencies

(Amounts in Rs. crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Provisions for depreciation on Investment / Written back	(0.49)	1.35
Provision towards NPA	2706.49	2857.74
Provision towards Standard Assets	(112.22)	(462.45)
Provision for Restructured accounts	(7.37)	(12.85)
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	756.92	249.46
Other Provision and Contingencies	764.71	1210.12
Total	**4108.14**	**3843.38**

5. Investment Fluctuation Reserve

As per Reserve Bank of India circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC .102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the Bank against increase in yields in future.

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a) Net profit on sale of Investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

During the year ended on March 31st 2024 an amount of ₹NIL (Previous year ₹ 390.00 crores) has been transferred to IFR.

6. Taxes

6.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act ,1961 are not applicable to the Bank. Therefore Bank has not provided any amount towards provision for Income tax.

6.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

6.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.8450.79 Crore (previous year Rs. 9081.37 Crore), Service Tax aggregating to Rs. 238.42 Crore (previous year Rs 220.52 Crore) and Goods and Service Tax aggregating to Rs.1071.78 Crore (Previous year Rs.1648.68 Crore).

6.4 Tax expense for the year amounting to Rs.756.91 crore includes Current Tax expense of Rs. 22.67 crore and Deferred Tax expense of Rs.734.24 crore – refer note no.18.8.

6.5 The Bank has a carried balance of Net Deferred Tax Assets up to March 31,2024 aggregating to ₹ 5299.94 crore which was recognized in earlier periods and on estimated basis Bank has reversed deferred tax asset amounting to ₹ 384.24 crores for the quarter (31.03.2024) and ₹ 734.24 crore for the year ended 31.03.2024.

6.6 Amount of provision made for Income Tax during the year:

(Rs. in Crores)

Particulars	2023-24	2022-23
Provision for Income Tax	22.67	20.60
Provision for Deferred Tax	734.24	228.85
Net Provision	756.91	249.45

7. Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact , as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars	FY 2023-24
Letters of Comfort issued during the year	NIL
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2024	3
Assessed Financial impact	NIL
Cumulative Assessed Financial Obligation	NIL

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2024:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2199 Mio(25.97%) as on March 31st 2024.

   In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 92.854 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

   During the year 2010-11 has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comfort issued to Bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid-up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio.

   Based on the host country regulator's guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch.

8. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

8.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2023.

8.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

8.3. Accounting Standard 15 – Employee Benefits (Parent Bank)

The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. Short-Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, such as medical benefits which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

2. Long-Term Employee Benefits:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I. Defined Benefit Plans (Pension and Gratuity)

(a) Changes in the present value of the obligations:

(Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
Present Value of obligation as at the beginning of the year	11314.24	10363.22	1302.17	1200.55
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Interest Cost	776.97	735.23	94.94	85.31
Add: Past Service Cost	-	-	-	-
Add: Current Service Cost	332.67	279.52	88.82	78.70
Less: Benefits Paid	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	2177.19	1004.24	101.03	57.83
Present Value of Obligation at year end	13465.63	11314.25	1494.38	1302.17

(b) Change in Fair Value of Plan Asset:

(Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	11314.25	10363.23	1326.82	1225.20
Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Add: Expected return on Plan Assets	896.50	782.28	101.62	91.81
Add: Employer's contribution	2348.23	1202.74	127.30	124.65
Less: Benefit Paid	(1135.44)	(1067.96)	(92.59)	(120.21)
Add: Actuarial gain/(loss) on Obligations	42.09	33.96	31.23	5.37
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
Unfunded Transitional Liability	-	-	-	-

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(Rs. In Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
i) Present value of obligations as at the end of the year	13465.63	11569.76	1494.38	1302.17
ii) Fair value of Plan Assets as at the end of the year	13465.63	11314.25	1494.38	1326.82
iii) Difference	0.00	255.51	0.00	(24.65)
iii) Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(0.00)	*(255.51)	0.00	0.00
iv) Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	24.65

* In accordance the RBI circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, the Bank had opted to amortize additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020 over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year and has been carrying amortized portion amounting to ₹255,51,49,935.00 as at March 31,2023. During the year, the Bank has charged entire carried forward amount to the Profit & Loss Account and the carried forward amount now is ₹NIL.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss:

(Rs. in Crores)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
i) Current Service Cost	332.67	279.52	88.82	78.70
ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) Interest Cost	776.97	735.23	94.94	85.31
iv) Expected return on Plan Asset	(896.50)	(782.28)	(101.62)	(91.81)
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	2135.09	970.28	69.80	52.46
vi) Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii+iv+v+vi)	**2348.24**	**1202.74**	**151.95**	**124.65**

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2024	2023	2024	2023
a) Debt instruments/Central Govt Securities	4.09	3.41	9.13	8.67
b) State Govt Securities	3.89	2.58	11.97	17.32
c) Investments in PSU/ PFI/ Corporate bonds	6.91	4.50	13.57	12.75
d) Equity Investments	0.77	0.68	1.29	2.31
e) Other Investments	84.34	88.83	64.04	58.95
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)	
	2024	2023	2024	2023
Discount Rate	7.23%	7.48%	7.23%	7.56%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	3.00%	3.00%
Pension Increase	4.00%	4.00%	-	-
Expected rate of return on Plan Assets	7.50%	7.50%	7.56%	7.48%
Mortality	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Modified Ultimate	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected unit Credit		Projected unit Credit	

(g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/ Deficit in the plan

(Rs. in Crores)

	Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
i.	Present value of obligations as at the end of the year	9108.28	9856.98	10703.91	11569.76	13465.63
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9108.28	9856.98	10363.23	11314.25	13465.63
iii.	Difference (ii-i)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	0.00	0.000	(340.68)	(255.51)	0.00

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/ Deficit in the plan

(Rs. in Crores)

	Amount recognized in the Balance Sheet	As on March 31, 2020	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
i.	Present value of obligations as at the end of the year	1018.68	913.11	1200.55	1302.17	1494.38
ii.	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1400.86	1295.29	1225.20	1326.82	1494.38
iii.	Difference (ii-i)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00
iv.	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Unrecognized Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-v)	382.18	382.18	24.65	24.65	0.00

(i) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2024).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.93.40 crores.

II) Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after 1st April 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During FY 2023-24, the Bank has contributed Rs.165.26 Crore (Previous Year Rs.145.51 Crore).

III) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

Retired Leave Encashment Benefit

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(Rs. In Crores)

Particulars	**LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)**	
	2024	**2023**
Present value of obligations as at the beginning of the year	576.27	516.13
Add: Interest Cost	41.78	36.33
Add: Past Service Cost	-	-
Add: Current Service Cost	74.24	56.88
Less: Benefits Paid	(47.11)	(60.75)
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	106.97	27.68
Closing Defined Benefit Obligation	752.15	576.27

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. In Crores)

Particulars	**LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)**	
	2024	**2023**
i) Current Service Cost	74.24	56.88
ii) Past Service Cost	-	-
iii) Interest Cost	41.78	36.33
iv) Expected return on Plan Asset	0.00	0.00
v) Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	106.97	27.68
Expenses Recognized in P&L	223.00	120.89

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(Rs. In Crores)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
i) Opening Defined Benefit Obligation	576.26	516.13
ii) Net Acquisition Cost	-	-
iii) Expenses Recognized in P&L	223.00	120.89
iv) Benefits paid	(47.11)	(60.75)
v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	752.15	576.27
Add: Actuarial loss/(gain) on Obligations	106.97	27.68
Closing Defined Benefit Obligation	752.15	576.26

(d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

Particulars	ENCASHMENT (Un Funded)	
	2024	2023
Discount Rate	7.23%	7.56%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%
Attrition Rate	3.00%	3.00%
Mortality	2012-14 Ultimate	2012-14 Ultimate
Method used	Projected Unit Credit	

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. Such estimates are very long-term and are not based on limited past experience/immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long-term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

8.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting on the Consolidated Financials

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(Rs. in Crores)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Bank-ing		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2023-24**	**2023-24**	**2022-23**
Revenue	7275.89	6678.73	9631.31	6646.45	11838.91	9619.76	682.60	576.90	**29428.71**	**23521.84**
Result	546.89	891.90	1365.05	742.46	4124.77	3909.84	426.46	401.60	**6463.17**	**5945.80**
Unallocated Income									**301.82**	**1.58**
Unallocated Expenses									**301.35**	**1.51**
Operating Profit/Loss									**6773.90**	**5947.31**
Income Taxes									**757.08**	**249.34**
Provisions & Contingencies									**3351.19**	**3593.99**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**2655.63**	**2103.98**
Segment Assets	107330.71	102915.78	114382.96	98471.30	119316.38	101371.87	85.46	131.15	**341115.51**	**302890.10**
Unallocated Assets									**10753.81**	**10559.80**
Total assets									**351869.32**	**313449.90**
Segment Liabilities	97939.96	102210.89	110441.19	91562.64	115594.36	94590.37	272.64	151.16	**324248.15**	**288515.06**
Unallocated Liabilities									**59.72**	**58.81**
Total Liabilities									**324307.87**	**288573.87**

Note No.1 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.107330.71 Crores regarding Treasury Operations (Assets) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

Note No.2 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.97939.96 Crores regarding Treasury Operations (Liabilities) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

***Figures for FY 2023-24 are based on Standalone financial figures.**

8.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Bank: Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and CEO

(ii) Sm. S Srimathy, Executive Director (upto 09.03.2024)

(iii) Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director (upto 30.01.2024)

(iv) Shri Joydeep Dutta Roy, Executive Director (w.e.f 31.01.2024)

(v) Shri Dhanaraj T, Executive Director (w.e.f 10.03.2024)

B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2023-24 and 2022-23:

(Amount in Rs.)

NAME OF THE WHOLE TIME DIRECTOR	REMUNERATION* (2023-24)	REMUNERATION* (2022-23)
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)		
01.04.2023 to 30.09.2023	19,27,968.00	19,64,990.00
01.10.2023 to 31.03.2024	21,52,164.00	24,48,576.00
Total	**40,80,132.00**	**44,13,566.00**
Ms S Srimathy (ED)		
01.04.2023 to 30.09.2023	20,11,500.00	15,91,533.00
01.10.2023 to 09.03.2024	18,45,530.33	23,13,187.09
Total	**38,57,030.33**	**39,04,720.09**
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED)		
01.04.2023 to 31.03.2023	19,60,866.67	NA
01.10.2023 to 30.01.2024	12,20,843.22	10,58,964.00
Total	**31,81,709.89**	**10,58,964.00**
Shri Joydeep Dutta Roy (ED)		
31.01.2024 to 31.03.2024	7,47,253.16	NA
Total	**7,47,253.16**	
Shri Dhanaraj T (ED)		
10.03.2024 to 31.03.2024	2,53,295.23	NA
Total	**2,53,295.23**	

Amount in Rs. Crores

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings	N.A.	N.A.	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.38
Deposits	N.A.	N.A.	772.24	772.24	2.25	2.38	0.74	0.75	775.23	775.37
Placement of deposits	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.61	0.63	0.00	0.21	0.61	0.84
Investments	N.A.	N.A.	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44	193.44
Non-funded commitments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	2.82		0.03		0.00		2.85	
Interest received	N.A.	N.A.	48.53		0.05		0.01		48.59	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

N.A. (Not Applicable)

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

8.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2023-24	2022-23
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crores)	2655.61	2098.78
Weighted Average Number of Equity Shares	18902412256	18902412256
Basic & Diluted Earnings Per Share (in Rs)	1.40	0.34
Nominal value per Equity Share (in Rs)	10.00	10.00

8.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2024		31.03.2023	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Provision for Employee Benefits	1021.64		202.90	
Provision for Frauds	68.98		190.97	
Provision for Other Assets	126.41		28.79	
Provision for Restructured Advances	11.01		13.59	
Reserve for Severance Pay	1.10		0.93	
Provision for NPA	1861.70		3 675.34	
Foreign Currency Translation Reserve	348.27		337.42	
Others	1860.83		1583.89	
Total	**5299.94**		**6033.83**	
Net DTA	**5299.94**		**6033.83**	

8.8 AS 24 – Discontinuing Operations

This Standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/ closure of branches of Banks by transferring the assets/ liabilities to the other branches of the same Bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger / closure of branches of Banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same Bank. Disclosures shall be required under the Standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the Bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalised by the Bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

8.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core Banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

8.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

8.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending
2	Liability on partly paid-up investments / venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities. with respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interBank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market Risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf on its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The Banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter Bank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the Bank on behalf of associates & subsidiaries, Banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

9. There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

10. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

Independent Auditors' Report Consolidated

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT - CONSOLIDATED

To
The Members of
Indian Overseas Bank

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Indian Overseas Bank** ("the Parent"/ "the Bank"/ "the Group"), its associate and joint venture, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

   a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b) Audited Financial Statements of a foreign Joint Venture (India International Bank (Malaysia) Berhad and ;

   c) Audited Financial Statements of an Associate (Odisha Gramya Bank)

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the Joint venture and associate, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associate & joint venture and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associate and joint venture as at March 31, 2024;

   b) true balance of Profit of the Group and its associate & joint venture, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associate & joint venture, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associate & joint venture in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time , and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following notes in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements:

   i) Note No.3, relating to the reconciliation and elimination of entries in inter branch and internal/office accounts which are at different stages.

   ii) Note No. 6.3, relating to non-provision of various disputed Income tax and Indirect tax liabilities for the reasons stated therein and Note No.6.2 regarding pending reconciliation of tax paid in advance.

   iii) Note No. 6.5, regarding carried balance of ₹5299.94 crores relating to Deferred tax asset, reversal of ₹734.24 crores during the year on estimated basis and the management assessment of the realizability of the carried balance of the Deferred tax asset as on March 31,2024.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. **Key Audit Matters**

   Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

   I. **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances**

   The net advances of the Bank constitute 50.09 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

   Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing.

   Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets.

   The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed.

   Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements.

   Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead Bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following :

a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.

c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.

d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.

e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income ,in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.

f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI.

h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank.

i) Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.

j) Performing relevant analytical procedures.

k) Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc

l) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

II. **Information Technology (IT)and controls impacting financial Reporting**

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a Risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, hence considered as a key audit matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit procedures include assessment and identification of key IT applications, and further verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system on the basis of reports /returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:

a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.

b) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

c) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

d) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits.

e) Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

f) Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IT Department on compliance with key IT controls.

III. **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

Investments constitute 26.49 % of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent Risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on -

a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.

b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision.

e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

IV. **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt**

The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow in such matters.

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.

Auditors' Responses

Principal Audit Procedures

a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters.

b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions.

c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions.

d) Read and analysed select key correspondences, internal/external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters.

e) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate.

f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions.

g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Central office.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the Financial Statements/information of one Associate and one Foreign Joint Venture whose Financial Statement/Financial Information reflect total assets of ₹ (164.30 Crores) as at 31st March, 2024, total revenue of ₹24.97 Crores and total Net Profit after tax of ₹10.04 Crores for the year ended on 31st March, 2024, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹8.93 Crores for the year ended on 31st March, 2024, as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of one Associate, whose financial statements/information have not been audited by us. These financial statements / financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these joint venture and associate is based solely on the report of such auditors.

b) In the case of 01 Foreign Joint Venture, the financial statements and other information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and which has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The management of such Foreign Joint Venture has converted the financial information from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries and jointly controlled entities located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

c) The consolidated Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2023 were audited by the joint auditors three of which are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated May 12,2023.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report

and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associate & joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associate & joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for assessing the ability of the Group and its associate and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate and joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associate and joint venture.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,

they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the Risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those Risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The Risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associate and joint venture to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate and joint venture to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associate and joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of associate and joint venture, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

    a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and;

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from F.Y. 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

    c) As the Bank and its associate and Joint Venture are not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the Bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

    d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector Bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

12. We further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For **S. N. Kapur & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 001545C

(Avichal SN. Kapur)
Partner
M. No.: 400460
UDIN: 24400460BKCBUD4986

For **R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 114207W

(Neeraj Golas)
Partner
M. No.: 074392
UDIN: 24074392BKEAKA7127

For **Tej Raj & Pal**
Chartered Accountants
FRN:304124E

(B. Gangaraju)
Partner
M. No.: 007605
UDIN: 24007605BKDGFQ4400

For **Laxmi Tripti & Associates**
Chartered Accountants
FRN: 009189C

(Abhay Paliwal)
Partner
M. No.:043511
UDIN: 24435511BKAHVX4725

Place : Chennai
Date : 09.05.2024

Unlock Endless Possibilities
with
IOB RuPay
Credit Cards
Classic
Platinum
Select
T&C Apply
APPLY NOW
Personal Accidental Insurance
Attractive Reward Points
Fuel Surcharge Waiver
Merchant Offers
EMI Facility
Lounge Facility
SCAN HERE
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Additional Disclosures

PILLAR 3 DISCLOSURES OF BASEL III AS ON 31.03.2024

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013 and at present with full implementation of Basel III guidelines, minimum capital to Risk-weighted assets ratio (CRAR) is 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio is 8.00% and minimum Tier 1 ratio is 9.50%. Minimum capital required to be held by Bank for the year ended 31st March 2024 is 11.50% with minimum CET 1 (incl. CCB) of 8.00%. Bank has maintained CRAR of 17.28% as on 31.03.2024 against Regulatory requirement of 11.50% (including CCB)

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)

(ii) Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process

(iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and Risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the Banking business. Banks assume various types of Risks in its activities while providing different kinds of services based on its Risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the Risk profile of the Bank. In the normal course of business, a Bank is exposed to various Risks including Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and others. The objective of Risk management is not to prohibit or prevent Risk taking activity, but to ensure that the Risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such Risks efficiently and strengthening its Risk management systems, the Bank has put in place various Risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value by achieving appropriate trade-off between Risks and returns. The Bank's Risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the Risks with a view to enunciate the Bank's overall Risk philosophy. The Risk management strategy adopted by the Bank is based on an understanding of Risks and the level of Risk appetite of the Bank. Bank's Risk appetite is demonstrated broadly through prescription of Risk limits & trigger points in Bank's Risk Appetite Statement and ICAAP i.e Internal Capital Adequacy Assessment Process.

The Bank has set up appropriate Risk management organization structure in the Bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit Risk, market Risk, operational Risk and other Risks in the Bank. The Bank has also constituted internal Risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market Risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational Risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best Risk management systems and practices in the Bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the Bank oversees the department who is responsible for overall supervision on Risk management in the Bank and is the convener for all the internal Risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept. and other functional departments/ branches in general also carry out the Risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, Risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional

Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage Risk more effectively lies with controlling the Risk at the point of its origination. The Bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and Bank is maintaining capital as per Basel III guidelines. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational Risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the Bank has adequate capital to address all the Risks in their business commensurate with Bank's Risk profile and control environment. As per RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved framework on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This framework aims at assessing all material Risks to which the Bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar Risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. In addition to this Bank has also formulated "Stress Testing Framework" based on EASE guidelines. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the Bank's material Risk exposure, enable identification of potential Risks inherent in a portfolio at times of economic recession/downturn and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the Bank carries out various stress tests on Bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The Bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its Risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 18 (annexed) with regard to Risk management in the Bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all Banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the Bank in various parameters.

DF-1: Scope of Application

"Indian Overseas Bank" is the entity to which the Basel III framework applies. The consolidated financial statements of the Bank conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, comprising regulatory norms, directions & guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Companies Act 2013, Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the accounting practices prevalent in India."

i. **Qualitative Disclosures:**

a. List of group entities considered for consolidation for the period ended 31.03.2024:

Name of the Entity	Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramya Bank	India	Yes	As per AS 23	No	Not Applicable	Not Applicable	Associates not under the scope of consolidation
India International Bank, Berhad, Malaysia	Malaysia	Yes	As per AS 27	No	Not Applicable	Not Applicable	Joint Venture not under the scope of consolidation

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation as on 31.03.2024

(Rs. in Crore)

Name of the Entity	Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Universal Sompo General Insurance	India	General Insurance	368.18	18.06	NA	NA

ii. **Quantitative Disclosures:**

c. List of Group entities considered for consolidation as on 31.03.2024

(Rs. in Crore)

Name of the Entity	Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Gramya Bank	India	Banking	1734.01*	19879.49*
India International Bank, Berhad, Malaysia	Malaysia	Banking	597.63**	1203.48**

*Banks share of Equity in Odisha Gramiya Bank is Rs.606.90 Crores (1734.01*35%)

**Banks share of Equity in India International Bank, Berhad, Malaysia is Rs. 209.17 (597.63*35%)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included, in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries/ Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are Risk weighted:

(Rs. in Crore)

Name of the insurance entities	Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using Risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	India	General Insurance	368.18	18.06	Reduction of 1 bps in CRAR

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within Banking group as of March 31, 2024

DF –2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's Risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all Risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

The Bank has put in place a framework on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in consideration of the relevant Risk factors of the Bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual Risk as part of Pillar 2 requirements. In addition to the credit Risk, market Risk and operational Risk prescribed under Pillar 1, the Bank has analyzed its portfolio and assessed different material Risks under Pillar 2 that are either partially covered or not covered under Pillar 1. The ICAAP details the capital planning process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following Risks:

- Rating Migration Risk/ Default Risk
- Liquidity Risk
- Reputational Risk
- Strategic Risk
- Residual Collateral Risk
- Pension Obligation Risk
- Legal Risk
- Concentration Risk
- Interest Rate Risk
- Model Risk
- Compliance Risk
- Business Risk
- Technology Risk
- Outsourcing Risk

- Country Risk
- Key personnel Risk
- Settlement Risk
- Conduct Risk

Under the ICAAP most of the material Risks are covered Quantitatively while few are covered Qualitatively.

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. In addition to this Bank has also formulated "Stress Testing Framework" based on EASE guidelines. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the Bank's material Risk exposure, enable identification of potential Risks inherent in a portfolio at times of economic recession/downturn and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the Bank carries out various stress tests on Bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to appropriate committees.

Quantitative Disclosures

Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.

As on March 31, 2024, the Capital held by the Bank is at 17.28% of the Total Risk Weighted Assets against the regulatory requirement of 11.50% including CCB:

(Rs. in Crores)

	As on 31.03.2024
a) Capital requirements for Credit Risk	
• Portfolio subject to Standardized Approach	10654.42
• Securitisation Exposures	0.00
b) Capital requirements for Market Risk	
• Standardised Duration Approach	
- Interest Rate Risk	432.97
- Foreign Exchange Risk (including Gold)	9.90
- Equity Risk	268.47
c) Capital requirements for Operational Risk	
• Basic Indicator Approach	1336.39
d) Common Equity Tier1, Tier 1 & Total Capital Ratio	
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	14.47%
• Tier 1 Capital Ratio (Tier 1 CRAR)	14.47%
Total Capital Ratio (CRAR)	**17.28%**

DF-3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

- Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. A non-performing Asset (NPA) is an advance were

(i) Interest and/or instalment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.

(ii) The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

(iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

(iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

(v) A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.

(vi) An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

(vii) The amount of a liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of securitization transactions undertaken in accordance with the RBI guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(viii) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing the positive mark to market value of a derivative contract, remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

'Out of Order' status'

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

- Resolution of Stressed Assets

Early identification and reporting of stress:

Identification of incipient stress in loan accounts, immediately on default*, by classifying stressed assets as special mention accounts (SMA) as per the following categories:

SMA Sub-categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue between
SMA-0	1-30 days
SMA-1	31-60 days
SMA-2	61-90 days

* Default' means non-payment of debt when whole or any part or instalment of the amount of debt has become due and payable and is not repaid by the debtor or the corporate debtor. For revolving facilities like cash credit, default would also mean, without prejudice to the above, the outstanding balance remaining continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than 30 days.

- Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Organizational Structure for Credit Risk Management

The Bank has put in place a well-structured loan policy and credit Risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and Risk tolerance. The Board has formed committees to oversee Risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the board, is constituted which is responsible for management of Credit Risk. Credit Risk is monitored by the Bank on a Bank-wide basis and compliance with the Risk limits approved by Board / RMCB is ensured.

Policy & Strategy

The Bank has taken earnest steps to put in place best credit Risk management practices in the Bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy, etc., which forms integral part of monitoring of credit Risk in the Bank. Besides, the Bank has implemented a policy on collateral management and credit Risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the Bank.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit Risk in exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

(i) Developing and refining the Credit Risk Assessment (CRA) Models/Scoring Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various Risks categorized broadly into Financial, Business, Industrial and Management Risks, each of which is scored separately.

(ii) Conducting industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries / Sectors, from time to time.

(iii) Risk Analysis of the all the high values credit proposals are being carried out by Risk Management Department before placing it to Credit Sanctioning Committee.

The monitoring and control of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as single borrower, group borrower and industries. For better Risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place. Credit Risk Stress Tests are conducted at Quarterly interval to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit Risk through continuous measuring and monitoring of Risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the Bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the Bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project Risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry Risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Sanctioning Powers:

The Bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Credit sanctioning at regional office and Central Office are happening through various committees. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

Checks and balances viz. separation of credit Risk management from credit sanctions, system of assigning credit Risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on Risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other Banks and country exposures.

(Rs. in Crores)

Quantitative Disclosures:	**31.03.2024**
a) Total gross credit Risk exposures:	
Fund based	339727.93
Non fund based	16254.90
Total	**355982.83**
b) Geographic distribution of exposures,	
• **Domestic**	
Fund based	200697.35
Non Fund based (LC & LG)	16894.82
• **Overseas**	
Fund based	18321.15
Non Fund based (LC & LG)	958.10
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	6794.43
• Substandard	1204.39
• Doubtful	4480.06
a) D1	1191.41
b) D2	1579.19
c) D3	1709.46
• Loss	1109.98
f) Net NPAs	1216.86
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	3.10%
• Net NPAs to net advances	0.57%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance (01.04.2023)	14071.55
• Additions	1648.51
• Reductions	8925.63
• Closing balance (31.03.2024)	6794.43
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance (01.04.2023)	10518.99
• Provisions made during the period	2706.49
• Write off / Write back of excess provisions	7897.19
• Closing balance (31.03.2024)	5328.29
j) Amount of Non-Performing Investments	2476.50
k) Amount of provisions held for non-performing investments	2476.50

Quantitative Disclosures:	31.03.2024
I) Movement of provisions for depreciation on investments (Domestic) • Opening Balance (01.04.2023) • Provisions made during the period • Write-off / Write-back of excess provisions • Closing Balance (31.03.2024)	 2091.27 2573.56 3389.20 1275.63

Residual contractual Maturity break down of Assets (Global)

(Rs. in Crores)

Particulars	Amount
Day 1	23509.46
2 Days – 7 Days	16746.81
8 Days – 14 Days	7793.48
15 Days – 30 Days	7169.73
31 Days – 2 Months	12995.71
2 Months – 3 Months	19137.66
3 Months – 6 Months	29694.90
>6 Months – 12 Months	46719.35
>1 Year – 3 Years	98464.84
>3 Years – 5 Years	22611.54
> 5 Years	84595.45

Industry Wise Exposure

(Rs. in Crores)

Industry Name	Exposure as on 31.03.2024
Mining and quarrying	3616.21
Food Processing	4250.32
Of which Sugar	775.49
Of which Edible Oils and Vanaspati	599.42
Of which Tea	134.86
Beverages and Tobacco	1278.73
Cotton Textiles	2874.53
Jute Textiles	85.46
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	546.33
Other Textiles	3974.62
Leather and Leather Products	662.66
Wood and Wood Products	665.84
Paper and Paper Products	1493.40
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	3059.30
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	4114.62

Of which Fertilisers	2195.76
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	573.85
Of which Others	1345.01
Rubber, Plastic and their products	1600.87
Glass & Glassware	64.12
Cement and Cement Products	1268.27
Iron and Steel	5761.93
Other Metal and Metal Products	2503.55
All Engineering	6696.17
Of which Electronics	1136.59
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3946.78
Gems and Jewelry	3282.44
Construction	1691.56
Infrastructure	30792.36
Of which Roadways	7852.57
Of which Energy	16678.16
Of which Telecommunications	3034.02
Other Industries	153.43
Residuary Other Advances	228784.80
Of which Aviation Sector	170.97
Total Loans and Advances- Domestic	**313168.29**

DF-4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosure

(a) For Portfolios subject to Standardised Approach

- **Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

  As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA, India Rating, ACUITE Ratings and Research and INFOMERICs (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge.

- **Types of exposures for which each Agency is used**

  (i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.

  (ii) For Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

- **Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

The key aspects of the Bank's external ratings application framework are as follows:

- All long term and short-term ratings assigned by the credit rating agencies specifically to the Bank's long term and short-term exposures respectively are considered by the Bank as issue specific ratings.
- Foreign sovereign and foreign Bank exposures are Risk-weighted based on issuer ratings assigned to them.
- The Bank ensures that the external rating of the facility/borrower has been reviewed at least once by the ECAI during the previous 15 months and is in force on the date of its application.
- Bank facility rating with the disclosure by the CRAs on the name of the Bank and the corresponding credit facilities rated in the Press Releases (PR) issued on rating actions by the said CRA are only considered for Risk Weight purpose.
- Where multiple issuer ratings are assigned to an entity by various credit rating agencies, the Risk weight is determined as follows:
  - ➢ If there is only one rating by a chosen credit rating agency for a particular claim, then that rating is used to determine the Risk weight of the claim.
  - ➢ If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies, which map into different Risk weights, the higher Risk weight is applied.
  - ➢ If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different Risk weights, the ratings corresponding to the two lowest Risk weights are referred to and the higher of those two Risk weights is applied, i.e., the second lowest Risk weight.

Quantitative Disclosures

(Rs in Crores)

Classification	Exposure After Mitigation (EAM)	EAM Covered under External Rating	Unrated
Advances/Investment			
Below 100% Risk Weight	166029.00	22758.38	143270.62
At 100% Risk Weight	76462.04	7083.69	69378.35
More than 100% Risk Weight	4252.87	3285.07	967.80
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**246743.91**	**33127.14**	**213616.77**
Other Assets			
Below 100% Risk Weight	22805.45	690.10	22115.36
At 100% Risk Weight	7426.74	4.72	7422.03
More than 100% Risk Weight	1.82	0.00	1.82
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**30234.01**	**694.82**	**29539.21**

DF-5: CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Bank have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Bank calculates capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions:

Where Bank:

(a) has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or Bankrupt.

(b) is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and

(c) monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans/advances are treated as exposure and deposits as collateral.

- **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**

In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit Risk mitigation techniques duly approved by the Bank's Board. The Policy document is the embodiment of various aspects of collateral management guidelines issued from time to time. It broadly lists out the nature and type of securities normally accepted by the Bank. It broadly lists out the nature and type of securities normally accepted by the Bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the Bank so as to minimize the Risk associated with it.

- **Description of the main types of collateral taken by the Bank**

The following collaterals are usually recognised as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach:

➢ Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.)

➢ Gold

➢ Securities issued by Central / State Governments

- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**

The Bank accepts the following entities as eligible guarantors, in line with RBI guidelines:

- Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower Risk weight than the counterparty.

- Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate, or subsidiary, they should enjoy a Risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.

- **Information about (Market or Credit) Risk concentrations within the mitigation taken:**

  The Bank has a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:

  - Eligible financial collaterals listed above
  - Guarantees by sovereigns and well-rated corporates,
  - Fixed assets and current assets of the counterparty.

(Rs in Crores)

DF-5 CREDIT RISK MITIGATION	**31.03.2024**
(b) **For each separately disclosed credit Risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts**	**55833.08**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	302.30
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	2203.18
Regul'y Retail Portfolio	44941.52
Secured by Residential Propert	1.02
Secured by Commercial Property	3.37
Consumer Credit	8189.44
Capital Market Exposure	0.00
NBFC ND	157.47
Venture Capital	0.00
N.P.A. Housing Loan	0.00
N.P.A. Others Loan	32.32
Staff Loans	1.95
Other Assets	0.00
Restruct / Reschd. Accounts	0.00
Sec. by Comm.prop - R H	0.51
Restructured Housing Loan	0.00
(c) For each separately disclosed credit Risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	**17855.57**
Public Sector Enterprises	13709.80
Corporates	2675.02
Regul'y Retail Portfolio	1470.75
Restruct / Reschd. Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

DF-6: SECURITISATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank does not have any Securitisation exposure as on 31.03.2024

DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

(a) Qualitative disclosure

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a Bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market Risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market Risk.

Policies for management of market Risk:

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy, Policy for quoting Interest Rate on Deposits and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market Risk in the Bank. Other policies which deal with market Risk management are Country Risk Management Policy, Counterparty Risk Management Policy, Risk Management Policy for Treasury Operations and Stress Testing policy. The Market Risk Management policy lays down well defined organization structure for market Risk management functions and processes whereby the market Risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's Risk tolerance. The policies set various Risk limits for effective management of market Risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market Risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market Risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity Risk management and interest rate Risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity Risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity Risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity Risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

RBI has issued guidelines on two minimum standards for funding liquidity viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) to promotes short term resilience and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to promotes resilience of Bank over a longer- term time horizon.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) is computed on daily basis, placed to ALCO, and reported to RBI on monthly basis. Net Stable Funding Ratio (NSFR) is computed on an ongoing basis, placed to ALCO on monthly basis and reported to the RBI on quarterly basis.

The Bank has put in place mechanism of contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate Risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs.2 Crore and above, hence interest rates for Bulk deposits approved by ALCO shall act as CAP and GM (Treasury) shall be empowered to quote finer interest rates complying the guidelines enumerated in Policy for Quoting Interest Rates on Deposits and operate within the CAP based on the present & projected liquidity position of the Bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc. to maximize the returns. ALCO shall review interest rate on Bulk domestic deposit (Deposits of Rs.2 crore and above) quoted during the previous month.

(b) Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market Risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market Risk as on 31.03.2024 in trading book of the Bank is as under:

(Rs. in Crores)

Type of Market Risk	**Risk Weighted Assets (Notional)**	**Capital Requirement**
Interest Rate Risk	5412.11	432.97
Equity Position Risk	3355.86	268.47
Foreign Exchange Risk	123.75	9.90
Total	**8891.72**	**711.34**

DF – 8: OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

Operational Risk is the Risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal Risk but excludes strategic and reputation Risk.

The Bank has framed operational Risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational Risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex Risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed, and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational Risk. As per the guidelines the Bank holds capital for operational Risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

As on 31.03.2024

(Rs in Crores)

Parameter	Capital Amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1336.39	16704.88

DF – 9: INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

Interest rate Risk is the potential that a change in overall interest rates will reduce the value of a bond or other fixed-rate investment. As interest rates rise bond prices fall, and vice versa. This means that the market price of existing bonds drops to offset the more attractive rates of new bond issues. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The Risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the Risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

Risk monitoring is an ongoing process and Risk positions are analysed and reported to Top Management of the Bank, Market Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

Forex Open position limit (Daylight/overnight), Stop Loss Limit, Aggregate Gap Limit as approved by the Board is monitored and exceptions, if any, is reported to Risk Management Committee of the Board and Top Management of the Bank.

Value at Risk (VaR) computation is carried out on daily basis. Market Risk Stress Testing is carried out at fortnightly intervals as a complement to Value at Risk. Results are reported to Risk Management Committee of the Board and Top Management of the Bank.

The Bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The Bank is computing the interest rate Risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 % or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate Risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2024 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in Crores)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2024	
		Up to 1 Year	Up to 5 Years
0.25% change	247.65 (3% of NII of previous year)	15.31	47.61
0.50% change	495.30 (6% of NII of previous year)	30.63	95.22

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2024	
		Up to 1 Year	**Up to 5 Years**
0.75% change	742.95 (9% of NII of previous year)	45.94	142.84
1.00% change	990.60 (12% of NII of previous year)	61.25	190.45
2.00% change	1981.20 (24% of NII of Previous year)	122.50	380.90

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**31.03.2024**
Modified Duration Gap (DGAP) in %	-0.23
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value in %	9.06%

DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(a) Qualitative disclosures

Bank is participating in derivative market as a user to hedge Risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also Risk appetite, the activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board. Bank is dealing in derivative product such as Foreign Exchange Forward Contract.

Measurement and management of various Risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

(b) Quantitative Disclosures

(Rs in Crores)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	0.00	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	165666.20	570.12	570.12
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	Total	**165666.20**	**570.12**	**570.12**

DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

DF - 11 Composition of Capital			Rs. In Crores
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	27460.31	27460.31
2	Retained earnings	10756.78	10756.78
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1963.11	1963.11
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**40180.21**	**40180.21**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	1967.86	1967.86
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	14469.29	14469.29
10	Deferred tax assets	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit Risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	3.80	0.00
18	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) 3	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	2729.20	2729.20
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00

23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	170.34	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	170.34	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**19340.50**	**19166.36**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**20839.72**	**21013.85**
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	0.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0.00**	**0.00**
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
39	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00

41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	0.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0.00**	**0.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	20839.72	21013.85
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2165.00	2165.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	0.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	1869.78	1869.78
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**4034.78**	**4034.78**
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments13 in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00	0.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	4034.78	4034.78
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**24874.50**	**25048.63**
60	**Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	143979.05	
60a	of which: total credit Risk weighted assets	118382.45	
60b	of which: total market Risk weighted assets	8891.72	
60c	of which: total operational Risk weighted assets	16704.88	
Capital ratios			

61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of Risk weighted assets)	14.47%	
62	Tier 1 (as a percentage of Risk weighted assets)	14.47%	
63	Total capital (as a percentage of Risk weighted assets)	17.28%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of Risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of Risk weighted assets)	8.97%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before Risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	1869.78	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	1869.78	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0	

83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	

Notes to the Template		
Row No. of the template	**Particular**	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	5299.92
	Total as indicated in row 10	**0.00**
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of Bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, Risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in Risk weighted assets	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1869.78
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	**1869.78**

DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

S. No.	**Particulars**	**Balance Sheet as in financial statements**	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2024	**As on 31.03.2024**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid up Capital	**18902.41**	**18902.41**
	Reserves and Surplus	9039.89	8659.04
	Minority Interest	0.00	0.00
	Total Capital	**27942.30**	**27561.45**

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2024	As on 31.03.2024
ii	**Deposits**	**285905.38**	**286121.48**
	of which: Deposit from Banks	577.59	577.59
	of which: customer deposits	285327.79	285543.89
	of which: Others	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**30387.16**	**30387.16**
	of which: From RBI	7000.00	7000.00
	of which: From Bank	0.00	0.00
	of which: from other institutional & agencies	14240.64	14240.64
	of which: Others (Outside India)	6981.52	6981.52
	of which: Capital instruments	2165.00	2165.00
iv	**Other liabilities and provisions**	**7798.77**	**7799.23**
	Total	**352033.61**	**351869.32**
B			
i	**Cash and Balances with Reserve Bank of India**	**16904.56**	**16905.54**
	Balance with Bank and money at call and short notice	**1649.85**	**1909.36**
II	**Investments**	**99632.08**	**99193.91**
	of which: Government Securities	95486.63	95518.85
	of which: Other approved securities	1.00	1.00
	of Which :shares	730.17	453.21
	of which : Debentures & Bonds	2542.94	2542.94
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	800.34	606.90
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	71.01	71.01
iii	**Loans and advances**	**213318.81**	**213330.13**
	of which : Loans and advances to Banks	0.00	0.00
	of which : Loans and advances to customers	213318.81	213330.13
iv	**Fixed assets**	**3739.76**	**3740.19**
v	**Other assets**	**16788.55**	**16790.19**
	of which : Goodwill and intangible assets	0.00	**0.00**
	of which : Deferred tax assets	5300.10	5300.10
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total	**352033.61**	**351869.32**

DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Dated Basel III Tier II Series III	Dated Basel III Tier II Series IV	Dated Basel III Tier II Series V
1	Issuer	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**
2	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	**INE565A08035**	**INE565A08043**	**INE565A08050**
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	500.00	665.00	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 crore	Rs.1.00 crore
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	Nil, Nil, 500	Nil, Nil, 665	Nil, Nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Fixed	Fixed	Fixed
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
18	Coupon rate and any related index	No	No	No
19	Existence of a dividend stopper	Mandatory	Mandatory	Mandatory
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Not available	Not available	Not available
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative

22	Non-cumulative or cumulative	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
23	Convertible or non-convertible	N/A	N/A	N/A
24	If convertible, conversion trigger(s)	Fixed	Fixed	Fixed
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	yes	yes	yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

DF-14: TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
Sr No.	**Particulars**	**Perpetual/Dated**	**Perpetual/Dated**	**Perpetual/Dated**
		Basel III Compliant Tier II	**Basel III Compliant Tier II**	**Basel III Compliant Tier II**
		Series III	**Series IV**	**Series V**
1	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	**INE565A08035**	**INE565A08043**	**INE565A08050**
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 Lakhs	Rs.1.00 Crore	Rs.1.00 Crore
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
5	Original maturity date	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033

6	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 500	Nil, nil, 665	Nil, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

DF-15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Disclosure not applicable to public sector Bank.

DF-16: EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures	
1	As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under: **For Equity Shares held in Available For Sale and Held For Trading category** ➢ Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates i.e. Marked to Market. ➢ Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance-sheets. If the balance-sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company. **For Equity Shares held in Held till Maturity category** ➢ Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost.

Quantitative Disclosures

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	629.98

2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held	1090.64 1194.27
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2023 to 31.03.2024) FY 2023-24	15.57
4	Total unrealised gains (losses)[13]	(669.77)
5	Total latent revaluation gains (losses) [14]	(330.83)
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital**	606.90
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the Bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	Nil

**Indiates Bank's investment in share Capital of Odisha Gramya Bank as a Sponsor.

[13] Figure reported above is the MTM depreciation in Shares Basket

[14] Total unrealized gains (losses) less appreciation ignored w.r.t performing shares/Non CDR shares.

DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Items	Amount (Rs in Crores)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	398891
2	Adjustment for investments in Banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	207
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	4454
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	13556
7	Other adjustments	47459
8	**Leverage ratio exposure**	369235

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

	Items	(Rs. in Crores)
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	398891
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	48851
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**350040**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	570
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	3884

6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**4454**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	---
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**0**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	33395
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	19839
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	13556
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	20840
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	368050
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	5.66%

Business Responsibility & Sustainability Report

As per Regulation 34 (2) (f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended up to date, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023, NSE Circular Ref. No: NSE/CML/2024/11dated 10.05.2024 and BSE Notice No. 20240510-48 dated 10.05.2024, Business Responsibility and Sustainability Report for the year 2023-24 has been prepared and is available on the Bank's website www.iob.in under the following link:

https://www.iob.in/UPLOAD/CEDocuments/iobBRSR_2023-24.pdf

Dividend Distribution Policy

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended up to date, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available Bank's website i.e.

https://www.iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf

NOTES

Turn your
account number
into your name
My Account My Name
(for All Savings Bank Account Holders)
Alphanumeric name of 7 characters
Easy to remember and share
No need to visit branch, do it online
APPLY NOW
Scan the QR Code
T&C Apply
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

Unlock liquidity.
Fuel growth.
IOB's Loan Against Property
Extended to Individuals, Firms, Pvt. Ltd COs, NRIs, Unlisted Public COs & LLPs
Loan up to ₹ 40 Cr for non-individuals
Loan up to ₹ 20 Cr for individuals
Attractive Rate of Interest
Quick Disbursement
T&C Apply
APPLY NOW
Scan the QR Code
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in
www.iob.in
Follow us on @IOBIndia
1800 890 4445 | 1800 425 4445

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

Central Office Address: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 | Phone: +91-44-2852 4212

www.iob.in Follow Us **Toll-free No - 1800 890 4445 / 1800 425 4445**